चतुर्दश माला, खंड 15, अंक 12

गुरूवार, 8 दिसम्बर, 2005
17 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gaz... Debates Unit
Parli... Building
... 025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 4 Jan 2007

(खण्ड 15 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी. के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे. पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 12, गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2005/17 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 226	2-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 227 से 241	36-67
अतारांकित प्रश्न संख्या 2284 से 2491	68-332
सभा पटल पर रखे गए पत्र	332-335
लोक लेखा समिति	
उन्नीसवें से बाइसवां प्रतिवेदन	335
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवां और बाइसवां प्रतिवेदन	335-336
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
चौहत्तरवां प्रतिवेदन	336
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	336
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अठ्ठाहरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	337
(दो) (क) विमानपत्तनों पर यात्री एवं कार्गो यातायात के बारे में दिनांक 11.8.2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	
श्री प्रफुल पटेल	338-341
(ख) विमानों की खरीद के बारे में दिनांक 24.11.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	
श्री प्रफुल पटेल	341-342
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर को घटाए जाने के बारे में	364-367

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को जारी रखे जाने के समर्थन में जंतर-मंतर, नई दिल्ली में धरना के बारे में 364-367

(तीन) गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमिताभ बच्चन को दिए गए निमंत्रण को कथित रूप से वापस लिए जाने के बारे में 466-471

(चार) भारतीय नागरिक के विरुद्ध जद्दाह, सऊदी अरब में एक शरीयत कोर्ट के कथित निर्णय के बारे में 471-472

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2005-2006 362

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) काली मिर्च, इलायची, सुपारी और अन्य कृषि नकदी फसलों की कीमतों में आई गिरावट से उत्पन्न स्थिति जिसके कारण इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों में भुखमरी की स्थिति के कारण हुई मौतें 368-392

श्री पी. करूणाकरन 368, 377-380

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह 369-377, 387-391

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 381

श्री अविनाश राय खन्ना 381-383

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार 383-384

श्री शैलेन्द्र कुमार 384-385

श्री सुरेश कुरूप 385-386

श्री सी. के. चन्द्रप्पन 386

श्री वरकला राधाकृष्णन 386-387

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा जांच शुल्कों में की गई बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति 392-415

श्री बसुदेव आचार्य 392, 394-396

डा. अंबुमणि रामदास 392-394, 408-415

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 396-398

कुंवर जितिन प्रसाद 398-399

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों 399-400

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 400-401

श्री अजय माकन 401-402

श्री मोहन सिंह 402-403

श्री मानवेन्द्र सिंह 403

श्री राम कृपाल यादव 404

श्री संतोष गंगवार 405

चौधरी लाल सिंह 405-406

डा. रामचन्द्र डोम 406

श्री सुरेश चंदेल 406-407

श्री बिक्रम केशरी देव 407

श्री शैलेन्द्र कुमार 407-408

नियम 377 के अधीन मामले 416-466

(एक) झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर दूबे 416

(दो) पलानी में न्यायालय भवन के निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेनथन 416-417

(तीन) दिल्ली में इन्द्रलोक और मोतीनगर को मैट्रो रेल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन कुमार 417-418

(चार) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्युत विभाग में अस्थायी और दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 418

(पांच) राजस्थान में कतिपय कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 419

(छह) देश में खादी बुनकरों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 419-420

(सात) राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल को एम्स का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 420

(आठ) हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी, परागपुर, ज्वालामुखी और रानीताल को जोड़ने वाली रेल लाइन की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल 420-421

(नौ) देश में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 421

(दस) घरेलू लघु उद्योगों को रियायती दरों पर कोयले की आपूर्ति करके उनके हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज जी. अहीर 421-422

(ग्यारह) राजस्थान के नागौर जिले के मेडता में भूमिगत कोयले का दहन करने की पद्धति द्वारा बिजली का उत्पादन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री भंवर सिंह डांगावास 422

(बारह) निजी क्षेत्र के उद्योगों के अधिक से अधिक कर्मचारियों और कर्मकारों को शामिल करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करके बोनस के लिए हकदारी मानदंड को बढ़ाने जाने की आवश्यकता

श्री स्वदेश चक्रवर्ती 423

(तेरह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय जातियों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 423-424

(चौदह) नीम के वृक्ष की अत्यधिक उपयोगिता को देखते हुए नीम के वृक्ष को एक राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रेवती रमन सिंह 424

(पंद्रह) बिहार के सीतामढ़ी जिले में रीगा चीनी मिल और डिस्टिलरी फैक्टरी के बहिःस्राव द्वारा हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री सीताराम सिंह 424-425

(सोलह) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में मोहम्मदी और मितौली के बीच गोमती नदी पर एक पुल का निर्माण करने के लिए "आदर्श जिला योजना" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी 425

(सत्रह) प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को इंदिरा आवास योजना में शामिल करने की दृष्टि से अर्हता मानदंड में छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अर्चना नायक 425-426

(अठारह) तमिलनाडु के मदुरै में एक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई 426

विषय **कॉलम**

(उन्नीस) झारखंड के गम्हरिया में उषा मार्टिन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किए जा रहे बहिःस्राव से हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार महतो 427

(बीस) बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मुंशी राम 427

नियम 193 के अधीन चर्चा 428-466

(एक) दिनांक 29.10.2005 को दिल्ली में शृंखलाबद्ध बम विस्फोट

(दो) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा

(तीन) दिनांक 13.11.2005 को बिहार के जहानाबाद में नक्सलवादी हमला

(चार) दिनांक 11.11.2005 को होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर, गिरिडीह, झारखंड में हुआ नक्सलवादी हमला

श्री निखिल कुमार 428-431

श्री तापिर गाव 431-433

श्री बीर सिंह महतो 433-434

श्री इलियास आजमी 434-436

श्री अविनाश राय खन्ना 436-438

श्री रामदास आठवले 438-439

श्री शिवराज वि. पाटील 441-466

अनुबंध-I 479-486

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 479-480

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 480-486

अनुबंध-II 487-488

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 487-488

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 487-488

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2005/17 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज में एक प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यगणों से अनुरोध कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना मिली है। मैं आपको यह मामला प्रश्न काल के तुरन्त बाद उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

बसुदेव आचार्य : कृपया इसे 'शून्य काल' में उठाने की अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, सरकार द्वारा भविष्य निधि पर ब्याज दर कम करने के एकतरफा निर्णय से कामगार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह अत्यन्त गंभीर मुद्दा है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : कर्मचारी भविष्य निधि इस देश में मात्र एक सामाजिक सुरक्षा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : देश के करोड़ों मजदूरों के ई.पी.एफ. ब्याज को 9.5 परसेंट से 8.5 परसेंट करके बेइज्जत किया गया है। 9.5 परसेंट को 8.5 परसेंट कर दिया, इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसका वायदा करने के बाद यू.पी.ए. सरकार ने गरीब मजदूरों का शोषण किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो किसी को भी खड़े होने की अनुमति नहीं है। मैं आपको इसे प्रश्न काल के बाद तुरन्त उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : 12 परसेंट को आपने घटाकर 8.5 परसेंट कर दिया था।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : आप इनकी बात मानिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम इनका समर्थन करते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब मुद्दे जो उठाते हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता ठीक तय करेगी।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या आप हमें प्रश्न काल के बाद तुरन्त अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद का अर्थ है प्रश्न काल के तुरन्त बाद। यदि मैं अनुमति भी नहीं दूंगा तो क्या आप रुकेंगे।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'। प्रश्न सं. 222।

[हिन्दी]

तेल तथा गैस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

+

***222. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**

डा. चिन्ता मोहन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल तथा गैस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तेल तथा गैस क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में हुए कुल विदेशी निवेश में से तेल तथा गैस क्षेत्र में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश हुआ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ज़ी, हां।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नीति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1. नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) और कोल बेड मीथेन नीति (सीबीएम) के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दे दी गई है।

2. पेट्रोलियम परिशोधन क्षेत्र में, निजी भारतीय कंपनियों के मामले में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के मामले में 26 प्रतिशत धारिता और 48 प्रतिशत सार्वजनिक धारिता के साथ 26 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

3. पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

4. प्राकृतिक गैस/एलएनजी पाइपलाइनों के लिए 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

5. पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से संबंधित बुनियादी ढांचे में 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

6. बाजार अध्ययन और फार्मुलेशन के प्रयोजन हेतु 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को अनुमति है।

7. निवेश/वित्तपोषण के लिए 100 प्रतिशत डब्ल्यूओएस को अनुमति है।

8. वास्तविक व्यापार और विपणन के लिए न्यूनतम 26 प्रतिशत भारतीय इक्विटी 5 वर्षों के लिए होनी आवश्यक है।

एफडीआई नीति वर्तमान क्षेत्रपरक दिशानिर्देशों के अध्यधीन है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार देश में कुल एफडीआई आगमन की तुलना में केवल तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में इक्विटी पूंजी के रूप में एफडीआई आगमन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आगमन	देश में कुल एफडीआई आगमन	कालम (3) के प्रतिशत के रूप में कालम (2)
2002–03	245.85	14,932.00	1.65
2003–04	378.93	12,117.00	3.13
2004–05	518.29	17,138.00	3.02

टिप्पणी : उपर्युक्त एफडीआई आंकड़ों में एफआईपीबी/एसआईए मार्ग, वर्तमान शेयरों की खरीद और आरबीआई के स्वचालित मार्ग के जरिए प्राप्त किए गए आगमन शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि पेट्रोलियम सैक्टर में कई क्षेत्रों में 100 फीसदी और 74 फीसदी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी गई है और नीति निर्धारित की गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसमें कम

प्रोडक्शन, कम उत्पादन के बावजूद मुनाफा ज्यादा होता रहा है। हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे कि अकेले अगर ओ.एन.जी.सी. को देखा जाए तो वर्ष 2004 में 13.284 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ, जबकि 2005 में 12.291 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ, अर्थात् प्रोडक्शन घटा। वर्ष 2004 में जितना प्रोडक्शन हुआ, वर्ष 2005 में उससे कम हुआ, लेकिन प्रोफिट 2004 में 5697.04 करोड़ रुपये हुआ, वर्ष 2005 में प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन प्रोफिट बढ़कर 7457.13 करोड़ रुपये हो गया। ऐसी परिस्थिति में प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी प्रोफिट बढ़ रहा है तो वैसी स्थिति में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति देकर क्या सरकार विदेशी कम्पनियों को अपने पेट्रोलियम सैक्टर के लाभ में हिस्सेदार बनाना चाह रही है, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मूल सवाल तो विदेशी निवेश के बारे में था और जो सवाल मुझसे किया गया है, वह हमारी घरेलू कम्पनी की तरफ से कितना मुनाफा रहा है, उसके बारे में माननीय सदस्य ने हमसे पूछा। मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं कि हां, उनका मुनाफा बढ़ता रहा है, हालांकि उत्पादन इस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं, वे बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहां से छलांग मारकर हम विदेशी निवेश नीति में आने में मेरे ख्याल से थोड़ी–बहुत गलतफहमी में फंस गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घरेलू उत्पादन बढ़े और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें न केवल अपना घरेलू प्रयास करना है बल्कि जितनी भी सहायता, सहयोग हमें इस क्षेत्र में विदेश से मिल सकती है, उसकी भी आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि क्योंकि मुनाफा बढ़ा है, इसलिए हम विदेशी निवेश को भी ठप्प कर दें, क्योंकि तब हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे और यह देश के हित में नहीं होगा।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से यह नहीं पूछा। मैंने उन्हें सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताया कि हमारा प्राफिट बढ़ रहा है और चूंकि हमारे पास पैसा है, उस स्थिति में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या आवश्यकता है। लेकिन मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि घरेलू उत्पादन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता है। हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं कि पिछले तीन वर्षों में क्रूड ऑयल में 20,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट अकेले ओएनजीसी में हुआ, लेकिन हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : हम इन्वेस्टमेंट कहीं बढ़ा नहीं सकते। इन्होंने सरप्लस पैसे की बात कही। हमारे यहां पचास इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन्स ऐसे हैं जिनमें लगभग 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये सरप्लस फंड है। अकेले पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एक लाख करोड़ रुपये सरप्लस फंड है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : हम वही पूछ रहे हैं। जब हमारे पास सरप्लस फंड है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्या जरूरत है?

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : वैसी स्थिति में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या आवश्यकता हुई और क्या उसमें सरकार की मंशा सीधे तौर पर विदेशी कम्पनियों को यहां लाकर स्थापित करने की है?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, तेल एक प्राकृतिक देन है और हर कुएं में आप ज्यादा पानी नहीं भरें तो जब पानी निकालते हैं तो वह कुएं में कम होता जाता है लेकिन तेल ऐसी चीज है जिसे आप भर नहीं सकते, जो है उसी को निकाल सकते हैं। जितने भी तेल के कुओं की खोज हुई है और वहां से उत्पादन हो रहा है, हम ऐसे पैमाने पर पहुंचते हैं जब उसे पार करने के पश्चात् स्वाभाविक है कि उत्पादन कम होता जाता है। अब इस पर ओएनजीसी की तरफ से बहुत बड़ी रोक लगाई गई है। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जहां घट रहा था, पिछले तीन–चार वर्षों में जो घट रहा था, उसे बंद करके उत्पादन को तकरीबन उसी स्तर पर ला रखा है। लेकिन ओएनजीसी का कहना है कि आने वाले पांच–छः वर्षों के अन्दर आज के खोजे हुए मैदान और कुओं में से उत्पादन काफी घटने वाला है। जहां आज तकरीबन 27 मिलियन टन है, आने वाले पांच–छः सालों में वह 19 से 20 मिलियन टन के बीच आ जाएगा। इस परिस्थिति में एक तरफ यह आवश्यक है कि ओएनजीसी की तरफ से ही एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में उनका निवेश बढ़ता जाए, बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके और मेरे बीच चर्चा चल रही है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता है जिसके जरिए हम इस निवेश को बढ़ाएं। दूसरी तरफ यदि हमारा राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है, उसका मूल कारण है... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी इस तरह उत्तर देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ताकि आप अत्यधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस तरह एक सवाल भी पूरा नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप इस प्रकार के हस्तक्षेप पर ध्यान मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा इस बात से अप्रसन्न हैं कि मैं उलट-पुलट उत्तर देने के बजाए विस्तृत उत्तर दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं बता रहा था कि विदेशी निवेश के कारण ही राजस्थान में तेल की इतनी बड़ी खोज हुई है आने वाले पांच-छः सालों में कोई आठ मिलियन टन तेल का उत्पादन बढ़ने वाला है। उसमें से मुकम्मल तौर पर छः के बारे में संभावना है कि केयर्न ने राजस्थान में जो खोज निकाली है, वहां से आएगा। वैसे ही गैस के संबंध में है। रिलायंस और कनाडा की एक कम्पनी 'नाइको' है। इन दोनों कम्पनियों की खोज के कारण ही हमारे यहां गैस का उत्पादन बढ़ने वाला है। अब यह सोचना कि विदेशी निवेश को हमें नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसा है, मुझे नहीं लगता कि यह देश के हित में है।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कृष्णा गोदावरी बेसिन और बंगाल की खाड़ी में आने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है।

डा. चिन्ता मोहन : महोदय, यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जोड़ रहे हैं।

डा. चिन्ता मोहन : कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कृष्णा गोदावरी बेसिन और बंगाल की खाड़ी में आने की संभावना है; आप इस गैस का कैसे उपयोग करेंगे और आपकी अविलम्ब योजनाएं क्या हैं और अगले दस वर्षों के लिए योजनाएं क्या हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे भय है। इस समय मेरे पास उन विभिन्न विदेशी कम्पनियों का अलग-अलग आंकड़ा नहीं है जो भारत में इक्विटी का प्रस्ताव कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, जहां तक कृष्णा गोदावरी बेसिन का संबंध है वहां बहुत अधिक व्यय हो रहा है और इसमें जो कंपनियां लगी हुई हैं वे उस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं और यह आंकड़ा डीपीआईपी या भारतीय रिजर्व बैंक के पास अलग से क्षेत्रवार उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद, मैं यह आंकड़ा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और इसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमें यह जहां भी प्राप्तियां हुई हैं वे क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र हैं, इस बारे में केवल यही आशा की जाती है कि हमें जहां गैस मिली है वहां बहुत अधिक निवेश होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको धन्यवाद।

श्री कीरेन रिजीजू : महोदय, हाल ही में मंत्री महोदय पूर्वोत्तर क्षेत्र में गए थे और उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल की खोज के लिए कतिपय वायदे किए थे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कठिन क्षेत्रों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों जहां खोज नहीं हुई है, में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए सरकार क्या प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करने जा रही है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, हमने अरुणाचल प्रदेश के ब्लाकों को एनईएलपी-पांच और पूर्व में एनईएलपी-चार के अन्तर्गत रखा है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि इस पर प्रत्युत्तर मिला है। मुझे यह भी विश्वास है कि तेल का स्रोत जिसे अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग उस क्षेत्र में उपलब्ध होने की संभावना है जहां पर्याप्त क्षमता है बशर्ते हम इसकी तकनीकी संभावना और आर्थिक संभाव्यता का पता लगा सकें। अतः हम डायरेक्टर जनरल आफ हाइड्रोकार्बन के माध्यम से इन संभावनाओं का शीघ्रता से पता लगा रहे हैं। हाल ही के एक दौरे में मैंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया है कि मुझे आशा है कि मैं अनेक विशेषज्ञों या संभवतः उन कम्पनियों को भी लाऊंगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र-संभवतः चांगलोंग में रुचि रखते हैं और यदि यहां रुचि नहीं रखते हैं तो डिब्रूगढ़ या अन्य कहीं, जहां

और सुविधाजनक हो, जहां हम इन मामलों पर चर्चा कर सकें। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि तेल के स्रोतों की संभाव्यता, जो कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के मूल्यों को देखते हुए विचारणीय है, की आगे तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से तलाश की जा सके।

श्री सांतश्री चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने देश की आर्थिक संप्रभुत्ता की रक्षा करने के लिए, जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है सरकार अपनी प्रत्यक्ष विदेशी नीति की समीक्षा करेगी?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मंत्रियों के एक समूह द्वारा पहले ही समीक्षा की जा रही है जो 3 नवम्बर को अधिसूचित की गई थी। हम अपनी आर्थिक संप्रभुत्ता की रक्षा करने और वृद्धि दर को बढ़ाने की आवश्यकता जिसके बिना गरीबी समाप्त नहीं की जा सकती, समेत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे।

श्री ब्रह्मानंद पंडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या गैस और तेल के उस उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा जो बंगाल की खाड़ी विशेषकर उड़ीसा के बाहरी तटवर्ती क्षेत्रों में पाया गया है।

श्री मणि शंकर अय्यर : बंगाल की खाड़ी में गैस की संभावनाओं का दोहन करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है, यह केवल उड़ीसा के समुद्र तट तक नहीं बल्कि दक्षिण में "पाल्क स्ट्रेट्स" तक सभी स्थानों पर इसका दोहन करने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र दक्षिण भारत को पश्चिमी बंगाल के अपतट से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी चाप तक श्रीलंका से विभाजित करता है। इसकी संभावनाएं इतनी आकर्षक हैं कि मैंने बंगाल की खाड़ी को संभवतः दक्षिण एशिया का उत्तरी समुद्र को कहने का साहस जुटा लिया है और हमने इसमें सफल खोजें की हैं और हमें पहले ही इस तट पर कुछ भंडार मिले हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि वर्ष 2006 एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें हम कृष्णा गोदावरी बेसिन के अतिरिक्त अन्यत्र भी इन तेल के भंडार का पता लगा सकेंगे और महानदी तथा अपतटीय सुन्दरवन के लिए भी कुछ घोषणाएं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोल रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्णिया और किशनगंज में तेल और गैस की बड़ी संभावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस जगह क्या प्रगति हुई है और इस संबंध में क्या अद्यतन स्थिति है? अभी जो वहां एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उसका क्या परिणाम रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगले प्रश्न में आप यह पूछ सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे अफसोस है कि यह वास्तव में इससे संबंधित नहीं है किन्तु माननीय रेल मंत्री, यह क्या है, जानने के लिए अत्यधिक जिज्ञासु हैं—मैं चाहता हूं कि वह थोड़ा धैर्य रखते ताकि मैं उन्हें बता सकता—वह जब मैं अपने मित्र की बात सुनने की कोशिश कर रहा हूं कि वह क्या कह रहे थे वह बीच में ही मुझसे पूछते रहे।

अध्यक्ष महोदय : यह एकदम ठीक है।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं लालू जी को यह बताना चाहूंगा ओर इंसीडेंटली यादव जी को भी यह बता दूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में श्री लालू प्रसाद को और संयोगवश श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : किशनगंज में तेल खोज निकालने का प्रयास किया गया था, उस समय वह विफल हुआ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आधुनिक टैक्नोलॉजी के साथ, आज के दाम जो कल के दाम से बहुत बेहतरीन हैं, तेल खोज निकालने के लिए संभावना ही न हो। हमने ओएनजीसी से कहा है कि इस पर पुनः विचार करें और देखें कि इस नई परिस्थिति में, जो नए आधुनिक तंत्र उनके हाथ में आए हैं या जिसका इंतजाम वे कर सकते हैं, उससे हम किशनगंज में तेल की खोज शुरू करें। साथ-साथ आपकी आज्ञा से मैं लालू जी को यह बताना चाहता हूं कि किशनगंज ही नहीं, हमें लगता है कि पूरे सब-हिमालयन एरिया में जो शिवालिक से लेकर उत्तरांचल के किशनगंज तक पहुंचता है, पूर्णिया क्षेत्र में तो हमें लगता है क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में एक राजनैतिक सीमा है। इसलिए जो जॉगरेफिक बेसिन हैं, उनकी इंटीग्रिटी को पूरा करने के लिए अभी...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वह खुद भी तो बेसिन है।

श्री मणि शंकर अय्यर : हां, है। लेकिन दूसरा मुल्क है और केर्न एनर्जी है, इसकी तराई में जो सीमा है उसके उत्तर हिस्से में उनको नेपाल सरकार से कुछ ब्लॉक्स मिले हैं और हमारे ओएनजीसी के जो ब्लॉक्स हैं जो कि बहुत अर्से से इस सीमा के दक्षिण ओर हैं और अब हमने समझौता करवाया है कि केर्न और ओएनजीसी के बीच में काफी मुकम्मल तौर पर शिवालिक से लेकर, देहरादून से लेकर पूर्णिया तक इस खोज में कि कुछ तेल या गैस मिले और यदि मिल गया तो मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं लालू जी को शेख साहब कहने लगूंगा।... *(व्यवधान)*

ओएनजीसी की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परियोजना

***223. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास प्राप्त करते हुए ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें यह योजना अब तक शुरू कर दी गई है तथा इससे क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां यह योजना निकट भविष्य में शुरू किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। ओएनजीसी ने त्रिपुरा राज्य में ईस्ट कालबेरिया में मैछारा गांव-समूह में ओएनजीसी-पीयूआरए परियोजना शुरू की है। ओएनजीसी एक बुनियादी क्रियाकलाप के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के लिए परिव्यक्त कुओं में पड़ी निष्क्रिय गैस उपलब्ध कराएगी।

(ग) यह परियोजना त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। सफलतापूर्वक चल रही सेवाओं में निम्नलिखित हैं :

- रांधा सेवा (सामुदायिक रसोई)
- ज्ञान केन्द्र (स्कूल पुस्तकालय) : आईटी शिक्षा प्रदान की जा रही है।

(घ) ओएनजीसी ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी परियोजनाएं शुरू करने की बात सोचेगा, जहां पर गैस के ऐसे परिव्यक्त एवं निष्क्रिय कुएं विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त करते हुए सामाजिक, ग्रामीण और शहरी अंतर को दूर करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की क्या कोई योजना शुरू की है? यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, जहां तक मेरा ज्ञान है, इसका ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इसके लिए ओएनजीसी की तरफ से तैयारी बहुत कम रही है। अब आपके सवाल पूछने से हमें पता लगा है कि त्रिपुरा के केवल माइचारा इलाके में कुछ काम जमीन पर शुरू हुआ है। उनका इरादा यह है कि उनके जो आइसोलेटेड और मार्जिनल फील्ड्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 25 है, के आस-पास कुछ काम किया जाए। उनका इरादा यह है कि वहां से उस इलाके के लिए बिजली के उत्पादन का वे इन्तजाम करें और साथ ही साथ उनका जो कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिल्टी का कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत उस इलाके के विकास के लिए पंचायतों से पूछकर कुछ काम शुरू करें। लेकिन अब तक यह काम ठोस रूप में त्रिपुरा में ही शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह बहुत ही जरूरी है कि ओएनजीसी अपने प्रयास बढ़ाए और दूसरे राज्यों में भी, जहां इस प्रकार के आइसोलेटेड वैल्स हैं, उनके आस-पास पीयूआरए कार्यक्रम शुरू करे। यह खास तौर पर इसलिए भी जरूरी है कि पीयूआरए का नाम हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया है। यह उनकी सोच और कल्पना है, इसलिए हमें इस प्रकार की परियोजनाओं पर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों में यह योजना शुरू की

गई है, उन राज्यों से क्या उपलब्धि हासिल हुई तथा उनका ब्यौरा क्या है जहां यह योजना निकट भविष्य में शुरू किए जाने की संभावना है?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है, त्रिपुरा के माइचारा नामक स्थान को छोड़कर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यही तो मेरी पीड़ा है कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि यह सब करेंगे, लेकिन कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने ओएनजीसी–पीयूआरए ट्रस्ट अप्रैल, 2004 में शुरू किया था, लेकिन लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी केवल माइचारा में ही काम शुरू हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने कुओं की पहचान कर ली है, लेकिन इसके लिए उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाए हैं। शुक्र है कि आपने हमसे यह सवाल किया और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र तक हम यह ऐलान कर पाएंगे कि दूसरे राज्यों में भी हम क्या करने वाले हैं, क्यों करेंगे और कितना खर्च किया जा सकता है।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : धन्यवाद महोदय, मुझे ऐसा लगा—जैसा कि मैंने प्रश्न और उसके उत्तर को पढ़ा—कि दिए गए उत्तर और पूछे गए प्रश्न के बीच कोई मेल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का संबंध शहरी सुविधाओं की तुलना में ग्रामीण विकास और ग्रामीण सुविधाओं से संबंधित तेल एवं प्राकृतिक आयोग की सामाजिक जिम्मेदारी से है। किन्तु दिए गए उत्तर में यह पहलू शामिल नहीं है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है और भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस से यह आशा की जाती है कि यह कतिपय सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करेगा क्योंकि यह उनके कर्तव्यों का एक पहलू है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इस मुद्दे से संबंधित है।

तथापि, उत्तर के भाग (क) और (ग) उत्तर को उन स्थानों तक सीमित करते हैं जहां निष्क्रिय और विमुक्त गैस के कुएं उपलब्ध हैं। मैं नहीं समझता कि इससे प्रश्न का पूरा उत्तर मिलता है। इस प्रश्न का संबंध शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करने से है। अतः मैं समझता हूं कि दिया गया उत्तर पूर्ण नहीं है।

अब मैं सामाजिक दायित्व के संबंध में माननीय मंत्री से प्रश्न पूछूंगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून में स्थित है और माननीय मंत्री देहरादून से बहुत लम्बे समय से जुड़े हुए हैं। उत्तरांचल देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। पहले प्रश्न के उत्तर में भी माननीय मंत्री ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अर्जित किए जा रहे लाभ के बारे में उल्लेख किया था। क्या माननीय मंत्री उत्तरांचल के पिछड़े जिलों में कुछ विकासात्मक कार्य करने के लिए आवश्यक जांच करने और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इस संबंध में अनुदेश देने पर विचार करेंगे? मैं यह कह रहा हूं क्योंकि आयोग वहां स्थित है और उसके कुछ सामाजिक दायित्व हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, इस आरोप से अपनी संरक्षा करते हुए कि इस उत्तर में प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है, क्या मैं यह बता सकता हूं कि प्रश्न के भाग (क) में ही ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं शुरू करने के लिए एक परियोजना का हवाला दिया गया है।

इससे अधिक ठोस मुद्दे, माननीय सदस्य ने जो कहा है, पर आते हुए मैं उन्हें यह सूचना दे दूं कि जहां तक उत्तरांचल का संबंध है, देहरादून वास्तव में सभी कार्यकलापों का केन्द्र है जिसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उत्तरांचल में सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कर रहा है। वर्ष 2001–02 में उन्होंने उस वर्ष के लिए दिल्ली और देहरादून को मिश्रित कर दिया...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : अधिकतर समय तो वे दिल्ली में रहते हैं। वे देहरादून में नहीं ठहरते। आपको यह भी याद रखना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे मालूम है। वर्ष 2002–03 में व्यय 132 लाख रुपये तक सीमित था। 2003–04 में यह व्यय 132 लाख से कम होकर 25.66 लाख हो गया। वर्ष 2004–05 में यह और भी घटकर बीस लाख रुपये हो गया। कुल व्यय जो उन्होंने वर्ष 2004–05 में सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रम पर खर्च किया है—मेरे पास निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम हेतु आंकड़े नहीं हैं जो थोड़ा–सा भिन्न कार्यक्रम है—वह राज्य स्तर पर 16.5 करोड़ रुपये तक सीमित है। उसमें से दिल्ली में लगभग बारह करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। निगमित स्तर पर...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : दिल्ली में इतनी राशि खर्च हुई।

श्री मणि शंकर अय्यर : जी, हां, दिल्ली में। मुझे मालूम है। मैं आपकी परेशानी को समझता हूं। निगमित स्तर पर उन्होंने 28 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यदि आप इन दोनों को एक साथ मिला दें और जो कुछ उन्होंने किया है, वह भी मिला दें—फिर भी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की नीति में इस प्रकार के कार्यक्रमों पर पिछले वर्ष के मुनाफे की 0.75 प्रतिशत धनराशि खर्च की जानी है—यह राशि नब्बे करोड़ रुपये होनी चाहिए। अतः स्पष्ट रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है।

लेकिन आप यह मानेंगे कि उनके पास निगमित स्वायत्तता है और किसी को भी यह मानना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि मैं इस आशा के साथ प्रश्न काल के तत्काल बाद उनके सामने झुकने के लिए अपने को तैयार करूं कि कम से कम आप सबने ऐसी गहरी रुचि दिखाई है तो वे निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : उन्हें दिल्ली और देहरादून के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी सोचना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं आपसे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके विचारों से सहमत हैं।

श्री प्रशान्त प्रधान : अध्यक्ष महोदय, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ग्रामीण क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में भी गैस और तेल की खोज कर रहा है। पश्चिम बंगाल में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र भगवानपुर में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने परियोजना शुरू की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस परियोजना में गैस और तेल प्राप्त करना संभव है।

श्री मणि शंकर अय्यर : पश्चिम बंगाल में हमने अपतटीय क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त की है। पश्चिम बंगाल में अपतट बहुत ठीक नहीं रहा है। किन्तु आप जानते हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग वहां तेल अथवा गैस नहीं रखता है, यह तो प्रकृति है कि जिसने वहां इसे रखा हुआ है। मुझे जो कहने में प्रसन्नता हो रही है वह यह है कि वहां अपतटीय क्षेत्र में गेल और रूसियों के बीच संयुक्त उद्यम है जहां कुएं की शुरूआत हुई है अथवा शुरू होने वाली है। अब तक के संकेत ऐसे हैं कि इसमें सफलता मिलेगी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने एक अपतट सुन्दरबन के एक खंड में कूप खनन संयंत्र लगाया है जहां वे आशान्वित हैं। इस कार्य में या तो आप आशान्वित हो सकते हैं अथवा निराशा से भरे हो सकते हैं और आपकी आशा अथवा निराशा को झुठलाया जा सकता है। मैं तो यही आशा कर सकता हूं कि वर्ष 2005–06 में पश्चिम बंगाल हमारे हाइड्रोकार्बन मानचित्र पर आ जाएगा, कम से कम जहां तक अपतट पश्चिम बंगाल का संबंध है। तटीय पश्चिम बंगाल के संबंध में कोयला–तल मिथेन हेतु संभावनाएं बहुत उत्साहवर्धक हैं। मीथेन चाहे वह कोयले से आए अथवा समुद्र से आए, इसका अपना लाभ है। पश्चिम बंगाल भविष्य के लिए हमारे प्रस्तावों का एक अंग है। यद्यपि भूतकाल हमें भविष्य के लिए बहुत अधिक विश्वास की प्रेरणा नहीं देता, फिर भी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे।

श्री बाला साहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह नोट कर प्रसन्नता है कि मंत्री द्वारा इसकी जांच करने की संभावना है। सामाजिक–आर्थिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का एक बहुत पुराना कार्यक्रम है।

वह बात यह है जो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। जब सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां सामाजिक जिम्मेदारियों को अपना रही हैं तो निजी कम्पनियां मुनाफे की ओर देख रही हैं। यही नियम निजी कम्पनियों पर भी लागू होना चाहिए। मेरा मंत्री से अनुरोध है कि यदि निजी कम्पनियों के पास सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है तो वह कृपया यह देखें कि निजी कम्पनियां सामाजिक दायित्व उठाएं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : उनके सुझाव को नोट कर लिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव। धमकी मत दो, धमकी से काम नहीं होगा। हमको धमकी मत देना।

श्री राम कृपाल यादव : वैरी सॉरी सर। हम धमकी नहीं दे रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आपके बाहर जाने के हमको भी दुःख होगा। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आपके बाहर जाने से जनता का काम नहीं होगा। हमें यहां शान्ति चाहिए। चलिए आप बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ओएनजीसी के माध्यम से आपने जो ग्रामीण और शहरी अंतर को दूर करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम रखा है और जैसा आपने अपने जवाब में भी कहा है कि आप इसमें और राज्यों को लेने के लिए भी सोच रहे हैं। क्या बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को भी आप इस कार्यक्रम में लेने का विचार कर रहे हैं क्योंकि वहां भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहुत अन्तर है। मैं जानना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनसे हमारी ज्यादा पावर है, हमने बोल दिया है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, ओएनजीसी की पूरी योजना वहां है जहां कि आइसोलेटेड विलेज हैं। वे राज्य हैं असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। लेकिन उनकी जो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारियां हैं, उनके अन्तर्गत बिहार में भी हम अवश्य

काम करेंगे और मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आपको धमकी न देने के लिए उनको काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ि : कर्नाटक को भी शामिल किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी राज्यों को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन के लिए टेलीविजन रेटिंग

\+

***224. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :**

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य टी.वी. चैनलों की तुलना में दूरदर्शन का 'टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स' (टी.आर.पी.) बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो एजेंसियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई रेटिंग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की लोकप्रियता और टी.आर.पी. बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन को सभी घरों में सर्वोच्च टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) प्राप्त है। इस प्रयोजनार्थ दूरदर्शन द्वारा संलग्न टेलीविजन दर्शकगण मापन लिमिटेड (टीएएम) द्वारा दर्शाई गई टीआरपी दरों का ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है। दूरदर्शन का अभिनव एवं आकर्षक प्ररूपों के जरिए अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता में वृद्धि करने का सतत प्रयास रहा है ताकि उसके कार्यक्रमों के संबंध में दर्शकों की रुचि को बनाए रखा जा सके और इस प्रकार से टीआरपी रेटिंग में वृद्धि की जा सके।

अनुबंध

दूरदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मक निजी चैनलों का टीवीआर व हिस्सेदारी (सभी 4 + वर्षों के बीच)

(30 अक्तूबर से 5 नवम्बर 2005)

चैनल	0600–2400 घंटे			2100–2300 घंटे		
	0000s	टीवीआर%	हिस्सेदारी%	000s	टीवीआर%	हिस्सेदारी%
1	2	3	4	5	6	7
डीडी 1	4429	3.07	21.16	9411	6.52	27.71
डीडी न्यूज	340	0.24	1.62	513	0.36	1.51
सोनी इंटरटेनमेंट	317	0.22	1.52	966	0.67	2.84
स्टार प्लस	1296	0.9	6.19	5111	3.54	15.05
जी टीवी	310	0.21	1.48	508	0.35	1.49
सन टीवी	1051	0.73	5.02	1477	1.02	4.35
सब टीवी	65	0.05	0.31	122	0.08	0.36
सहारा वन	186	0.13	0.89	400	0.28	1.18

1	2	3	4	5	6	7
मैक्स	379	0.26	1.81	662	0.46	1.95
स्टार गोल्ड	402	0.28	1.92	426	0.29	1.26
अन्य चैनलों को देखना	12159	8.42	58.08	14366	9.95	42.3
किसी चैनल को देखना	20934	14.5	100	33963	23.52	100

'000 में सार्वभौमिक' 144376

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : भारत में, करीब 10 से 11 करोड़ घर हैं जहां दूरदर्शन या सेटेलाइट या केबल चैनल देखे जाते हैं। टैम नामक कम्पनी इन चैनलों को टीआरपी रेटिंग देने से पहले 10 करोड़ घरों की तुलना में मात्र 4,500 घरों के नमूने से टीआरपी रेटिंग पता करती है। हमारे देश के आकार को देखते हुए एक कम्पनी के लिए भारत में टीआरपी रेटिंग का पता लगाना असंभव है या अत्यन्त कठिन है। भारत में, ऐसी कम्पनियां हैं जो इस कार्य को हो सकता है कि बेहतर दक्षता और बेहतर पारदर्शिता के साथ न कर सकें तब भी वे इन कार्यों को समान दक्षता से करने में सक्षम हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार भारत में टीआरपी रेटिंग का पता लगाने के लिए इन कम्पनियों की सेवाएं लेने पर भी विचार करेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सबसे पहले, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि टीआरपी मुद्दा 2000 में उठाया गया था। उस समय, न केवल भारत में बल्कि विश्व के बाकी देशों में भी बहुत प्रतिष्ठित कम्पनी ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। दूरदर्शन, प्रसार भारती के माध्यम से, टीआरपी रेटिंग प्रबंधन के लिए उनके साथ वर्ष दर वर्ष समझौतों पर हस्ताक्षर करता था। टीआरपी रेटिंग प्रबंधन मीटर के साथ चयनित घरों के अत्यन्त विशिष्ट नमूना सर्वेक्षण क्रिया है। यह सत्य है कि स्थलीय और सेटेलाइट चैनलों सहित विभिन्न चैनलों के लिए टीआरपी संबंधी स्थिति को जानने के लिए इस क्षेत्र में कुछ और कम्पनियां कदम रख रही हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, मैं भी इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं ताकि कुछ और कम्पनियों की सेवाएं लेकर अधिक घरों को शामिल करके, उनका पता लगाकर नमूना सर्वेक्षण किया जा सके। परन्तु इसके लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता है। वर्तमान में, टीआरपी रेटिंग मूल्यांकन के लिए हम 2 करोड़ रुपये से भी अधिक का भुगतान प्रति वर्ष कर रहे हैं। अभी तक, जहां तक भविष्य की योजनाओं का संबंध है, मैं इस मामले को वस्तुपरक ढंग से देखूंगा।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : यदि मैं सही हूं तो ये चैनल विज्ञापनों के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये की राजस्व उगाही करते हैं। ऐसे कई चैनल हैं जो झूठे दावे कर रहे हैं कि उनकी टीआरपी रेटिंग अभी सभा में रखे गए विवरण की तुलना में जिसमें यह बताया गया है कि दूरदर्शन की टीआरपी रेटिंग अत्यधिक है, बहुत अधिक है। इससे हमारे अपने दूरदर्शन को राजस्व की हानि होती है। मैं माननीय मंत्री जी से इन चैनलों के विरुद्ध उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहूंगी जो ऐसा भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं जिससे हमारे अपने चैनलों को राजस्व की हानि हो रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वास्तव में, स्थिति यह है कि यह बाजार प्रतिस्पर्धात्मक है। इस प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में और भारत के प्रतिस्पर्धी बाजार में, दो प्रकार के चैनल हैं—सेटेलाइट चैनल और वैसे चैनल जिनका प्रचालन केबल टीवी नेटवर्क और स्थलीय (टरेस्ट्रीयल) माध्यम से होता है। मुझे बहुत आदर और विनम्रता के साथ कहना है कि आज तक दूरदर्शन का सर्वाधिक टीआरपी रेटिंग पर एकाधिकार है। यह एकमात्र चैनल है जो लोगों तक न्यूनतम लागत में पहुंचता है। अवश्य ही, कुछ सेटेलाइट चैनलों की टीआरपी प्रसार भारती के सेटेलाइट चैनल की तुलना में बेहतर है। मैं इससे इंकार नहीं करता हूं।

जहां तक कुछ स्थलीय (टरेस्ट्रीयल) और अन्य राष्ट्रीय चैनलों का संबंध है, वहां दूरदर्शन ही है जो सबसे ऊंचाई पर खड़ा है। हमें विज्ञापन की वजह से हानि नहीं हो रही है। बल्कि, हमारे यहां संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, जैसा कि अभी माननीय

मंत्री जी ने यह दावा किया कि दूरदर्शन का टीआरपी सबसे अधिक है, लेकिन यह भी फैक्ट है कि सारे प्राइवेट चैनल भी इसी प्रकार के दावे करते हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी को अपने मंत्रालय के बारे में अच्छी बातें रखनी हैं, इसलिए उन्होंने यह दावा तो कर दिया, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आप टीआरपी सबसे अधिक होने का दावा कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा दूरदर्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन मैं खास तौर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान उन जगहों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, जहां आज तक दूरदर्शन नहीं पहुंच पाया है, जो कि रिमोट एरियाज हैं, उन क्षेत्रों के संबंध में आपकी क्या योजना है?

दूसरी बात, जहां तक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का सवाल है, इसमें राजस्थान सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। मैं उदयपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। उदयपुर क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र खोलने की योजना वर्ष 1984 से चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज तक उदयपुर में हम दूरदर्शन केन्द्र स्थापित नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहती हूं कि वे कब तक इस काम को करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यही आपका असली प्रश्न है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं माननीय सदस्या के जवाब में कहना चाहूंगा, जहां तक दूरदर्शन का डीडी–वन चैनल है, जिसे हम फ्लैगशिप मानते हैं, प्राइवेट चैनल भी इसको फ्लैगशिप मानते हैं, इसके द्वारा 90.7 प्रतिशत अर्थात् 90 प्रतिशत से अधिक संख्या के लोगों के बीच, 79 प्रतिशत लैंड एरिया में और 90 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के पास डीडी–वन पहुंच गया है। डीडी–वन सारे देश में छाया रहे, इसके लिए हमारी सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रयास कर रही है। अगर सदन के सपोर्ट से हमें वित्त मंत्रालय से थोड़ा और पैसा मिल जाए, तो हम इस काम में जरूर सफल होंगे।...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : हमारा पूरा सपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : इतना को–आपरेशन जरूर चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आज हम अंडमान तक पहुंच गए हैं। हमारी डीटीएच सर्विस, जो 16 दिसम्बर, 2004 से सरकार ने चालू की है, उसके द्वारा आज हम अंडमान तक भी पहुंच गए, जो पहले कवरेज में नहीं था।

जहां तक राजस्थान का सवाल है, इस संबंध में काफी संसद सदस्यों के खत भी मुझे मिले हैं और 23 तारीख को सदन का यह सत्र समाप्त होने के तुरन्त बाद ही मैं इस पर गौर करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ प्रगति की है। आपको इसके लिए मेरी शुभकामनाएं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का कहना सही है कि यह बहुत कम्पीटिटिव मार्किट है। जब टीआरपी देखते हैं तब हम टैम को अनदेखा नहीं कर सकते। जैसा श्रीमती पुरन्देश्वरी जी ने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपये के हिसाब से मार्किट बहुत बड़ी है और उसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं। आज की स्थिति में अगर यह देखा जाए और मंत्री महोदय से पूछा भी गया था कि पिछले तीन साल का टीआरपी का आंकड़ा क्या है? उन्होंने पिछले साढ़े चार साल से अधिक समय के बीच का आंकड़ा दिया है। पिछले तीन साल से देखा जाए तो खास तौर पर कुछ चैनल्स हैं चूंकि इसमें बड़ा मैन्यूप्लेशन होता है, मैं साफ–साफ कह रहा हूं क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है, खुद जो कम्पनी यह निर्धारित कर रही है कि टीआरपी क्या होगी जिसके आधार पर ऐड रेवेन्यू बंटेगा, उसका भी इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ा है। जब कम्पीटिटिव मार्किट है, स्पर्धा के लिए लोग लड़ रहे हैं, इसकी रेटिंग कौन करेगा, इसके लिए स्पर्धा होनी चाहिए। आप क्यों एक ही कम्पनी को यह जिम्मेदारी देंगे, जो बरसों से यही निर्धारित कर रही हैं कि टीआरपी क्या है? यह बहुत ट्रांसपेरेन्ट नहीं है, आम लोगों के हक में नहीं है और सरकार भी इस मामले में आंख मूंद कर बैठ नहीं सकती।

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, आपसे रिकवैस्ट है कि 90.10 परसेंट आंकड़े को रिकार्ड से निकाल दिया जाए क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वरना लोगों के अन्दर कन्फ्यूजन पैदा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे–सीधे यह मांग कर रहा हूं कि आप टैम, खास तौर पर जो विदेशी कम्पनी है जिसके द्वारा विदेशी टेलीविजन चैनल्स कल तक ऐड रेवेन्यू बाहर ले जा रहे थे और उनको सहूलियत प्राप्त हो रही है जिसके कारण स्पर्धा में रीजनल चैनल्स, लोकल चैनल्स, नेशनल चैनल्स को आघात पहुंच रहा है। क्या उनके बारे में सरकार ठोस कदम उठाएगी कि टीआरपी रेटिंग कौन करेगा? इसके लिए भी स्पर्धा होनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सलीम साहब के पहले प्रश्न का जिक्र करते हुए बताना चाहूंगा और मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है कि टीआरपी की रेटिंग हर हफ्ते होती है। यह मासिक या वार्षिक आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि यह साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। हर हफ्ते की एवरेज निकाल करके पिछले चार साल में जो स्थिति है, मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। मार्किट शेयर में 'डीडी न्यूज' का 2.18, मार्किट शेयर में 'आज तक' का 0.71, मार्किट शेयर में 'एनडी टीवी इंडिया' का 0.48 मार्किट शेयर में 'इंडिया टीवी' का 0.04, 'स्टार न्यूज' का 0.38, 'जी न्यूज' का 0.35 है। इसमें पता लगता है कि 'डीडी न्यूज' 2.18 मार्किट शेयर में सबसे ज्यादा है। जहां तक मास हिन्दी चैनल्स हैं, उनमें 'डीडी-वन' का 19.98 मार्किट शेयर, 'जी टीवी' का 1.79, 'स्टार प्लस' का 8.27, 'सोनी एंटरटेनमेंट' का 2.53 है। मैं इसके साथ यह कहना चाहूंगा कि सारे भारत को मिला करके 'डीडी' का टीआरपी हाईएस्ट है। जहां तक टीआरपी कम्पनी के बारे में कहा गया है, यह बात सही है कि 2000 में जब टीआरपी कम्पनी सैट करने की शुरूआत हुई थी, तब इंडिया में सबसे मजबूत कम्पनी के रूप में यही कम्पनी आई थी। इसके अलावा कोई मार्किट में नहीं था और इसी से सहायता ली गई थी।

मोहम्मद सलीम : कम्पनी का नाम बता दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह टीएमएम कम्पनी है जिसका इंटरनेशनल लिंक आईपीपी के साथ है। यह एक अमेरिकन बेस्ड कम्पनी है। जहां तक नई-नई कम्पनियां आने का सवाल है मैंने स्वयं यह सवाल आने से पहले यह बात अपने मंत्रालय में उठाई थी कि सबको मौका क्यों न दिया जाए? जो कम्पीटिटिव मार्किट एनवायरनमेंट में ज्यादा काम कर सकें, उसे मौका क्यों न दिया जाए? मैं इसके बारे में सत्र समाप्त होने के बाद कदम उठाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं प्रसार भारती के बारे में माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रसार भारती ने पहले ही उल्लेख किया है कि उसके पास निजी चैनलों की तुलना में कई प्रतिरूपक (माड्यूल्स), टीवीआर और उनमें दूरदर्शन का हिस्सा है। मैं अपने आपको समाचार चैनलों तक सीमित रख रहा हूं।

क्या यह सत्य नहीं है कि आज दूरदर्शन को उच्च रेटिंग अत्यधिक स्थलीय (टरेस्ट्रीयल) पहुंच के कारण मिली हुई है? इसमें कोई शंका नहीं है। यदि ऐसा है तो क्या यह सही नहीं है कि डीडी न्यूज चैनल अन्य निजी समाचार चैनलों की तुलना में पिछड़ रहा है? डीडी न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जैसा कि मैंने कहा, स्थलीय (टरेस्ट्रीयल) चैनलों और सेटेलाइट चैनलों के बीच अन्तर है। स्थलीय (टरेस्ट्रीयल) चैनलों के क्षेत्र में हम आगे हैं, परन्तु जहां तक सेटेलाइट चैनल का संबंध है, डीडी न्यूज चैनल सहित कुछ चैनलों में हम पिछड़ रहे हैं। हमें सम्पूर्ण समाचार प्रक्षेपण में उत्पादन गुणवत्ता में सुधार लाना है। तथापि, जब इसे सेटेलाइट चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तो कई निजी चैनलों की तुलना में स्क्रीन पर इसकी पहुंच उच्च गुणवत्ता वाली नहीं है। इसलिए 'तकनीकी उन्नयन और सुधार' एक मानदंड है जिस पर हम बहुत जल्द ध्यान केन्द्रित करने जा रहे हैं।

छोटे शहरों को विदेशी एयर लाइनों की उड़ानें

\+

***225. श्री राम सिंह कस्वां :**

श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार द्विपक्षीय हवाई सेवा करार के अन्तर्गत कतिपय विदेशी एयर लाइनों को देश के छोटे शहरों में उड़ानें शुरू करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों का हवाई यातायात और सरकारी क्षेत्र की एयर लाइनों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार उड़ानें आरम्भ करने के लिए विदेशी एयर लाइनों की ओर से सीधे अनुरोधों पर विचार नहीं करती। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए यातायात अधिकारों के विभिन्न देशों के साथ हुए सरकार के स्तर पर हमारे द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों में विनिर्दिष्ट किया जाता है और यातायात मांग पर हमारे वाहकों के हितों के सन्तुलन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र हित, हवाई अड्डा क्षमता, राजनयिक/राजनैतिक पहलुओं आदि के आधार पर समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। तथापि, वास्तविक प्रचालन, इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए नामित

एयर लाइनों के वाणिज्यिक निर्णय का मुद्दा है। इस समय भारत के किसी भी छोटे शहर की यातायात पात्रताओं के लिए विदेशी सरकारों की ओर से कोई अनुरोध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ हवाई करार किए हैं जिसके तहत हमारे देश में इन देशों के विमान अपनी सेवाएं आरम्भ कर सकते हैं। इससे प्रभावित होकर काफी विदेशी हवाई कम्पनियों ने हमारे यहां प्रयास किया है और वे यहां आना चाहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में किसी अन्य देश ने सम्पर्क किया है? चूंकि, भारत में विकास का बाजार मौजूद है और हवाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से देशों ने उड़ान भरने के लिए सरकार से निवेदन किया है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य कहां के लिए पूछ रहे हैं, क्या वह किसी स्पैस्फिक जगह के लिए पूछना चाहते हैं?

श्री राम सिंह कस्वां : मैं पूरे देश के लिए बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा आन्सर मिलेगा।

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में यह बड़ा जनरल क्वैश्चन है लेकिन मैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं और आपको पूरी नीति को विस्तारपूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल उसकी रूपरेखा देना चाहता हूं कि हमारे देश के विभिन्न देशों के साथ हवाई सेवाओं के लिए एग्रीमेंट होते हैं और अलग-अलग देशों के साथ हमारे अलग-अलग एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके अनुसार दोनों देशों की तरफ से यह फैसला होता है कि कितनी हवाई सेवाएं निर्धारित की जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों तक हमारे कई देशों के साथ हवाई सेवाओं से संबंधित जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनमें पिछले एक वर्ष से हम लोगों ने बहुत ही उदारीकरण की नीति अपनाई है। दोनों ओर से लोग, चाहे व्यापार के लिए आएं, चाहे टूरिज्म के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आएं, यह हमारे लिए अच्छा है। उसी प्रकार हमारे भारतीयों की भी आकांक्षा है कि वे विदेश में व्यापार के लिए जाएं या सैर करने के लिए जाएं, यह एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इस बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष में हम ने कई देशों के साथ एक नए प्रकार से एग्रीमेंट्स इस्टेब्लिश किए हैं। जैसे-अमरीका के साथ हमारा आखिरी करार 1956 का था, जिसे नया रूप दिया गया है। उसी प्रकार इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ किया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न 'छोटे शहरों' से जुड़ा है।

श्री प्रफुल पटेल : यह प्रश्न बहुत साधारण था और इसलिए मुझे सामान्य तरीके से उत्तर देना पड़ा। वायु सेवाओं के लिए चाहे वह घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हो मांग काफी बढ़ रही है। सरकार इन आवश्यकताओं को सबसे बेहतर संभव तरीके से पूरा कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सिंह कस्वां, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें। आप अपने अनुपूरक प्रश्न को मुख्य प्रश्न तक सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड को पूर्ण करता है। माननीय मंत्री जी न केवल जयपुर बल्कि अजमेर भी गए थे। मेरा प्रश्न है कि क्या जयपुर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट घोषित करने के लिए सरकार विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जयपुर, अजमेर और उदयपुर काफी बड़े शहर हैं जहां संसार भर के काफी पर्यटक वहां आते हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इन शहरों के लिए कोई करार होने जा रहा है।

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जयपुर के संबंध में अपना प्रश्न रखा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय टूरिज्म की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है, उसे ध्यान में रखते हुए वैसे भी जयपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिए बिना ही वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा रही हैं। लेकिन सरकार का यह इरादा है कि पहले वहां इंटरनेशनल दर्जे का एयरपोर्ट बने और उसके लिए जो भी प्रक्रिया है, वह जारी है तथा जयपुर को अगले वर्ष 2006 में विधिवत इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया जाएगा, यह आश्वासन मैं यहां देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिभाऊ राठौड़—उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं आप सभी की मदद करना चाहता हूं। पिछले सत्र में भी इस विषय पर प्रश्न उठाया गया था और बड़ी संख्या में अनुपूरक प्रश्नों को बहुत उचित तरीके से उठाया जाना था क्योंकि आजकल छोटे शहर भी अपने यहां हवाई अड्डा चाहते हैं। मैंने वायदा किया था कि इस सत्र के दौरान मैं इस पर चर्चा के लिए एक पूरा दिन दूंगा। उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। मैं ऐसा इसी सत्र में करूंगा। इसलिए, अनुपूरक प्रश्न पूछने के बजाए, एक दिन अपराह्न 2.00 बजे से 6.00 बजे तक हम पूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए, उस बहस के लिए तैयार हो जाइए।

अतः, आपकी अनुमति से क्या मैं दूसरे प्रश्न पर जा सकता हूं? मैं आपको पूरा समय दूंगा। यह हमारे देश में हुए विकास को दर्शाता है क्योंकि आप सभी वायु सेवाओं के बारे में पूछ रहे हैं.।

तेलशोधक कारखाने

+

***226. श्री चन्द्रकांत खैरे :**

श्री जोयाकिम बखला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्य कर रहे तेलशोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक तेलशोधक कारखाने की वार्षिक स्थापित क्षमता की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष—वार उनका वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान तेलशोधक कारखाने ने कितना राजस्व अर्जित किया; और

(घ) उनकी शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में 18 रिफाइनरियां प्रचालनरत हैं जिनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र में और एक निजी क्षेत्र में है और इनकी कुल स्थापित क्षमता 127.37 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है। इन रिफाइनरियों के स्थान और क्षमताएं अनुबंध—I में दी गई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों द्वारा वास्तविक उत्पादन की तुलना में वार्षिक स्थापित क्षमता का ब्यौरा अनुबंध—II में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाउनस्ट्रीम सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों के वर्षवार करोपरांत लाभ (पीएटी) का ब्यौरा अनुबंध—III में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2004—05 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों का समग्र क्षमता उपयोग 98 प्रतिशत था, यद्यपि यह रिफाइनरी भिन्न—भिन्न था। रिफाइनरियों द्वारा अपने क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ—साथ डीबाटलनेकिंग, ईंधन और क्षतियों में कमी आदि शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों द्वारा निम्नलिखित विस्तारों की योजना बनाई गई है :

(एमएमटीपीए)

क्र.सं.	रिफाइनरी का नाम	वर्तमान क्षमता	योजनागत विस्तार
1.	इंडियन आयल कार्पो. लि., पानीपत	6	12 (आगे और विस्तार 12 से 15 तक)
2.	इंडियन आयल कार्पो. लि., हल्दिया	6	7.5
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि., विसाख	7.5	8.3
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि., मुंबई	5.5	7.9
5.	कोच्चि रिफाइनरी लि., कोच्चि	7.5	9.5
6.	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि., मुंबई	6.9	12

अनुबंध-I

भारत में रिफाइनरियों के स्थान और क्षमताएं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	रिफाइनरी का स्थान	क्षमता (एमएमटीपीए)*
1	2	3	4
	सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	इंडियन आयल कार्पो. लि. (आईओसीएल)	गुवाहाटी	1.00
2.	आईओसीएल	बरौनी	6.00
3.	आईओसीएल	कोयाली	13.70
4.	आईओसीएल	हल्दिया	6.00
5.	आईओसीएल	मथुरा	8.00
6.	आईओसीएल	डिग्बोई	0.65
7.	आईओसीएल	पानीपत	6.00
	आईओसीएल–कुल		41.35
8.	हिन्दुस्तान पेट्रो. कार्पो. लि. (एचपीसीएल)	मुंबई	5.50
9.	एचपीसीएल	विशाखापट्नम	7.50
	एचपीसीएल–कुल		13.00
10.	चेन्नई पेट्रो. कार्पो. लि. (सीपीसीएल)	मनाली	9.50
11.	सीपीसीएल	नागापट्टिनम	1.00
	सीपीसीएल–कुल		10.50
12.	भारत पेट्रो. कार्पो. लि. (बीपीसीएल)	मुंबई	6.90
13.	कोच्चि रिफाइनरी लि. (केआरएल)	कोच्चि	7.50
14.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (बीआरपीएल)	बोंगाईगांव	2.35
15.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एनआरएल)	नुमालीगढ़	3.00
16.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (एमआरपीएल)	मंगलौर	9.69
17.	तातीपाका रिफाइनरी (ओएनजीसी)	आंध्र प्रदेश	0.078
	निजी क्षेत्र		
18.	रिलायंस पेट्रोलियम लि. (आरपीएल)	जामनगर	33.00
	कुल		127.37

*मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष

अनुबंध-II

वास्तविक उत्पादन की तुलना में स्थापित क्षमता

आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए)

रिफाइनरी का नाम	2002–03		2003–04		2004–05	
	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7
डिग्बोई, इंडियन आयल कार्पो. लि. (आईओसीएल)	0.65	0.58	0.65	0.60	0.65	0.65

1	2	3	4	5	6	7
गुवाहाटी, आईओसीएल	1.0	0.46	1.0	0.89	1.0	1.0
बरौनी, आईओसीएल	4.2	2.99	6.0	4.30	6.0	5.08
गुजरात, आईओसीएल	13.7	12.43	13.7	12.76	13.7	11.70
हल्दिया, आईओसीएल	6.0	4.51	6.0	4.52	6.0	5.42
मथुरा, आईओसीएल	8.0	8.21	8.0	8.25	8.0	6.39
पानीपत, आईओसीएल	6.0	6.10	6.0	6.34	6.0	6.39
मुंबई, हिन्दुस्तान पेट्रो. कार्पो. लि. (एचपीसीएल)	5.5	6.0*	5.5	6.1*	5.5	6.1*
विसाख, एचपीसीएल	7.5	6.8*	7.5	7.5*	7.5	7.8*
मुंबई, भारत पेट्रो. कार्पो. लि. (बीपीसीएल)	6.9	8.71	6.9	8.76	6.9	9.14
मनाली+कावेरी बेसिन, चेन्नई, चेन्नई पेट्रोलियम कार्पो. लि. (सीपीसीएल)	7.0	6.82	10.5	7.04	10.5	8.93
कोच्चि रिफाइनरी लि. (केआरएल)	7.5	7.57*	7.5	7.85*	7.5	7.92*
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (बीआरपीएल)	2.35	1.46*	2.35	2.12*	2.35*	2.31*
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एनआरएल)	3.0	1.8*	3.0	2.2*	3.0	2.0*
मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लि.	9.69	6.69	9.69	9.35	9.69	11.07
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पो. (ओएनजीसी)	0.078	0.091	0.078	0.090	0.078	0.091

*क्रूड थ्रुपुट

अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान डाउनस्ट्रीम सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों का करोपरांत लाभ

(करोड़ रुपये में)

कंपनी का नाम	2002–2003	2003–2004	2004–2005*
1	2	3	4
इंडियन आयल कार्पो. लि.	6115	7005	4891
भारत पेट्रो. कार्पो. लि.	1250	1695	966
चेन्नई पेट्रो. कार्पो. लि.	303	400	597
कोच्चि रिफाइनरीज लि.	456	555	842
बोंगाईगांव रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लि.	179	304	478
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	175	215	409
मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लि.	–412	459	880
हिन्दुस्तान पेट्रो. कार्पो. लि.	1537	1904	1277

*स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आगे जो इनका प्लान है, उसमें निजी क्षेत्र में जो रिफाइनरीज

प्रचालनरत हैं, उन्हें लाइसेंस देने का तथा आगे एक्सपैन्शन का जो प्लान है, उसमें छः कम्पनियां—इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. पानीपत, इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. हल्दिया, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. विशाख, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. मुंबई, कोच्चि रिफाइनरी लि. कोच्चि और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. मुंबई प्रमुख हैं। इसमें भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. मुंबई का उत्पादन 12 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है। इस तरह से शेष के सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके एक्सपैन्शन का प्रोग्राम कब तक पूरा होगा और कब तक ये चालू हो जाएंगी? इसके अतिरिक्त मैं दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न बाद में आएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष जी, हम एक्सपैन्शन के बारे में ही बता रहे हैं और इन सब जगहों में काम जारी है। इनमें से हर एक का काम किस तारीख को खत्म होगा, इसके डिटेल्स मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन वे डिटेल्स मैं माननीय सदस्य को भेजने के लिए तैयार हूं। इसके अतिरिक्त मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि इसमें हमारी जो एक्सपैन्शन की बात है और जो नई रिफाइनरीज हम लगाने वाले हैं, उनमें हम भटिंडा में काम कर रहे हैं, बीना में कर रहे हैं, पारादीप में हमारी बात चल रही है और इन सब चीजों के बारे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले पांच—छः सालों के अन्दर बहुत बड़े पैमाने पर ये तीन नई रिफाइनरीज हमारे देश में आएंगी और अभी चर्चा चल रही है कि यदि एक्सपोर्ट ओरियन्टेड रिफाइनरीज लगाएं तो क्या वे लाभदायक हो सकती हैं या नहीं, जब यह सोच—विचार खत्म हो जाता है, तब हो सकता है कि हम और भी इसके साथ जुड़ पाएं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : सर, एक्सपैन्शन का प्रोग्राम ठीक है तथा अच्छा है, लेकिन जो आंकड़े इन्होंने वास्तविक उत्पादन की स्थापित क्षमता के दिए हैं, उन्हें देखने से मालूम होता है कि जो रिफाइनरीज देश में हैं, उनकी क्षमता से भी कम उत्पादन हुआ है। जैसा कि बरौनी में इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. है; गुजरात में इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. है; हल्दिया, मथुरा, चेन्नई और नुमालीगढ़ आदि में हैं, मैं समझता हूं कि इसका कारण हमें खोजना चाहिए कि इनकी उत्पादन क्षमता कम क्यों है?

इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि कम्पनीज का जो प्रोफिट ऑफ्टर टैक्स बताया है, जो वर्ष 2002—03 तथा 2003—04 के आंकड़े हैं, उन्हें देखने से मालूम होता है कि वर्ष 2002—03 की तुलना में वर्ष 2003—04 में अच्छा प्रोफिट हुआ। लेकन वर्ष 2004—05 का जो प्रोफिट है, जैसे इंडियन आयल का वर्ष 2003—04 का 7005 करोड़ रुपये प्रोफिट था, जो अब घटकर 2328 करोड़ रुपये रह गया है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. का 1695 करोड़ रुपये है। ये सारा लॉस क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय : कारण तो हम सब लोग जानते हैं।

श्री चंद्रकांत खैरे : इसके कारण खोजने पड़ेंगे नहीं तो होता क्या है कि एक कंपनी एचपीसीएल लॉस करेगी तो उसका डिसइनवैस्टमेंट करके प्राइवेट सैक्टर में दिया जाता है, यह मेरा आरोप है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं सदन का माजरे चाहता हूं कि गलत आंकड़े लिखित रूप में आपको दिए गए हैं।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : किसने दिए?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने। मैं इनको दुरुस्त करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह स्वीकारोक्ति दे रहे हैं। हमें उन्हें सुनना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने गलती की है इसलिए वहीं के वहीं पहले मौके पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं और आप जानते हैं कि मैं नहीं देता हूं। मैंने आज सुबह उनको पकड़ा और पता लगा कि गलत आंकड़े उन्होंने मुझे दिए। तो मैं दुरुस्त आंकड़े देने चाहता हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह मिस्टेक नहीं है। गलत आंकड़े सदन में पेश किए गए हैं।

[अनुवाद]

यह एक बहुत गम्भीर मामला है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या मैं आंकड़ों को सही कर लूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को पता चल गया है कि इसमें कुछ गलतियां हैं और वे इसे स्वीकार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : गलती अलग बात है, परन्तु झूठी जानकारी दी गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि हम अधिकारियों को दोष नहीं दे सकते हैं। इस देश में इस सभा को गलत जानकारी देने का साहस किसी में नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार, यदि यह जानबूझ कर किया गया है तो उसे इसके लिए भुगतना पड़ेगा, अन्यथा अनजाने में गलतियां हो सकती हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यहां पर मिनिस्टर हैं। यह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकारियों की नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अधिकारियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं। अधिकारियों को कुछ लेना-देना नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं उत्तर को ठीक करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कुछ स्वीकार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : भारत पेट्रोलियम के लिए सही आंकड़े 965.80 करोड़ रुपये हैं, चेन्नै पेट्रोलियम के लिए सही आंकड़े 596.97 करोड़ रुपये हैं, कोच्चि रिफाइनरी के लिए सही आंकड़े 842 करोड़ रुपये हैं, बोंगाईगांव रिफाइनरी के लिए सही आंकड़े 478.30 करोड़ रुपये हैं, नुमालीगढ़ के लिए सही आंकड़े 409.15 करोड़ रुपये हैं, मंगलौर के लिए सही आंकड़े 879.76 करोड़ रुपये हैं और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के लिए सही आंकड़े 1277.33 करोड़ रुपये हैं।

महोदय, लिखित रूप में मैं इसे आपको प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न काल शुरू होने के पश्चात् सही आंकड़े मेरे पास आए।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये आंकड़े वर्ष 2004-05 के लिए हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : जी, हां। महोदय, ये आंकड़े वर्ष 2004-05 के लिए हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : फिर भी लॉस है। उन्होंने कारण नहीं बताए हैं। ये तीन कंपनियां फिर भी लॉस में हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कम हो गया।

[अनुवाद]

वह जानना चाहते हैं कि मुनाफा कम कैसे हुआ।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं इस प्रश्न से प्रसन्न हूं, मुनाफे में भारी कमी आई है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में पहले की अपेक्षा अत्यधिक वृद्धि होती रही है। हमने मूल्य नियंत्रित करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया है जिस मूल्य पर पेट्रोलियम उत्पाद सामान्य लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसा करने की प्रक्रिया में तेल विपणन कंपनियों पर पर्याप्त मात्रा में भार बढ़ गया है ओर उदाहरण के लिए पिछली बार सितम्बर में मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के इक्यावन प्रतिशत का भार तेल कंपनियों द्वारा ही वहन किया गया। इसका छत्तीस प्रतिशत भार सरकारी बजट पर आया और तेरह प्रतिशत भार उपभोक्ताओं पर पड़ा। अतः जब हम इस तरीके से उपभोक्ताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मुनाफे में कमी आएगी। यही मूल कारण है। अतः यह अक्षमता नहीं है। यह हमारी मूल्य निर्धारण प्रणाली है। हम नियमित रूप से उस मूल्य निर्धारण प्रणाली की जांच कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र का विस्तार

***227. श्री पी. एस. गढ़वी :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित उन क्षेत्रों तक विस्तार करने का है जिनमें इनकी यह सुविधा इस समय उपलब्ध नहीं है अथवा जिन क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक से देखे और सुने नहीं जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उन क्षेत्रों, जिनमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं पहुंच पाते हैं या ठीक से देखे–सुने नहीं जा सकते हैं, की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) आकाशवाणी ने सूचित किया है कि देश के अभी तक कवर न किए गए और कम कवर किए गए स्थानों (पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित) को इसकी कवरेज का विस्तार दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान संलग्न विवरण में यथा अन्तर्विष्ट विभिन्न राज्यों एवे संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेशनों को स्थापना/ट्रांसमीटरों के प्रतिष्ठापन के जरिए करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 13.290 लाख रुपये (पूंजीगत लागत) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त निधियों के अनुमोदन व उपलब्धता के अधीन दसवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों के जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में कई रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। अभी तक की स्थिति के अनुसार मौजूदा रेडियो कवरेज क्षेत्रत्रवार 91.42 प्रतिशत और आबादी–वार 99.13 प्रतिशत है। दसवीं योजनागत स्कीमों के पूरा हो जाने के पश्चात यह प्रतिशत बढ़कर क्षेत्र–वार 92.92 प्रतिशत और आबादी–वार 99.49 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूरे देश को लघु–तरंग सिगनलों के जरिए कवर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 के दूरदर्शन के. यू. बैंड (फ्री–टू–एयर डायरेक्ट–टू–होम) प्रसारण सेवा की शुरूआत से, उसके समूह में बारह आकाशवाणी चैनलों के अतिरिक्त तैंतीस टीवी (19 दूरदर्शन और 14 निजी चैनल) चैनल भी देश भर के (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) दर्शकों/श्रोताओं के लिए उपलब्ध हैं। जिन्हें लघु आकार की एक डिश–अभिग्रहण इकाई की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस परियोजना की अनुमोदित लागत 163.50 करोड़ रुपये (आंकड़े अनंतिम) प्राक्कलित की गई है। आकाशवाणी पूरे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कवर करता है जबकि दूरदर्शन की कवरेज उसकी स्थलीय पद्धति में द्वीप समूह की लगभग 97 प्रतिशत आबादी को उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया है। रेडियो सेवाओं के विस्तार के भाग के रूप में पोर्ट ब्लेयर में आकाशवाणी का 10 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर हाल ही में परिचालित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 393.95 करोड़ रुपये (आकाशवाणी–145.75 करोड़ रुपये और दूरदर्शन 248.20 करोड़ रुपये) की कुल प्राक्कलित लागत से पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) और द्वीप समूह क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज चरण–2 के कार्यान्वयन से क्षेत्र एवं आबादी दोनों की दृष्टि से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की कवरेज में वृद्धि होगी तथा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार भी होगा। इससे भाषा एवं संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध एवं विविध क्षेत्रों की सूचना एवं मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। इसके साथ–साथ, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में छः अतिअल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के उन्नयन के अतिरिक्त दूरदर्शन के 10 कि.वा. के 16 मीडियम वेव अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को अधिष्ठापित करने का भी प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष पैकेज में पोर्ट ब्लेयर और कारनिकोबार में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर विशेष पैकेज (चरण–2) की स्कीमों के अन्तर्गत कशीर चैनल को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त दूरदर्शन की केयू बैंड प्रसारण सेवा भी 300 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर परिकल्पित है।

विवरण

दसवीं योजना में प्रस्तावित उन स्टेशनों/ट्रांसमीटरों की सूची जिनके कवरेज को कवर न किए गए क्षेत्रों तक बढ़ाने की आशा है

राज्य	क्र.स.	स्थान	शक्ति
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1.	अनिनि	1 कि.वा. एफएम
	2.	बोमडिला	1 कि.वा. एफएम
असम	3.	लुमडिंग	1 कि.वा. एफएम
छत्तीसगढ़	4.	दांतेवारा	5 कि.वा. एफएम
	5.	बैकुण्ठपुर	5 कि.वा. एफएम
हिमाचल प्रदेश	6.	शिमला	10 कि.वा. एफएम (1 कि. वा. एफएम ट्रां. के साथ अंतरिम संरचना परिचालित की गई)
जम्मू एवं कश्मीर	7.	कारगिल	200 कि.वा. मी.वे. तकनीकी रूप से तैयार
	8.	डिस्किट	1 कि.वा. मी.वे. तकनीकी रूप से तैयार

1	2	3	4
	9.	पदुम	1 कि.वा. मी.वे. तकनीकी रूप से तैयार
	10.	न्योमारप	1 कि.वा. मी.वे. तकनीकी रूप से तैयार
कर्नाटक	11.	श्रृंगेरी	10 कि.वा. एफएम
एल एंड एम द्वीपसमूह	12.	कवारती	10 कि.वा. एफएम (1 कि. वा. मी.वे. ट्रां. का प्रतिस्थापन)
महाराष्ट्र	13.	ओरस	5 कि.वा. एफएम
मिजोरम	14.	चम्फई	1/5 कि.वा. एफएम
	15.	तुईपांग	1/5 कि.वा. एफएम
	16.	कलासिब/सरचिप	1/5 कि.वा. एफएम
नागालैंड	17.	कोहिमा	10 कि.वा. एफएम
	18.	तुइनसांग	5 कि.वा. एफएम (1 कि.वा. मी.वे. ट्रां. का प्रतिस्थापन)
उड़ीसा	19.	देवगढ़	5 कि.वा. एफएम
	20.	पारलाकिमिडि	5 कि.वा. एफएम
राजस्थान	21.	रामगढ़	20 कि.वा. एफएम
	22.	चौटन हिल	20 कि.वा. एफएम
त्रिपुरा	23.	लांगथेराई	5 कि.वा. एफएम
	24.	उदयपुर	1/5 कि.वा. एफएम
	25.	नूतन बाजार	1/5 कि.वा. एफएम
उत्तर प्रदेश	26.	नजीबाबाद	200 कि.वा. एफएम (100 कि.वा. मी.वे. ट्रां. का प्रति-स्थापन)
उत्तरांचल	27.	भागेश्वर	5 कि.वा. एफएम
	28.	चम्पावत	1 कि.वा. एफएम
	29.	गैरसेन	1 कि.वा. एफएम
	30.	रुद्रप्रयाग	1 कि.वा. एफएम
	31.	धारचुला	1 कि.वा. मी.वे.
	32.	हल्द्वानी	10 कि.वा. एफएम
पश्चिम बंगाल	33.	दार्जिलिंग	10 कि.वा. एफएम

और 150 अल्प शक्ति एफएम ट्रांसमीटर (इनमें से 100 पूर्वोत्तर राज्यों में होंगे)।

विद्युत केन्द्रों/राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया राशि

***228. श्री हितेन बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न विद्युत केन्द्रों और राज्य विद्युत बोर्डों पर रेलवे की कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या रेल विभाग इस राशि की वसूली न होने के कारण वित्तीय संकट से गुजर रहा है;

(ग) यदि हां, तो उनसे इस राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी रियायती योजना शुरू करने का है जिससे कि विद्युत केन्द्रों और राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की ढुलाई अग्रिम भुगतान करके कराए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 30.9.2005 को प्रत्येक बिजली घर/राज्य विद्युत बोर्ड के संबंध में रेलवे की बकाया राशि नीचे लिखे अनुसार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड/बिजली घर का नाम	30.9.2005 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	3.41
2.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	618.55

1	2	3
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	1.25
4.	दामोदर वैली कारपोरेशन	3.70
5.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	177.12
6.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	13.93
7.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	23.95
8.	झारखंड राज्य बिजली बोर्ड	1.57
9.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	2.65
10.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	3.53
11.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	30.99
12.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	23.32
13.	प्राइवेट पावर हाउस–साबरमती	4.48
14.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	442.40
15.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	75.74
16.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	1.51
17.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	41.34
18.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	15.80
	कुल	1485.24

(ख) जी, नहीं। रेलवे वित्तीय संकट से त्रस्त नहीं है; रेलवे की वित्तीय स्थिति में, जो वेतन एवं पेंशन संशोधन, यातायात प्राप्तियों में गिरावट और यातायात बकायों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के कारण विगत में प्रतिकूल थी, पिछले कुछ वर्षों के दौरान मुख्यतः माल एवं यात्री आमदनी में वृद्धि के कारण सुधार हुआ है, बहरहाल, बकाया राशि की वसूली, जो विशेषकर बिजली घरों/राज्य विद्युत बोर्डों के संबंध में सितम्बर, 2005 तक 1485 करोड़ रुपये है, रेलों के परिचालन के लिए अपेक्षित निधियां मुहैया कराने के लिए अत्यन्त अनिवार्य है।

(ग) इन बिजली घरों/राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :

(i) बकाया राशि की वसूली के लिए बिजली घरों/राज्य विद्युत बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करके सभी स्तरों पर गहन निगरानी रखी जाती है। बकाया राशि को वसूलने के लिए समय–समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

(ii) संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(iii) बिजली घरों/राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की दुलाई के लिए पहले से मालभाड़ों के भुगतान की योजना को लागू कर दिया गया है।

(iv) बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, जो भारतीय रेल की सबसे ज्यादा राशि का कर्जदार है, की बकाया राशि की इलैक्ट्रानिक क्लीयरेंस के लिए इलैक्ट्रानिक पेमेंट गेटवे स्कीम शुरू की गई है और बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन हेतु इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद इस सुविधा का सभी प्रमुख ग्राहकों तक विस्तार किया जाएगा।

(v) बिजली घरों/राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि रेलों द्वारा उन्हें देय कर्षण बिलों से समायोजित करना।

(vi) राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजना सहायता से 31.12.1996 को राज्य विद्युत बोर्डों और बिजली घरों से संबंधित बकाया का, कतिपय सीमाओं के अध्यधीन, समायोजन करना। 7.2.1997 के सरकार के निर्णय के अनुपालन में, 2002–03 तक केन्द्रीय योजना सहायता से 159 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो गई थी।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप बकाया की स्थिति में सुधार हुआ है जो 30.9.2004 को 1762 करोड़ रुपये से घटकर 30.9.2005 को 1485 करोड़ रुपये रह गया। यह 276 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत) की कटौती का परिचायक है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड का नाम/पीएच	30.9.2004	30.9.2005	कमी–बेशी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	9.75	3.41	–6.34

1	2	3	4	5
2.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	865.04	618.85	–246.49
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	1.59	1.25	–0.34
4.	दामोदर घाटी निगम	8.69	3.7	–4.99
5.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	183.97	177.12	–6.85
6.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	36.34	13.93	–22.41
7.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	12.83	23.95	11.12
8.	झारखंड राज्य बिजली बोर्ड	1.48	1.57	0.09
9.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	0.54	2.65	2.11
10.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1.71	3.53	1.82
11.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	16.22	30.99	14.77
12.	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन	49.02	23.32	–25.70
13.	प्राइवेट पावर हाउस–साबरमती	1.18	4.48	3.30
14.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	439.82	442.4	2.58
15.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	69.85	75.74	5.89
16.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	1.69	1.51	–0.18
17.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	46.99	41.34	–5.65
18.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	14.87	15.8	0.93
	कुल	1761.58	1485.24	–276.34

(घ) जी, नहीं। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, जिसके मामले में योजना 1.1.1997 से लागू की गई थी, को छोड़कर सभी राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों के लिए कोयले की दुलाई के लिए पहले से मालभाड़ों के भुगतान की योजना 1.10.1996 से लागू की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

''बाम्बे हाई'' के उत्तरी प्लेटफार्म में आग

***229. श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के बाम्बे हाई के उत्तरी प्लेटफार्म में हाल में लगी आग के बारे में यह पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की थी कि आग किन परिस्थितियों में लगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष थे और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों और उसके संबंध में की गई कार्रवाई की पर्याप्तता की जांच करने हेतु भूतपूर्व सचिव, श्री टी.एन.आर. राव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति गठित कर दी है।

जांच समिति का गठन इस प्रकार है :

1. श्री टी.एन.आर. राव	अध्यक्ष
2. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.सी.एन. जाटार भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी विदेश लि.	सदस्य
3. डीजी, कोस्ट गार्ड अथवा उनके द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

(ग) और (घ) इस संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ङ) समिति को 15 मार्च, 2006 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छः महीनों का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

समाचार-पत्रों के लिए विज्ञापन नीति

*230. **श्री मित्रसेन यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों के लिए एक विज्ञापन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) सरकार ने समाचार-पत्रों के लिए एक विज्ञापन नीति तैयार की है। भारत सरकार की विज्ञापन नीति तथा समाचार-पत्रों को पैनल में शामिल करने के दिशा-निर्देश के अनुसार, सरकारी विज्ञापन को जारी करने के लिए लघु तथा मझोले समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को पैनल में शामिल करने हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा सरकार के वृहत्त सामाजिक उद्देश्य के अनुसरण में इन वर्गों के समाचार- पत्रों/पत्रिकाओं हेतु निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

कार्गो सम्भलाई सुविधाएं

*231. **मो. मुकीम :**

श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन विमानपत्तनों के नाम क्या है जहां पर वर्तमान में कार्गो सम्भलाई सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन विमानपत्तनों द्वारा सम्भाले गए कार्गो का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानपत्तनों पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने तथा इन क्षेत्रों में विकास की गति को भी तीव्र करने की दृष्टि से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन विमानपत्तनों पर कार्गो परिसर बनाने का विचार है?

नगार विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो की सम्भलाई के लिए इन हवाई अड्डों पर एयर कार्गो काम्प्लैक्स स्थापित किए हैं : (1) कोलकाता (2) मुम्बई (3) चेन्नई (4) दिल्ली (5) गुवाहाटी (6) लखनऊ (7) नागपुर तथा (8) कोयम्बटूर।

(ख) इन हवाई अड्डों ने वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में क्रमशः 556660.96 मीट्रिक टन, 1143031.86 मीट्रिक टन तथा 1833290.46 मीट्रिक टन की सम्भलाई की।

(ग) एएआई की अमृतसर, जम्मू, इन्दौर, जयपुर, गोवा, पटना तथा बागडोगरा हवाई अड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

बायो-डीजल के लिए कार्य-योजना

*232. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बायो डीजल के लिए कोई कार्य योजना बनाई है जिसके लिए बायो डीजल के उत्पादन में सफल प्रयासों तथा कुछ राज्यों द्वारा दिखाई गई बढ़ती रुचि के मद्देनजर हाल में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बायो डीजल अपनाने के लिए कोई मापदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय बायो डीजल पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के कर्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बड़े पैमाने पर जटरोफा करकस (रत्न जोत) की खेती की परिकल्पना है। बायो डीजल पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को भेजी गई थी, उसे अभी सभी मंजूरियां तथा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए हैं जो बायो डीजल के संबंध में किसी कार्य योजना पर निर्णय लेने के लिए पूर्वापेक्षित है।

इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जैव डीजल खरीद नीति जारी की है जो 1.1.2006 से प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक जैव डीजल सम्मेलन का आयोजन 5.11.2005 को किया तथा अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय किया गया कि पंचायती राज मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और योजना आयोग जैसे अन्य पणधारक मंत्रालयों और विभिन्न अन्य सरकारी संगठनों के साथ सहयोग से जटरोफा और अन्य ऐसे तेल देने वाले वृक्षों की खेती को प्रोत्साहन देने में पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने की नियोजन और संभावनाओं का पता लगाएगा जिनका उपयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय), सचिव (पंचायती राज) और सलाहकार (योजना आयोग) की सह–अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) 1.1.2006 से प्रभावी होने वाली जैव डीजल खरीद नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें निर्धारित की गई हैं :

(1) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को जैव डीजल की आपूर्ति में रुचि रखने वाले जैव डीजल निर्माताओं को संबंधित राज्य के राज्य स्तरीय समन्वयक (एसएलसी) से संपर्क करना चाहिए और उद्योग की टीम द्वारा संयुक्त मूल्यांकन/प्रमाणीकरण द्वारा भावी आपूर्तिकर्ता की उत्पादन क्षमता और विश्वसनीयता के मूल्यांकन के बाद नमूनों का परीक्षण किया जाएगा और यदि ये भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की निर्धारित विशिष्टियों को पूरा करते होंगे तो आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता के रूप में कर लिया जाएगा।

(2) सामान्यतया पंजीकरण का पुनर्मान्यीकरण एक वर्ष बाद किया जाएगा। किन्तु यदि प्रयुक्त फीडस्टाक अथवा जैव डीजल के निर्माण की प्रक्रिया दोनों में से किसी एक में परिवर्तन होगा तो पंजीकरण का तत्काल पुनर्मान्यीकरण करना आवश्यक होगा।

(3) जैव डीजल के अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण में प्राथमिकता ऐसे जैव डीजल उत्पादकों को दी जाएगी जो जैव डीजल के उत्पादन के लिए फिडस्टाक के रूप में पेड़–धारित गैर–खाद्य तेलों का उपयोग करने का प्रस्ताव करते हैं और जिन्होंने भविष्य में जैव डीजल के निर्माण के लिए केवल पेड़–धारित गैर–खाद्य तेलों का उपयोग करने के उद्देश्य से तेल धारक पौधों की खेती आरंभ कर दी है अथवा भविष्य में ऐसा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की हो।

(4) तेल विपणन कंपनियां ऐसे जैव डीजल (बी–100) की खरीद एक समान मूल्य पर करेंगी, जो बीआईएस मानक पूरे करता हो। इस एक समान मूल्य का निर्णय तेल विपणन कंपनियों द्वारा समय–समय पर बाजार स्थितियों के अनुरूप किया जाएगा। ऐसे एक समान मूल्य में सभी कर और शुल्क तथा खरीद केन्द्र पर जैव डीजल की डिलिवरी के लिए परिवहन खर्च शामिल होंगे। एक बार निर्धारित एक समान मूल्य छह महीने के लिए लागू रहेगा, उसके बाद मूल्य की समीक्षा की जाएगी। तेल विपणन कंपनियों द्वारा जैव डीजल का आरंभिक खरीद मूल्य 25 रुपये प्रति लीटर होगा। पंजीकृत प्राधिकृत जैव डीजल निर्माताओं को बी–100 की सुपुर्दगी कम से कम 10 कि.ली. की क्षमता वाले मापांकित टैंक ट्रकों में अधिसूचित खरीद केन्द्रों पर करनी होगी। यदि आपूर्तिकर्ता इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हों तो उन्हें चाहिए कि वे संबंधित तेल कंपनी को सूचित करें और परस्पर सुविधा के अनुसार आपूर्ति करें।

(5) खेप की स्वीकृति के लिए जैव डीजल के परीक्षण से संबंधित सभी व्यय तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन किए जाएंगे। प्रत्येक खेप का परीक्षण निम्नलिखित विशिष्टयों पर किया जाएगा।

- घनत्व 15 डिग्री सेल्सियस पर
- कायनेमैटिक विस्कोसिटी 40 डिग्री सेल्सियस पर
- फलैश बिन्दु
- पानी की मात्रा
- ताम्र क्षरण और
- अम्लीय मूल्य।

डी.टी.एच. के माध्यम से प्रसारण

***233. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन डी.टी.एच. के माध्यम से टीवी चैनल आपरेटरों के लिए चैनलों का निःशुल्क प्रसारण करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये आपरेटर इन चैनलों को दिखाने के लिए जनता से पैसा वसूल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्हें निःशुल्क डी.टी.एच. उपलब्ध कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन–कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय दूरदर्शन के निःशुल्क डी.टी.एच. सेवा–समूह में शामिल चैनलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वे इन चैनलों को दिखाने के लिए जनता से कोई धन वसूल नहीं कर रहे हैं। यदि वे दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लेटफार्म ५र फ्री–टू–एयर चैनल हैं। निजी टीवी चैनलों का निःशुल्क प्रसारण दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवा की लोकप्रियता में वृद्धि करने का एक अंतरिम उपाय मात्र है जिसकी केवल दो वर्ष की अवधि के लिए अनुमति है।

विवरण

डी.डी. डायरेक्ट प्लस के समूह में शामिल चैनलों की सूची

डी.डी. चैनल	निजी चैनल	रेडियो चैनल
1	2	3
1. डी.डी. राष्ट्रीय	1. आज तक	1. विविध भारती
2. डी.डी. न्यूज	2. हेडलाइन टुडे	2. आकाशवाणी एफ.एम. रेनबो
3. डी.डी. स्पोट्‌र्स	3. बी.बी. वर्ल्ड	3. आकाशवाणी गोल्ड
4. डी.डी. इंडिया	4. जैन टी.वी.	4. आकाशवाणी हिन्दी
5. डी.डी. भारती	5. स्टार उत्सव	5. आकाशवाणी बंगला
6. डी.डी. कशीर	6. जी. म्यूजिक	6. आकाशवाणी नोर्थ ईस्ट
7. डी.डी. पंजाबी	7. स्माइल टी.वी.	7. आकाशवाणी उडीया
8. डी.डी. नोर्थ ईस्ट	8. ई.टी.वी. मराठी	8. आकाशवाणी गुजराती
9. डी.डी. बंगाली	9. सन टी.वी.	9. आकाशवाणी मराठी
10. डी.डी. उडीया	10. केराली टी.वी.	10. आकाशवाणी तेलुगु
11. डी.डी. गुजराती	11. आकाश बंगला	11. आकाशवाणी तमिल
12. डी.डी. सहयाद्री (मराठी)	12. ई.टी.वी. पंजाबी	12. आकाशवाणी कन्नड़

1	2	3
13 डी.डी. सप्तागिरी (तेलुगु)	13. एम.एच.–1	
14. डी.डी. चन्दाना (कन्नड़)	14. टी.वी.–9	
15. डी.डी. पोदीगई (तमिल)		
16. डी.डी. मलयालम		
17. डी.डी. एलएस (लोक सभा)		
18. डी.डी. आरएस (राज्य सभा)		
ऐजुकेशन चैनल		
19. ज्ञान दर्शन		

[अनुवाद]

रेल वैगनों से कोयले की चोरी

***234. श्री एस. अजय कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रेलों के माध्यम से विभिन्न विद्युत केन्द्रों को इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड से कोयले की ढुलाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ढुलाई के दौरान कोयले की चोरी की कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों/लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एक।

(घ) कोई दोषी नहीं पाया गया।

बच्चों में नशे की लत

***235. श्री वीरचन्द पासवान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 12 और 18 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत नशे का आदी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस गंभीर खतरे को नियंत्रित करने के लिए कौन–कौन से सुधारात्मक उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार को वर्ष 2005 के दौरान और आज की तिथि तक गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध नशे की लत की रोकथाम के लिए प्रदान की गई धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार के पास गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को जारी की गई धनराशि के सदुपयोग को सुनिश्चित करने का क्या तंत्र उपलब्ध है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की व्यापकता, पैटर्न और प्रवृत्तियों पर संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम आफिस (यू.एन.ओ.डी.सी.) के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 8587 बच्चों के जो नमूने लिए गए उनमें वर्तमान व्यापकता दर इस प्रकार थी :

अल्कोहल	21.4 प्रतिशत
कैनाबीस	3.0 प्रतिशत
ओपिएट	0.1 प्रतिशत

व्यापकता का अर्थ "विगत एक माह के भीतर इन पदार्थों का व्यसन" करना है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि नशीले पदार्थ माह में केवल एक बार या एक से अधिक बार लिए गए थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि "वर्तमान नशा करने वाले नशे के आदी हैं"। सर्वेक्षण अपने आप में सभी आयु वर्ग के लिए यह एक सामान्य धारणा को इंगित करता है कि सभी वर्तमान नशा करने वाले आश्रित व्यसनी नहीं हैं और वर्तमान व्यसनी के 17 प्रतिशत और 26 प्रतिशत के बीच अर्थात् 24 प्रतिशत के बीच 17–26 प्रतिशत को आश्रित वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए करीब 1 प्रतिशत को अल्कोहल या ड्रग आश्रित माना जा सकता है। हालांकि इन आंकड़ों से यह भी नोट किया जाना चाहिए कि 8587 बच्चों के नमूने लिए जाने की संख्या इतनी छोटी होती है कि इसे देश के 12 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए एक विश्वसनीय धारणा नहीं माना जा सकता।

(ख) मादक द्रव्य की मांग में कमी कार्यक्रम के भाग के रूप में नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ितों की मादक द्रव्य दुरुपयोग/व्यसन की समस्या को हल करने के लिए, सरकार मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण योजना को कार्यान्वित कर रही है।

सरकार ने इस संबंध में प्रयास भी किए हैं जिसमें स्कूली पाठ्यक्रम में उपयुक्त सामग्री को शामिल करके छात्रों को मादक द्रव्यों पर जानकारी देना और गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी से स्कूल परिवेश में शिक्षकों और माता–पिता को जानकारी के लिए शिक्षक मॉड्यूल प्रशिक्षण भी है ताकि नशे की लत में पड़ने वाले युवाओं की संख्या कम हो। सरकार यह भी मानती है कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र विशेषतया संवेदनशील हैं और तनाव, संगी–साथियों और हार्मोन परिवर्तन इत्यादि के कारण उनके नशे की लत के शिकार होने की संभावना रहती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने स्वापक औषधि ओर मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 32बी के अनुसार, ऐसे अपराधों में न्यूनतम दण्ड से अधिक दण्ड देकर किसी स्कूल/शैक्षिक संस्था के आस–पास मादक द्रव्यों की बिक्री को रोकने के प्रयास किए हैं। सरकार देश भर के विविध स्थानों जैसे समुदाय, कार्यस्थलों, शैक्षिक संस्थाओं आदि में मादक द्रव्य दुरुपयोग और अल्कोहल के पीड़ित व्यक्तियों के लिए जागरुकता सृजन, परामर्श, उपचार और पुनर्वास हेतु 52 परामर्श केन्द्र और 377 नशा–मुक्ति केन्द्रों को भी सहायता देती है।

(ग) जी. हां। बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) गैर–सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन की छमाही आधार पर समीक्षा की जाती है और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी आवधिक निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा विस्तृत रिपोर्ट जैसे लेखापरीक्षित लेखे, उपयोगिता प्रमाण–पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, लाभार्थियों की सूची, स्टाफ की सूची भी मंगवाई जाती है। इनके कार्य निष्पादन के मूल्यांकन और संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्टों के बाद ही, अनुदान सहायता की किस्तें जारी की जाती हैं।

विवरण

क्र.सं.	शिकायतों का ब्यौरा	की गई कार्रवाई
1.	गैर–सरकारी संगठन नामशः नवज्योति शिक्षा सोसाइटी, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश के स्टाफ तथा मकान मालिक ने श्री सन्यासी राव, जो यह गैर–सरकारी संगठन चलाता है, के विरुद्ध शिकायत की है।	शिकायत के सत्यापन और आगे की जांच के लिए इस मंत्रालय के एक अधिकारी को भेजा गया है।
2.	मकान मालकिन, जिसके घर में गैर–सरकारी संगठन नामशः सेंट पाल शैक्षिक और चिकित्सा न्यास, चेन्नै, तमिलनाडु नशा मुक्ति–सह–पुनर्वास केन्द्र चलता है, ने इस गैर–सरकारी संगठन के विरुद्ध शिकायत की है।	इस मामले में क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र, दक्षिण जोन के माध्यम से जांच कराई गई है। लेकिन जांच अधिकारी का निष्कर्ष निर्णयात्मक नहीं पाया गया। आरोपों की विस्तृत जांच के लिए इस मंत्रालय के एक अधिकारी को फिर भेजने का निर्णय लिया गया है।
3.	राजस्थान राज्य युवक कांग्रेस ने डी–ब्लॉक, मालवीय नगर, जयपुर में कार्यरत प्राकृतिक स्वास्थ्य गृह नशा मुक्ति केन्द्र के विरुद्ध शिकायत की है।	यह केन्द्र एक गैर–सरकारी संगठन नामशः प्राणी सेवा संस्थान द्वारा चलाया जा रहा था। इस संगठन को यह केन्द्र नामशः प्राकृतिक स्वास्थ्य गृह–नशा मुक्ति केन्द्र डी–ब्लॉक, मालवीय नगर, जयपुर में चलाने के लिए सहायता अनुदान की निर्मुक्ति पहले ही रोक दी गई है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का विलय

***236. श्री सुबोध मोहिते :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के विलय का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) दिनांक 27–28 जून, 2005 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् की 51वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा दिनांक 13.10.2005 को एक विशेष समूह गठित किया गया है ताकि संबंधित मंत्रालय/विभागों के परामर्श से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की पुनःसंरचना हो सके। साथ–साथ, स्थानीय संगत कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को चार और पांच बड़े शीर्षों में समामेलन किया जाना, राज्यों/संघ शासित राज्यों के केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के स्थानान्तरण की उपलब्धता और उसकी रीतियों की जांच करना, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के न्यूनतम विकास लक्ष्य को उजागर करना, जिला अथवा उससे निम्न स्तर के अधिकारियों/पंचायती राज संस्थाओं/स्वायत्त–शासी निकायों को प्रत्यक्ष रूप से संसाधन बांटने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की पुनःसंरचना के लिए परामर्श देना और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सामाजिक लेखा प्रणाली को लागू करने के लिए संभावना की जांच करना विशेषज्ञ समूह की अवधि में शामिल हैं।

योजना आयोग के विचार के लिए विशेषज्ञ समूह को आदेश जारी होने के छः महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ समूह में चार राज्यों जैसे केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं और सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के समय उनके मतों पर विचार किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अध्ययन

***237. श्री एन. एन. कृष्णदास :**

श्री सुनील खां :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर मौजूदा पंचायती राज प्रणाली में कोई परिवर्तन/उपांतरण करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में नियमित रूप से किए जा रहे हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) जहां केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निष्पादन और कार्य करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन समय–समय पर किया जा रहा है, वहीं पंचायती राज संस्थाओं के निष्पादन और कार्य के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एकल अध्ययन नहीं किया गया है। जहां तक पंचायती राज मंत्रालय को जानकारी उपलब्ध है, संविधान के भाग IX द्वारा लागू सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (झारखंड और पांडिचेरी को छोड़कर जहां अभी चुनाव होने हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जहां कई वर्ष पूर्व पंचायती राज अधिनियम को स्थगित कर दिया गया था) में पंचायती राज प्रणाली क्रियान्वित हो रही है। पंचायती राज संस्थाओं के कुशल कार्य संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई और दिसम्बर 2004 के मध्य सात गोलमेज बैठकें आयोजित की हैं। इन गोलमेज बैठकों में एकमत से जो निर्णय लिया गया उनमें 150 कार्य बिन्दु हैं जिन पर प्रभावशाली अंतरण निर्भर करता है। यह कार्यान्वयन कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र शासनों के बीच गहन और निकटवर्ती समन्वय रखता है। इस संबंध में अनवरत प्रयास जारी हैं। पांचवें गोलमेज बैठक की सिफारिशों के आधार पर संघ के प्रत्येक राज्य

की पंचायती राज प्रणाली की जवाबदेही पर निगरानी और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष सभी राज्य और संघ सरकार द्वारा "पंचायतों की स्थिति" की तैयारी में अंतरण सूची को अपनाना और तैयार करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अन्य पहल-शक्तियों में विद्याविदों और विशेषज्ञों के अधिवेशन को भारत और विदेश स्तर पर आहूत करना जो दिसम्बर, 2005 में निर्धारित हैं, पर देश की पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर सोच-समझ कर चर्चा करना और आगे का रास्ता सुझाना शामिल है।

(ङ) से (छ) संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के बाद सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों, झारखंड और पांडिचेरी को छोड़कर, पंचायत चुनाव हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने राज्य पंचायती राज अधिनियम को कई वर्ष पहले स्थगित कर दिया था और इस तरह राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव नहीं हुए हैं। झारखंड में चुनाव सितम्बर, 2005 में होना था परन्तु मुकदमेबाजी के कारण नहीं हो सका। पांडिचेरी सरकार ने बताया है कि सुनामी के कारण उनकी चुनाव तैयारियां अस्त-व्यस्त हो गई थीं और अब वे यथाशीघ्र पंचायती चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना

***238. श्री पी. राजेन्द्रन :**

श्री शिशुपाल पटले :

क्या **पंचायती राज** मंत्री ग्रामीण व्यापार केन्द्रों के बारे में 4 अगस्त, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) इसके लिए चयनित राज्यों से क्या उत्तर प्राप्त हुए;

(ग) ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना हेतु सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धि विषय पर दिनांक 29-30 जून, 2004 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और राज्यों के ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने शहरी और ग्रामीण उद्यमों के क्षेत्र में चीन के अनुभव के आधार पर ग्रामीण व्यापार केन्द्र मुहैया कराने के महत्व पर जोर दिया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों को और अधिक महत्व मिलता है। इसके अनुसरण में "पंचायतों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण" विषय पर ग्रामीण व्यापार केन्द्रों के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 5 नवम्बर, 2004 को एक राष्ट्रीय प्रस्तुति का आयोजन किया गया था जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से पंचायती राज संस्थाओं के 1000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों और सीआईआई के लगभग 200 सदस्यों ने भी भाग लिया था। सम्मेलन में विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों पर अनेक प्रस्तुतियां पेश की गईं जिनसे ग्रामीण व्यापार केन्द्र बनाने के अवसर मिले। सीआईआई के विचार-विमर्श से ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की अवधारणा को विकसित किया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय की पहल शुरू-शुरू में नौ राज्यों तक सीमित थी। पंचायती राज मंत्रालय के नए-नए फार्म में आने और काम करने के शुरूआती दौर में अधिकारियों और कर्मचारियों के अभाव के कारण अनुवर्तन में परेशानी हुई। राज्यों का चयन राज्यों द्वारा दिखाई गई प्रारंभिक दिलचस्पी के आधार पर किया गया। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जहां संविधान के भाग IX लागू हैं वहां तक यह पहल बढ़ा दी गई है।

(ख) बहुत सारे राज्यों ने अपने उत्पाद और क्षेत्र संबंधी ग्रामीण व्यापार केन्द्र की पहचान कर ली है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तरांचल ने "की प्रोडेक्ट लिस्ट" अग्रसारित किया है जिसकी व्यावसायिक उपलब्धता भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जांच की प्रक्रिया में है। विभिन्न राज्यों में ग्रामीण व्यापार केन्द्र स्थापित करने की कोशिश जारी है। प्रत्येक राज्य की प्रगति के अनुवर्तन हेतु वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों को नामित किया गया है। ग्रामीण व्यापार केन्द्र की पहल को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्री ने अनेक राज्यों का दौरा किया है। संलग्न विवरण में समस्त ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है।

(ग) ग्रामीण व्यापार केन्द्रों के पोषण के लिए सार्वजनिक निजी पंचायत भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से पंचायती राज मंत्री और श्री सुनील मुन्जाल, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष

की सह-अध्यक्षता में एक ग्रामीण व्यापार केन्द्र परिषद गठित की गई है। कई राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिनमें असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक ग्रामीण व्यापार केन्द्र की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है ताकि वह ग्रामीण व्यापार केन्द्र परिषद द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध कार्य कर सके। समिति ने अपनी पहली बैठक की है और विभिन्न राज्यों के ग्रामीण व्यापार केन्द्रों के विकास को बढ़ाने के लिए बहुत सारी रीतियों की पहचान की है।

ग्रामीण व्यापार केन्द्र की पहल के अन्तर्गत ग्रामीण व्यापार केन्द्र की स्थापना के लिए देहरादून में समझौते के प्रथम ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और रामगढ़ प्रखण्ड तथा नैनीताल जिले के कुछ प्रखण्डों में फलों की प्रक्रिया के लिए ग्रामीण व्यापार केन्द्र की शुरूआत हुई। तद्पश्चात, दो और समझौते के ज्ञापनों को अन्तिम रूप दिया गया और हरियाणा में जट्रोफा पौधाकरण के जरिए ग्रामीण व्यापार केन्द्र की स्थापना तथा राज्य के फरीदाबाद और मेवात जिलों में बायोडीजल के उत्पादन के लिए हस्ताक्षर हुए। कुछ प्रमुख अखबारों में प्रचार के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं और अन्य लोगों से लगभग 150 से अधिक जवाब मिले हैं। 5 नवम्बर 2005 को मंत्रालय के पहल पर ग्रामीण व्यापार केन्द्र के अधीन पंचायतों के माध्यम से जट्रोफा में बायोडीजल के विकास पर पण्धारियों की एक गुप्त सभा हुई थी जिसमें पूरे देश से 100 पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें निर्णय लिया गया कि पंचायती राज तथा पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पण्धारी वैज्ञानिकों तथा अन्य निकायों को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विकास केन्द्र के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा बायोफ्यूल के विकास विषय पर संयुक्त समिति बनाई जाए।

राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के परिषद की आगामी बैठक में ग्रामीण विकास परिषद की पहल पर चर्चा निर्धारित होनी है।

(घ) और (ङ) पब्लिक-प्राइवेट-पंचायत-पार्टनरशिप (पीपीपीपी) द्वारा बुनियादी और महत्वपूर्ण रणनीति का आधार बनता है ताकि स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के लिए बेहतर बाजार पहुंच हो सके। साथ ही, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पहचाने गए उद्यमियों के कौशल को बढ़ावा देने, पंचायत के सभी स्तर पर उत्पाद और कुशलता के लिए बाजार प्राप्त करने और प्रवीण कलाकार/काश्तकार तथा किसानों के बीच श्रेणी बनाने के साथ-साथ विभिन्न सुविधाओं का समर्थन जैसे जमीन की पहचान, कॉमन वर्क शेड का प्रबंध और अन्य आधारभूत संरचना वाले कार्य समुचित प्रशिक्षण का आयोजन मुहैया कराना है। पीपीपीपी संकल्पना का लक्ष्य बताए हुए क्षेत्र में क्षेत्र के आर्थिक विकास को संबंधित पंचायतों द्वारा नियमित करने, स्वयं-पोषित, स्वयं-समर्थित व्यवसायिक मॉडल विभिन्न पणधारियों की सहक्रिया के उपयोग करने का होता है।

(च) पब्लिक-प्राइवेट-पंचायत-पार्टनरशिप सिद्धान्त द्वारा ग्रामीण व्यापार केन्द्र का धन देना व्यापार अनुपात का सामना करना है परन्तु उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध ऐसी टॉप-अप धनराशि का सहयोग होगा। ग्रामीण व्यापार केन्द्र को पहचानने और स्थापित करने के लिए पंचायतों के लिए धन उपलब्ध कराना तथा व्यवसाय और तकनीकी दिशा-निर्देश देने के लिए नाबार्ड, सिडबी ओर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जैसे विशिष्ट संस्थानों से आमने-सामने सहायता प्राप्त करना भी होता है।

विवरण

ग्रामीण व्यापार केन्द्र पहल पर अद्यतन स्थिति

राज्य सरकारों के प्रत्युत्तर

1. **आंध्र प्रदेश**—श्री टी.आर. रघुनंदन, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, आंध्र प्रदेश और भारतीय उद्योग परिसंघ की अध्यक्षता में दिनांक 21 अक्टूबर 2005 को हैदराबाद में सभा सम्पन्न हुई। आंध्र प्रदेश में प्रारंभिक कार्य स्थानीय भाषाके समाचार पत्रों के माध्यम से मंडल पंचायतों से आवेदन पत्र आमंत्रित करना तथा साथ-साथ राज्य स्तर पर ग्रामीण व्यापार परिषद की रचना करना है।

2. **असम**—दिनांक 25 जुलाई 2005 को श्री एस.एल. मेवरा, आयुक्त, पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार के साथ एक बैठक हुई। ग्रामीण व्यापार केन्द्र पर प्रारंभिक सूचनाएं अभी भी अपेक्षित हैं। फिर भी, मंत्रालय ने पहले ही एनईडीएफआई की सहायता से उत्तरी पूर्वी राज्यों में संभावित ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की पहचान कर ली है और ग्रामीण व्यापार केन्द्र पर कार्य शुरू किया है।

3. **बिहार**—ग्रामीण विकास विभाग, बिहार ने संभावित ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की सूची को संकलित करने के लिए सुझाव दिया है। समस्तीपुर जिले में ग्रामीण व्यापार केन्द्र की संभावना है। यह जिला सब्जियों और मसालों जैसे अदरक, हल्दी, मिर्च और लहसुन का बड़ा उत्पादक है। नाबार्ड के पास इन मसालों की खेती की तरक्की के

लिए विशेष योजना है, विशेष रूप से इस जिले के लिए। भारतीय व्यापार परिसंघ ने इस परियोजना पर पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

4. **छत्तीसगढ़**—दिनांक 27 जुलाई 2005 को रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक ग्रामीण व्यापार केन्द्र के मामले में एक बैठक हुई है। ग्रामीण व्यापार केन्द्र स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ से अभी भी प्राथमिक निवेश अपेक्षित है।

5. **हरियाणा**—दिनांक 9 अक्टूबर 2005 को हरियाणा में दो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। फरीदाबाद जिले के होडल और हसनपुर प्रखण्डों में जट्रोफा पौधारोपण और बायो–डीजल उत्पाद के लिए ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना हुई। पंचायतों और मध्यवर्ती के साथ एक अनवर्तन बैठक हो रही है।

6. **जम्मू और कश्मीर**—जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना की संभावना का पता करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री वजाहत हबीबुल्लाह ने सचिवालय श्रीनगर में दिनांक 26 अगस्त 2005 को बैठक की। सचिव, ग्रामीण विकास, जम्मू और कश्मीर से राज्य के 136 प्रखण्डों की सूची अभी भी अपेक्षित है।

7. **कर्नाटक**—श्री टी.आर. रघुनंदन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की एक बैठक दिनांक 23 जुलाई 2005 को बंगलौर में हुई। निम्नलिखित एमओयू प्रस्तावित हुए :

- ऊर्जा सृजन करने की दिशा में तम्बाकू के तने की इष्टिका को स्थापित करने के लिए मालवाली पावर कम्पनी ने पेरियापटना में तीन ग्राम पंचायतों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा है। विकृत ताप का उपयोग तम्बाकू को दुरुस्त करने में होगा।
- ऊर्जा सृजन करने के लिए मालवाली पावर कम्पनी और बेरी परियोजना संयुक्त रूप से सिरा, तुमकुर में तीन पंचायतों के लिए बायोमास गैसीफिकेशन प्लान्ट स्थापित कर रहे हैं।
- केपीटीसीएल/बीईएससीओएम ऊर्जा के वितरण की फ्रेंचाइज के लिए करीब 20 ग्राम पंचायतों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर का प्रस्ताव रखता है।

8. **केरल**—श्रीमती सुधा पिल्लई, अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में दिनाकं 11 अगस्त 2005 को त्रिवनंतपुरम में एक बैठक हुई थी जिसमें केरल राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, गैर–सरकारी संगठन, उद्योग, पंचायती नेता तथा वित्तीय संस्थानों ने ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापन के लिए भागीदारी के उद्देश्य से शामिल हुए थे।

9. **महाराष्ट्र**—दिनांक 8 अक्टूबर 2005 को संत एकनाथ रंगमंदिर, औरंगाबाद में ग्रामीण व्यापार केन्द्र पर राज्य स्तरीय अधिवेशन महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। मंत्रालय से विस्तृत साहित्य भेजा गया था। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना के लिए तीन क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है।

10. **पंजाब**—अगस्त, 2005 में पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ श्री सुनील कुमार मंजाल, सह–सभापति, पंचायती राज मंत्रालय–सीआईआई, आरबीएच परिषद की बैठक हुई थी। पंजाब सरकार ने पंजाब में ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना के लिए ग्रामीण व्यापार केन्द्र परिषद में प्रखण्ड पंचायत–वार उत्पादों की सूची विचारार्थ अग्रसारित की है। भारतीय उद्योग परिसंघ उद्योगों के विचार–विमर्श के माध्यम से उत्पादों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

11. **राजस्थान**—दिनांक 29 अगस्त 2005 को प्रातः 11 बजे श्री एम.के. खन्ना, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज की अध्यक्षता में एक दिवसीय कर्मशाला आयोजित की गई जिसमें ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा हुई। तदपश्चात राजस्थान सरकार ने ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापन के लिए मदों की सांकेतिक सूची उपलब्ध कराई है। भारतीय उद्योग परिसंघ सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए निवेशों के आधार पर ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की संभावना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। श्रीमती अदिति मेहता, संयुक्त सचिव का राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अनुवर्ती बैठक हुई थी। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण व्यापार केन्द्र के आधार पर जट्रोफा के लिए राजस्थान सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। आगामी प्रस्ताव अभी बनने हैं।

12. **उत्तर प्रदेश**—भारतीय उद्योग परिसंघ ने 22 अगस्त 2005 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना के लिए एक इंटरएक्टीव सेशन का

आयोजन किया था। 18 और 19 सितम्बर 2005 को डा. नवनीत सहगल, निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैकुआं, जिला लखीमपुर, गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर, अमेठी और बहादुरपुर, जिला रायबरेली का दौरा किया था। स्वरोजगार महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) ने सिलाई और बुनाई करने और एसईडब्ल्यूए के शोरूम के उत्पादों की मार्केटिंग की उपलब्धता के लिए अपने सेवा समूह का प्रस्ताव रखा था। खाद्य उत्पादों के मामले में मैसर्स गोल्डी मसाला के प्रतिनिधियों ने अपने उत्पादों की जांच के लिए प्रस्ताव रखा और इन उत्पादों की बिक्री का प्रस्ताव रखा। आगे उत्पाद और क्षेत्र पहचान लिए गए हैं जैसे सुल्तानपुर के ऑरगैनिक फारमिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एरोमेटिक तथा मेडीसिनल प्लांट्स, आजमगढ़ तथा गोरखपुर के पौटरी, सीतापुर, अलीगढ़, लखनऊ और भदोही का हैण्डलूम और सहारनपुर और बहराइच के लकड़ी उत्पाद और फर्रुखाबाद के आसपास में आलू आधारित प्रक्रिया।

दिनांक 21 सितम्बर को प्रधान सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश की बैठक संयुक्त सचिव श्री पी.डी. सुधारक एवं निदेशक श्री नवनीत सहगल के साथ सम्पन्न हुई और इसकी संकल्पना की व्याख्या अधिकारियों को कर दी गई। राज्य में चुनाव प्रक्रिया के चलते प्रगति धीमी है, फिर भी, अब कार्य तेजी से होंगे।

13. **उत्तरांचल**—दिनांक 14 जुलाई 2005 को राज्य सरकार के साथ एक बैठक हुई। श्रीमती सुधा पिल्लई, अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। क्षेत्र में उगाए हुए फलों की प्रक्रिया हेतु ग्रामीण व्यापार केन्द्र की स्थापना के लिए रामगढ़ ब्लाक पंचायत, 12 उद्यमकर्ता तथा आईटीसी के बीच दिनांक 13 अगस्त 2005 को देहरादून में एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। तत्पश्चात दिनांक 12 सितम्बर 2005 को नैनीताल में उद्यमकर्ताओं और किसानों की एक बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जाए जो रामगढ़ ब्लाक के खास उत्पादों की पहचान करे। और बहुत सारे उद्यमकर्ताओं के पास 30 से ज्यादा उत्पाद थे। निकट भविष्य में एक गोष्ठी का प्रस्ताव है।

14. **पश्चिम बंगाल**—दिनांक 13 अगस्त 2005 को पश्चिम बंगाल में गतिविधियां पहल करने के लिए श्री अमलेन्द्र घोष, आयुक्त तथा विशेष सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक बैठक बुलाई गई।

क्षेत्रीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार के लिए ग्रामीण व्यापार केन्द्रों का विज्ञापन

ग्रामीण व्यापार केन्द्र परिषद के निर्णयों के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ ने संयुक्त रूप से क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन दिनांक 8 अक्टूबर 2005 को प्रकाशित हुआ जिसका अच्छा प्रभाव रहा और पंचायतों का रूप भी उत्साहवर्धक है। विज्ञापनों की एक प्रति राज्यों को प्रेषित की जा रही है ताकि वे अपने स्तर पर समाचार पत्रों में इस तरह का विज्ञापन दे सकें।

कोर ग्रुप

तीन कोर ग्रुप बनाए गए हैं। इन कोर ग्रुपों की प्रगति इस प्रकार है :

1. **कोर ग्रुप ऑन पावर**—जुलाई, 2005 में इस कोर ग्रुप ऑन पावर के प्रारंभ के बाद इसकी चार बैठकें हो चुकी हैं। दिसम्बर, 2005 में ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2. **कोर ग्रुप ऑन एग्रीप्रोडेक्ट**—कोर ग्रुप ने एक बैठक की है।

3. **कोर ग्रुप ऑन टैक्सटाइल**—कोर ग्रुप ने दो बैठकें की हैं।

कार्य योजना

1. नाबार्ड तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध निर्देशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में पंचायती राज मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ ने 23 संभावित ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की पहचान कर ली है। नाबार्ड के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्य योजना बनाई गई है ताकि 2006 के प्रारम्भं में निर्धारित ग्रामीण व्यापर केन्द्रों के राष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण से पहले पब्लिक–प्राइवेट–पंचायत–पार्टनरशिप के माध्यम से ग्रामीण व्यापार केन्द्र का विकास हो सके। प्रसिद्ध निगमों के साथ प्रारंभिक चर्चा शुरू हो चुकी है।

2. ग्रामीण विक्रय केन्द्र की स्थापना के लिए पंचायतों का

प्रोफाइल संबंधी प्रश्नावली का हल कर लिया गया है। पंचायतों द्वारा ली जा रही दिलचस्पी के विस्तार के जवाब में यह प्रश्नावली क्षेत्रीय भाषाओं में अग्रेषित की जाएगी। प्रश्नावली के विधिवत भरे जाने के उपरान्त प्राप्ति पर भारतीय उद्योग परिसंघ प्रत्येक पंचायत का प्रोफाइल समेकित करेगा और निगम सदस्यों के बीच परिचालित करेगा। यह जानकारी ग्रामीण विक्रय केन्द्र वेबसाइड पर भी प्रकाशित की जाएगी।

3. साथ–साथ, पूरे देश में भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्रामीण विक्रय केन्द्र स्थापित करने की दिशा में जागरूकता सृजन करने हेतु अनेक विचार गोष्ठियां/कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये बातें, परिषद को आवश्यक संसाधन और जानकारी से पुष्ट करते हुए निसंदेह, एकल प्लेटफार्म पर पणधारियों को एक साथ लाने हेतु लाभ पहुंचाने में ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना में मदद करेगी।

सवारी डिब्बों की आवश्यकता

***239. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवारी डिब्बों की आवश्यकता की पूर्ति देश में निर्मित डिब्बों से नहीं हो पाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) चेन्नई और रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ), कपूरथला की क्षमता सुधारने/बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या योजनाएं बनाई गईं;

(ङ) क्या ऐसी कुछ कार्यशालाओं, जो माल डिब्बों का निर्माण कर रहे थे, को सवारी डिब्बों के निर्माण की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 2005–06 के दौरान कुल 9.0 करोड़ रुपये की लागत पर सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), चेन्नै में प्रति वर्ष 1250 डिब्बों के विनिर्माण-हेतु क्षमता संवर्धन का एक कार्य स्वीकृत किया गया है। रेल सवारी डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला में भी सवारी डिब्बा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1400 सवारी डिब्बे प्रति वर्ष करने के लिए कुल 35.0 करोड़ रुपये की लागत पर एक कार्य स्वीकृत किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर ग्राउण्ड हैंडलिंग प्रणाली

***240. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने ग्राउण्ड हैंडलिंग प्रणाली के लिए कोई मानदंड/नियम निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ एयरलाइनों ने ग्राउण्ड हैंडलिंग के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्राउण्ड हैंडलिंग प्रणाली के लिए विद्यमान मानदंडों/नियमों में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये परिवर्तन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं के लिए सामान्य प्रबंधन प्रविष्टि) विनियम 2000 के अनुसार, कोई प्रचालक अथवा वाहक किसी भी हवाई अड्डे पर या तो ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं को वहन करे अथवा निम्न में से किसी की सेवाएं अनुबंधित करें :

– भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

– दो राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस; तथा

– भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसशुदा कोई अन्य हैंडलिंग एजेंसी।

(ग) अधिकांश निजी अनुसूचित एयरलाइनें अपने स्वयं के ग्राउण्ड हैंडलिंग उपस्कर उपलब्ध कराते हैं।

(घ) और (ङ) एयर इंडिया लिमिटेड, इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्राउण्ड हैंडलिंग के लिए अनुषंगी कम्पनियां गठित करने के लिए एक प्रस्ताव चलाया गया है। तथापि, इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रसोई गैस के लिए दोहरी मूल्य नीति

***241. श्रीमती जयाप्रदा :**

श्री मुनव्वर हसन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमीर तथा मध्यवर्गीय परिवारों को बिना राजसहायता मूल्य पर रसोई गैस बेचने के लिए सरकार तेल कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) वर्तमान में राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी का विपणन चार सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और आईबीपी कंपनी लिमिटेड के वितरकों द्वारा किया जाता है। घरेलू एलपीजी को राजसहायता आंशिक रूप से सरकार द्वारा और आंशिक रूप से तेल कंपनियों द्वारा दी जाती है। वर्ष 2004–05 के दौरान राजसहायता का कुल बोझ 9830 करोड़ रुपये का था। इस मंत्रालय ने हाल में ही राज्य सरकारों को पत्र लिखकर घरेलू एलपीजी पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित करने के बारे में उनकी राय मांगी है।

सरकार ने आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) और गेल इंडिया लिमिटेड (गेल) को भी उनके प्रभंजकों द्वारा उत्पादित एलपीजी का विपणन कुछ शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन करने की अनुमति दे दी है। व्यवस्था को प्रचालन में लाने के उद्देश्य से हाल ही में मंत्रालय में मामले का पुनरीक्षण किया गया था तथा ओएनजीसी और गेल को अपने–अपने प्रस्ताव भेजने को कहा गया था। उनसे प्राप्त प्रस्ताव मंत्रालय में समीक्षाधीन हैं।

[अनुवाद]

बच्चों को छात्रवृत्ति

2284. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

	सशस्त्र सेनाएं	अर्ध–सैन्य बल	कुल
(i) छात्रवृत्तियों की संख्या	4000	1000	5000
(ii) छात्रवृत्ति की राशि	लड़कों के लिए 1250/– रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 1500/– रुपये प्रति माह		
(iii) प्रयोजन	स्नातक स्तर पर चिकित्सा/तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा (एआईटीईसी)/भारतीय चिकित्सा परिषद आदि द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न पाठ्यक्रम चलाना		
(iv) पात्रता	(क) भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं (अफसर रैंक से नीचे) के आश्रित और (ख) सैन्य सेवा के कारण सेवा के दौरान मारे गए भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के आश्रित (चाहे कोई भी रैंक हो)		
(v) छात्रवृत्ति की अवधि	अलग–अलग पाठ्यक्रम के लिए संबंधित विनियामक निकाय द्वारा यथा–अनुमोदित 2 से 5 वर्ष।		

(ग) इस योजना को शैक्षिक वर्ष 2006–07 से लागू करने का प्रस्ताव है।

गुवाहाटी-पुणे के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी

2285. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुवाहाटी से पुणे के बीच सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने के लिए संसद सदस्यों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। इस संबंध में माननीय संसद सदस्य के अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनकी जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण इन्हें कार्यान्वयन हेतु व्यावहारिक नहीं पाया गया।

इज़राइल से पायलटरहित वायुयानों की खरीद

2286. श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री मुन्शी राम :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इज़राइल से पायलटरहित वायुयान खरीदने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये वायुयान कब तक खरीद लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खान-पान सुविधाओं का विस्तार

2287. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी खान–पान सेवा को कुछ और मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में विस्तारित किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किन–किन रेलगाड़ियों का चयन किया गया है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा यह सुविधा चयनित रेलगाड़ियों में कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे खान–पान सेवा घाटे में जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे खान–पान सेवा को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी मेल एक्सप्रेस, जिनमें खानपान सेवाओं की जरूरत है, उनमें खानपान सेवाओं की व्यवस्था के लिए पेन्ट्री कारों या ट्रेन साइड वेंडिंग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। कुल 252 रेलगाड़ियों में पेन्ट्री कार सेवाओं की व्यवस्था की गई है और आगे भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम से शेष रेलगाड़ियों में चरणबद्ध ढंग से पेन्ट्री कार/ट्रेन साइड वेंडिंग मुहैया कराने के लिए कहा गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। लागत प्रणाली आधारित खानपान सेवाओं पर भारतीय रेल द्वारा वहन की गई हानियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2000–01	366.89
2001–02	378.48
2002–03	410.81

(च) खानपान लाइसेंस बोली प्रतियोगिता के आधार पर दो पैकेट खुली निविदा के माध्यम से दिए जा रहे हैं।

लाइसेंस शुल्क के रूप में कुल बिक्री का न्यूनतम 12 प्रतिशत वसूला जा रहा है और बिक्री का वास्तविक रूप से निर्धारण किया जा रहा है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यवसायिक तौर पर संभालने के लिए स्थापित किया गया है। जलपान गृह, स्वचालित वेंडिंग मशीन, फूड प्लाजा और स्टॉलों को प्रतिष्ठित एवं अनुभवी कैटररों द्वारा स्थापित किया गया है।

तेल तथा गैस क्षेत्र में भारत-रोमानिया सहयोग

2288. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रोमानिया ने तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा सहयोग के लिए किन परियोजनाओं की पहचान की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 1–4 जुलाई, 2005 के बीच रोमानिया का दौरा किया।

द्विपक्षीय सहयोग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया गया :

(1) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग।

(2) भारत की नई रिफाइनरी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए रोमानिया कंपनियों को आमंत्रित करना और इसके विपरीत।

(3) तीसरे देशों में सहयोग।

मंत्री जी के दौरे के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए :

(1) तेल और प्राकृतिक गैस के विकास के मामलों पर सहयोगात्मक संस्थागत संबंध और द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित और संवर्द्धन करने के लिए आधार तैयार करने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रोमानिया के आर्थिक तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।

(2) भारतीय तलछट बेसिनों में अपस्ट्रीम कार्यकलापों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने और अनुसंधान तथा विकास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु केशवदेव मालवीय इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, ओएनजीसी और पेट्रोलियम गैस यूनिवर्सिटी (पीजीयू), प्लोइस्टी, रोमानिया के बीच सहयोग करार।

(3) पेट्रोलियम उद्योग शिक्षण और प्रशिक्षण में सामान्य हित के क्षेत्रों में विकास, संवर्द्धन [illegible] के आदान–प्रदान की पहचान करने के लिए पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज विश्वविद्यालय, देहरादून और प्लोइस्टी के पीजीयू, रोमानिया के बीच सहयोग करार।

(4) रोमानिया–भारत व्यापार भागीदारी को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु इंडियन इंडस्ट्रीज एंड चेम्बर आफ कामर्स के परिसंघ और इंडस्ट्री, प्रोहोवा, रोमानिया के बीच समझौता ज्ञापन।

दौरे के दौरान टरबो जेट अग्निशमन उपकरण की आपूर्ति के लिए रोमानिया की ओर से प्रस्ताव किया गया था। ओएनजीसी द्वारा प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

तेल क्षेत्र प्रचालनों में जटिल प्रबंधन में सेवाएं प्रदान करने में रोमानिया ने भी सहयोग की पेशकश की। आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने इस संबंध में रोमानिया में उपलब्ध विशेषज्ञता के ब्यौरों के बारे में सूचित करने हेतु रोमानिया सरकार से अनुरोध किया है।

इसके अतिरिक्त गेल (इंडिया) लिमिटेड नाबुक्को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना में भागीदारी करने के लिए प्रयास कर रही है।

बाद में, रोमानिया के पेट्रोलियम उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों और कैप्टन्स के साथ रोमानिया के आर्थिक और वाणिज्य मंत्री ने उन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के प्रयास करने के लिए जो कि पेट्रोलियम मंत्री के पहले के दौर के समय उभरकर सामने आए थे, 22–24 अक्तूबर 2005 के बीच भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, प्रतिनिधि मंडल के स्तर की वार्ता के अलावा, कंपनी स्तर पर भी विचार–विमर्श किए गए।

भूमिगत कोयला गैसीयकरण में रूस का सहयोग

2289. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीयकरण परियोजना हेतु स्कोचिंस्की इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, रूस के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस का एक दल भूमिगत कोयला गैसीयकरण परियोजना को आगे बढ़ाने में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की सहायता के लिए अक्तूबर, 2005 में भारत आया था;

(घ) यदि हां, तो क्या खोज कार्य शुरू करने के लिए किसी स्थान की पहचान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ने भूमिगत कोल गैसीफिकेशन (यूसीजी) के लिए इंस्टीट्यूट आफ माइनिंग–नेशनल माइनिंग रीसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईएम–एनएमआरसी), मास्को, रूस के साथ 25 नवम्बर, 2004 को एक सहयोग करार (एओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एओसी में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना है :

- यूसीजी से संबंधित तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकियों में हिस्सेदारी करना।
- यूसीजी प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता का विकास और प्रयोग।
- विभिन्न भूगर्भीय, हाइड्रोलाजिकल और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए क्षेत्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित करना।
- एक प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से प्रक्रिया की वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित करना।

(ग) जी, हां। डा. ए.ए. कुजनेस्तोव ने 27–30 अक्तूबर, 2005 में भारत का दौरा किया।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (जीएमडीसी), गुजरात इंडस्ट्रीयल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (जीआईपीसीएल), नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसीएल) और सिंगेरिनी कालीचरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से एसआईएम–एनएमआरसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आधारभूत आंकड़े स्थल चयन के लिए एसआईएम, रूस को भेज दिए गए हैं।

(च) इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तैयार की गई कार्य योजना निम्नानुसार है :

(1) स्थल चयन	–	7 महीने
(2) भूगर्भीय और हाइड्रो भूगर्भीय	–	6 महीने
(3) भूमि के उपयोग के लिए अनुमति	–	6 महीने
(4) परियोजना डिजाइन और प्रोद्यौगिकीय आर्थिक विश्लेषण	–	17 महीने
(5) निर्माण	–	24 महीने

इस परियोजना को 60 महीने में क्रियान्वित किए जाने की परिकल्पना है।

पेट्रोल पर उपकर

2290. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पेट्रोल पर उपकर के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार एकत्रित धनराशि में से प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या गुजरात सहित कुछ राज्यों को उनके हिस्से से वंचित रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को उनका हिस्सा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शोलापुर के लिए विमान सेवा

2291. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शोलापुर से विमान सेवा शुरू किए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) शोलापुर को विमान सेवा शुरू करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(घ) इस समय संभावित यातायात की कमी, विमान क्षमता की गैर–उपलब्धता तथा शोलापुर गैर–प्रचालनिक एयरफील्ड होने की वजह से इंडियन एयरलाइंस की शोलापुर को विमान सेवाएं शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना

2292. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2005–06 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों से नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं. गैर–सरकारी संगठन का नाम	उस जिले का नाम जहां परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है	लिया गया निर्णय
1. सरस्वती साहित्य संगठन, खरगौन	खरगौन	अस्वीकृत किया गया क्योंकि गैर–सरकारी संगठन के पास इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव नहीं है।
2. मेडिकेयर एवं रिसर्च फाउंडेशन, भोपाल	भोपाल	–यथोपरि–
3. श्री पार्श्वनाथ बाल मंदिर समिति, इन्दौर	इन्दौर	–यथोपरि–
4. रेड स्वास्तिक सोसाइटी, भोपाल	भोपाल	अस्वीकृत किया गया क्योंकि इस जिले में पहले से दो केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना स्वीकृति के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार एक जिले में केवल दो परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। यह शामिल न किए गए और लाभ से वंचित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना है।
5. गुरुकुल संस्कृत शिक्षण समिति, सीधी	सीधी	अस्वीकृत किया गया क्योंकि गैर–सरकारी संगठन के पास इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव नहीं है।
6. मात्रा सेवा संघ, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	यह प्रस्ताव माह सितम्बर, 2005 में प्राप्त हुआ है।

52वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार

2293. श्री बापू हरी चौरे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 52वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार आयोजित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों के क्या नाम हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) 52वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं के ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

I. दादा साहब फाल्के पुरस्कार

क्र.सं.	फीचर फिल्म पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता फिल्म/पुस्तक/व्यक्ति	पुरस्कार का विवरण
1.	दादा साहब फाल्के पुरस्कार	अदूर गोपालकृष्णन	अदूर गोपालकृष्णन को स्वर्णकमल एवं 2,00,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और एक शाल

क्र.सं.	फीचर फिल्म पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता फिल्म/पुस्तक/व्यक्ति	पुरस्कार का विवरण
1	2	3	4
1.	सर्वोत्तम फीचर फिल्म	पेज–3 (हिन्दी)	निर्माता बॉबी पुस्करणा को स्वर्ण कमल ओर 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक मधुर भंडारकर को स्वर्ण कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
2.	निर्देशन का प्रथम सर्वोत्तम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार	ग्रहणम (तेलुगु)	निर्माता कनकधारा क्रिएशंस को स्वर्ण कमल और 25,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक मोहन कृष्ण इंद्रगंती को स्वर्ण कमल और 25,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
3.	स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वोत्तम लोकप्रिय फिल्म	वीर जारा (हिन्दी) और ऑटोग्राफ (तमिल)	निर्माता यशराज फिल्म प्रा. लि. को स्वर्ण कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक यश चोपड़ा को स्वर्ण कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और निर्देशक चेरन, ड्रीम थियेटर्स को स्वर्ण कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक चेरन, ड्रीम थियेटर्स को स्वर्ण कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
4.	राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द् फॉरगॉटन हीरो (हिन्दी)	निर्माता सहारा इंडिया मीडिया कम्यूनिकेशंस लिमिटेड को रजत कमल और 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक श्याम बेनेगल को रजत कमल और 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार

1	2	3	4
	5. परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार	हसीना (कन्नड़)	निर्माता चिगुरू चित्र को रजत कमल और 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक गिरिश कासरवल्ली को रजत कमल और 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
	6. मद्य निषेध, महिला एवं बाल कल्याण, दहेज विरोधी, नशाखोरी, विकलांगों का कल्याण आदि जैसे अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वोत्तम फिल्म	पेरूमड़क्कलम (मलयालम)	निर्माता सलीम पदियत को रजत कमल ओर 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक कमल को रजत कमल और 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
	7. पर्यावरण संरक्षण/परिरक्षण पर सर्वोत्तम फिल्म	देवराई (मराठी)	निर्माता वाई.एन. ओक, प्रेसीडेंट सिजोफ्रेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन को रजत कमल और 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक सुमित्रा भावे और सुनिल सुक्थांकर को रजत कमल और प्रत्येक को 15,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
	8. सर्वोत्तम बाल फिल्म	छुटकन की महाभारत (हिन्दी)	निर्माता राष्ट्रीय बाल चित्र समिति को स्वर्ण कमल और 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक संकल्प मेशराम को स्वर्ण कमल और 30,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
	9. सर्वोत्तम निर्देशन	बुद्धदेव दासगुप्ता (स्वननेर दिन/बंगला)	निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता को स्वर्ण कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
	10. सर्वोत्तम अभिनेता	सैफ अली खान (हम तुम/हिन्दी)	अभिनेता सैफ अली खान को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
	11. सर्वोत्तम अभिनेत्री	तारा (हसीना/कन्नड़)	अभिनेत्री तारा को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
	12. सर्वोत्तम सह–अभिनेता	हराधन बैनर्जी (क्रांतिकाल/बंगला)	सह–अभिनेता हराधन बैनर्जी को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
	13. सर्वोत्तम सह–अभिनेत्री	एन शीला देवी (अकले/मलयालम)	सह–अभिनेत्री एन. शीला देवी को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार

1	2	3	4
14.	सर्वोत्तम बाल कलाकार	ओम भुतकर (छोटा सिपाही/हिन्दी)	बाल कलाकार ओम भुतकर को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
15.	सर्वोत्तम पार्श्व गायक	उदित नारायण (स्वदेश/हिन्दी)	पार्श्व गायक उदित नारायण झा को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
16.	सर्वोत्तम पार्श्व गायिका	चित्रा (ऑटोग्राफ/तमिल)	पार्श्व गायिका चित्रा को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
17.	सर्वोत्तम छायांकन	महेश आणे (स्वदेश/हिन्दी)	छायाकार महेश आणे को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			प्रयोगशाला एडलैब्स को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
18.	सर्वोत्तम पटकथा	मनोज त्यागी और नीना अरोड़ा (पेज–3/हिन्दी)	पटकथा लेखक मनोज त्यागी को रजत कमल और 5,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और
			पटकथा लेखिका नीना अरोड़ा को रजत कमल और 5,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
19.	सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन	अनूप मुखर्जी और आलोक डे (इति श्रीकांता/बंगला)	ध्वनि आलेखक अनूप मुखर्जी को रजत कमल और 5,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और
			ध्वनि आलेखक आलोक डे को रजत कमल और 5,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
20.	सर्वोत्तम संपादन	एस. सुरेश पाई (पेज–3/हिन्दी)	संपादक एस. सुरेश पाई सुब्रहमण्या को रजत कमल और 5,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
21.	सर्वोत्तम कला निर्देशन	समीर चन्दा (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस–द फारगॉटन हीरो/हिन्दी)	कला निर्देशक समीर चन्दा को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
22.	सर्वोत्तम वेश–भूषाकार	इशरत निसार और एम एन स्वामी (हसीना/कन्नड़)	वेशभूषाकार इशरत निसार को रजत कमल और 5,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और
			वेशभूषाकार एम.एन. स्वामी को रजत कमल और 5,000/– रुपये का नकद पुरस्कार

1	2	3	4
23.	सर्वोत्तम संगीत निर्देशन	विद्यासागर (स्वराभिषेकम/तेलुगु)	संगीत निर्देशक विद्यासागर को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
24.	सर्वोत्तम गीत	बालकृष्ण विजय (ऑटोग्राफ तमिल)	गीतकार बालकृष्णन विजय को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
25.	निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार	डांसर (तमिल)	जे. फिलिप बी.एम. कोशी को रजत कमल और 25,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
26.	सर्वोत्तम विशेष प्रभाव	सनत पिल्लेरी चेल्लेरी (अंजी/तेलुगु)	सर्जक सनत पिल्लेरी चेल्लेरी को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
27.	सर्वोत्तम नृत्य निर्देशन	प्रभुदेवा (लक्ष्य/हिन्दी)	नृत्य निर्देशक प्रभुदेवा को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
28.	सर्वोत्तम असमिया फीचर फिल्म	दीनबंधु	निर्माता कृष्ण राय को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार और
			निर्देशक मुनीन बरुआ को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
29.	सर्वोत्तम बंगला फीचर फिल्म	क्रांतिकाल	निर्माता शंपा भट्टाचार्जी को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक शेखर दास को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
30.	सर्वोत्तम हिन्दी फीचर फिल्म	रेनकोट	निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक ऋतुपर्णो को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
31.	सर्वोत्तम कन्नड़ फीचर फिल्म	बेरू	निर्माता मित्रा चित्रा को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक पी. शेषद्रि को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार

1	2	3	4
32.	सर्वोत्तम मलयालम फीचर फिल्म	अकाले	निर्माता टॉम जार्ज कोलत को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक श्यामा प्रसाद को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
33.	सर्वोत्तम मराठी फीचर फिल्म	उत्तरायण	निर्माता आप्टीकस फिल्म्स को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक विपिन नाडकर्णी को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
34.	सर्वोत्तम पंजाबी फीचर फिल्म	देस होया परदेश	निर्माता मनजीत मान को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक मनोज पुंज को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
35.	सर्वोत्तम तमिल फीचर फिल्म	नवरस	निर्माता सुनील दोषी को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक संतोष सिवन को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
36.	सर्वोत्तम तेलुगु फीचर फिल्म	स्वराभिषेकम	निर्माता सी. के. राव को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक के. विश्वनाथ को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
37.	सर्वोत्तम अंग्रेजी फीचर फिल्म	अमु	निर्माता सोनाली बोस को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक सोनाली बोस को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
38.	सर्वोत्तम कोंकणी फीचर फिल्म	आलिशा	निर्माता राजेन्द्र तालक को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार

1	2	3	4
			निर्देशक राजेन्द्र तालक को रजत कमल और 20,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
39.	विशेष उल्लेख	गुरदास मान (देस होब परदेश/पंजाबी)	अभिनेता गुरदास मान का विशेष उल्लेख
40.	विशेष उल्लेख	प्रदीप नायर (ओरिदम/मलयालम)	निर्देशक प्रदीप नायर का विशेष उल्लेख

गैर-कथाचित्र

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता फिल्म/पुस्तक/व्यक्ति	पुरस्कार का विवरण
1	2	3	4
1.	सर्वोत्तम गैर कथाचित्र	गिरनी/मराठी	निर्माता भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को स्वर्ण कमल और 20,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक उमेश विनायक कुलकर्णी को रजत कमल और 20,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
2.	निर्देशक का सर्वोत्तम गैर कथाचित्र पुरस्कार	एक सागर किनारे_इ सीसाईड स्टोरी (मराठी/अंग्रेजी)	निर्माता गोमंतक मराठी एकेडमी को रजत कमल और 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक लक्ष्मीकांत शेतगांवकर को रजत कमल और 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
3.	सर्वोत्तम मानवशास्त्रीय/ मानव-जातीय फिल्म	द लीजेंड ऑफ फैट मामा/अंग्रेजी	निर्माता रफीक इलियास को रजत कमल और 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक रफीक इलियास को रजत कमल और 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
4.	सर्वोत्तम जीवनचरित्र संबंधी फिल्म	इद्स प्रभात/मराठी	निर्माता मैसर्स ए.वी. दामले को रजत कमल और 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक डा. श्रीमती माधवी वैद्य को रजत कमल और 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार
5.	सर्वोत्तम वैज्ञानिक फिल्म/पर्यावरण संरक्षण/प्रतिरक्षण फिल्म	टाइमलैस ट्रेवलर-द-हॉर्सशू क्रैब/अंग्रेजी	निर्माता मैसर्स रिवरबैंक स्टूडियोज को रजत कमल और 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार

1	2	3	4
			निर्देशक गौतम पांडे को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
6.	सामाजिक विषयों पर सर्वोत्तम फिल्म	द्विजा/मराठी	निर्माता भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक पंकज पुरंदरे को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
7.	सर्वोत्तम गवेषणा/साहसी फिल्म	शोर्स ऑफ साइलेंस–व्हेल शार्क्स इन इंडिया/अंग्रेजी	निर्माता गौतम पांडे को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक रंजना पांडे को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
8.	सर्वोत्तम खोजी फिल्म	हार्वेस्ट ऑफ हंगर (अंग्रेजी/उड़िया)	निर्माता एक्शन एंड इंडिया को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक रूपश्री नंदा को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
9.	सर्वोत्तम कार्टून चित्र	राजू एंड आई (अंग्रेजी/हिन्दी)	निर्माता असीमा चैरिटेबल ट्रस्ट को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक गायत्री राव को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			कार्टूनकार चेतन शर्मा को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
10.	निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार	अमित दत्ता (क्ष त्र ज्ञ/हिन्दी)	निर्देशक अमित दत्ता को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
11.	सर्वोत्तम लघु कल्पित फिल्म	क्रेडल सांग (हिन्दी/अंग्रेजी)	निर्माता भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
			निर्देशक निमिषा पांडे को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार

1	2	3	4
12.	परिवार कल्याण संबंधी सर्वोत्तम फिल्म	सांझ/हिन्दी	निर्माता भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्देशक जैसमीन कौर को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
13.	सर्वोत्तम निर्देशन	उमेश विनायक कुलकर्णी (गिरनी/ मराठी)	निर्माता उमेश विनायक कुलकर्णी को रजत कमल और 20,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
14.	सर्वोत्तम छायांकन	मनोज रेमंड लोबो (गिरनी/मराठी)	छायाकार मनोज रेमंड लोबो को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार प्रयोगशाला एडलैब्स को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
15.	सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन	विवेक (क्ष त्र ज्ञ/हिन्दी)	ध्वनि आलेखक विवेक को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
16.	सर्वोत्तम सम्पादन	प्रशांत नायक (हार्वेस्ट ऑफ हंगर/ अंग्रेजी)	संपादक प्रशांत नायक को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
17.	सर्वोत्तम ध्वनि निर्देशन	एक सागर किनारे_ए सीसाईड स्टोरी (मराठी/अंग्रेजी)	ध्वनि निर्देशक भवानि को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
18.	सर्वोत्तम प्रकथन वायस ओवर	यौंग येन्–थौं (द लीजेंड ऑफ फैट मामा/अंग्रेजी)	वाचक यौंग येन्–थौं को रजत कमल और 10,000/– रुपये का नकद पुरस्कार

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन पुरस्कार

1.	सर्वोत्तम सिनेमा पुरस्कार	स्टारडस्ट–विनियेट्स फ्रॉम दि फ्रिन्जिस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री	लेखिका सुश्री रूपा स्वामीनाथन को स्वर्ण कमल और 15,000/– रुपये का नकद पुरस्कार प्रकाशक पेंग्विन बुक्स इंडिया प्रा. लि. को स्वर्ण कमल और 15,000/– रुपये का नकद पुरस्कार
2.	सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक	नम्रता जोशी	फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी को स्वर्ण कमल और 15,000/– रुपये का नकद पुरस्कार

राजस्थान से रेलवे संबंधी प्रस्ताव

2294. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान राजस्थान सरकार ने रेलगाड़ियां चलाए जाने, उनको आगे तक बढ़ाए जाने एवं उनके फेरों को बढ़ाए जाने तथा रेल लाइनों के विद्युतीकरण के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए हैं तथा केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) इन्हें अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी, हां। गाड़ियों को चलाने, गाड़ियों के विस्तारण तथा विद्युतीकरण के साथ–साथ गाड़ियों के फेरों में वृद्धि के संबंध में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

2004–05 तथा 2005–06 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित ट्रेन सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं :

2004-05

नई गाड़ियों का चलाया जाना

1. 2463/2464 दिल्ली–जोधपुर राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
2. 5269/5270 मुजफ्फरपुर–अहमदाबाद जन साधारण एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. 303/304 बांदीकुई–भरतपुर पैसेंजर
4. 305/306 बांदीकुई–भरतपुर पैसेंजर

गाड़ी का विस्तारण

1. 199/200 सूरतगढ़ तक जयपुर–बीकानेर पैसेंजर

फेरों में वृद्धि

1. 6507/6508 जोधपुर–बेंगलुरु एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन।
2. 2957/2958 नई दिल्ली–अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर 6 दिन।

2005-06

नई गाड़ियों को चलाया जाना

1. 2965/2966 उदयपुर–जयपुर एक्सप्रेस
2. 307/308–309/310 उदयपुर–चित्तौड़गढ़ पैसेंजर (2 जोड़ी)
3. 163/164 अजमेर–रेवाड़ी पैसेंजर (मी.ला.)
4. 499/500 जयपुर–रेवाड़ी पैसेंजर (मी.ला.)
5. 2963/2964 उदयपुर–निजामुद्दीन एक्सप्रेस
6. 1/2 मथुरा–बांदीकुई पैसेंजर बरास्ता अलवर
7. 9777/9778 जयपुर–आगरा फोर्ट एक्सप्रेस

गाड़ियों का विस्तारण

1. 133/134 उदयपुर तक नीमच–चित्तौड़गढ़ पैसेंजर
2. 9149/9150 आसनसोल तक अहमदाबाद–धनबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. 8477/8478 हरिद्वार तक पुरी–निजामुद्दीन एक्सप्रेस
4. 9775/9778 मैसूर तक जयपुर–बेंगलुरु एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
5. 2983/2984 पुरी तक जयपुर–बिलासपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
6. 4059/4060 दिल्ली जं. तक जैसलमेर/बाड़मेर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
7. 303/304 अजमेर तक बांदीकुई–भरतपुर पैसेंजर
8. 355/356 बांदीकुई तक बरेली–आगरा फोर्ट पैसेंजर
9. 294/151 सवाई माधोपुर तक यमुना ब्रिज–बयाना–मथुरा पैसेंजर
10. 5609/5610 बीकानेर तक गुवाहाटी–दिल्ली सराय रोहिल्ला अवध असम एक्सप्रेस

जयपुर–भोपाल/जम्मूतवी/बेंगलुरु/पुणे, जोधपुर–गुवाहाटी, दिल्ली–अनूपगढ़, अजमेर–कन्याकुमारी, जोधपुर–कोयम्बतूर, अजमेर–कोटा आदि के बीच नई गाड़ियां चलाने, 6311/6312 जोधपुर–त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस (साप्ताहिक), 2973/2974 इंदौर–जयपुर एक्सप्रेस (सप्ताह

में दो दिन) के फेरों में वृद्धि तथा 6613/6614 कोयम्बतूर राजकोट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) इत्यादि के विस्तारण के बारे में चर्चा की गई थी किन्तु परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

क्र.सं.	खंड	वर्ष	स्थिति
1.	कोटा–बरन–छाबरा–बीना	2004–05 2005–06	बीना–कोटा खंड के विद्युतीकरण का प्रस्ताव योजना आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है
2.	जयपुर–सवाई माधोपुर	2004–05 2005–06	अस्वीकृत
3.	रतलाम–नीमच–चित्तौड़गढ़	2005–06	अस्वीकृत

[अनुवाद]

पंचायतों को वित्तीय शक्तियां

2295. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर दी गई शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंचायत स्तर पर वित्तीय शक्तियां नहीं दिए जाने तथा इसे जिला प्रशासक के नियंत्रण में रखे जाने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पंचायतों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर संसाधन जुटाने हेतु उन्हें अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) संविधान का अनुच्छेद 243 जी राज्यों की विधायिका के अधिकार और गांवों की पंचायत के प्राधिकार के लिए इन्डोमेंट का प्रावधान करता है ताकि वे मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर स्वायत्त–शासन संस्थाओं के रूप में कार्य करें और (1) क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजना बनाने तथा (2) संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को लागू करें, विशेष रूप से उन मामलों में जिन्हें संविधान की ग्यारहवीं सूची में रखा गया है। जैसा कि संविधान व्यवस्था देता है कि राज्यों की विधायिका पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और प्राधिकार देती है, राज्यों ने विभिन्न रूप से पंचायतों को अधिकार और उत्तरदायित्व सुपर्द कर दिए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संविधान का अनुच्छेद 243 एच राज्यों की विधायिका को अधिकार देता है कि वे पंचायतों को लेवी लगाने, उचित कर, ड्यूटी, टॉल संग्रहित करने और कानून द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा और प्रक्रिया के अनुसार शुल्क ले सकेंगे। जुलाई, 2004 में कोलकाता में आयोजित प्रथम गोलमेज बैठक में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्री की बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारें रोड मैप तैयार करने की कोशिश करेंगी जो साथ–साथ पंचायती राज संस्थाओं को उनके संसाधनों को बढ़ाने के कदमों को प्रसारित करेंगी। विशेष रूप से संविधान की धारा 243 एच में वर्णित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य अपना समुचित राजस्व बढ़ाने का कार्य करेंगे। कोलकाता गोलमेज बैठक के निष्कर्षों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

अनुच्छेद 243 आई राज्यों द्वारा वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था देता है ताकि वे सिफारिश कर सकें, साथ–साथ राज्यों और पंचायतों के बीच सिद्धान्त रूप में शासन का बंटवारा हो सके। टैक्स, ड्यूटी, टॉल फीस की प्रक्रिया राज्य द्वारा की जाए जिसे पंचायतों के बीच सभी स्तर पर क्रमशः आवंटित की जाए ताकि ऐसी प्रक्रियाएं टैक्स, ड्यूटी, टॉल तथा शुल्क पंचायतों द्वारा निर्धारित किया जाए। राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान दिया जाए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधार करने की आवश्यकता है और पंचायतों की सुदृढ़ वित्तीय शक्ति के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को संदर्भित तथ्य भी शामिल हैं।

विवरण

निधियों का प्रभावी अंतरण :

(1) पंचायतों का "सुदृढ़ वित्तीय आधार" अनुच्छेद 243–I द्वारा राज्यों पर लागू की गई संवैधानिक बाध्यता है। इस संवैधानिक बाध्यता के अनुपालन में राज्यों और केन्द्र को संघीय राजकोषीय की भावना के अनुरूप निर्धारित

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

(2) इस दिशा में पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों को निधियों का अंतरण कार्यों और कर्मियों के अंतरण के लिए गतिविधि रूपरेखा के आधार पर होना चाहिए ताकि निधियों के अंतरण को कार्यों और कर्मियों के अंतरण के साथ मिलाते हुए पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का प्रभावी अंतरण सुनिश्चित हो सके।

(3) ऊपर वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर, राज्य सरकारें गतिविधि की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास कर सकती हैं जिसे यथाशीघ्र लागू किया जाए और हर हाल में इसे अगले वित्त वर्ष 2005-06 के अन्त तक बना लिया जाए; इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हो सकते हैं :

(i) स्तर-वार और निम्न की गतिविधि रूपरेखा पर आधारित अंतरण :

(क) नियोजन

(ख) बजट

(ग) निधियों का प्रावधान

(ii) गतिविधि रूपरेखा के आधार पर प्रत्येक राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग के बजट में पंचायती राज संस्था के घटक का समावेश;

(iii) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को स्तर-वार क्रमिक रूप से शर्तमुक्त बड़ी राशि का प्रावधान;

(iv) गतिविधि रूपरेखा के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को योजना आयोग से स्तर-वार शर्तमुक्त अनुदान का प्रावधान;

(v) पंचायती राज संस्था की गतिविधि रूपरेखा के आधार पर पूर्व वित्त आयोगों द्वारा अब तक आवंटित न किए गए अनुदानों, यदि कोई हो, का स्तर-वार आवंटन और बारहवें तथा भावी वित्त आयोगों से स्तर-वार आवंटन की पूर्व निर्धारित पद्धति के आधार पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुदानों का आवंटन।

(vi) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाना है जिसकी समय-सीमा के भीतर राज्य वित्त आयोगों को अपनी रिपोर्टें तैयार करनी चाहिए तथा जिसमें विधानमंडल के प्रति की गई कार्रवाई रिपोर्ट और राज्य विधानमंडल द्वारा समर्थित सिफारिशों/की गई कार्रवाई रिपोर्टों पर कार्य-पालक द्वारा कार्य करने संबंधी सिफारिशें शामिल हों।

(vii) पंचायती राज संस्थाओं को अपने संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करना, विशेषकर उन राजस्वों के विनियोजन के प्रावधान के माध्यम से, जो उन्होंने अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जुटाए हैं। (अनुच्छेद 243-एच)

रेल के किराए में कमी

2296. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भारी लाभ अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा सभी श्रेणी के यात्री किराए में कमी की गई है, किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) परिचालन अनुपात जो यातायात राजस्व का संचलन व्यय और रेलों की कार्यकुशलता का संसूचक है, 2004-05 में 91 प्रतिशत था तथा 2005-06 में 90.8 प्रतिशत की संभावना है।

(ग) और (घ) 12.8.2005 से केवल साधारण पैसेंजर गाड़ियों (उपनगरीय सहित) और मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरे दर्जे के किराए में एक रुपया की कमी की गई थी।

(ङ) यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से रेलों ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर गाड़ियों में सीटों की क्षमता में अतिरिक्त बढ़ोतरी करना, कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट-प्रणाली की शुरुआत, इंटरनेट पर और मोबाइल फोन के माध्यम से आरक्षण उपलब्ध कराना, ई-टिकट प्रणाली की शुरुआत और अधिक से अधिक कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली खोलना आदि शामिल है।

मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2297. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में मीटर गेज रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में कब तक बदले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) प्रत्येक वर्ष के रेल नेटवर्क संबंधी आंकड़े 31 मार्च तक रखे जाते हैं। अतः 31.3.2005 (नवीनतम उपलब्ध) को कर्नाटक में मीटर आमान की रेलवे लाइन (मार्ग कि.मी.) की कुल लम्बाई 408 किलोमीटर है।

(ख) से (घ) 31.3.2005 को कर्नाटक में शुरू किए गए मीटर लाइन के आमान परिवर्तन संबंधी कार्यों और उन्हें पूरा करने की तिथि जहां कहीं निर्धारित है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

खण्ड	पूरा करने की तिथि, जहां कहीं निर्धारित है
बेल्लारी–हागरी	2005–06
मैसूर–चमराजनगर	–
शिमोगा–तालगुप्पा	–
बीजापुर–गदग	बीजापुर–बसावनाबागेवाडी खंड पर कार्य पूरा हो गया है। बसावनाबागेवाडी–बगलकोट खंड पर कार्य 2005–06 के दौरान पूरा किया जाएगा।
सकलेशपुर–सुब्रमनिया रोड	हाल ही में पूरा किया गया है।

[हिन्दी]

तेल संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा पुस्तकों की पुनः जांच

2298. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की लेखा पुस्तकों का सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पुनः जांच कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किन्हीं अनियमितताओं का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

2299. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में नए दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों को किन–किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) इन केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है, जिसके पूरा होने में लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा।

[अनुवाद]

महिलाओं में नशे की लत

2300. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड नेशन्स आर्गेनाइजेशन्स ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) द्वारा जारी रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि भारत में नौ शहरों में नशा करने वालों में 90 प्रतिशत महिलाएं

हैं जैसा कि दिनांक 18 सितम्बर, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से शहर हैं जहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में नशा करती हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसके पीछे के कारणों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) महिलाओं में नशे की लत के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (च) भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विस्तार, तौर-तरीके और प्रवृत्तियों की व्यापकता के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि नमूने के तौर पर लिए गए 4648 व्यक्तियों में 371 महिलाएं नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, जो केवल 8 प्रतिशत हैं। सम्पूर्ण देश में सुविधाएं जैसे उपचार, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और वस्तु व्यसन के पीड़ितों के लिए चेतना कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए 377 नशामुक्ति केन्द्रों और 52 परामर्श केन्द्र चलाने के लिए 350 गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से शराबखोरी तथा वस्तु (नशीले पदार्थ) दुरुपयोग निवारण की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

संयुक्त राज्य अमरीका और कतर के साथ समझौता

2301. श्री गणेश सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से एयर इंडिया को संयुक्त राज्य अमरीका जाने के लिए लंदन से यात्रियों को लेने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार कतर की सरकार के साथ पहले चरण का विमान उतराई अधिकार समझौता करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त बारम्बारताओं तथा अतिरिक्त यात्री क्षमताओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारत व यूएसए के बीच दिनांक 14 अप्रैल, 2005 को हस्ताक्षरित हवाई सेवा करार के अनुसार दोनों पक्षों की नामित एयरलाइनें सभी मध्यवर्ती स्थलों से सभी अंतिम स्थलों तक असीमित यातायात अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं। एयर इंडिया, लंदन में अपने यातायात अधिकारों का उपयोग करते हुए लंदन/न्यूयार्क एवं लंदन/शिकागो रूट पर सप्ताह में क्रमशः सात व तीन उड़ानें प्रचालित कर रही हैं।

(ग) और (घ) भारत और कतर के बीच मौजूदा हवाई सेवा करार के अनुसार, कतर की नामित एयरलाइनों को दिल्ली एवं नागपुर के दो नए रूटों की अनुमति दी गई है। दोनों पक्षों की नामित एयरलाइनों के लिए 2500 सीट, प्रति सप्ताह की अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी भी दी गई है।

रेलवे जोनों का पुनर्गठन

2302. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मौजूदा रेलवे जोनों का पुनर्गठन करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्गठन के बाद प्रत्येक जोन के अधीन रखे जाने के लिए प्रस्तावित मंडलों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेल जोनों को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

2303. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

श्री ए. साई प्रताप :

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को अपने कार्य में तेजी लाने के लिए सभी राज्य सरकारों को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है/किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को दिनांक 7.9.2005 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है जबकि पंचायती राज संस्थाएं योजना एवं कार्यान्वयन के लिए "प्रधान प्राधिकारी" होती हैं। अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था की भूमिका और उत्तरदायित्व के प्रावधानों को शामिल करते हुए पंचायतों में योजना और कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 17.11.2005 को अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सभी राज्य सरकारों को संबोधित किया है। यह बताया गया है कि आवर्ती आधार पर यह कार्य बड़े पैमाने पर होगा और राज्यों द्वारा तुरन्त ट्रेनिंग कलैण्डर अपना लिया जाना चाहिए। राज्यों में एनआरईजीए की अधिसूचना से पहले राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाईयां पूरी कर लेनी होती हैं।

कार्यान्वयन के प्रथम फेज में देश के 200 जिलों में अधिनियम कार्यान्वित किया जाने वाला है। अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रथम फेज का अनुमानित खर्च रुपये 17,103 करोड़ है।

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर पुल

2304. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाले सरायघाट के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क एवं रेल पुल के निर्माण हेतु असम सरकार और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। सरायघाट में रेल एवं सड़क पुल के निर्माण के संबंध में उस क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) दूसरे पुल अर्थात् इस खंड में दोहरीकरण की आवश्यकता का आकलन करने के लिए रेलवे से एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम परिवहन और खान क्षेत्र हेतु विनियामक निकाय

2305. श्री संतोष गंगवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम परिवहन और खान क्षेत्रों के संबंध में विधिक संरचना को विनियमित करने के लिए विनियामक निकाय गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विनियामक निकाय को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के उपभोक्ताओं और संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगी संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए और देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उससे जुड़े और आनुषंगिक विषयों के लिए सरकार क्रूड आयल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की रिफाइनिंग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री का नियमन करने हेतु एक पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) बनाने का विचार कर रही है। पीएनजीआरबी विधेयक का मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

पीएनजीआरबी के विधेयक के मसौदे में परिवहन और खान क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।

रेल परियोजनाओं हेतु विशेष अनुदान

2306. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री हरिसिंह चावडा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के कार्य में तेजी लाने के लिए विशेष अनुदानों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलों के पास बड़ी संख्या में परियोजनाएं होने के कारण, इस वर्ष प्राप्त बजटीय सहायता को अपर्याप्त समझा गया है। रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता के लिए कहा है जिसमें बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया गया था जिन परियोजनाओं की राष्ट्रीय योजनाओं के रूप में पहचान की गई थी, के लिए धन की व्यवस्था रेल योजना से बाहर से की जानी है, के लिए भी धन की मांग की गई है।

(ग) 2005–06 के दौरान अगस्त, 2005 में प्राप्त किए गए पूरक अनुदान, में उधमपुर–श्रीनगर–बारामुला राष्ट्रीय परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये की पूंजी भी शामिल है।

[अनुवाद]

रेल सेवा हटाना

2307. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे की अंदन–पलस्थली के बीच रेल सेवा को हटाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार दूर–दराज के क्षेत्रों में रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेल सेवा को पुनः आरम्भ करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) पंडाबेश्वर–पलस्थली खंड आसनसोल मंडल की 30 किमी. लंबी शाखा लाइन है। इस खंड पर दो जोड़ी गाड़ियां चलाई जाती थीं। इस रेलपथ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन की वजह से, इस रेलपथ के भाग को असुरक्षित घोषित किया गया है और यात्रियों की संरक्षा के दृष्टिकोण से 26.9.2002 से यात्री गाड़ियों का चालन रोक दिया गया है। इस मुद्दे को राज्य सरकार तथा ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (ईसीएल) के प्राधिकारियों के पास ले जाया गया ताकि गाड़ी सेवा को फिर से बहाल करने के लिए वे अपनी तरफ से उचित कार्रवाई करें। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस स्थिति में यात्रियों की संरक्षा के दृष्टिकोण से इस खंड पर यात्री सेवा बहाल करना सुरक्षित नहीं होगा।

पीएनजी सुविधाएं

2308. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों की ओर से उनके क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस (पीएनजी) सुविधाएं प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) दिल्ली/नई दिल्ली में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध करा रही है। आईजीएल को, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर पीएनजी कनैक्शन देने के लिए चितरंजन पार्क, वसंत विहार, प्रीत विहार, आनन्द विहार, एजीसीआर एन्क्लेव, विवेकानन्द पुरी, ग्रेटर कैलाश–2, मुनीरका, गाजीपुर, कालकाजी, आनन्द लोक, उदय पार्क, पाण्डव नगर आदि जैसी दिल्ली/नई दिल्ली की आवासीय कल्याण एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूज) से प्रतिवेदन/अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। आईजीएल इन क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करेगी।

मुम्बई विमानपत्तन के आस-पास हटमेंट

2309. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई स्थित छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के आस–पास 65000 से अधिक हटमेंट्स से निकले कचरे के कारण उड़ानों के प्रचालन में विभिन्न समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानपत्तन और इसके रनवे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) हवाई अड्डे के इर्द–गिर्द पड़े कूड़े–कचरे से पक्षी आकर्षित होते हैं और इससे विमानन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। इससे हवाई अड्डे के आस–पास कुत्ते भी एकत्रित हो जाते हैं जिससे प्रचालनिक क्षेत्र में उनके प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई पर पक्षी गतिविधियों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे से कुत्तों को भगाने के लिए मुम्बई नगर निगम के साथ भी समन्वय किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जरी मरी क्षेत्र के रफीक नगर से लगभग 1900 झुग्गी वासियों का पुनर्वास किया गया है।

नकली ट्रैवल एजेंट

2310. श्री अधीर चौधरी :

श्री उदय सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अपना व्यवसाय चला रहे अनेक नकली एयरलाइंस ट्रैवल एजेंटों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अप्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों का अवैध तरीके अपनाकर विदेश भेजने का नाटक करके भोले–भाले युवकों को लूटना जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) 2000 से ऊपर एजेंट, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ से अधिकार प्राप्त हैं और कई हजार एजेंट ऐसे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ से जुड़े हुए नहीं हैं परन्तु वे आईएटीए एजेंटों के माध्यम से टिकटिंग द्वारा अपना व्यवसाय करते हैं। ऐसे ट्रैवल एजेंटों के बारे में सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) धोखाधड़ी के यदि कोई विशेष मामले होते हैं तो वे स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा निपटाए जाने होते हैं। हालांकि अप्रवासी प्राधिकरण एवं एयरलाइनें यात्रा संबंधी दस्तावेजों की संपूर्ण जांच के लिए एयरपोर्टों पर सतर्कता बरतती हैं।

यू.के. के लिए विमान सेवा

2311. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज निकट भविष्य में भारत के लिए अपनी सेवा में काफी वृद्धि करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया भी यूनाइटेड किंगडम के लिए अपनी विमान सेवाओं में वृद्धि करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से कितनी उड़ानों का प्रचालन कोलकाता से किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) अप्रैल, 2005 में यू.के. के साथ हुई द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ता के अंतिम राउंड में दोनों पक्षों की नामित एयरलाइनों के लिए क्षमता पात्रता में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। तथापि, किसी भी एयरलाइन के वास्तविक प्रचालन, इसके व्यावसायिक निर्णय पर आधारित होते हैं। हाल ही में, ब्रिटिश एयरवेज ने भारत में अपनी सेवाएं प्रति सप्ताह 10 से बढ़ा कर प्रति सप्ताह 35 कर दी हैं जिसमें मुम्बई के लिए 7, चेन्नई के लिए 4 तथा बंगलौर के लिए 5 सेवाएं शामिल हैं।

(ख) और (ग) एयर इंडिया, फिलहाल यूनाइटेड किंगडम के लिए प्रति सप्ताह 24 सेवाएं प्रचालित कर रहा है और यह भारत–यू. के. रूट पर प्रति सप्ताह 8 उड़ानें और जोड़ने की योजना बना रहा है।

(घ) एयर इंडिया ने हाल ही में, कोलकाता/लंदन सैक्टर पर दिनांक 15 जून 2005 से प्रति सप्ताह 3 सेवाएं प्रचालित करनी आरम्भ की हैं।

निजी एयरलाइनों को विमान खरीदने की अनुमति

2312. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्तमान निजी घरेलू एयरलाइंसों को विमान खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान विमान खरीदने के लिए वर्तमान निजी घरेलू एयरलाइंसों को दी गई अनुमति का एयरलाइंस–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई शेड्यूल एयरलाइंसों हेतु अनुमति के लिए लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और विमानन क्षेत्र में नई एयरलाइंसों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में विलंब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) गत एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित निजी एयरलाइंसों को विमान खरीदने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है :

क्र.सं.	एयरलाइंस	विमान संख्या
1.	मैसर्स जेट एयरवेज	10
2.	मैसर्स एयर सहारा	12
3.	मैसर्स डेक्कन एयरलाइंस	11
4.	मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस	09
5.	मैसर्स स्पाइस जेट	05
6.	मैसर्स पेरामाउन्ट एयरवेज	01
7.	मैसर्स गो एयरलाइंस	03

(ग) मैसर्स मैजिक एयरलाइंस, मैसर्स मुक्ति एयरवेज, मैसर्स स्काईकिंग एविएशन तथा मैसर्स मेगा एयरवेज को शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सेवाओं को प्रचालित करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का मामला लंबित है। पीआईओ द्वारा एफडीआई में निवेश करने की स्थिति पर निर्णय तथा सुरक्षा स्पष्टता मांगने के लिए ये अनुरोध लंबित हैं।

रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना/ अन्य रूट से भेजना

2313. श्री पी. मोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण रद्द की गई/अन्य रूट से भेजी गई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने के कारण यात्रियों की भीड़ को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अक्तूबर–नवम्बर, 2005 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में भारी वर्षा के कारण 1740 रेलगाड़ियां रद्द की गईं और 335 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक समस्याओं के कारण।

ह्रदय रोगियों को लाभ

2314. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने ह्रदय रोगियों को विकलांग व्यक्तियों के समान सरकारी सेवाओं सहित अन्य मामले में उपलब्ध लाभ देने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ह्रदय रोगियों का उपचार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं के समान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो इस मामले में प्रतिवादी है, ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के खंड पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की है।

[हिन्दी]

डीटीएच लाइसेंस

2315. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

श्री वी. के. ठुम्मर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी कंपनियों के पास डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) लाइसेंस हैं;

(ख) क्या कुछ कंपनियों ने डीटीएच लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों को लाइसेंस कब तक दिए जाने की संभावन है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सरकार ने केवल एक कंपनी मैसर्स एएससी एंटरप्राइजेज लि. को लाइसेंस जारी किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी तक निम्नलिखित कंपनियों ने डीटीएच लाइसेंस हेतु आवेदन किया है :

(i) मैसर्स नोएडा सॉफ्टवेयर टेकनालॉजी पार्क लि.

(ii) मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि.

(iii) मैसर्स स्पेस टीवी प्रा.लि.

(iv) मैसर्स रिलायंस ब्ल्यू मैजिक प्रा.लि.; और

(v) मैसर्स एस्सेल श्याम कंयूनिकेशन लि.।

(घ) डीटीएच सेवा के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। डीटीएच सेवा हेतु दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इस प्रकार कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

2316. श्री सुनिल कुमार महतो :

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोल और डीजल में मिलावट एक बड़ा घोटाला है जिससे कि राजकोष को कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की वार्षिक आवर्ती हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पेट्रोल/डीजल के बीच भारी मूल्य अंतर और बाजार में उपलब्ध विभिन्न मिलावटकर्ताओं और पेट्रोल/डीजल में इन उत्पादों के आसानी से घुल जाने के कारण, कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल की मिलावट की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

मिट्टी तेल की वास्तविक मांग और आवश्यकता के आकलन हेतु हाल ही में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन किए गए अनुसार पीडीएस से मिट्टी तेल का गैर-घरेलू की ओर प्रयोग का बहाव अनुमानतः पीडीएस मिट्टी तेल की कुल बिक्री का लगभग 18.1 प्रतिशत है, पेट्रोल और डीजल में मिलावट से संबंधित राजकोषीय घाटे के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने मिलावट के खतरे को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत, ईंधन मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के तहत, राज्य सरकारों को मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकार ने निरीक्षण/औचक जांच करने के लिए इस मामले को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिलावट संबंधी गतिविधियां कम से कम हों तथा उनके क्षेत्राधिकारों में आने वाली विभिन्न निजी फर्मों, फैक्ट्रियों, प्रोसेसिंग इकाइयों आदि पर निगरानी रखी जाए, निरीक्षण किए जाएं ताकि मिलावट कर्त्ताओं का पता लगाया जा सके तथा उपलब्ध कानूनी दायरे के अन्दर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।

(2) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित व औचक निरीक्षण करती है तथा कदाचार और मिलावट करने वालों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) तथा डीलरशिप करारों के तहत कार्रवाई भी करती है। एमडीजी में मिलावट का दोष प्रमाणित होने वाले मामलों में डीलरशिप समाप्ति के दंड की व्यवस्था का प्रावधान है।

(3) सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने एक अलग स्कंध की स्थापना की है जो निदेशक (विपणन) के अलावा ऐसे किसी निदेशक को रिपोर्ट करेगा जो मिलावट को कम करने के लिए सभी गतिविधियों तथा प्रचालन कार्यों को देखेगा और उन पर निगरानी रखेगा तथा इस संबंध में मानदंडों तथा दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करेगा।

(4) मिलावट के लिए एसकेओ के दुरुपयोग/विपथन की दृष्टि से, निजी पक्षकारों द्वारा एसकेओ के आयात को ओएमसीज के माध्यम से सारणीबद्ध किया गया है।

(5) ओएमसीज ने परिवहनकर्ताओं द्वारा मार्ग में मिलावट रोकने के लिए नई टेम्पर प्रूफ टैंक ट्रक लोकिंग प्रणालियों की शुरूआत की है।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधान, जैसे वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) द्वारा टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी तथा खुदरा स्वचलन के माध्यम से खुदरा बिक्री केन्द्रों में ईंधन टैंकों के निगरानी स्तर की शुरूआत की गई है।

(7) ओएमसीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की ब्रांडिंग तथा तीसरे पक्षकार द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रमाणीकरण की शुरूआत की गई है।

(8) 2 अक्तूबर, 2005 से सरकार ने मिट्टी तेल के वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और सुचारू बनाने और पीडीएस मिट्टी तेल वितरण के पर्यवेक्षण में ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों और राज्य पंचायती राज संस्थानों को शामिल करने की दृष्टि से छह माह की अवधि के लिए 23 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए 417 ब्लाकों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में जन केरोसीन परियोजना आरंभ की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हकदार लाभार्थी वास्तव में अपनी हकदारी प्राप्त कर सकें और मिलावट तथा कालाबाजारी के लिए विपथन नियंत्रित, कम और अन्ततः समाप्त किया जा सके। प्रायोगिक परियोजना का एनसीएईआर द्वारा वर्तमान में मूल्यांकन किया जा रहा है और प्राप्त किए अनुभव के आधार पर सरकार देश के सभी ब्लाकों को शामिल करने के लिए परियोजना का दायरा बढ़ाने की संभावना और वांछनीयता का निर्धारण करेगी।

मिलावट की जांच करने के उपायों की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है।

भुवनेश्वर से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए सीधी उड़ानें

2317. श्री भर्तृहरि महताब : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में बदलने और भुवनेश्वर से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, आसियान देशों के साथ हवाई सेवाओं को उदारीकृत करने के लिए शुरू की गई नीति के तहत, उनकी नामित एयरलाइनों द्वारा भुवनेश्वर सहित देश के 18 पर्यटन स्थलों पर असीमित पहुंच के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं। तथापि, इस समय भुवनेश्वर हवाई अड्डे से सीधी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू किए जाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय अथवा विदेशी एयरलाइन द्वारा अनुरोध नहीं किया गया है। इसलिए, मौजूदा समय में भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

तेलशोधनशालाओं को कच्चे तेल की बिक्री

2318. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी निकाले गए कच्चे तेल को तेलशोधनशालाओं को बेचता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बेचे गए कच्चे तेल की मात्रा और मूल्य कितना था;

(ग) तेलशोधनशालाएं इसे शोधित करने के पश्चात किस दर पर बेचती हैं; और

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य और तेलशोधनशाला के मूल्य के बीच अन्तर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी द्वारा रिफाइनरियों को बेचे गए कच्चे तेल की मात्रा और वसूला गया औसत मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	बेची गई मात्रा* (एमएमटी में)	औसत मूल्य** (रुपये/एमटी)
2002–03	22.36	10382.86
2003–04	22.26	9347.82
2004–05	22.46	13309.12

*जेवी मात्राओं में ओएनजीसी का शेयर शामिल नहीं है।

**कीमतों में कर शामिल है। वर्ष 2003–04 से आगे औसत मूल्य राजसहायता खाते की छूट के बाद है। ये कीमतें केवल ओएनजीसी क्रूड की हैं जिसमें जेवी में ओएनजीसी का शेयर शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियां इन उत्पादों की चालू अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आयात समता मूल्य पर पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल जैसे संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें रिफाइनरियों का अदा करती हैं, रिफाइनरियां अप्रैल, 2005 से घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल पर और साथ ही सितम्बर, 2005 से पेट्रोल तथा डीजल पर ओएमसीज को छूट प्रदार कर रही हैं। यह भी नोट किया जाए कि भारत की लगभग एक चौथाई एलपीजी आवश्यकता की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। फिर भी ओएमसीज संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई भारी वृद्धि के चलते सरकार से सलाह करके एलपीजी एवं पीडीएस मिट्टी तेल जैसे राजसहायता प्राप्त उत्पादों की कीमतें बनाए रखने के साथ–साथ पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि को घटा–बढ़ा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों की दीर्घावधि मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने डा. सी. रंगाराजन, अध्यक्ष, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में एक अतर्मंत्रालयी समिमि गठित की है।

तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति, क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता और तेल कंपनियों द्वारा कीमतों के स्वतन्त्र समायोजन की पारदर्शी प्रणाली की स्थापना को ध्यान में रखते हुए इनकी कीमतों को स्थिर करने/युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से समिति को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य और कराधान के विभिन्न पहलुओं को देखने का कार्य सौंपा गया है। सभी पणधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समिति संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य और कराधान तथा इनसे जुड़े अन्य मुद्दों के लिए एक व्यापक तंत्र का सुझाव प्रस्तुत करेगी।

[अनुवाद]

टीवी धारावाहिक

2319. श्री के. एम. आसन रशीद :

श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टीवी धारावाहिक की गुणवत्ता मनोरंजक नहीं है और उनमें घटिया पटकथा, निर्देशन और अन्य तकनीकी मानदंडों और प्रोग्रामिंग विषय वस्तुओं की गुणवत्ता का अभाव रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा टीवी धारावाहिकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 200 से अधिक टीवी चैनल उपलब्ध हैं। निजी टीवी चैनलों के संबंध में उनके द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने पर बल देने के सिवाय उनकी कार्यक्रम–विषयवस्तु के बारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, वह तकनीकी पैरामीटरों और विषयवस्तु दोनों की दृष्टि से उच्च व्यावसायिक मानक वाले और अपने दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन करने वाले धारावाहिकों को प्रसारित करने का सतत् प्रयास करता है।

[हिन्दी]

मऊ स्टेशन पर हमला

2320. योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अक्टूबर, 2005 को उत्तर प्रदेश के मऊ स्टेशन पर एक यात्री रेलगाड़ी पर बेकाबू भीड़ ने हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घटना में कितने यात्री घायल हुए हैं और जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, 14.10.2005 को लगभग 17.00 बजे पश्चिम में पुराने लोको रोड छोर से लगभग 1000 लोगों की अनियंत्रित भीड़ ने नारे लगाते हुए और पथराव करते हुए मऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में घुसने का प्रयास किया। इसके कारण यात्रियों में हड़कंप मच गया और वे भागने लगे। घटना के समय, गाड़ी संख्या 533 अप 1705 बजे मऊ स्टेशन पहुंची और सुरक्षा कारणों से गाड़ी को लाइन संख्या 2 पर लेना पड़ा। भीड़ को देख, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), सिविल पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) और रेलवे सुरक्षा बल जो स्टेशन पर थे, ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अनियंत्रित भीड़ द्वारा बार-बार गोलियां चलाई जा रही थीं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस कर्मियों ने भी हवाई फायर किए परन्तु भीड़ बलपूर्वक स्टेशन परिसर में घुस गई और प्लेटफार्म सं. 4 और 2 तक पहुंच गई। बहरहाल, पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने, दूसरे प्रयास में स्थिति पर काबू पा लिया और इससे पहले की भीड़ गाड़ी के यात्रियों तक पहुंचती व उन्हें नुकसान पहुंचाती, गुस्साई भीड़ को स्टेशन से खदेड़ दिया गया। भीड़ ने पथराव करके रेलवे प्लेटफार्म की छत, स्टॉलों और पश्चिमी पेनल को क्षतिग्रस्त कर दिया।

(ग) इस घटना के दौरान, दो व्यक्तियों को चोटें आईं और उनमें से एक (70 वर्षीय) की अस्पताल में मृत्यु हो गई। रेलवे को अनुमानतः 64,058/- रुपये का नुकसान हुआ।

(घ) इस संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/मऊ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 302, 307, 427 और 435, 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 3/4 सरकारी संपत्ति (विनाश निरोधक) अधिनियम और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 151 और 152 के तहत 1000 लोगों की अनियंत्रित भीड़ के विरुद्ध एक आपराधिक मामला सं. 35/05 दर्ज किया है। जांच-पड़ताल के दौरान इस घटना में संलिप्त 40 व्यक्तियों की पहचान कर ली गई थी जिनमें से 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 6 व्यक्ति फरार हैं।

[अनुवाद]

रेल फ्रेट कॉरीडोर हेतु राष्ट्रीय सलाहकार परिषद

2321. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समर्पित रेल फ्रेट कॉरीडोर हेतु राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कार्यशाला की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

2322. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजामुद्दीन स्थित रेलवे कार्यशाला की जीर्ण-शीर्ण स्थिति की जानकारी है जैसा कि दिनांक 18 सितम्बर, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में विभिन्न वर्गों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अब तक कार्यशाला की मरम्मत हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में कोई रेलवे कार्यशाला स्थित नहीं है।

बहरहाल, एक कोचिंग अनुरक्षण डिपो निजामुद्दीन में स्थित है। परिसंपत्तियों जैसे कार्यालय भवन, पिट लाइन एवं सिक लाइन शेड की मरम्मत एवं अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। निजामुद्दीन में स्थित कोचिंग डिपो की परिसंपत्तियां जैसे पिलर्स और कैटवॉक स्टैब्स वर्तमान में टूटे पड़े हैं और मरम्मत की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 350 मी. कैटवॉक की पहले ही मरम्मत की जा चुकी है। शेष 400 मी. कैटवॉक की मरम्मत 31.3.2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

रूस के साथ रक्षा सहयोग

2323. **श्री अविनाश राय खन्ना :**

श्री संजय धोत्रे :

श्री बापू हरी चौरे :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री हरिभाऊ राठौड़ :

श्री जुएल ओराम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) रूसी संघ के साथ रक्षा सहयोग पर बातचीत करने के लिए 'सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत–रूस अंतर–सरकारी आयोग' के रूप में एक व्यवस्था विद्यमान है। इस आयोग की अब तक पांच बैठकें हुई हैं। पांचवीं बैठक 15–16 नवम्बर, 2005 को रूस में हुई थी। रक्षा मंत्री जी ने इस बैठक की सह–अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। दोनों पक्षों ने, दोनों देशों के बीच रक्षा आदान–प्रदान तथा सहयोग के मौजूदा स्तर पर संतोष व्यक्त किया।

[अनुवाद]

फुटकर बिक्री केन्द्र/डीलरशिप का खोला जाना

2324. **श्री ए. साई प्रताप :**

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :

श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 2004–05 के दौरान पेट्रोल पंपों, रसोई गैस या मिट्टी के तेल के कोई फुटकर बिक्री केन्द्र/डीलरशिप आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में खोले जाने हेतु प्रस्तावित नए पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों/मिट्टी तेल की डीलरशिप का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बिक्री केन्द्रों का कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2004–05 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) ने देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 4993 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिपें (पेट्रोल पंप), 484 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 16 एसकेओ–एलडीओ (मिट्टी तेल) डीलरशिपें आवंटित की हैं। ओएमसी–वार स्थिति निम्नवत् है :

ओएमसी	वर्ष 2004–05 के दौरान आवंटनों की संख्या		
	आरओ	एलपीजी	एसकेओ–एलडीओ
आईओसीएल	1,905	328	10
एचपीसीएल	1,367	30	5
बीपीसीएल	1,218	119	1
आईबीपी	503	7	0
योग	4,993	484	16

उक्त आवंटनों के राज्य–वार ब्यौरे संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) चालू वर्ष अर्थात् 2005–06 के दौरान इन ओएमसीज की देश में लगभग 3460 खुदरा बिक्री केन्द्र, 907 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा 19 एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप स्थापित करने का विचार है। प्रस्तावों के राज्य–वार ब्यौरे संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं। तथापि, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के शुरू करने के लिए समय निर्धारण का संकेत करना संभव नहीं है क्योंकि इसमें विभिन्न पहलुओं जैसे आवेदन पत्रों और कागजातों की छटनी, डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना, मैरिट पैनल जारी करना, चुने गए उम्मीदवारों के संबंध में क्षेत्र जांच, भूमि/सांविधिक अनुमोदनों/लइसेंसों, को प्राप्त करना, निर्माण आदि की प्रक्रिया शामिल है।

[हिन्दी]

झांसी में रेल दुर्घटना

2325. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी रेलवे स्टेशन पर 9 सितम्बर, 2005 को आन्ध्रा एक्सप्रेस और शंटिंग इंजन में टक्कर होने से दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें हुई जान–माल की क्षति का ब्यौरा क्या है और पीड़ितों और उनके परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या उक्त दुर्घटना के संबंध में कोई उच्च–स्तरीय जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जांच के क्या परिणाम निकले और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 8.11.2005 को लगभग 2355 बजे झांसी रेलवे स्टेशन पर कपल्ड लाईट इंजन 2724 अप ए.पी. एक्सप्रेस के चार सवारी डिब्बों के किनारों से टकरा गया जिसकी वजह से लाइट इंजन की फ्रंट ट्राली पटरी से उतर गई।

(ग) इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई और इसलिए इस मामले में क्षतिपूर्ति देय नहीं है। इस दुर्घटना के कारण संपत्ति का नुकसान लगभग 2.22 लाख रुपये का हुआ।

(घ) से (च) इस दुर्घटना की जांच कर रही अधिकारियों की एक समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि कपल्ड लाइट इंजन "ऑन" स्थिति में शंट सिगनल को पार कर गया जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। दोषी पाए गए कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

रेलवे आरक्षण की इन्टरनेट बुकिंग

2326. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री एन. एस. वी. चित्तन :

श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई–टिकटिंग अर्थात् इन्टरनेट के माध्यम से आरक्षण बुकिंग शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी रेलगाड़ियों हेतु उक्त सुविधा लागू है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त सुविधा को सभी रेलगाड़ियों में प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त सुविधा के लिए विदेशी पर्यटक और अनिवासी भारतीय भी पात्र हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन्टरनेट के माध्यम से आरक्षण ने अनुमानित गति प्राप्त कर ली है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा कम प्रमार में इन्टरनेट के माध्यम से आरक्षण की आसान उपलब्धता और योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) इन्टरनेट के माध्यम से आरक्षण उन सभी गाड़ियों के

लिए उपलब्ध है जिन गाड़ियों के लिए कंप्यूटर द्वारा आरक्षण उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस समय कोई भी ग्राहक इन्टरनेट के माध्यम से टिकट बुक करवा सकता है, बशर्ते कि वह ऑन-लाइन भुगतान कर सके।

(च) जी, हां।

(छ) अगस्त, 2002 में इसकी शुरूआत से इन्टरनेट के माध्यम से टिकटों की बिक्री के प्रचलन में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वित्त वर्ष	बिक्री किए गए टिकटों की संख्या
अगस्त, 2002 से मार्च, 2003	1,99,133
2003-04	7,28,404
2003-04	12,81,033
अप्रैल, 2005 से नवम्बर, 2005	12,89,328

(ज) इन्टरनेट के माध्यम से टिकटों की बुकिंग को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, टिकटों की सुपुर्दगी को 181 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। इन्टरनेट के माध्यम से सीधे नामे-खाते की सुविधा और क्रेडिट कार्ड के अतिरिक्त प्री-पेड कैश कार्ड की सुविधा को शुरू करके भुगतान विकल्पों को उदार बनाया गया है। बुकिंग के लिए कार्य-समय को सप्ताह के सभी दिन प्रातः 04.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक तथा रविवार को प्रातः 04.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ई-टिकटिंग, जिसमें पारंपरिक टिकट प्रदान की जाती है, की बुकिंग सहित मोबाइल फोन के माध्यम से टिकटों की बुकिंग शुरू की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (आगरा-मुम्बई राजमार्ग) पर रेल उपरि पुल का निर्माण

2327. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे जोन, रतलाम के अन्तर्गत भाकसी रेलवे स्टेशन के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (आगरा-मुम्बई राजमार्ग) के रेल समपार पर उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने इस मामले को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) यह प्रस्ताव पश्चिम रेलवे पर तराना रोड एवं मक्सी स्टेशन के बीच 94/25-27 किमी. पर मौजूद समपार संख्या 51/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के संबंध में है। इस समपार पर यातायात घनत्व 7,01,444 गाड़ी वाहन इकाई (टीवीयू) है। राज्य सरकार ने 2001 में निर्माण, परिचालन और हस्तांतरित करो (बीओटी) अवधारणा पर इस समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है। अक्टूबर, 2001 में रेलवे द्वारा सामान्य प्रबंधन आरेखण भी अनुमोदित किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा आगे का ब्यौरा नहीं दिया गया।

बहरहाल, उपरोक्त समपार पर लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। रेलवे द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य की व्यावहारिकता, अनुमानित लागत की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का गबन

2328. डा. एम. जगन्नाथ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में हाल ही में आंध्र प्रदेश में निःशक्त विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कूल चलाने में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के गबन के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करने के लिए जांच शुरू कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कथित गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध तत्काल क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समान दर

2329. श्री बाडिगा रामकृष्णा :

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टीवी दर्शकों के हितों की रक्षा के लिए महानगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में केबल आपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली एक समान दर निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) दिनांक 9.1.2004 के पश्चात् केबल उपभोक्ताओं द्वारा केबल आपरेटरों को और तत्पश्चात् केबल आपरेटरों द्वारा बहु प्रणाली संचालकों/प्रसारकों को देय प्रभारों का विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किया जाता है न कि सरकार द्वारा। ट्राई ने दिनांक 26.12.2003 तक की स्थिति के अनुसार भारत के विभिन्न भागों में यथा प्रचलित दरें नियत की हैं तथा मुद्रास्फीति सहित कई कारकों पर आधारित केवल आवधिक वृद्धि की अनुमति दी है। केबल आपरेटरों को ट्राई द्वारा समय–समय पर जारी प्रशुल्क आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होता है जो कि उसकी वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

नागर विमानन क्षेत्र में निवेश

2330. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन क्षेत्र में किए गए निवेश की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत विकास योजनाओं के निष्पादन हेतु कितनी धनराशि अपेक्षित है और अब तक क्या संसाधन जुटाए गए हैं;

(घ) इस क्षेत्र में अपेक्षित निजी/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु अन्तिम रूप दिए गए प्रोत्साहनों/विचाराधीन पैकजों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अगली योजनावधि के दौरान प्रस्तावित/पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा उपयोग की गई निधियां निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	संगठन का नाम	किया गया निवेश (करोड़ रु. में)
1.	एयर इंडिया लिमिटेड	1580.71
2.	इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड	889.41
3.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	1618.37
4.	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड	133.53
5.	भारतीय होटल निगम	10.27
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	4.48
7.	नागर विमानन महानिदेशालय (एयरो क्लब ऑफ इंडिया सहित)	10.46
8.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	8.39
	कुल योग	4255.62

(घ) सरकार ने इस दिशा में निम्न कदम उठाए हैं :

(i) हवाई परिवहन सेवाओं (घरेलू एयरलाइनों) के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ा कर 46 प्रतिशत कर दिया गया है। नीति में 100 प्रतिशत एन्आरआई निवेश का भी प्रावधान है। तथापि, विदेशी एयरलाइनों द्वारा इक्विटी भागीदारी की अनुमति नहीं है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष।

(ii) हवाई अड्डा अवसंरचना क्षेत्र में, 74 प्रतिशत तक

प्रत्यक्ष विदेश निवेश की ऑटोमैटिक रूट से अनुमति है।

(iii) भारतीय वाहकों को उनके अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की बिक्री को अब मानद निर्यात माना जाता है जिसे इस बिक्री पर बिक्री कर से छूट है।

(iv) टर्बो प्रॉप विमानों को बेचे गए टर्बो एटीएफ को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत घोषित वस्तुओं के रूप में माना जाता है जिससे इस पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की सीमा है।

(v) एएआई ने घरेलू अनुसूचित प्रचालकों द्वारा प्रचालित 80 सीट से कम क्षमता वाले विमानों तथा हेलीकॉप्टरों पर लैंडिंग प्रभार समाप्त कर दिए हैं। दिक्चालन तथा संचार प्रभारों का भी युक्तिकरण किया गया है।

(ङ) एयर इंडिया ने अगली वार्षिक योजना अवधि 2006–07 के दौरान 486.70 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव किया है जिसमें विमान संबंधी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए 113.14 करोड़ रुपये का परिव्यय नए विमानों के लिए 123.56 करोड़ रुपये तथा गैर–विमान परियोजनाओं के लिए 250.00 करोड़ रुपये के सांकेतिक प्रावधान शामिल हैं। इंडियन एयरलाइंस ने 2006–07 के लिए 706.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है जिसमें 652.48 करोड़ रुपये विमान परियोजनाओं को जारी रखने के लिए, 32.65 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं को जारी रखने के लिए तथा 20.87 करोड़ रुपये नई स्कीमों/परियोजनाओं, जिनके नाम निगमित कम्प्यूटरीकरण, ग्राउण्ड सपोर्ट के सिलिटीज सुविधाएं आदि हैं, के लिए शामिल हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2006–07 के लिए 1565.19 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है, जिसमें 865.73 करोड़ रुपये गैर–मैट्रो हवाई अड्डों यथा एयरोड्रोम कार्यों, वैमानिकी संचार सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ग्राउण्ड सेफ्टी सेवाओं के लिए तथा 699.46 करोड़ रुपये मैट्रो हवाई अड्डों यथा मौजूदा सुविधाओं के सुधार, नई परियोजनाओं, भूमि के अर्जन व विकास तथा प्रचालनिक व कार्यालय उपस्कर के लिए शामिल हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने वर्ष 2006–07 के लिए 29.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव किया है, जिसमें 25.60 करोड़ रुपये कार्यालयों तथा आवासीय परिसरों के बड़े निर्माण कार्य तथा गोंडिया, महाराष्ट्र में नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए शामिल हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना

2331. श्री अनुपकोडी आर. अतिथन :

श्री कैलाश मेघवाल :

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इन सम्मेलनों/संगोष्ठियों के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इन सम्मेलनों/संगोष्ठियों में पंचायतों के वित्त–पोषण हेतु की गई सिफारिशें केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों द्वारा संविधान के भाग IX के कार्यान्वयन की प्रेरणा को गति प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई और दिसम्बर, 2004 के मध्य राज्यों के प्रभारी राज्य मंत्रियों की सात गोलमेज बैठकें आहूत की थीं और एकमत से करीब 150 बिन्दुओं के सेट को कार्य के लिए अपनाया जिसे संकलन में साथ–साथ रख दिया गया है और जयपुर के अन्तिम गोलमेज बैठक के निष्कर्ष में सर्वसम्मति से अपनाया गया है। एक्टीविटी मैपिंग के आधार पर कार्रवाई के लिए संयुक्त कार्यक्रम पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए धन, कार्यकलाप और कर्मियों को सौंप दिया जाए ताकि वे स्वयत–शासी निकाय के रूप में कार्य कर सकें।

(ग) से (ङ) दिनांक 24–25 जुलाई, 2004 को कोलकाता में आयोजित राज्यों के प्रभारी पंचायती राज मंत्रियों की प्रथम गोलमेज बैठक में लिए गए संकल्पों में से एक पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों की निधियों के अंतरण कार्यों और कर्मियों के अंतरण के लिए गतिविधि रूपरेखा भी है। इसको प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया गया है कि अपने राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं और अनुदान हेतु पंचायत उपकरणों और बारहवें और आगामी वित्त आयोग द्वारा

स्तर–वार आवंटन को मिलाकर रोड मैप तैयार करें। पंचायतों के संसाधन को पूरा करने के लिए राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने में सहायता करने के लिए बारहवें वित्त आयोग ने कुल रुपये 20,000 करोड़ के अनुदान राशि की सिफारिश की है। इन अनुदानों को प्रत्येक वर्ष जुलाई और जनवरी में दो समान किश्तों में जारी करने के लिए अधिदेश होते हैं।

[हिन्दी]

एट्रेक्टिसाइड टेस्ट

2332. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मच्छरों से फैलने वाले डेंगू के उन्मूलन के लिए एट्रेक्टिसाइड नामक कीटनाशी घटक पर परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परीक्षण सफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो कीटनाशी घटक के विकास हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कीटनाशी घटक जनता के उपयोग के लिए कब तक आने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का उन्मूलन करने के लिए एट्रेक्टिसाइड पर परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) ये परीक्षण सितम्बर, 2005 से शुरू हुए हैं और फरवरी, 2006 तक चलेंगे।

(घ) इसका सार्वजनिक उपयोग, परीक्षणों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

चालू परियोजनाएं/सर्वेक्षण

2333. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चालू परियोजनाओं/नई रेल लाइनें बिछाने हेतु सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना/सर्वेक्षण को पूरा करने की समय–सीमा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना हेतु अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं/सर्वेक्षणों को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) (i) उत्तर प्रदेश में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाली चालू नई रेल लाइन परियोजनाएं, अब तक की गई प्रगति, 31.3.2005 तक किए गए व्यय, 2005–06 के दौरान प्रदान की गई परिव्यय और लक्ष्य तिथि जो भी निर्धारित की गई है, का ब्यौरा निम्न है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं. नई लाइन परियोजनाओं का नाम	31.3.2005 तक किया गया व्यय	2005–06 के दौरान बजट परिव्यय	समग्र वास्तविक प्रगति एवं लक्ष्य जो भी निर्धारित किया गया हो
1. फतेहाबाद और बाह के रास्ते आगरा–इटावा	39.04	8.00	28 प्रतिशत
2. इटावा–मैनपुरी	24.68	10.00	22 प्रतिशत
3. गुना–इटावा	356.95	25.00	गुना–ग्वालियर एवं ग्वालियर–भिंड खंड पहले से ही पूरे किए जा चुके हैं और चालू कर दिए गए हैं। भिंड से इटावा तक की इस परियोजना के अंतिम चरण का 93 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
4. हथुआ–देवरिया सदर	0	4.00	बजट 2005–06 में नए कार्य शामिल किए गए हैं।
5. ललितपुर–सतना एवं रीवा–सिंगरौली एवं महोबा–खजुराहो	51.00	25.00	37 प्रतिशत

(ii) नई रेल लाइन बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाले चालू सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं. परियोजना का नाम	कि.मी.	स्थिति/लक्ष्य तिथि जो भी निर्धारित की गई है
1. अलीगढ़–छाता	65	2005–06 में स्वीकृत सर्वेक्षण
2. दोहरीघाट के रास्ते बरहज बाजार से फैजाबाद के बीच	190	2005–06 के बजट में शामिल किया गया
3. पदरौना–कुशीनगर	28	फील्ड सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है
4. सुल्तानपुर/कादीपुर के रास्ते अमेठी से शाहगंज	110	2005–06 बजट में शामिल किया गया है
5. रीवा–मिर्जापुर	175	2005–06 बजट में शामिल किया गया है

(घ) चालू परियोजनाओं को जल्दी से पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय संसाधनों के लिए धन जुटाने के अलावा अनेक कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में पुलिस बल/सुरक्षा दलों की तैनाती

2334. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री, मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में पुलिस बल/सुरक्षा दलों की तैनाती के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) प्रत्येक जोनल रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कितनी रेलगाड़ियों में पुलिस बल/सुश्रखा दलों की कोई तैनाती नहीं की गई है; और

(ग) इन रेलगाड़ियों में पुलिस बल/सुरक्षा दलों की तैनाती हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में मार्गरक्षी तैनाती करने के लिए अपनाए गए मानदंड के अनुसार एक मार्गरक्षी दल में 1 सहायक उप–निरीक्षक + 3 हैड कांस्टेबल/कांस्टेबल तैनात किए जाते हैं।

(ख) 2,159 पैसेंजर/मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में कोई पुलिस बल/मार्गरक्षी दल की तैनाती नहीं की जाती है।

(ग) इस काम के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की जरूरत पडेगी। जनशक्ति बढ़ाने के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद ही आगे तैनाती की जाएगी।

वल्लारपदम अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल पर नई रेल लाइन

2335. श्री पी. सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोच्चि स्थित प्रस्तावित वल्लारपदम अन्तर्राष्ट्रीय कटेनर टर्मिनल तक एक नई रेल लाइन बिछाने की किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) इदापल्ली से वल्लारपदम (8.5 कि.मी.) तक नई लाइन के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इस लाइन के निर्माण की लागत लगभग 102 करोड़ रुपये आएगी। यह लाइन वित्तीय रूप से अव्यवहारिक और अलाभप्रद होगी। बहरहाल, यदि कोचीन पत्तन न्यास द्वारा लाइन का निर्माण एक जरूरी ढांचे का अहम भाग समझा जाता है, तब इस परियोजना का निष्पादन पूर्णरूप से निजी भागीदारी के जरिए कराया जा सकता है। उनको इससे अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में मोबाइल चार्ज करने की सुविधा

2336. श्री संजय धोत्रे : क्या रेल मंत्री ट्रेनों में मोबाइल रिचार्जिंग सुविधा के बारे में 16 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2605 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में मोबाइल फोनों और

लैपटॉप हेतु चार्जिंग सुविधा का प्रावधान करने के बारे में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और ऐसी सुविधा के प्रावधान हेतु किन–किन रेलगाड़ियों को चुना गया है;

(ग) ऐसी सुविधा का प्रावधान करने पर कितना खर्च आया/आने की संभावना है;

(घ) ऐसी सुविधा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधा को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) इस सुविधा के साथ लगभग 450 वातानुकूलित सवारी डिब्बे पहले ही उपलब्ध कराए गए हैं। इन सवारी डिब्बों को राजधानी, शताब्दी और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाया गया है।

(ग) लगभग 90 लाख रुपये का व्यय किया गया है। 14466 सवारी डिब्बों के लिए लगभग 13.42 करोड़ रुपये का कुल खर्च होगा।

(घ) सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) और रेल डिब्बा कारखाना (आरसीएफ) पहले ही इस सुविधा को नए वातानुकूलित डिब्बों में लगा चुका है। रेलवे ने इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से सभी वातानुकूलित डिब्बों में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है और इस सुविधा को 3 टीयर स्लीपर डिब्बों (गैर वातानुकूलित डिब्बों) में भी उपलब्ध कराने की योजना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डिफेंस एयरफील्ड का प्रयोग

2337. डा. के. धनराजू :

श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डिफेंस एयरफील्ड का प्रयोग गैर–सैनिक उड़ानों के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गैर–सैनिक उड़ानों के लिए डिफेंस एयरफील्ड का प्रयोग करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा गैर–सैनिक उड़ानों के लिए इन एयरफील्ड के प्रयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सिविल एयरफील्डों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सिविलियन एयरलाइनों के विशिष्ट अनुरोध पर रक्षा एयरफील्डों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है।

(ग) इन रक्षा एयरफील्डों के सिविलियन इस्तेमाल को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्र

2338. श्री रामदास आठवले :

श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से आदिवासी जिलों में आकाशवाणी (एआईआर) केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) जी, हां। रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने की योजना तैयार करते समय आकाशवाणी (i) कवरेज विश्लेषण (फीडबैक रिपोर्टों सहित); (ii) जनसंख्या घनत्व; (iii) जनप्रतिनिधित्व और संसाधनों की उपलब्धता से अभिप्रेरित होता है। दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तीन रेडियो स्टेशनों नामतः (i) हिम्मतनगर (गुजरात); (ii) सरायपल्ली (छत्तीसगढ़) और (iii) मांडला (मध्य प्रदेश) को जनजातीय क्षेत्रों में परिचालित किया गया है। सोरो (उड़ीसा) और धर्मपुरी (तमिलनाडु) के जनजातीय जिलों में दो और रेडियो स्टेशन तकनीकी रूप से तैयार हैं, लेकिन परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) स्टाफ की संस्वीकृति न हो पाने के कारण

उन्हें परिचालित नहीं किया गया है। मणिपुर में चूड़ाचांदपुर के जनजातीय जिले में एक रेडियो स्टेशन भी तकनीकी रूप से तैयार है लेकिन उसे परिचालित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा संपर्क भाषा के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

इसके अतिरिक्त, 10वीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जनजातीय जिलों में अन्य इकतालीस रेडियो स्टेशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

चार्टर्ड ट्रेन शुरू करना

2339. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री शिशुपाल पटले :

श्री मुन्शी राम :

श्री अशोक कुमार रावत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चार्टर्ड ट्रेन शुरू करने पर विचार कर रही है जैसा कि दिनांक 18 अगस्त, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चार्टर्ड ट्रेनों को किन रूटों पर शुरू किया जाना है; और

(घ) इन ट्रेनों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) भारतीय रेलवे के पर्वतीय खण्डों पर चार्टर्ड गाड़ियां पहले से ही चलाई जा रही हैं। ये गाड़ियां कालका-शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और माथेरान लाईट रेलवे पर निर्धारित प्रभारों पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

हवाई यातायात में वृद्धि

2340. श्री के. एस. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी एयरलाइनों को भारत से विमान उड़ाने की अनुमति देने के बाद महानगरीय विमानपत्तनों पर घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों हवाई यातायात में कितनी वृद्धि होने की आशा है;

(ख) क्या विमानपत्तनों के पास हवाई यातायात में वृद्धि को संभालने हेतु पर्याप्त लैंडिंग प्रणाली और अन्य सुविधाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कोहरे की स्थिति में विमानों के उतरने और उड़ान भरने को संभालने हेतु देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर क्या व्यवस्था है;

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और उचित कदम उठाए हैं कि घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन उड़ाने वाले पायलट विशेषकर कोहरे की स्थिति में विमानपत्तनों पर लैंडिंग प्रणाली का प्रयोग करने हेतु पूरी तरह से प्रशिक्षित हों; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इस समय हवाई यातायात की वृद्धि की दर घरेलू सेक्टर के लिए 23 प्रतिशत तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टर के लिए 18 प्रतिशत है। घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टर दोनों के लिए 5 प्रतिशत की दीर्घावधिक वृद्धि प्रत्याशित की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अधिकांश प्रचालनिक हवाई अड्डों पर अत्याधुनिक उपस्कर अवतरण प्रणाली (आईएलएस) उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली हवाई अड्डे पर, कोहरे की स्थितियों में 200 मीटर तक दृश्यता सीमा के साथ उड़ाने प्रचालित करने के लिए केट-IIIए आईएलएस उपलब्ध कराई गई हैं। इसका कैट-IIIबी तक स्तरोन्नयन किया जा रहा है ताकि 100 मीटर तक दृश्यता सीमा में उड़ानों का प्रचालन सुलभ हो सके। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, कोलकाता तथा चेन्नई के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अतिरिक्त टैक्सी वे, त्वरित निकास टैक्सी वे तथा पार्किंग स्टेण्डों के प्रावधान के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रचालनों की लैंडिंग/टेक ऑफ को संभालने के लिए किए गए विभिन्न प्रबन्धों में, अन्यों के साथ-साथ, अतिरिक्त खाद्य पदार्थों, मिनरल वाटर, चाय, काफी व पेयों की आपूर्ति, 6 घंटे के अन्तराल पर नियमित रूप से मौसम

संबंधी सूचना की भविष्यवाणी, उड़ान सूचना प्रसारित करने के लिए विशेष काउंटरों का प्रावधान, सभी टर्मिनलों में अतिरिक्त कुर्सियों का प्रावधान, उड़ान संकेतकों का सटीक प्रदर्शन, टायलेट की सफाई के लिए अतिरिक्त कार्मिकों को लगाया जाना, भीड़ तथा सीमा शुल्क आप्रवास एक्सरे मशीनों तथा सुरक्षा को देखने के लिए अतिरिक्त मानवशक्ति की तैनाती शामिल है। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, भुवनेश्वर तथा बडोदरा के हवाई अड्डा निदेशकों को पार्किंग वे, संरक्षा सेवाओं का स्तर बढ़ाने तथा दिल्ली हवाई अड्डे से मोड़े गए हवाई यातायात को संभालने के लिए हवाई यातायात सेवाओं हेतु निगरानी के समय को बढ़ाने का परामर्श दिया गया है।

(ङ) और (च) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घरेलू एयरलाइनों में प्रचालन कर रहे पायलटों के लिए कैट–II/III प्रचालनों हेतु प्रशिक्षण से गुजरने के लिए अर्हता/अनुभव तथा प्रशिक्षण निर्धारित किया है। केवल डीजीसीए के अनुमोदित पायलट ही कोहरे के दौरान आईएलएस का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं। विभिन्न एयरलाइनों के पायलटों को कैट–II/III आईएलएस के उपयोग हेतु प्रशिक्षण देने के लिए एयरलाइनों से समय–समय पर समन्वय किया जाता है। दिनांक 5.12.2005 की स्थिति के अनुसार, कैट–III ए तथा बी के प्रचालनों के लिए पायलटों की संख्या निम्नानुसार है :

एयर इंडिया : ए–310 के लिए 24, 06 तथा बी–747 के लिए 16, 15।

इंडियन एयरलाइंस : केवल ए–320 के लिए 48, 39।

जेट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइंस ने केवल कैट–II प्रचालनों के लिए क्रमशः 153 तथा 10 पायलटों को प्रशिक्षित किया है।

आग लगने की घटनाएं

2341. श्री निखिल कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों से पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण के समय आग लगने की घटनाओं में कमी लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तेल कंपनी में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण के समय आग लगने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक कंपनी को कितना घाटा हुआ; और

(घ) तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण में अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां। सरकार ने अग्नि दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा अनुपालन के लिए विभिन्न सांविधिक विनियमन अर्थात् पेट्रोलियम नियम 2002, गैस सिलेंडर नियम 2004, स्टेटिक एंड मोबाइल प्रेशर वैसल्स (अनफायर्ड) नियम 1981, फैक्टरी नियम 1987 आदि जारी किए हैं। ओएमसीज द्वारा इन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी/जांच पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्वनाम विस्फोटक पदार्थ विभाग), फैक्टरी इन्सपेक्टोरेट्स आदि जैसी सांविधिक निकायों द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा में वृद्धि हेतु पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण एवं वितरण के लिए विभिन्न मानकों और दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक तकनीकी निदेशालय, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) का गठन किया गया है। ओआईएसडी इन मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और नई सुविधाओं के स्थापना पूर्व सुरक्षा निरीक्षण के माध्यम से अनुपालन की जांच करता है, औचक सुरक्षा निरीक्षण करता है और तेल और गैस उद्योग के विशेषज्ञों से गठित टीम द्वारा आवधिक बाध्य सुरक्षा आडिट किए जाते हैं। इन आडिटों की सिफारिशों का शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए ओआईएसडी द्वारा निगरानी की जाती है। ओआईएसडी दुर्घटना अनुसंधान भी करता है और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु तेल कंपनियों को उपचारी उपाय सुझाता है। ओआईएसडी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के माध्यम से जानकारी और सूचना को भी शेयर करता है जहां प्रौद्योगिकीय विकासों, केस अध्ययनों, उद्योग अनुभव पर चर्चा की जाती है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे तेल उद्योग के साथ शेयर किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) ओएमसीज ने पीओएल टर्मिनल/डिपो, पत्तन तेल टर्मिनल एवं एलपीजी बाटलिंग संयंत्रों, में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण एवं वितरण में अग्नि निवारण और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए हैं जिनमें वाटर/फोम आवश्यकताएं नेटवर्क डिजाइन, खोज सहायता, स्प्रिन्कलर्स, फोम अनुप्रयोग और फायर टेंडर्स शामिल

हैं और साथ ही एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन सुविधाओं के संरक्षण के लिए संगत ओआईएसडी मानकों का प्रयोग किया जाता है। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ओएमसीज द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के लिए प्रयुक्त मानकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

ओआईएसडी एसटीडी 116	पेट्रोलियम डिपो तथा टर्मिनलों और पाइपलाइन स्थापनाओं हेतु अग्नि संरक्षण सुविधाएं
ओआईएसडी एसटीडी 118	तेल और गैस स्थापनाओं हेतु अभिन्यास
ओआईएसडी एसटीडी 114	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) गैस बाटलिंग संयंत्र प्रचालन
ओआईएसडी आरपी 157	बल्क पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए सुझाए गए उपाय
ओआईएसडी आरपी 158	बल्क तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के भंडारण और संभालने संबंधी सुझाए गए उपाय
ओआईएसडी आरपी 159	एलपीजी टैंक ट्रक : डिजाइन/फेब्रिकेशन और फिटिंग संबंधी सुरक्षा आवश्यकताएं
ओआईएसडी आरपी 167	पीओएल टैंक लोरी डिजाइन और सुरक्षा

[हिन्दी]

कानपुर-ऋषिकेश के बीच यात्री रेलगाड़ी

2342. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनप्रतिनिधियों से कानपुर सेन्ट्रल और ऋषिकेश के बीच एक यात्री रेलगाड़ी चलाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कानपुर और ऋषिकेश के बीच यात्री गाड़ी चलाने संबंधी मांग की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण इसे कार्यान्वयन हेतु व्यावहारिक नहीं पाया गया।

रेल परियोजनाएं

2343. श्री अशोक कुमार रावत :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री शिशुपाल पटले :

श्री मुन्शी राम :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई रेल परियोजनाएं जो काफी समय पहले शुरू की गई थीं, आज की तारीख तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन परियोजनाओं की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन परियोजनाओं को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 2005–06 के बजट के अनुसार, नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण तथा महानगर परिवहन योजनाशीर्षों के अन्तर्गत 240 चालू रेल परियोजनाएं हैं जिनका थ्रोफारवर्ड 47,354 करोड़ रुपये है। इनमें से 26 परियोजनाएं 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं जिनकी प्रगति साल दर साल संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर हो रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संसाधनों में इजाफा हेतु कई उपाय किए गए हैं। इनमें राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी, सरकारी/निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्तपोषण, राष्ट्रीय परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना शामिल है।

[अनुवाद]

रेल बुकिंग सेवाएं

2344. श्रीमती मेनका गांधी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यातित ट्रेवल एजेंटों को रेल बुकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केवल कुछ चुनिंदा एजेंटों को यह अनुमति देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेल पर्यटक एजेंट (आरटीए) भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के लिए टिकटों की खरीद और भण्डार करने के लिए प्राधिकृत हैं और रेल ट्रैवलर्स सेवा एजेंट जो यात्रियों की तरफ से रेलवे आरक्षण कार्यालयों से टिकट खरीदने के लिए प्राधिकृत है, विभिन्न शहरों में कार्यरत हैं। इन एजेंटों की नियुक्ति रेल टूरिस्ट एजेंट्स नियम 1980 और रेल ट्रैवलर्स सेवा एजेंट्स नियम 1985 के अनुसार की जाती है। किसी भी स्थान पर नियुक्त किए जाने वाले इन एजेंटों की संख्या का अनुमान उस क्षेत्र विशेष में आरक्षण संबंधी मांग को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है।

एनटीपीसी को रेल परियोजनाएं सौंपना

2345. कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान एनटीपीसी को कितनी रेल परियोजनाएं सौंपी गई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का कार्य निष्पादन

2346. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के तेल उद्योगों की तुलना में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां कच्चे तेल के स्रोत से लेकर विपणन नीति तक सभी महत्वपूर्ण मानदंडों में पिछड़ी हुई है,

(ख) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों की शोधन क्षमता में भारी वृद्धि हुई है जबकि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में केवल मामूली सी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या पुरानी शोधनशालाएं सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों पर बोझ हैं जिनके लिए गत दशक से विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु कोई निवेश का प्रावधान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम कच्चे तेल के स्रोत से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण मानदंडों से लेकर विपणन रणनीति तक निजी क्षेत्र के तेल उद्योगों से पीछे नहीं है। नई निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े तेल उपक्रमों का समग्र कार्य निष्पादन में वृद्धि हुई है, जिसमें उनकी शोधन क्षमता, उत्पादों की गुणवत्ता उन्नयन, कच्चे तेल तथा उत्पाद पाइपलाइनों का विस्तार, नई पाइपलाइनों को बिछाया जाना शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अनुसार खुदरा बिक्री मूल्यों में संशोधन न होने तथा मोटर स्प्रिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, मिट्टी तेल (पीडीएस), एलपीजी (घरेलू) की बिक्रियों की वजह से भारी अल्प वसूलियों तथा कच्चे तेल के ऊंचे मूल्यों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बड़े तेल उपक्रमों का शुद्ध लाभ प्रभावित हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बड़े शोधन उपक्रमों की शोधन क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। 1.4.1999 तथा 1.4.2005 का निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तुलनात्मक शोधन क्षमता निम्नवत् है :

(आंकड़े मि.मी. टन प्रति वर्ष में)

वर्ष/दिनांक	सा.क्षे. उपक्रम	निजी क्षेत्र	कुल
1.4.1999	66.30	0.00	66.30
1.4.2005	94.37	33.00	127.37

विमानपत्तनों के आसपास पक्षी

2347. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई विमानपत्तनों के आसपास के क्षेत्र में काफी पक्षी उड़ते रहते हैं;

(ख) क्या सुरक्षित लैंडिंग के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रणाली कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) एडेड जियो आगुमेन्टेड नेवीगेशन (गगन) परियोजना पर कार्य कर रहा है जिससे भारतीय हवाई क्षेत्र जिसमें समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं, के ऊपर बे रोक-टोक दिक्कचालन उपलब्ध हो सकेगा, जो कि कार्यान्वित होने पर, भारत के सभी हवाई अड्डों पर अपेक्षित शुद्धता, विश्वसनीयता तथा सत्यता के साथ सटीक/लगभग सटीक पहुंच प्रदान करेगा।

(घ) परियोजना का भाग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली (टीडीएस), जून, 2006 तक तैयार होने की संभावना है।

एचपीसीएल की रिफाइनरी परियोजनाएं

2348. श्री रेवती रमन सिंह :

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड अपनी पंजाब में भटिंडा और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्नम स्थित आधारभूत रिफाइनरी परियोजनाओं के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ भागीदारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे अन्य कंपनियां कौन-कौन सी हैं जिनमें इसी प्रकार की संभावनाएं तलाशी गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने पंजाब में भटिंडा में एक 9.0 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली रिफाइनरी का संयुक्त रूप से संवर्धन करने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है।

एचपीसीएल आंध्र प्रदेश में विशाखापट्नम के निकट एक कन्डेन्सेट स्प्लिटर-कम-एरोमेटिक परियोजना लगाने की संभावना का भी आकलन कर रही है। इस परियोजना में टोटल एसए, फ्रांस के साथ भागीदारी के लिए प्रारंभिक चर्चा चल रही है।

[हिन्दी]

स्काई बस मेट्रो

2349. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोंकण रेलवे द्वारा विकसित स्काई बस मेट्रो को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त परियोजना पर काम कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना पर कितना खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। प्रोटोटाइप प्रणाली का अभी कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा तकनीकी विकास किया जा रहा है। स्काई बस प्रणाली की व्यवहार्यता और इसके तकनीकी-आर्थिकी पहलुओं की जांच करने के लिए केआरसीएल द्वारा विकसित स्काई बस प्रणाली के मूल्यांकन के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने इस प्रौद्योगिकी को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए सतत् परीक्षणों की सिफारिश की है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करके तथा आवश्यक संचलन परीक्षण करने के बाद ही तकनीकी संरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, निर्माण, स्वामित्व स्थानांतरण (बीओटी) आधार पर स्काई बस प्रणाली को विकसित करने के आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने संरक्षा प्रमाणीकरण प्रणाली सहित परिचालन और अनुरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को परामर्श दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार को यह परामर्श भी दिया गया है कि किसी प्रकार के वाणिज्यिक परिचालन की अनुमति देने से पूर्व निजी बीओटी आपरेटरों के साथ बातचीत की जाए कि वे पहले संरक्षा

प्रणाली की स्थापना करें। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इन मुद्दों को सुलझा लेने के बाद परियोजना शुरू की जाएगी और तद्नुसार परियोजना की लागत का अनुमान लगाया जाएगा।

विश्व दाय के रूप में घोषित किए गए रेलवे स्टेशन/बिल्डिंग

2350. मोहम्मद शाहिद :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को द्वारा विश्व दाय के रूप में घोषित किए गए रेलवे स्टेशनों/रेलवे बिल्डिंगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन रेलवे स्टेशनों/रेलवे बिल्डिंगों के नवीकरण के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इनका नवीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दार्जीलिंग हिमालयन रेलवे (इसके स्टेशनों सहित) और नीलगिरी माउंटेन रेलवे (इसके स्टेशन सहित) को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा इन्हें विश्व धरोहर स्थलों के रूप में घोषित किया गया है।

(ख) जी, हां। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को छोड़कर जिसे हाल ही में 2005 में अंकित किया गया है।

(ग) से (ङ) (i) छत्रपति शिवाजी टर्मिनस संरक्षण संबंधी कार्य को 4.85 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित किया गया है।

(ii) दार्जीलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन निम्नलिखित है :

- सिलीगुडी—24 लाख रुपये की लागत से स्टेशन की इमारत तथा इसके आसपास के क्षेत्र का विकास 1 मार्च, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- कुर्सोंग—29.15 लाख रुपये की लागत से इलीसिया इमारत तथा इसके आसपास के क्षेत्र का विकास संबंधी कार्य पूरा हो गया है। 29 लाख रुपये की लागत से इलीसिया इमारत के आसपास परिपथन क्षेत्र में तब्दीली तथा अतिक्रमण को रोकने के लिए चारदीवारी का निर्माण 1 मार्च, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- सोनाडा—50 लाख रुपये की लागत से स्टेशन की इमारत तथा इसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए कार्य प्रगति पर है, मार्च, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सहारनपुर-दिल्ली मार्ग पर डीएमयू चलाना

2351. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहारनपुर—दिल्ली मार्ग पर और डीएमयू चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सहारनपुर—दिल्ली वाया शामली चलाई गई डीएमयू को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली—शामली—सहारनपुर मार्ग पर डीएमयू पुनः चलाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक पुनः शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली—शामली खण्ड पर कोई डीएमयू सेवा रद्द नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एमआरपीएल का एचपीसीएल में विलय

2352. श्री सुग्रीव सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) का विलय तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में करने की बजाय हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

जीरो कूपन आयल बांड्स

2353. श्री एन. एस. वी. चित्तन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के राजसहायता भार को कवर करने के लिए जीरो कूपन आयल बांड्स जारी करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बांडों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के बाजार-निर्धारित मूल्य की दिशा में आगे बढ़ने की मंशा की घोषणा के साथ, सरकार ने 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समाप्ति की घोषणा कर दी। परन्तु तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में विशेषकर वर्ष 2003 के अन्त से, अभूतपूर्व, तीव्र और सर्पिल वृद्धि हुई है तथा सप्ताह दर सप्ताह और बल्कि दिन प्रति दिन बड़ा उतार-चढ़ाव होता रहा। इसलिए सरकार ने जून, 2004 में उन सिद्धान्तों को स्पष्ट किया जिनके आधार पर संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बोझ को कम करने की नीति बनाई जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता, सरकार और तेल कंपनियां तीनों बराबर-बराबर बोझ उठाएं। इसलिए, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का पूरा बोझ संवेदनशील उत्पादों के उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है तथा तेल विपणन कंपनियां सरकार के साथ परामर्श करके घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल जैसे राजसहायता प्राप्त उत्पादों के मूल्यों को बनाए रखने के अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि को कम करती रही हैं। इसके परिणामस्वरूप उनको भारी मात्रा में अल्प वसूलियां झेलनी पड़ी हैं।

उपर्युक्त उत्पादों पर झेली गई विगत अल्प वसूलियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज को आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार ने तेल बांडों को जारी करने का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है। इसकी क्रियाविधि तैयार की जा रही है।

भागलपुर और दक्षिणी राज्यों के बीच रेल कनेक्टिविटी

2354. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार के रेशम उद्योग दक्षिणी राज्यों के साथ रेल लाइन की कनेक्टिविटी न होने की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में भागलपुर के उद्योगपति भागलपुर का दक्षिणी राज्यों के साथ रेल मार्ग द्वारा जोड़े जाने की मांग करते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भागलपुर को रेल द्वारा दक्षिणी राज्यों के साथ जोड़ने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) पूर्व रेलवे की क्यूल-साहेबगंज बड़ी लाइन पर भागलपुर स्टेशन पहले ही मौजूद है जो रेल नेटवर्क द्वारा दक्षिणी राज्यों से जुड़ा हुआ है।

कर्नाटक में रेल नेटवर्क

2355. श्री अनंत कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में रेल नेटवर्क को सुधारने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते ज्ञापन (एमओयू) का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस व्यवस्था के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति क्या है; और

(ग) समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के लिए दोनों सरकारों द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। निम्नलिखित रेल अवसंरचना परियोजनाओं का तीव्र क्रियान्वयन के लए संसाधन जुटाकर; यातायात गारंटियां हासिल करके; परियोजना वित्तपोषण में नीतिगत साझेदारों की अंतर्ग्रस्तता आदि हासिल करके

परियोजनाओं की गति में तेजी लाने के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं-(1) हुबली-अंकोला नई लाइन, (2) सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन, (3) हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन और (4) गुंतकल-होजपेट दोहरीकरण। रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार ने इस समझौता-ज्ञापन को पहले ही 2002 में रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (के-राइड) में बदल दिया है।

(ख) और (ग)

(करोड़ रुपयो में)

परियोजना	लागत	रेलों द्वारा जारी निधि	राज्य सरकार द्वारा जारी निधि	स्थिति
हुबली-अंकोला नई लाइन	997.58	28.26	लागू नहीं	हुबली-किरवट्टी खंड पर 33 किलोमीटर में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस खंड पर शेष लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है। इस परियोजना के लिए वन्य भूमि के मार्ग परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। अभी राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी की व्यवस्था नहीं हुई है।
सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन	318.66	118.25	69	इस परियोजना में सोलापुर-बीजापुर (110 किमी) का आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष कार्य अर्थात् बीजापुर-गदग (190 किमी) कर्नाटक सरकार के साथ लागत में भागीदारी (50 : 50) के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। बीजापुर-बसवनबागवाडि (45 किमी) रेलपथ संपर्क पूरा हो गया है। शेष खंड पर भी कार्य शुरू किया जा रहा है।
हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन	357.43 (असरीकेरे-मंगलौर हेतु)	45(इक्विटी)+ 141 (अधीनस्थ ऋण)	45	हसन-मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्य पूरा कर दिया गया है। राज्य और रेलवे ने अपने-अपने हिस्से की धनराशि का पूर्णतया भुगतान कर दिया है।
गुंतकल-होजपेट दोहरीकरण	227	171 (आरवीएनएल)	लागू नहीं	तोरणगल्लू-होजपेट का दोहरीकरण और गुंतकल-हंगारी का रेलपथ संपर्क पूरा हो गया है। हंगारी-बेल्लारी (14 किमी) और बेल्लारी-तोरणगल्लू का कार्य 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। यह कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है।

एलएनजी भंडारण सुविधाएं

2356. श्री एन. राजा मोहन रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री "प्राकृतिक गैस का भंडारण" के बारे में दिनांक 3 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 606 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भूमिगत प्राकृतिक गैस भंडारण सुविधाएं विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को कार्यनीतिक प्राकृतिक गैस भंडार बनाने का कार्य

सौंपा गया है। उनको परियोजना के लिए व्यवहार्यतापूर्व रिपोर्ट और विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शकों को नियुक्त करने को कहा गया है। यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है।

आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीति

2357. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय थल सेना ने पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त सैनिक कार्यवाही करके आतंकवाद से निपटने और उसे समाप्त करने के लिए कोई सिद्धान्त और व्यापक रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) पड़ोसी देशों के साथ आतंकवाद-रोधी संक्रियाएं 'मामला-दर-मामला' आधार पर चलाई जाती हैं जिनमें संक्रिया-उन्मुखी कार्यकलापों का वृहत क्षेत्र शामिल होता है। इसलिए इस तरह की संक्रियाओं के लिए कोई मानक सिद्धान्त नहीं बनाए गए हैं।

दूरदर्शन पर कार्यक्रम

2358. **डा. पी. पी. कोया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा विशेष रूप से लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रसारण किया जाने वाला कोई दैनिक अथवा साप्ताहिक कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मलयालम दूरदर्शन चैनल पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक पहलुओं को शामिल करते हुए लक्षद्वीप के संबंध में विशेष कार्यक्रम के लिए कम से कम एक साप्ताहिक टाइम स्लॉट देने का है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम अप्रैल, 2006 से लक्षद्वीप पर एक आधे घंटे का पाक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करेगा।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का ठहराव

2359. **श्री देविदास पिंगले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों की ढुलाई को ध्यान में रखते हुए निफेड और लासलगांव रेलवे स्टेशनों के महत्व के मद्देनजर सरकार के पास उक्त स्टेशनों पर पवन एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस और नंदीग्राम एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में चार लेन वाली रेललाइनें

2360. **श्री मोहन सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के चार महानगरों अर्थात् चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई और दिल्ली को रेल द्वारा जोड़ने के लिए चार लेन वाली रेललाइनें बिछाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु प्रस्तावित धनराशि को स्वयं अपने संसाधनों के माध्यम से जुटाया जाएगा अथवा क्या उक्त धनराशि को विदेशी स्रोतों से जुटाया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, रेल मंत्रालय मुम्बई-दिल्ली और दिल्ली-हावड़ा के बीच समर्पित मालभाड़ा गलियारों की संभाव्यता का पता लगा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयले की खरीद

2361. श्री सांताश्री चटर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय साउथ ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की सहायक कंपनी दानकुनी कोल कॉम्पलैक्स से कोयला खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त कंपनी से कितनी मात्रा में कोयला खरीदे जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय, साउथ ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की सहायक कंपनी दानकुनी कोल कॉम्पलैक्स से कोयला नहीं खरीद रहा है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

2362. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशन को विज्ञापनों तथा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु दिशानिर्देशों में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजना दासमुंशी) : (क) से (ग) जी, हां। यह नीति इस प्रयोजनार्थ गठित एक मंत्री समूह के विचाराधीन है।

रेलवे वेंडर्स

2363. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में खान–पान/वेंडिंग यूनिटों को भारतीय रेलवे खान–पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंप दिया गया है अथवा सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन कमीशन वेंडरों की स्थिति क्या है जो पुरानी नीति के तहत काम कर रहे हैं अर्थात् यदि वेंडर की मौत हो जाती है अथवा वह अपंग हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को परिवार को चलाने के लिए कमीशन वेंडर नियुक्त किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने गत पांच दशकों से रेलवे कमीशन वेंडरों के लिए कमीशन में वृद्धि नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उनके कमीशन की समीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रेलवे में कुल कितने कमीशन वेंडर कार्यरत हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) खानपान इकाइयों का कर्मचारियों सहित भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को अंतरण चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है। मौजूदा नीति के अनुसार, रेलवे कमीशन बैरों/वेंडरों को ग्रुप डी कोटियों के नियमित रिक्त पदों पर समाहित उत्तरोत्तर किया जा रहा है। विधवाओं/आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर सीधी नियुक्ति नियमित नियोजन में समाहन पर मृत्यु अथवा चिकित्सीय रूप से असमर्थ होने के मामले में अनुमेय है।

(ग) जी, नहीं। कमीशन को बढ़ाया जाना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नहीं समझा जाता है कि कमीशन खानपान मदों की मौजूदा दरों पर आधारित बिक्री की कतिपय प्रतिशत के आधार पर स्टेशन के महत्व, यात्री यातायात की मात्रा और उस स्टेशन पर वस्तुओं की कीमत आदि को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) अभी तक रेलवे में कार्यरत कमीशन वेंडर/बैरों की संख्या 1044 है।

[हिन्दी]

विमानभेदी गन का उन्नयन

2364. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन कैरिएज फैक्ट्री, जबलपुर में निर्मित 70 विमानभेदी गन का सेना की आवश्यकतानुसार उन्नयन करने हेतु एक परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जांच सफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो गन कैरिएज फैक्ट्री में विमानभेदी गन का विनिर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तोपों का निर्माण सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने तथा आर्डर दिए जाने के बाद शुरू होगा।

[अनुवाद]

वायुयान का रखरखाव

2365. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना (आईएएफ) निर्धारित मानदंडों/मानकों के अनुसार वायुयान का रखरखाव नहीं कर रही है जिसके फलस्वरूप विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मानदंडों/मानकों के अनुसार वायुयानों का रखरखाव करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना, मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा निर्धारित कार्यक्रम/मानकों के अनुसार विमान का रखरखाव कर रही है। भारतीय वायुसेना/मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा इन विमानों के जीवनकाल के दौरान पाई गई खराबियों अथवा विफलताओं के आधार पर अतिरिक्त जांच भी की जाती है।

भारत-अमरीकी रक्षा समझौता

2366. श्री परसुराम माझी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संयुक्त राज्य अमरीका की विश्वव्यापी सैन्य कमान के अन्तर्गत सेवा करने के लिए उस देश में कुछेक भारतीय नौसेना अधिकारियों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारतीय-अमरीकी सहयोग समझौते का एक हिस्सा है; और

(ग) यदि हा, तो इसके लिए क्या कार्यविधि बनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की वैश्विक कमान के अन्तर्गत सेवा करने के लिए भारतीय नौसेना के किसी अधिकारी को तैनात करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पायलटों की कमी

2367. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना (आईएएफ) में पायलटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायुसेना ने वर्तमान कमी को दूर करने के लिए शार्ट सर्विस कमीशन के पुरुष अफसरों को पायलट बनाने की अनुमति हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) यद्यपि, कुल मिलाकर, भारतीय वायुसेना में पायलटों की कमी है तथापि, इस कमी से स्क्वाड्रनों की संक्रियात्मक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय वायुसेना ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में पुरुषों के लिए अल्पकालिक सेवा कमीशन स्कीम शुरू किए जाने के लिए सरकार के अनुमोदनार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारतीय वायुसेना की जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं की निरन्तर समीक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

गुजरात में रेल परियोजनाएं

2368. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री बी. के. हुम्मर :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नई/चालू और लंबित रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और पूरा करने के लिए परियोजना-वार निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस पर अब तक कितना खर्च किया गया है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समयावधि तय की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में नई रेल परियोजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध भी मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) गुजरात में अंशतः/पूर्णतः स्थित नई/चालू परियोजनाओं, आवंटित धन, उन पर किया गया खर्च और पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित हो, का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना	बजट में शामिल करने का वर्ष	लागत	मार्च 2005 तक व्यय	बजट परिव्यय 2005–06	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
				गुजरात		
नई लाइन						
1.	गांधीनगर–कलोल	2000–01	49.96	24.82	15	इस परियोजना में 51.19 हेक्टेयर भूमि में से 42.20 हेक्टेयर का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा मिट्टी, पुल एवं गिट्टी संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। गांधीनगर–कलोल खंड का कार्य 2005–06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	गोधरा–इंदौर बरास्ता दाहोद, सरदारपुर, धार एवं देवास–मकसी	1989–90	946.16	58.62	15	इस परियोजना में देवास–मकसी (36 किमी) का कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। शेष खंड अर्थात् गोधरा–इंदौर का कार्य शुरू करने के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
आमान परिवर्तन						
1.	गांधीधाम–पालनपुर	1998–99	344.62	152.88	100	यह परियोजना रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) द्वारा "कच्छ रेल कंपनी" नामक एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। पालनपुर–सामख्याली खंड का कार्य 2005–06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	राजकोट–वेरावल, वेरावल से सोमनाथ तक नई लाइन सहित वांसजलिया से जेतलसर	1994–95	395.8	227.99	5	राजकोट–वेरावल खंड (186 किमी) का कार्य पूरा हो गया है। वांसजलिया–जेतलसर के आमान परिवर्तन और वेरावल से सोमनाथ तक नई लाइन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
3.	भिलड़ी–वीरमगाम	1990–91	199.75	98.27	5	इस परियोजना में वीरमगाम से पाटन तक आमान परिवर्तन और पाटन तथा भिलड़ी के बीच 52.64 किमी नई लाइन का निर्माण शामिल है। वीरमगाम–मेहसाणा (65 किमी) का कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
4.	फुलेरा–मारवाड–अहमदाबाद एवं दिल्ली–रेवाड़ी दूसरी लाइन	1993–94	621.85	467.92	3	मुख्य लाइन पर कार्य पूरा हो गया है और साबरमी–कोडियार एवं अहमदाबाद यार्ड के ढांचे में परिवर्तन के अवशिष्ट कार्यों को छोड़कर खोल दिया गया है। रेवाड़ी–दिल्ली (82.5 किमी) का आमान परिवर्तन भी इस कार्य में शामिल है जहां तल्प संबंधी कार्य पूरा हो गया है और 2005–06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	भिलड़ी–समदरी	1990–91	244.74	2.77	30	यह कार्य 1990–91 में कांडला–भटिंडा रेल संपर्क के रूप में स्वीकृत किया गया था। दिल्ली–अहमदाबाद के आमान परिवर्तन को देखते हुए पहले इस कार्य को निम्नतर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इस कार्य को आरवीएनएल द्वारा राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। समदरी–भीनमल खंड पर मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
6.	प्रतापनगर–छोटा उदयपुर	2005–06	148.61	–	4	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
7.	सुरेंद्रनगर–भावनगर, पिपावार तक विस्तार सहित ढोला–ढासा–महुआ	1996–97	440.8	433.98	4.50	सुरेंद्रनगर–धागंध्रा को छोड़कर कार्य पूरा हो गया है।
दोहरीकरण						
1.	सूरत–कोसाम्बा (चरण–1)	2000–01	49	0.39	8.62	परियोजना का विनियम निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) से (च) नई परियोजना शुरू करने की प्रत्येक मांग का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, पिछले कुछ वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में नई लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए सरकार को प्राप्त हुए कुछ प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

क्र.सं.	प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
1	2	3
	गुजरात	
1.	वेरावल–सोमनाथ–कोडिनार	वेरावल से सोमनाथ तक इस नई लाइन का कार्य राजकोट–वेरावल आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में शामिल किया गया था। सोमनाथ–कोडिनार सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
2.	सुरेंद्रनगर–लिम्बडी–लोलिया–वडगांव–खम्बात–कावि–जम्बूसर–भारुच और सुरेंद्रनगर–लिम्बडी–बगोडरा–खम्बात–भारुच	सुरेंद्रनगर–लिम्बडी का कार्य पूरा हो गया है। चालू परियोजनाओं के भारी अग्रेषण और संसाधनों की विकट तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव के शेष हिस्से पर विचार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

1	2	3
3.	मोडासा से तितोई तक रेल लाइन का विस्तार	हाल में सर्वेक्षण पूरा हुआ है।
4.	खारगोडा–संतलपुर	सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।
5.	भावनगर पत्तन–दोलेरा पत्तन–तारापुर	भावनगर से तारापुर बरास्ता दोलेरा सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।
6.	हाजिरा पत्तन तक विस्तार नई लाइन	यह रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) को सौंपी गई चिह्नित पत्तन संपर्क परियोजनाओं में से एक है। व्यावहारिकता अध्ययन किया जा चुका है तथा परियोजना को व्यावहारिक पाया गया है। इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
7.	जैसलमेर–कांडला	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
8.	निंगाला–खिजडिया	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
9.	जम्बूसर–भावनगर	चालू परियोजनाओं के भारी अग्रषेण और संसाधनों की विकट तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।
आमान परिवर्तन		
1.	भारुच–दहेज	यह रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) को सौंपी गई चिह्नित पत्तन संपर्क परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
2.	अहमदाबाद–भावनगर/पलिताना	सुरेंद्रनगर–बटोड–ढोला–सिहौर–भावनगर और सिहौर–पलिताना के कार्य पूरे हो गए हैं। अहमदाबाद–बटोड के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।
3.	सुरेंद्रनगर–जोरावरनगर–सायला	सुरेंद्रनगर–जोरावरनगर का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है। जोरावरनगर–सायला रेल संपर्क काफी पहले उखाड़ दिया गया था।
4.	अहमदाबाद–हिम्मतनगर–खेडब्रह्मा	अहमदाबाद–हिम्मतनगर–उमरा के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।
5.	वांसजलिया–जेतलसर	इस लाइन को राजकोट–वेरावल आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में शामिल किया गया है।
6.	ढासा–जेतलसर	सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।
7.	मेहसाणा–तारंगा हिल और अबू रोड तथा अम्बाजी तक इसका विस्तार	अम्बाजी तक विस्तार सहित मेहसाणा–तारंगा हिल के आमान परिवर्तन हेतु अद्यतन सर्वेक्षण 2005–06 के बजट में शामिल किया गया है।
8.	भुज–नलिया	बरांडा/कोटेश्वर तक विस्तार सहित भुज–नलिया के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण 2005–06 के बजट में शामिल किया गया है।

1	2	3
दोहरीकरण		
1. सूरत–भुसावल		सूरत–उधना और भुसावल–जलगांव खंड पर दोहरी बड़ी लाइन पहले से ही मौजूद है। हाल में उधना–जलगांव खंड के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण पूरा हुआ है।
2. विरार–दहानू रोड		इस खंड पर लाइन क्षमता का संवर्धन शुरू किया गया है।
3. अहमदाबाद–मुंबई तीसरी लाइन		विरार और अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन के निर्माण हेतु एक अद्यतन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस खंड के संतृप्त होने को देखते हुए स्वचल सिगनल प्रणाली की व्यवस्था करके मार्ग की लाइन क्षमता बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। बहरहाल, चरण–1 में सूरत से कोसाम्बा तक तीसरी लाइन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।
4. गोधरा–वड़ोदरा तीसरी लाइन		रतलाम–गोधरा–वड़ोदरा खंड पर तीसरी लाइन हेतु सर्वेक्षण 2005–06 के बजट में शामिल किया गया है।

ओएनजीसी के नवरत्न दर्जे को समाप्त करना

2369. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओएनजीसी के नवरत्न दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि स्वायत्तता को समाप्त करने से इस तेल कंपनी के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेललाइन परियोजना

2370. श्री अनन्त नायक :

श्री जुएल ओराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लाइन परियोजना पर अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) इस परियोजना पर अभी तक कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इस परियोजना के विभिन्न रेल खंडों को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) ऊधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लाइन परियोजना का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान खर्च			नवम्बर, 2005 तक किया गया अनुमानित खर्च	वर्तमान स्थिति और परियोजना पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य
		2002–03	2003–04	2004–05		
1	2	3	4	5	6	7
1.	ऊधमपुर–श्रीनगर–बारामूला	344.91	502.37	697.50	2424.2	इस खंड की समग्र प्रगति लगभग 40 प्रतिशत है। कार्य को चरणों में प्रारंभ किया गया है एवं प्रगति निम्नानुसार है :

1	2	3	4	5	6	7
						(i) ऊधमपुर–कटरा (0–25 किमी.) : 35.82 लाख घनमीटर पर मिट्टी संबंधी कार्य, 10300 मीटर पर सुरंग कार्य 6 बड़े पुलों एवं 27 छोटे पुलों का कार्य पूरा हो गया है। इस खंड का कार्य वर्ष 2006–07 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है। (ii) कटरा–काजीगुन्ड (25–173 किमी.) : 25–30 किमी. हेतु भूमि अधिग्रहण, 2.26 लाख घनमीटर पर मिट्टी संबंधी कार्य और 1923 मीटर का सुरंग कार्य पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है और सुरंग का कार्य प्रगति पर है। 30–62 किमी. के लिए आरेखण सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण, 3.5 लाख घनमीटर पर मिट्टी संबंधी कार्य और 2153 मीटर का सुरंग निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। इस खंड पर कार्य वर्ष 2008–09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। (iii) काजीगुन्ड–बारामूला (173–292 किमी.) : 145.18 लाख घनमीटर पर मिट्टी संबंधी कार्य, 39 बड़े पुलों और 409 छोटे पुलों का कार्य पूरा हो गया है। काजीगुन्ड–बडगांव खंड के कार्य को वर्ष 2006–07 और बडगांव–बाराभूला खंड के कार्य को 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

कन्याकुमारी से रेलगाड़ियों का चलाया जाना

2371. श्री ए. वी. बेल्लारमिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रा करने वाली जनता और पर्यटन को बिना जर्नी ब्रेक के कन्याकुमारी पहुंचना सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान में टीवीएम तिरूनेलवेली और टूटीकोरिन से छूटने वाली सभी गाड़ियों को कन्याकुमारी से चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मांस और कुक्कुट की खरीद में घोटाला

2372. श्री मुनव्वर हसन :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कमान को आपूर्ति किए जाने वाली मांस और कुक्कुट की खरीद में घोटाला हुआ है जैसा कि दिनांक 11 नवम्बर, 2005 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस जांच के कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) उत्तर कमान के लद्दाख क्षेत्र में मीट और पोल्ट्री की आपूर्ति में हुई कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक जांच-अदालत गठित की गई है। जांच-अदालत की रिपोर्ट पूरी होने के बाद, यदि आवश्यकता हुई तो, दोषी पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातियों के लिए आकाशवाणी कार्यक्रम

2373. श्री मणि चारेनामै : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया रेडियो (एयर), इम्फाल के संबंध में कितने प्रसारण चैनल हैं और प्रत्येक कार्यक्रम के लिए चैनल-वार कितना टाइम स्लॉट आवंटित किया गया है;

(ख) देश के विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में जनजातीय समुदायों के लिए रेडियो कार्यक्रम आवंटित करने के क्या मापदंड हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मणिपुर के सभी जिला मुख्यालयों में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती, आकाशवाणी ने सूचित किया है कि इस समय आकाशवाणी इम्फाल में दो प्रसारण चैनल नामतः प्राथमिक चैनल और एफएम चैनल हैं।

इन चैनलों का प्रसारण समय निम्नानुसार है :

I. प्राथमिक चैनल के तीन प्रसारण हैं :

(1) प्रातः 0600-0930 बजे तक (रविवार प्रातः 10.10 बजे तक) : प्रसारण-I

(2) अपराह्न 12.15 अपराह्न 03.30 बजे तक : प्रसारण-II

(3) सायं 0400 रात्रि 10.30 बजे तक (शनिवार को रात्रि 11.00 बजे तक) : प्रसारण-III

II. एफएम चैनल एक मनोरंजन चैनल के रूप में विविध भारती को प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक रिले करता है।

आकाशवाणी इम्फाल समाचार, संगीत और प्रतिदिन मुख्यतः मणिपुरी भाषा में राज्य की छः मुख्य बोलियों अर्थात मार पाइट, काबुई, थडोई, माओ एव तंखु में उच्चारित शब्द कार्यक्रम प्रसारित करता है। बारी-बारी से 15 मिनट के लिए 22 गौण बोलियों में संगीत कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

आकाशवाणी, इम्फाल से प्रति माह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

1. उच्चारित शब्द	–	170 घंटे 25 मिनट
2. समाचार	–	88 घंटे 40 मिनट
3. संगीत	–	384 घंटे 11 मिनट
4. नाटक/फिल्में	–	7 घंटे

(ख) आकाशवाणी प्रसारण क्षेत्र में सुनने वाले श्रोताओं के भाषायी संघटन के अनुपात में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आकाशवाणी ने सूचित किया है कि 10वीं योजनावधि के दौरान मणिपुर में कुछ और नए रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय तेल संग्रहालय

2374. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी की सरहद पर एक राष्ट्रीय तेल संग्रहालय की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी संभावित लागत आएगी; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां। जवाहर नगर, गुवाहाटी,

असम में एक राष्ट्रीय तेल संग्रहालय स्थापित किए जाने की योजना है।

(ख) इस परियोजना में 37 x 22 मी. ग्लास पिरामिड के साथ लगभग 9800 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के साथ अत्याधुनिक संरचना शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनियों और थीम पार्क के लिए भी बाह्य स्थान विचाराधीन हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 31.35 करोड़ रुपये है।

(ग) इस संग्रहालय को वर्ष 2008 तक पूरा करने की समय योजना है। असम सरकार द्वारा 3.3 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। सभी भवन योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। सिविल इंजीनियरी कार्य और मूलभूत सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

[हिन्दी]

रेल उपरि पुलों का निर्माण

2375. मो. मुकीम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आजमगढ़–गोंडा–बस्ती, सिद्धार्थ नगर में रेल उपरि पुलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलवे उन मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले जहां यातायात का घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाई (टीवीयू) से अधिक हो। लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा निक्षेप शर्तों पर उपरि/निचले सड़क पुल का निर्माण करती है। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव मौजूदा नियमों के अनुसार कतिपय प्रारंभिक शर्तों को विधिवत पूरा करते हुए राज्य सरकार/स्थानीय निकायों से प्रायोजित होना चाहिए।

आजमगढ़ में ऊपरी सड़क पुल : किसी विशिष्ट समपार संख्या और किमी. का उल्लेख नहीं है। पूर्वोत्तर रेलवे पर आजमगढ़–सराय स्टेशन के बीच समपार सं. 29/ए के बदले लागत में भागीदारी के आधार पर एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

गोण्डा, बस्ती और सिद्धार्थ नगर में ऊपरी सड़क पुल : अभी तक राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की कार्य की व्यवहार्यता, प्रचलित नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई वचनबद्धता यथा लागत में भागीदारी, उपरि/निचले सड़क पुल को यातायात के लिए चालू किए जाने के बाद समपार को बन्द करना, पहुंच मार्गों के लिए भूमि की उपलब्धता, राज्य सरकार की वार्षिक योजना में कार्य की प्राथमिकता आदि के संदर्भ में जांच की जाती है। इन मानदंडों के पूरा होने पर कार्य को रेलवे द्वारा अपने निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है उपर्युक्त पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने के साथ–साथ निर्माण कार्यों के थ्रो फारवर्ड, पहले से स्वीकृत निर्माण कार्यों विचाराधीन/स्वीकृति के लिए शेष अन्य निर्माण कार्यों की संख्या पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

भूमि वापिस लौटाना

2376. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने रेलवे को रेल लाइन बिछाने, उत्पादन इकाइयां स्थापित करने और अन्य प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए निःशुल्क भूमि प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भूमि अप्रयुक्त पड़ी है या रेलवे को प्रचालनात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे ने ऐसी भूमि की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संबंधित राज्यों ने ऐसी भूमि लौटाने की मांग की है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त भूमि को संबंधित राज्यों को उपयोग के लिए लौटाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (छ) जी, हां। कुछ मामलों में, रेल परियोजनाओं के लिए भूमि, परियोजना के महत्व के आधार पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार की भूमि का अलग से ब्यौरा नहीं रखा जाता है। खाली भूमि किसी परियोजना द्वारा अथवा अन्यथा रिलीज की गई हो, रेलवे की भावी परिचालनिक आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा किसी स्थान पर किसी भूखंड के लिए अनुरोध किए जाने पर रिलीज की गई हो, रेलवे की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला एवं गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार, यदि रेलवे को भूमि की आवश्यकता होती है अथवा उसका निपटान किया जाना अपेक्षित होता है तो उस भूमि को भूमि के तत्कालीन मूल्य पर अधिगृहित किया जाता/बिक्री की जाती है।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण

2377. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और ग्राम सभाओं की स्थाई समितियों के सदस्यों में जागरूकता लाने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा ग्राम सभाओं की स्थाई समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर हुए व्यय को शेयर कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अपना शेयर बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पंचायती राज संस्थाओं, पंचायतों और ग्राम सभा के स्थायी समिति के प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता सृजन करने के लिए केन्द्र सरकार की योजना का नाम "पंचायत विकास और प्रशिक्षण" है। वर्ष 2005–06 में पंचायत विकास और प्रशिक्षण के लिए रुपये 24.40 करोड़ का प्रावधान है। यह राज्यों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अतिरिक्त है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की अनुमोदित लागत का 75 : 25 का अनुपात क्रमशः केन्द्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में होता है।

(घ) और (ङ) दिसम्बर, 2004 में जयपुर में आयोजित पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के गोलमेज अधिवेशन में प्रशिक्षण और क्षमता विकास विषय पर निम्नलिखित सिफारिशें प्राप्त की गईं :

(i) सभी पंचायती राज संस्था कार्मिकों तक प्रशिक्षण एवं संचार सुविधा पहुंचाना।

(ii) मीडिया, राजनीतिक दल और सिविल सोसाइटी संगठन को सुग्राही बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करना।

(iii) महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों तथा पंचायत प्रणाली में पहली बार प्रवेश पाने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण।

(iv) प्रशिक्षण और संचार को निरंतर और ऑनगोइंग प्रक्रिया में होना चाहिए।

(v) राज्यों में स्थानीय प्रसंग को अनुकूल बनाने के लिए एक न्यूनतम कोर पाठ्यक्रम होना चाहिए।

(vi) प्रशिक्षण रणनीति भागीदारी और आपसी तालमेल मिलाकर होनी चाहिए।

(vii) प्रशिक्षण और क्षमता विकास को विकेन्द्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय संदर्श योजना होनी चाहिए।

सभी संबद्धों के विचार–विमर्श से प्रशिक्षण और क्षमता विकास के प्रावधान को विकसित करने के लिए सरकार प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है।

[अनुवाद]

रेलवे टिकटों का ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन

2378. श्री तुकाराम गंगाधर गडाख : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपर क्लास में उपलब्ध खाली सीटों पर रेलवे टिकटों के ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उक्त योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) यात्रियों की प्रतीक्षा सूची के अधिकतम क्लीयरेंस के लिए यात्रियों के अगली

उच्च श्रेणी में अपग्रेडेशन की योजना संबंधी साफ्टवेयर अभी विकासाधीन हैं।

(ख) योजना की विस्तृत रूपरेखा का निर्धारण साफ्टवेयर विकसित होने के बाद किया जाएगा।

(ग) यात्रियों की अपग्रेडेशन योजना के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है और साफ्टवेयर तैयार होते ही योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

रसोई गैस पर राज-सहायता

2379. श्री शिशुपाल पटले :

श्री मुन्शी राम :

श्री अशोक कुमार रावत :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल तथा गैस विपणन कंपनियों को रसोई गैस पर राज-सहायता की लागत को स्वयं वहन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कंपनियों ने नए गैस कनेक्शन प्रदान करने बंद कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों ने डीलरों को गैस की आपूर्ति भी कम कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) घरेलू एलपीजी एक राज सहायता प्राप्त उत्पाद है। 1.4.2002 से प्रभावी प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति की घोषणा के बाद से, इस उत्पाद पर दी जाने वाली राजसहायता आंशिक रूप से सरकारी बजट द्वारा तथा आंशिक रूप से तेल कंपनियों द्वारा वहन की जा रही है। वर्ष 2003–04 के दौरान, सरकार ने अपस्ट्रीम तेल कंपनियों के साथ मिलकर इस कारण से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को होने वाली अल्प वसूलियों की हिस्सेदारी के लिए एक स्थानिक व्यवस्था की शुरूआत की थी।

वर्ष 2003 की समाप्ति से, यथोचित सप्ताह–दर–सप्ताह तथा दिन–प्रतिदिन उतार–चढ़ाव के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अभूतपूर्व, तीव्र तथा सर्पिल वृद्धि हुई है। तदनुसार, जून, 2004 से, सरकार ने एलपीजी सहित संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के भार को उपभोक्ताओं पर कम डालने की अपनी नीति को नियंत्रित करने वाले सिद्धान्तों की स्पष्ट व्याख्या की है। यह निर्णय लिया गया कि तेल कंपनियों, सरकार तथा उपभोक्ताओं द्वारा समान भार वहन किया जाएगा। सरकार ने 1.3. 2005 से घरेलू एलपीजी पर उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों में भारी वृद्धि के बावजूद, घरेलू एलपीजी के मूल्यों में अप्रैल, 2002 से आज तक केवल दो बार वृद्धि की गई है अर्थात् 16 जून, 2004 तथा 5 नवम्बर, 2004 दोनों ही बार 20 रुपये प्रति सिलेण्डर की वृद्धि की गई। अपस्ट्रीम तेल कंपनियां लगातार घरेलू एलपीजी पर ओएमसीज की अल्प वसूलियों को शेयर कर रही हैं।

(ग) से (छ) एलपीजी की आवश्यकताएं घरेलू उत्पादन और आयात के मेल से पूरी की जाती हैं। सितम्बर, 2005 में विभिन्न कारकों के कारण एलपीजी की अस्थायी कमी उत्पन्न हो गई। अप्रैल–सितम्बर, 2005 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन योजित उत्पादन से 303 (हजार मीट्रिक टन) टीएमटी कम था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का उत्पादन योजित उत्पादन से 190 टीएमटी कम था। इसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों (ओएनसीज) के पास वास्तविक माल–सूची अप्रैल, 2005 के आरम्भ में 333 टीएमटी से कम होकर अक्तूबर, 2005 के आरंभ में 190 टीएमटी रह गई। इसके बाद 4 अक्तूबर, 2005 से आरआईएल, जो एलपीजी की एकल सबसे बड़ी घरेलू आपूर्तिकर्ता है, ने रखरखाव कार्य के लिए जामनगर स्थित अपनी फ्लूडाइज्ड केटेलिटिक क्रेकर (एफसीसी) इकाई बंद कर दी। इसके अलावा, लगभग इसी समय जब आरआईएल ने अक्तूबर, 2005 से इसके बंद किए जाने की पुष्टि कर दी, तब घरेलू उत्पादन संभावनाएं मुंबई हाई नार्थ में आग द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हो गईं और विश्वव्यापी एलपीजी आपूर्तियां मुख्य रूप से अमरीकी रिफाइनरियों पर कैटरीना तूफान के प्रभाव के कारण कम हो गईं। इन सभी कारकों की वजह से तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपूर्तियों में

प्रत्याशित कमी को समय पर पूरा करने के लिए आयात करने की योजनाएं चौपट हो गईं। इससे बाजार में अफवाहें भी फैल गईं कि ओएमसीज मांग को पूरा नहीं कर पाएंगी जिससे मांग अचानक बढ़ गई। सितम्बर, 2005 के अन्त में राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीटी) क्षेत्र में भरण संयंत्रें में हड़ताल भी हो गई जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

मंत्रालय ने अक्तूबर, 2005 के प्रारंभ में मामले को उस समय हाथ में लिया जब यह निर्णय लिया गया कि इन्वेन्टरी प्रबंधन और सरकार की गहन निगरानी के तहत ओएमसीज का एक संयुक्त कार्य बल द्वारा सीधे आयातों के जरिए आपूर्ति की वास्तविक कमी पर शीघ्रातिशीघ्र काबू पा लिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि एनसीटी क्षेत्र में भरण संयंत्र रविवार 9 अक्तूबर, 2005 और अन्य अवकाश दिवसों में भी कार्य करेंगे। इन निर्णयों के आधार पर यह घोषणा की गई कि एनसीटी क्षेत्र में वास्तविक कमी दशहरा तक और शेष देश में वास्तविक रूप से दीपावली तक समाप्त हो जाएगी। ये लक्ष्य काफी सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं। अक्तूबर–दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान 642 टीएमटी एलपीजी आयात करने के लिए ओएमसीज द्वारा पहले से की गई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 237.9 टीएमटी की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें से 138 टीएमटी पहले ही देश में पहुंच चुकी है। इस प्रकार हाल में देश में समग्र वास्तविक कमी एलपीजी की औसत मासिक खपत के लगभग केवल 1.5 प्रतिशत तक कम कर दी गई है। तथापि प्रचालनात्मक कारणों से माइक्रो स्तर पर बकाया बाजार दर बाजार भिन्न–भिन्न हो सकता है।

1 दिसम्बर, 2005 से आरआईएल की रिफाइनरी में एलपीजी उत्पादन पुनः शुरू होने पर आगामी कुछ सप्ताहों में आपूर्ति स्थिति में पर्याप्त सुधार तथा सामान्य हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रेल उपरि पुल तथा रेल अधोगामी पुल

2380. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 2005 को कर्नाटक में रेल उपरि पुल तथा रेल अधोगामी पुलों के चल रहे निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन पर अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलें उन व्यस्त समपारों पर जहां यातायात का घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाइयों (टीवीयू) से अधिक के बदले लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा निक्षेप शर्तों पर उपरि/निचले सड़क पुल (आरओबी/आरयूबी) का निर्माण करती है। कर्नाटक राज्य में वर्तमान 37 उपरि सड़क पुल के निर्माण का कार्य अनुमोदित है, जिनमें से सात का कार्य प्रगति पर है, एक कार्य सम्पूर्ण हो चुका है और उनतीस कार्य नियोजन और अभिकल्प के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) 2005–06 की अवधि के लिए लागत में भागीदारी के आधार पर 26.71 करोड़ रुपये के धन का आवंटन किया गया है और अक्टूबर, 2005 तक 1.75 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

(ग) रेलें अपने हिस्से का कार्य करती हैं अर्थात् पुल विशेष (रेलपथ के आर–पार पुल) और राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माण करती है। रेलों द्वारा अपने हिस्से के कार्य को पूरा करने के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है।

नागपुर-छिंदवाड़ा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2381. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर–छिंदवाड़ा रेल लाइन का आमान परिवर्तन और सावनेर रेलवे स्टेशन का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सावनेर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण सुविधा उपलब्ध करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) नागपुर–छिंदवाड़ा (149.522 किमी.) आमान परिवर्तन का कार्य बजट 2005–06 में शामिल किया गया है जिसकी प्रत्याशित लागत 383.79 करोड़ रुपये है। वर्ष 2005–06 के दौरान इस कार्य के लिए 4 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई

है। नक्शे एवं अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के कार्य को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सावनेर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था के लिए आरक्षण संबंधी कार्यभार पर्याप्त नहीं है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के लिए आरक्षण

2382. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी) के लोगों के लिए शिक्षा व रोजगार में आरक्षण कोटा प्रदान करने के लिए एक आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन–कौन हैं;

(ग) क्या उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) आयोग द्वारा अभी तक कितनी प्रगति की गई है और इसके कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग के विचारार्थ विषय में राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के परामर्श से शिक्षा और सरकारी नियोजन में कल्याणकारी उपायों एवं आरक्षण की प्रमात्रा की सिफारिश करना शामिल है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य–सचिव हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) आयोग को अध्यक्ष की नियुक्ति के 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अतः कोई विलम्ब नहीं हुआ।

दिल्ली के निकट अन्तर्राष्ट्रीय हब

2383. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के निकट अन्तर्राष्ट्रीय हब स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दुर्गापुर-हावड़ा के बीच रेल

2384. श्री सुनील खां : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और हावड़ा के बीच रेल सेवा बंद/निलंबित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दुर्गापुर और हावड़ा के बीच रेल सेवा को बहाल करने का है;

(ग) यदि हां, तो दुर्गापुर से हावड़ा रेल सेवा के कब तक बहाल होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में रेल लाइन का विद्युतीकरण

2385. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितनी रेल लाइनों (किलोमीटर में) का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) क्या कर्नाटक में सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी रेल लाइन (किलोमीटर में) का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बहरहाल, बैंगलोर क्षेत्र की रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है और मार्च 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

सरकारी तेल उपक्रमों द्वारा लाभांश के रूप में लाभ का संवितरण

2386. श्री जोवाकिम बखला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी तेल उपक्रमों द्वारा लाभांश के रूप में संवितरण लाभ की प्रतिशतता और उसकी कुल राशि तथा रिजर्व फंड में स्थानांतरित लाभ का अंश क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शीर्ष दस लाभांश प्राप्तकर्ताओं की पहचान तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त कुल लाभांश की प्रतिशतता तथा प्रत्येक अवसर पर इसकी राशि क्या है; और

(ग) 31 अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार रिजर्व फंड का निगम-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की प्रचालन लागत

2387. श्री गणेश सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस (आईए) और एयर इंडिया (एआई) कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर दोनों ही एक मार्ग पर प्रचालन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) दोनों एयरलाइनों के बीच मार्गों के युक्तियुक्त के लिए गठित समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) प्रचालन लागत को न्यूनतम करने और इन निगमों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने तथा वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत-खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व देशों के मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के प्रचालनों में अतिव्यापन (दोनों का एक ही मार्ग पर प्रचालन करना) है। तथापि, दोनों वाहकों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों का अतिव्यापन, सांझे सेक्टरों पर एक-दूसरे के प्रचालन को सम्पूर्ण बनाता है, जिससे भारत के लिए/से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मौजूदगी तथा मार्केट शेयर बढ़ता है।

(ग) वर्ष 2003 में, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के बीच मार्ग युक्तिकरण के मुद्दे की जांच के लिए इस मंत्रालय में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने मार्गों के युक्तिकरण पर एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के बीच एक समझौता ज्ञापन का संदर्भ लिया।

(घ) दोनों एयरलाइनें अपने मार्केट शेयर तथा समग्र निष्पादन को सुधारने के लिए बेड़ा विस्तार/नवीकरण, मार्केटिंग पहलों, उड़ानगत गतिविधियों, भूमि पर सेवा उन्नयनों, व्यापक बजटीय नियंत्रण प्रणाली, लागत नियंत्रण तथा आर्थिक उपाय जैसे अनेक बिक्री व मार्केटिंग उपाय आरंभ करती रही हैं।

ई-टिकटिंग प्रणाली का प्रचार

2388. श्री जुएल ओराम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का ई-टिकटिंग शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ई-टिकटिंग प्रणालियों का व्यापक प्रचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ई-टिकटिंग प्रणाली पर उपभोक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस यात्री सेवा प्रणाली को स्तरोन्नत करने के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई है जिससे एक बाहरी विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराए गए एक्सटर्नल ई-टिकटिंग सर्वर के साथ सहयोग हो सकेगा।

(ग) और (घ) परियोजना को शुरू किए जाने से पहले विधिवत रूप से प्रचार किया जाएगा।

रेल लाइन का विस्तार

2389. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एनएफ रेलवे के तहत डांगरी से साइखोवा की बड़ी लाइन के विस्तार के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। डांगरी से शिखोवाघाट तक रेल लाइन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) 2000–01 में डांगरी से शिखोवाघाट तक एक बड़ी आमान लाइन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, ऋणात्मक प्रतिफल की दर पर इस 5.683 किमी. लम्बी· लाइन के निर्माण की लागत 15.37 करोड़ रुपये आंकी गई थी। लाइन के अलाभप्रद के स्वरूप, भारी थ्रोफार्वड और संसाधनों की अत्यधिक कमी की दृष्टि से प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अवसादी बेसिनों की खोज

2390. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ नए अवसादी बेसिन पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बेसिनों में कच्चे तेल की मात्रा का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कच्चे तेल के उत्पादन के लिए आवंटित बेसिनों का कंपनी–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) किन–किन बेसिनों से तेल निकालने का कार्य शुरू हो चुका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में कोई नया तलछटीय बेसिन नहीं पाया गया है। 26 तलछटीय बेसिनों को हाइड्रोकार्बन वाले बेसिनों की श्रेणी में रखा गया है। जिनका एरिया गहरे पानी क्षेत्र सहित लगभग 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर मापा गया है।

(ग) और (घ) इन बेसिनों में पूर्वानुमानित भंडार लगभग 28 बिलियन टन (ओ+ओईजी) आंका गया है, जिसमें से दिनांक 1.4. 2005 तक 8.28 बिलियन टन (ओ+ओईजी) प्राथमिक विद्यमान भण्डारों की पुष्टि हो चुकी है।

(ङ) और (च) भारतीय तलछटीय बेसिनों में तेल व गैस के उत्पादन में लगी कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	बेसिन	प्रचालनरत कंपनियां
1	2	3
1.	असम–आराकन फोल्ड बेल्ट	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी)
		कनूरू रिर्सोसिज लि.
2.	केजी ऑफशोर	ओएनजीसी
		केर्न एनर्जी
3.	मुंबई ऑफशोर	ओएनजीसी
		ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि. (बीजीईआईएल)
4.	कॉम्बे	ओएनजीसी
		हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लि. (एचओईसी)
		सेलान एक्सप्लोरेशन टैक्नोलॉजिज लि.
		जोशी एक्सप्लोरेशन टैक्नोलॉजिज लि.
		इंटरलिंक पेट्रोलियम लि.

1	2	3
		निको रिर्सोसिज लि., कनाडा
		केर्न एनर्जी इंडिया प्रा.लि., आस्ट्रेलिया
		हेरामेक लि., यू.के.
		हाइड्रोकार्बन रिर्सोसिज डेवलपमेंट प्रा.लि.
5.	राजस्थान	ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल)
	जैसलमेर	ओएनजीसी
6.	अपर असम	ओआईएल
		ओएनजीसी
		जिओ–एन्प्रो पेट्रोलियम लि.
7.	कावेरी	ओएनजीसी
		एचओईसी

[अनुवाद]

हज यात्रियों के लिए उड़ानें

2391. श्री दुष्यंत सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों के लिए 2006 के दौरान उड़ानें बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई मांग भी प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो हज यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एयर इंडिया द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) वर्ष 2006 के हज यात्रियों के कोटा में 82,000 से 1,00,000 तक हुई वृद्धि को देखते हुए मांग की आपूर्ति के लिए उड़ानों की संख्या को बढ़ाया गया है।

(घ) एयर इंडिया ने 2006 के हज प्रचालनों के लिए अपने ए–310 विमान बेड़े के अतिरिक्त वेट लीज पर अतिरिक्त विमान लगाने का प्रस्ताव दिया है।

एलएनजी परिवहन हेतु बेल्जियम के साथ समझौता

2392. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार एलएनजी मांग का कितना प्रतिशत गैल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा शेयर किया जाता है;

(ख) क्या गैल (इंडिया) लिमिटेड ने हाल ही में एलएनजी के आयात के लिए बेल्जियम की एक कंपनी के साथ समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे इसका शेयर कितना बढ़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) वर्तमान में, पीएलएल के दाहेज टर्मिनल में प्राप्त व संसाधित की जा रही 5 एमएमटीपीए एलएनजी में से अभी गेल के पास 60 प्रतिशत शेयर हैं।

(ख) और (ग) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने बेल्जियम की एक जहाजरानी कंपनी, "मैसर्स ईएक्सएमएआर मैरीन एनवी" के साथ जहाज पर रिगैसीफिकेशन प्रौद्योगिकी और इसकी एलएनजी/सीएनजी संभार तंत्र संबंधी सेवाओं को जो ईएक्सएमएआर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, के लिए करार ज्ञापन किया है। इस करार ज्ञापन पर दिनांक 9 नवम्बर, 2005 को हस्ताक्षर किए गए और यह 5 वर्षों के लिए है।

(घ) यह इस बात पर निर्भर होगा कि गेल इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किस सीमा तक कर सकने में सक्षम है।

गुजरात को एलएनजी का आवंटन

2393. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न उद्योगों को आपूर्ति की जा रही तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की मात्रा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात के लिए उद्योगों हेतु एलएनजी के आवंटन को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) आईओसी, गेल तथा बीपीसीएल संयुक्त रूप से गुजरात में विभिन्न उपभोक्ताओं को लगभग 9.2 एमएमएससीएमडी एलएनजी की आपूर्ति कर रही हैं। इसके अलावा, मैसर्स शेल, हजीरा भी गुजरात के अन्दर एलएनपीजी की कुछ लघु मात्राओं की आपूर्ति कर रही है।

(ख) से (घ) देश में एलएनजी आपूर्तियों सहित गैस आपूर्ति के मुकाबले उसकी मांग काफी अधिक है। गुजरात राज्य सरकार ने पीएलएल के दाहेज टर्मिनल पर विस्तारित सुविधाओं से गुजरात राज्य पेट्रोलियम कारपोरेशन के लिए अतिरिक्त गैस आवंटन के मुद्दे को उठाया है।

एलएनजी आयात ओपन सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत किए जाते हैं। वाणिज्यिक आधार पर कंपनियों द्वारा एलएनजी का विपणन किया जाता है। उपभोक्ताओं को अपनी मांग का तालमेल एलएनजी विपणनकर्ताओं के साथ बैठाना पड़ता है।

गेज परिवर्तन

2394. श्री हितेन बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल और असम में उन रेल खंडों/मार्गों का ब्यौरा क्या है जहां वर्तमान में आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए किए गए वित्तीय आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित मार्गों पर अभी तक कुल कितना व्यय किया गया है और कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	नाम	प्रत्याशित लागत	2002-03 के दौरान वास्तविक व्यय	2003-04 के दौरान वास्तविक व्यय	2004-05 के दौरान वास्तविक व्यय	परिव्यय 2005-06	किया जाने वाला शेष व्यय	पूरा करने की स्थिति/ लक्ष्य तारीख जहां कहीं निर्धारित की गई है
1	2	3	4		6	7	8	9
पश्चिम बंगाल								
1.	न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव संबद्ध शाखा लाइनों सहित (अंशतः असम में)	89	139.35	182	99.67	10	469.81	न्यू जलपाईगुड़ी-फकीराग्राम पूरा हो चुका है जबकि फकीराग्राम-न्यू बोंगाईगांव लगभग पूरा होने को है। अलीपुरद्वार-बमनहाट शाखा लाइन के आमान परिवर्तन को भी शुरू किया गया है।
2.	बांकुड़ा-दामोदर नदी परियोजना आमान परिवर्तन, बोवाईचांडी-खन्ना न्यू लाइन, रायनगर-चंचल न्यू लाइन तथा मुकुटमणिपुर न्यू लाइन	158.16	11.27	25.24	32.63	23	89.02	बांकुड़ा-सोनामुखी पूरा हो चुका है जबकि शेष खंड पर कार्य शुरू किया गया है।
3.	कटिहार-जोगबनी और कटिहार-बरासोई-	402.98	33.5	63.85	89.71	20.5	215.96	बरसोई-राधिकापुर का 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य

1	2	3	4		6	7	8	9
	राधिकापुर (पूरक)							तय किया गया है। शेष खंड पर कार्य शुरू किया गया है।
असम								
4.	कटखल–बैराभी (पूरक)	88.7	–	–	–	–	–	लमडिंग–सिलचर पूरा हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
5.	शाखा लाइनों सहित लमडिंग–डिब्रूगढ़, हैबरगांव–मैराबाड़ी (44.8 किमी.) और सिनोचा जं. सिलघट टाउन (61.85 किमी.)	882.12	23.12	6.12	–	2	852.88	शाखा लाइनों सहित लमडिंग–डिब्रूगढ़ पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
6.	मिगरेनडिसा–दित्रोकछंड़ा के बीच संरेखण सहित लमडिंग–सिलचर और बदरपुर से मैरियाग्राम तक विस्तार	1823	70.62	79.75	74.65	70	1597.98	मार्च 2009 तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
7.	शाखा लाइनों (पूरक) सहित रंगिया–मुरकोंगसेलेक	915.7	–	–	–	7.96	915.7	प्रारंभिक कार्य हाथ में लिए गए हैं।

आईबीपी का आईओसी के साथ विलय

2395. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसी) के साथ इंडो–बर्मा पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (आईबीपी) के विलय के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) हालांकि सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) की सहायक कंपनी, आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) को आईओसी में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; परन्तु दोनों कंपनियां विलय के लिए प्रस्तावित हैं, जैसा कि इक्विटी शेयरों के विनिमय अनुपात, को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। निर्णय लिया गया है कि सचिवों की एक समिति द्वारा सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद विनिमय अनुपात को अंतिम रूप दिया जाए। यह बताना संभव नहीं है कि विनिमय अनुपात का अंतिम निर्णय कब तक हो पाएगा।

[हिन्दी]

बकाया राशि की वसूली

2396. श्री मित्रसेन यादव :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **नागर विमानन** मंत्री वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि के बारे में 28 जुलाई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 836 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा दिल्ली में भूमि पट्टे पर दी गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन पार्टियों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) आज की तारीख तक निजी पार्टियों की ओर कितनी राशि बकाया है; और

(घ) संबद्ध पार्टियों से बकाया राशि वसूलने के लिए एएआई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में पट्टे के आधार पर निम्नलिखित को भूमि दी गई है :

(i) मैसर्स ए.बी. होटल (रैडीशन),

(ii) मैसर्स अम्बैसडर स्काई सेफ,

(iii) मैसर्स ताज एयर सैट्स,

(iv) मैसर्स ओबराय फ्लाइट किचन, तथा

(v) मैसर्स ग्रोवर लीजिंग।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान उपरोक्त पार्टियों से प्राप्त की गई राशियां अर्थात् मैसर्स ए.बी. होटल (352.34 लाख रु.; 389.88 लाख रु. तथा 431.46 लाख रु.), मैसर्स एम्बैसडर स्काई सेफ (88. 53 लाख रु., 88.31 लाख रु. तथा 109.92 लाख रु.), मैसर्स ताज एयर सैट्स (137.84 लाख रु., 152.82 लाख रु. तथा 157.22 लाख रु.) और मैसर्स ओबराय फ्लाइट किचन (89.57 लाख रु., 97.14 लाख रु. तथा 98.50 लाख रु.) हैं।

मैसर्स ग्रोवर लीजिंग से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) 30 नवम्बर, 2005 तक मैसर्स एम्बैसडर स्काई सेफ तथा मैसर्स ताज एयर सैट्स के खिलाफ कोई बकाया देय राशि नहीं है। मैसर्स ए.बी. होटल (रैडीशन), मैसर्स ग्रोवर लीजिंग तथा मैसर्स ओबराय फ्लाइट किचन के मामले में बकाया देय राशियां क्रमशः 1007.74 लाख रु., 582.55 लाख रु. तथा 6.64 लाख रु. हैं।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट पार्टियों की ओर बकाया देय राशियों को निरंतर मॉनीटर किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है कानूनी तरीके (मैसर्स ए.बी. होटल तथा मैसर्स ग्रोवर लीजिंग), मध्यस्थता कार्यवाही तथा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा धारकों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के माध्यम से कार्रवाई शुरू की गई है।

रेल टिकटों का रिफंड

2397. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेलवे टिकटों, जिन पर यात्रा की जा चुकी है, रिफंड लेने के संबंध में सरकार के समक्ष अनियमितताएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक इस संबंध में सामने आए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए रेलवे के अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) दिसम्बर, 2004 में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के भरूच स्टेशन पर जाली यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) टिकटों पर कपटपूर्ण धन वापसी के मामले पकड़े गए हैं। भरूच आरक्षण कार्यालय से 53 जाली टिकटों पर 84380/– (चौरासी हजार तीन सौ अस्सी रुपये) की राशि धन वापसी के रूप में दी गई।

(ग) चार रेलवे अधिकारी स्पष्ट रूप से दोषी पाए गए और पकड़े गए। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। वर्तमान में वे निलम्बित चल रहे हैं और मामला न्यायाधीन है।

(घ) इन मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं :

(i) लेखा वाणिज्य और सतर्कता विभाग द्वारा नियमित जांच और निगरानी रखना।

(ii) टिकट जारी करने वाले कर्मचारियों और टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को टिकट जारी करते समय और धनराशि वापिस करते समय सतर्क रहने के अनुदेश दिए गए हैं।

(iii) लेखा, वाणिज्य और सतर्कता विभाग के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा विभिन्न स्तर पर निरीक्षण किए जाते हैं।

(iv) इस उद्देश्य के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

लोको-रंनिंग स्टाफ के कार्य का समय

2398. श्री एस. अजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोको–रंनिंग स्टाफ के कार्य के समय को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू सरकारी एयरलाइनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2399. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

प्रो. एम. रामदास :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एयरलाइनों के नाम क्या हैं तथा घरेलू सरकारी एयरलाइनों पर इस प्रतिस्पर्धा का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या निजी एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए घरेलू सरकारी एयरलाइनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस धनराशि की क्या उपरि सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) घरेलू सरकारी एयरलाइनों में एफडीआई की अनुमति कब तक दी जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस एवं एलाइंस एयर के अतिरिक्त जेट एयरवेज, एयर सहारा, एयर डेक्कन, स्पाइस जेट, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज तथा गो एयर भी, घरेलू रूट पर अनुसूचित सेवाएं प्रचालित कर रही हैं। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि ने यद्यपि इंडियन एयरलाइंस के बाजार हिस्से को प्रभावित किया है, परन्तु यात्रियों को, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की वजह से, संपर्कता बढ़ाने, सेवाओं का बेहतर स्तर होने तथा कम किराए होने के कारण फायदा हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे स्टेशनों की श्रेणी कम करना

2400. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधारी पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत बारासात–हस्नाबाद खंड पर मलातीपुर तथा टाकी रोड स्टेशनों का दर्जा कम करके उन्हें हाल्ट स्टेशन बनाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में रेलवे प्राधिकारियों द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा ऐसे उपाय सुझाने का है जिनका स्थानीय जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) फ्लैग स्टेशन मालतीपुर और टाकी रोड पूर्व रेलवे के सियालदाह मंडल पर एक अलाभप्रद लाइन पर स्थित है और भारी आवर्ती घाटे में चल रही है। खर्च को घटाने के प्रयोजन से, इन खंडों की समीक्षा करने के बाद टिकटों की बिक्री के कार्य को विभागीय कर्मचारियों से ठेकेदार को सौंप दिया गया है। इन स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं में कोई कमी नहीं की गई है।

कानपुर मीटर गेज लाइन का आमान परिवर्तन

2401. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर मीटर गेज लाइन के आमान परिवर्तन की परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना में प्रस्तावित तथा पहले से

विद्यमान लाइनों को जोड़ कर हाथरस रोड रेलवे स्टेशन को दिल्ली–कानपुर तथा दिल्ली–आगरा और विलोमतः को एक वैकल्पिक रूट के लिए एक आदर्श स्थान बताया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस गेज को एक साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 661.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कानपुर–कासगंज–मथुरा और कासगंज–बरेली–लालकुआं (544.50 किमी.) आमान परिवर्तन परियोजना को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। परियोजना 2005 पर, कानपुर–फर्रुखाबाद खंड (140 किमी.) को 2005–06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालनिक कारणों से कानपुर–अलीगढ़ मुख्य लाइन के साथ सरफेस क्रॉसिंग लाइन बनाई जाना वांछनीय नहीं समझा गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रिंट और विजुअल मीडिया में विदेशी संगठनों की भागीदारी

2402. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू प्रिंट मीडिया तथा विजुअल मीडिया में विदेशी संगठनों को प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी संगठनों को भागीदारी की अनुमति देते समय राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या एहतिहाती कदम उठाया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रिंट एवं दृश्य मीडिया में सरकार की विदेशी निवेश नीति निम्नानुसार है :

प्रिंट मीडिया

(i) समाचार पत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (जिसमें अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है) तथा मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश जो कि प्रदत्त इक्विटी पूंजी का अधिकतम 26 प्रतिशत होगा, की अनुमति है। ऐसा निवेश कतिपय शर्तों के अधीन ठोस प्रत्यय पत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विदेशी कम्पनियों द्वारा अनुज्ञेय होगा।

(ii) विदेशी निवेश सहित अथवा उसके बिना भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी समाचार पत्रों का और मूल समाचार पत्र की स्वामी विदेशी कम्पनियों द्वारा भी पूर्ण रूप या आंशिक रूप से प्रतिकृति संस्करण बशर्ते उन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भारत में निगमित व पंजीकृत किया गया हो।

(iii) विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विशिष्ट मैगजीनों/आवधिकियों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन; और

(iv) वैज्ञानिक/तकनीकी और विशिष्ट मैगजीनों/आवधिकियों/पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय कम्पनियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश।

फिल्म क्षेत्र

फिल्म क्षेत्र में बिना किसी अर्हता शर्तों के स्वाचालित अनुमोदन माध्यम से शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुज्ञेय है।

प्रसारण क्षेत्र

(i) कतिपय शर्तों के अधीन मामलादार–मामला आधार पर विदेशी निवेश संवर्धन मंडल पर टेलीविजन साफ्टवेयर निर्माण के क्षेत्र में शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ii) डायरेक्ट–टू–होम सेवा प्राप्त करने के लिए दिशा–निर्देशों में यह प्रावधान है कि आवेदक कम्पनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश/विदेशी निगमित निकाय द्वारा निवेश/विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा

निवेश सहित कुल विदेशी इक्विटी धारिता 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकतम 20 प्रतिशत तक होगा। डीटीएच दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत पात्रता संबंधी मापदंडों में अन्य के साथ–साथ इस बात का निर्धारण है कि आवेदक कम्पनी पर भारतीय प्रबंधन नियंत्रण हो और बोर्ड में उनका बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व हो तथा कम्पनी का मुख्य कार्यपालक एक निवासी भारतीय हो।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रबंधकीय एवं सम्पादकीय नियंत्रण भारतीय हाथों में बना रहे और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए भी इन क्षेत्रों के दिशा–निर्देशों में पर्याप्त सुरक्षोपायों का प्रावधान किया गया है।

उड़ीसा में रेल उपरि पुल

2403. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भद्रक के बन्दपुर–रेडिया के निकट रेल उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पूर्व तटीय रेलवे पर बान्दपुर रादिया नाम का कोई स्टेशन नहीं है। बहरहाल, बौदपुर–भद्रक स्टेशनों के बीच बौदपुर के निकट 298/16–17 कि.मी. पर समपार सं. 121 के स्थान पर उपरि सड़क पुल के निर्माण का मंजूर कार्य है। यह कार्य वर्ष 2003–04 में उड़ीसा सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर मंजूर किया गया था। रेलवे पुल खास अर्थात् रेलवे ट्रेक पर पुल का निर्माण करेगी और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार से सामान्य व्यवस्था आरेखण अभी प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे अपने हिस्से का कार्य शुरू कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों सहित अपने हिस्से का कार्य पूरा करने के लिए, रेलवे द्वारा सभी प्रयास किए जाएंगे।

[हिन्दी]

ओएनजीसी की उत्पादन इकाइयों में आग

2404. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री शिशुपाल पटले :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री मुन्शी राम :

श्री अशोक कुमार रावत :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की कई उत्पादन इकाइयों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान घटना–वार ब्यौरे सहित ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) इससे कुल कितने जान और माल का नुकसान हुआ है;

(घ) क्या इनमें से प्रत्येक घटना की जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके घटना–वार क्या परिणाम निकले; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम करने के लिए क्या एहतिहाती उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) की उत्पादन इकाइयों में आग की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आग की निम्नलिखित तीन घटनाएं हुई हैं। इससे संबंधित विवरण निम्नलिखित है :

1. 27.7.2005 को बीएचएन अग्निकांड।
2. 31.1.2005 को मेहसाना परिसंपत्ति में जोटाना जीजीएस से सोभासन सीटीएफ (अम्बासन गांव) तक 8वीं गैस पाइप लाइन का अग्निकांड।
3. 24.7.2005 का उरण संयंत्र अग्निकांड।

(ग) इससे संबंधित विवरण निम्नानुसार है :

दुर्घटना–बीएचएन

जीवन हानि–22 (जिसमें 11 व्यक्ति लापता–मृत आशंकित)

प्रारम्भिक अनुमानित हानि लगभग 350 मिलियन अमरीकी डालर

दुर्घटना—मेहसाना

जीवन हानि—2 सुरक्षा कार्मिक

कोई विशेष वित्तीय हानि नहीं हुई।

घटना—उरण

जीवन हानि—1

संपत्ति हानि—2.68 करोड़ रुपये।

(घ) जी, हां। उपरोक्त प्रत्येक घटना की जांच की गई अथवा की जा रही है।

(ङ) इससे संबंधित विवरण निम्नानुसार है :

बीएचएन—दुर्घटना

ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक जांच समिति गठित की गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री टी. एन. आर. राव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच समिति गठित की है। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

मेहसाना—दुर्घटना—जांच पूरी हुई।

निष्कर्ष—

दूरस्थ—निसरण क्षेत्र में घेराबंदी की उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन न करना।

उरण—दुर्घटना।

निष्कर्ष

विश्लेषण के अनुसार प्रचालक द्वारा निर्धारित प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाना इसका मूल कारण था।

(च) ओएनजीसी ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) प्रणाली में सुधार संबंधी सुझाव के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी द्वारा प्रति 2 वर्षों में तृतीय पक्ष स्वास्थ्य संरक्षा तथा पर्यावरण जांच करना।

(2) ओएनजीसी की सभी प्रचालन इकाइयों के लिए आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा मूल्यांकन शृंखला 18001 पर आधारित गुणवत्ता स्वास्थ्य संरक्षा तथा पर्यावरण प्रमाणन प्राप्त करना।

(3) एकीकृत कार्य प्रतिबद्धता प्रणाली (पीटीडब्ल्यू) की स्थापना, परिवर्तन प्रबंधन (एमओसी), समानांतरण प्रचालन (एसआईएमपीओएस), तालाबंदी टैग आउट, कार्य संरक्षा विश्लेषण (जेएसए) आदि के माध्यम से कार्य प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।

(4) आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना (ईआरपी) के अनुसार सभी प्रकार के संकट काल के लिए नियमित दिखावटी कार्यवाही करना।

(5) प्रचालकों द्वारा सभी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सशक्त प्रशिक्षण देना।

आमान परिवर्तन परियोजनाएं

2405. योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में वर्तमान में चल रही आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजनाओं के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) उत्तर पूर्व रेलवे के अधीन चल रही आमान परिवर्तन परियोजनाओं की प्रत्याशित लागत, मार्च 2005 तक किया गया व्यय, वर्ष 2005–06 में उपलब्ध परिव्यय और कार्य को समाप्त करने की तिथि जहां कहीं भी निश्चित हो, उनकी स्थिति को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2005 तक किया गया व्यय	परिव्यय	स्थिति के साथ कार्य को समाप्त करने की तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई हो
1.	कप्तानगंज–थावे–सीवान–छपरा (233.50 किमी.)	320.10	31.09	18.00	समग्र वास्तविक प्रगति 33 प्रतिशत है मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आदि शुरू किए जा चुके हैं। इनमें से थावे–सीवान खंड को 2005–06 में खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
2.	कानपुर–फर्रुखाबाद खंड पर बरेली से लालकुआं तक विस्तार के लिए सामग्री आशोधन सहित कानपुर–कासगंज–मथुरा–बरेली (544.50 किमी.)	661.72	207.25	43.35	समग्र वास्तविक प्रगति 42 प्रतिशत है। कानपुर–फर्रुखाबाद खंड को 2005–06 में कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य है।
3.	गोण्डा–बहराइच–सीतापुर–लखनऊ चरण–I (479.90 किमी.)	73.42	2.27	0.01	समग्र वास्तविक प्रगति 5 प्रतिशत है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गया है।
4.	गोण्डा–गोरखपुर लुप सहित आन्नद नगर–नौतन्वा (260 किमी.)	381.17	44.11	0.10	समग्र वास्तविक प्रगति 13 प्रतिशत है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं।
5.	औनरिहार–जौनपुर (50.60 किमी.)	85.92	0.02	2.00	मिट्टी और छोटे पुल का कार्य शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक वृक्षारोपण में निजी भागीदारी

2406. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अपनी खाली पड़ी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार विभिन्न वाणिज्यिक पेड़ों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए निजी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे पहले रेलवे द्वारा वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि पट्टे पर दी जाती थी; और

(ङ) यदि हां, तो वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को अब भूमि न दिए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। रेलों ने आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करने एवं अपनी मूल्यवान भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए गैर–दरसूची मानदंड के रूप में अपनी भूमि पर व्यावसायिक वन्यारोपण प्रारंभ किया है। इस योजना के अन्तर्गत, रेलवे भूमि पर अपने खर्च पर वन्यारोपण हेतु संयुक्त उद्यम भागीदार की अनुमति है और इस प्रकार से अर्जित राजस्व में रेलवे एवं संयुक्त उद्यम भागीदार के बीच 50 : 50 की भागीदारी होती है।

(घ) और (ङ) रेवले के खंडों के बीच की भूमि को विभिन्न स्थानों पर अपने–अपने राज्य सरकारों के वन विभागों को सौंप दिया गया है। बहरहाल, रेलें विशेषकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के वन विभागों के साथ विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं जैसे करार का निष्पादन न करना, रेलवे की भूमि को सुरक्षित/आरक्षित वन घोषित करना, मामूली लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करना।

नया ऑनलाइन मेटिरियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का विकास

2407. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एक नया ऑनलाइन मेटिरियल मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (एमएमआईएस) का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन जोनों के नाम क्या हैं जहां एमएमआईएस लगा दिया गया है;

(घ) उक्त प्रणाली पर रेलवे द्वारा कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या रेलवे के सामने इस सिस्टम/प्रोग्राम में गम्भीर खामियां आई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स सीएमसी लिमिटेड के सहयोग से मध्य रेलवे पर प्रणाली विकास टीम द्वारा नया ऑनलाइन मैटीरियल मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम का विकास किया गया है। यह एक ऑनलाइन वास्तविक समय अनुप्रयोग है, जिसमें ग्राहक सेवाप्रदाता तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके कार्यक्षेत्र में कार्यालय खरीद गतिविधियां शामिल हैं, जैसे मांग पंजीकरण, निविदाएं, खरीद आदेश, विक्रेता बिल अनुमोदन, भंडार नियंत्रण आदि और डिपो प्रबंधन रसीद, भंडारण खाता, स्थानीय खरीद, भंडार सत्यापन, बिक्री और निलामी सूचना और लेखांकन प्रणालियां शामिल हैं।

(ग) 12 क्षेत्रीय रेलों, अर्थात् पूर्व रेलवे, मैट्रो रेलवे, कोलकाता, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पूर्व तट रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और एक उत्पादन इकाई अर्थात् चितरंजन रेल इंजन कारखाना पर सामग्री प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) 12 रेलों और एक उत्पादन इकाई पर सामग्री प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए कुल 13.29 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाएं

2408. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने लिग्नाइट में भूमिगत कोयला गैसीकरण शुरू करने हेतु नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए लघु सूचीबद्ध किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। आयल एण्ड नेचुरल गैसा कारपोरेशन (ओएनजीसी) ने भूमिगत कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण पर नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ एक संयुक्त परियोजना शुरू करने के उद्देश्य से 24.9.2005 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, ओएनजीसी तथा एनएलसी ऐसे रात्यों में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे जहां एनएलसी कार्य कर रहा है और जहां इस प्रयोजन के लिए लिग्नाइट निक्षेप उपलब्ध हैं। दोनों कम्पनियां लिग्नाइट क्षेत्रों के उपयुक्त स्थलों पर परीक्षणों तथा प्रयोगों सहित आर एण्ड डी भूमिगत कोयला गैसीकरण/भूमिगत लिग्नाइट गैसीकरण प्रौद्योगिकी में भागीदारी करेंगी। परीक्षण सफल होने पर ओएनजीसी तथा एनएलसी दोनों गैस तथा/या क्रूड और/या संश्लिष्ट ईंधनों के संभावित उत्पादन और विपणन के लिए यूसीजी/यूएलजी से उत्पन्न होने वाली फ्लू गैसों को अलग करने में परस्पर सहयोग करेंगी।

(ग) भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए छांटे गए स्थल ये हैं—तमिलनाडु में मन्नारगुडी, कुल्लनचावाडी, वेरानाम और राजस्थान में सिंघारी।

(घ) संबंधित स्थलों से एकत्रित आंकड़ों को अध्ययन और विश्लेषण के लिए सलाहकार स्कोचिन्स्की इंस्टीट्यूट आफ माइनिंग (एसआईएम—रूस) के पास भेज दिया गया है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रियायती टिकटें

2409. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न रेलवे आरक्षण काउंटरों पर आरक्षण लिपिकों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आसानी से रियायती टिकटें जारी

नहीं की जातीं जबकि सरकारी अस्पताल द्वारा जारी मूल रियायत प्रमाण पत्र आरक्षण हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रेल यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों द्वारा पूरे देश में आसानी से रियायत लेने तथा यात्रा करने के लिए क्रियाविधि को अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रियायती टिकटें जारी नहीं करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर मामलों में यह पाया गया है कि सरकारी डाक्टरों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र या तो सहीं ढंग से भरे नहीं जाते या उन पर अस्पताल की मुहर नहीं लगी हुई थी। वास्तविक शिकायतों में, संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों द्वारा रियायत लाभ लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पहले से ही आसान है और रियायत पर यात्रा करने के लिए पूरे देशभर में आसानी से उपलब्ध है।

दिल्ली-सूरत के बीच रेल संपर्क

2410. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरत का दौरा करने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिल्ली और सूरत के बीच सीधे रेल–संपर्क को शुरू करने की लगातार की जा रही मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) इस समय, दिल्ली–सूरत खंड 7 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों से सेवित है। इन दो शहरों के बीच यातायात के मौजूदा स्तर को देखते हुए ये सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं। परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण दिल्ली और सूरत के बीच अतिरिक्त गाड़ियों को चलाना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

रेलवे में अपराध

2411. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में अपराध से निपटने के लिए अपराध बहुल राज्यों में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेल यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे के विद्यमान सुरक्षा बल की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेल यात्रियों तथा रेलवे की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलों पर अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए तथा रेल संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए रेल सुरक्षा विशेष बल की दो बटालियन जिनका मुख्यालय गढ़हरा (बरौनी–बिहार) तथा मुंबई, महाराष्ट्र के पास ठाकुराली हैं का सृजन किया गया है।

(ङ) रेल गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों एवं यात्री क्षेत्रों को और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 एवं अधिनियम, 1989 को संशोधित किया गया है ताकि रेलें, रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलों पर अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा देने में समर्थ हो सके। राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए रेल सुरक्षा बल के कर्मियों को बहुत सी रेलगाड़ियों और यात्री क्षेत्रों में मार्गरक्षी तैनात किए जाते हैं। जुलाई, 2004 से रेलवे अधिनियम में संशोधन करके रेलगाड़ियों के परिचालन को प्रभावित करने वाले छोटे अपराध

जैसे जंजीर खींचना, ट्रेन की छत पर बैठना, दलाली, बिना टिकट यात्रा करना, अनधिकृत प्रवेश इत्यादि (धारा 150 से 152 के अन्तर्गत आने वाले तोड़–फोड़ संबंधी अपराध को छोड़कर) से निपटने के लिए रेल सुरक्षा बल को और अधिक शक्ति प्रदान की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य पुलिस (राजकीय रेल पुलिस), को भारतीय दंड संहिता, रेल अधिनियम तथा अन्य नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत जघन्य अपराधों जैसे हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, इत्यादि जिसमें तोड़–फोड़ एवं रेलगाड़ी में लूटपाट शामिल है, से निपटने के लिए अधिक कर्मी और समय प्रदान किया जाएगा।

क्यू-बैण्ड सिग्नल

2412. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से निजी केबल आपरेटरों को शैक्षिक तथा गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु बैंड सिग्नल प्राप्त करने तथा अपने नेटवर्क के माध्यम से वितरित करने की अनुमति देने हेतु एक अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) वर्ष 2001 में, आंध्र प्रदेश सरकार को केवल सीमित उपभोक्ता समूह के बीच विकास–संचार के प्रयोजनार्थ अपने टीवी चैनल को अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी। बाद में शैक्षणिक और गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए केयू बैंड सिग्नल प्राप्त करने अपने स्वयं के नेटवर्क के जरिए उन्हें वितरित करने के लिए निजी केबल ऑपरेटरों को अनुमति प्रदान करने की बाबत आंध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है कि अन्य निजी टीवी चैनलों द्वारा प्रसारण स्थल संबंधी उनकी बढ़ रही मांग को ध्यान में रखते हुए केबल आपरेटरों द्वारा टीवी चैनल के प्रसारण को सुनिश्चित करना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कठित एक स्वायत्तशासी समिति, आंध्र प्रदेश नेटवर्क समिति (एसएपीएसएटी) के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ–साथ वर्तमान अनुमति के तहत केबल नेटवर्क पर चैनल का वितरण अनुज्ञेय नहीं है। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार को सलाह दी गई है कि एसएपीएनईटी प्रायोगिक आधार पर अपने फ्री–टू–एयर डीटीएच प्लेटफार्म पर माना टीवी चैनल के प्रसारण हेतु अनुरोध कर सकता है।

विमान कार्गो ट्रैफिक का बढ़ना

2413. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दशक में देश में विमान कार्गो ट्रैफिक की वार्षिक वृद्धि की अनुमानित दर कितनी है;

(ख) क्या समुद्री माल ढुलाई उद्योग बढ़ रहा है जिससे विमान कार्गो को गंभीर खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो विमान कार्गो को अधिक आकर्षक तथा प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कार्गो ट्रैफिक की प्रत्याशित विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10 प्रतिशत तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायतों को अधिकार सौंपना

2414. श्री धुनचकोडी आर. अतिथन : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने तीन स्तरीय प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत पंचायतों को अधिकार सौंपने के संबंध में भारत के संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों के उपबंधों को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) संविधान के भाग IX के उपबंधों के अनुसार गठित पंचायतों के मामले में और संविधान के (73वे संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (झारखंड और पांडिचेरी को छोड़कर) पंचायतों के चुनाव हुए हैं और पंचायतें गठित हुई हैं। हालांकि, संविधान द्वारा राज्यों की विधायिका को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अधिकार दिए गए हैं और

राज्यों ने भी पंचायतों के मामले में भिन्नता से अपने अधिकार और उत्तरदायित्वों को अपनाया है। केन्द्र में गृह मंत्रालय उन संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थाओं के सुपुर्दगी के प्रति उत्तरदायी है जहां विधायिका नहीं है। भाग–IXअ के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एकमात्र शहरी स्वायत्त–शासन है।

जिला योजना समिति के संविधान के संबंध में 74वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 जेडडी के कार्यान्वयन को अलग–अलग कर दिया गया है। दिनांक 24.10.2005 को योजना आयोग द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना सचिवों को जिला योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों और उनकी वार्षिक योजनाओं में मिलाने के बारे में अवगत कराया गया है। वर्ष 2006–07 की वार्षिक योजना प्रस्ताव के अनुमोदन से पूर्व जिला पंचायत समिति के संविधान को तदनुसार उनके प्रावधानों को यह सब मार्गदर्शी सिद्धान्त विचारार्थ निर्धारित करता है।

(ख) और (ग) संविधान के भाग–IX के कार्यान्वयन को गति देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई से दिसम्बर, 2004 के बीच राज्यों के पंचायती राज प्रभारी मंत्रियों की सात गोलमेज बैठकें बुलाई हैं और करीब 150 बिन्दुओं के सेट को एकमत से विकसित किया है जो जयपुर में अन्तिम गोलमेज बैठक के दौरान निष्कर्ष पर सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। एक्टीविटी मैपिंग के आधार पर कार्रवाई के लिए संयुक्त कार्यक्रम पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए धन, कार्यकलाप और कर्मियों को प्रोत्साहित करता है ताकि वे स्वयत–शासी निकाय के रूप में कार्य कर सकें।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में सिफारिशों के कार्यान्वय की समीक्षा के लिए राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई है। परिषद की पहली बैठक दिनांक 5–6 अगस्त 2005 को कोच्चि, केरल में हुई है। कार्य संचालन के प्रवाह की प्रगति की समीक्षा की गई थी और यह देखा गया था कि जहां कुछ राज्यों में समनुदेशन की शर्तों के अनुसार पंचायत के तीनों प्रारंभिक स्तरों पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं, वहीं बहुत सारे राज्यों में अन्तिम स्तर पर कार्य लम्बित हैं। 150 सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए और राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की परिषद के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में राज्यों की पंचायती राज सचिवों की एक समिति गठित की गई है। अप्रैल, 2005, जून, 2005, सितम्बर, 2005 और नवम्बर, 2005 में अब तक चार समिति की समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं।

पंचायतों के साथ तालमेल और गोलमेज बैठकों में अधिकारियों के बीच परस्पर सहमत हुए बिन्दुओं पर कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का भ्रमण करने की प्रक्रिया केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री के स्तर पर प्रारम्भ की गई है। अब तक सात राज्यों को पूरा कर लिया गया है जिनमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान हैं। सूची में अगला स्थान आंध्र प्रदेश का है। प्रत्येक भ्रमण में निष्कर्ष के विवरण पर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होता है जिसमें गोलमेज बैठकों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य द्वारा कार्रवाई की जाने वाले बिन्दुओं की चर्चा की गई होती है।

संविधान के भाग–IX में दिए गए उपबंधों के आधार पर विभिन्न तबकों में सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रयास हो रहा है। इसी तरह, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा हो रही है ताकि पंचायतों की केन्द्रीयता को योजना और कार्यान्वयन में सुनिश्चित किया जा सके। जहां तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजनाओं का संबंध है, जो भी संगत हो, पंचायतों के लिए केन्द्रीय भूमिका का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, उदाहरणस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा अधिनियम के तहत पंचायतों को योजना और कार्यान्वय के लिए मुख्य प्राधिकारी बनाया गया है। साथ ही, यह भी कोशिश की जा रही है कि आधारभूत संरचना की कठिन कमियों को पूरा किया जा सके ताकि पंचायत अपना संवैधानिक कार्य कर सके।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की सीधी उड़ानें

2415. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस (आईए) ने हाल ही में नई सीधी घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ने देश के विभिन्न लाभकारी तथा अलाभकारी रूटों का सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा 2005 के ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन शेड्यूल में निम्नलिखित निरंतर (नॉन–स्टाप) उड़ानें प्रारंभ की गईं :

ग्रीष्मकालीन शेड्यूल :

मुम्बई–कोलकाता–मुम्बई, मुम्बई–शारजाह–मुम्बई, मुम्बई–बैंकाक–मुम्बई, हैदराबाद–सिंगापुर–हैदराबाद, बंगलौर–बैंकाक–बंगलौर, हैदराबाद–बैंकाक–हैदराबाद तथा चेन्नई–बैंकाक–चेन्नई।

शीतकालीन शेड्यूल :

बंगलौर–गोवा–बंगलौर, बंगलौर–पुणे–बंगलौर, बंगलौर–पुट्टापर्थी–बंगलौर तथा दिल्ली–सिंगापुर–दिल्ली सेक्टर।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने सूरत, नासिक, कानपुर, लुधियाना, विजयवाड़ा, धनबाद, कोचबेहर, नांदेड, ग्वालियर, जबलपुर तथा पठानकोट जैसे नए गंतव्यों के वायु यातायात संभावना को निर्धारित करने के लिए एक बाजार सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के मूल्यांकन के अनुसार, उपयुक्त गंतव्यों के लिए यातायात संभावना इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में जेट प्रकार के विमानों के प्रचालन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

बायो-डीजल को बढ़ावा देने में पंचायतों को शामिल करना

2416. श्री संतोष गंगवार :

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बायो–ईंधन को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थानों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में राज्य सरकारों को सहायता देने/कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। अपने ग्रामीण बिजनेस हब्स इनिसेटिव के अन्तर्गत, पंचायती राज मंत्रालय बायो डीजल के लिए जटरोफा की खेती को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को शामिल करने के लिए कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की मदद के साथ राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं तथा नैगम इकाइयों के बीच एक सुसाधक के रूप में कार्य करती है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी ग्राम सभाओं के माध्यम से उन किसानों को पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है जो जटरोफा की खेती करना चाहते हैं, और तत्पश्चात ऐसे किसानों को पीआरआई की मध्यस्थता के साथ बायो डीजल पर कार्य करने वाले नैगम इकाई के साथ जोड़ दिया जाता है। सरकार राज्य सरकारों, पीआरआई तथा पेट्रोलियम संरक्षण व अनुसंधान संस्थान (पीसीआरए) के सहयोग में बायो डीजल के उत्पादन के लिए जटरोफा की खेती, बीजों का संग्रहण तथा तेल निष्कर्षण पर जन जागरूक कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना है। बायो डीजल के लिए जटरोफा की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी पंचायत भागीदारों में पंचायतों तथा निगम इकाइयों को शामिल करने पर जोर देने के लिए विभिन्न पणधारकों के प्रतिनिधियों तथा तकनीकी एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिमी राज्यों में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

2417. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी राज्यों में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के निर्माणाधीन परियोजनाओं का विमानपत्तन–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) पश्चिमी राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए जारी परियोजनाओं का निहित निधियों सहित विवरण तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार है :

गुजरात : अहमदाबाद हवाई अड्डे पर, 56.94 करोड़ रुपये की लागत से 800 यात्रियों के लिए नए घरेलू आगमन ब्लाक का निर्माण पहले ही आरम्भ कर दिया गया है जिसकी पूर्णता का लक्ष्य मार्च, 2007 है। 291 करोड़ रुपये की लागत से संबद्ध सुविधाओं सहित, 1000 यात्रियों के लिए नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लैक्स के निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है। सूरत हवाई अड्डे पर,

दो चरणों में 49.50 करोड़ रुपये की लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार और संबद्ध कार्य आरंभ किया गया है। चरण–1 कार्य की पूर्णता का लक्ष्य मार्च, 2006 है। पोरबन्दर हवाई अड्डे पर, मार्च, 2006 के पूर्णता लक्ष्य पर, 10 करोड़ रुपये की लागत से नए टर्मिनल भवन के निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है।

महाराष्ट्र : मुम्बई हवाई अड्डे पर, 85.66 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल भवन के विस्तार तथा आशोधन तथा 111.92 करोड़ रुपये की लागत से प्रचालनिक क्षेत्र में समान्तर त्वरित निकास टैक्सी–ट्रैक, अतिरिक्त घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय पार्किंग बे के निर्माण तथा स्तरोन्नयन तथा रनवे के पुनर्सतहीकरण आदि के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। औरंगाबाद हवाई अड्डे पर, 90.00 करोड़ रुपये की लागत से नए एकीकृत अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन काम्प्लैक्स, एप्रन के निर्माण तथा संबद्ध कार्य और 25 करोड़ रुपये की लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार के लिए कार्रवाई की जा रही है।

गोवा हवाई अड्डे पर, 90 करोड़ रुपये की लागत से नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन काम्प्लैक्स के निर्माण तथा एप्रन के विस्तार व संबद्ध कार्यों के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

बायो-डीजल पालिसी

2418. डा. चिन्ता मोहन :

श्री चैंगरा सुरेन्द्रन :

श्री रामजीलाल सुमन :

श्री अजीत जोगी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बायो–डीजल के संबंध में नीति तैयार करने के लिए एक पैनल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पैनल का गठन कब तक होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय बायो–डीजल पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बड़े पैमाने पर जटरोफा करकस (रत्न जोत) की खेती की परिकल्पना है। बायो–डीजल पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को भेजी गई थी, उसे अभी सभी मंजूरियां तथा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए हैं जो बायो–डीजल के संबंध में किसी नीति पर निर्णय लेने के लिए पूर्वापेक्षित हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विमानपत्तन पर फेरी सेवा

2419. डा. के. धनराजू : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन परिसर में यात्रियों के लिए घरेलू विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के बीच फेरी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली विमानपत्तन पर यात्रियों को फेरी सेवा की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ट्रांजिट यात्रियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल से घरेलू टर्मिनल एवं वापसी हेतु निःशुल्क कोच सेवाएं सुलभ कराई जाती हैं। इंडियन एयरलाइंस तथा जेट एयरवेज द्वारा भी यात्रियों को ऐसी सेवाएं निःशुल्क सुलभ करा रही हैं।

सिकंदराबाद से निजामाबाद के बीच आमान परिवर्तन

2420. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकंदराबाद से निजामाबाद के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार इस परियोजना पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) यह कार्य सिकंदराबाद–मुदखेड़ और जनकमपेट–बोधन आमान

परिवर्तन परियोजना का एक भाग है। मुदखेड़–निजामाबाद–बोलारम और जनकमपेट–बोधन खंडों पर कार्य पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। 31.3.2005 तक इस परियोजना पर 283.77 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। शेष खंड पर 2005–06 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों पर धारावाहिक

2421. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सहित राज्यों के जनजातीय समुदायों से संबंधित स्वतन्त्रता सेनानियों की जीवनियों पर आधारित किसी धारावाहिक का निर्माण और उसे प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा विभिन्न राज्यों के जनजातीय समुदायों से संबंधित प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों की जीवनियों पर आधारित किसी धारावाहिक का प्रसारण अथवा निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय दूरदर्शन महाराष्ट्र सहित राज्यों के जनजातीय समुदायों के स्वाधीनता सेनानियों की जीवनियों पर आधारित किसी धारावाहिक का निर्माण या प्रसारण नहीं कर रहा है। तथापि, समय–समय पर दूरदर्शन विशेष अवसरों पर स्वाधीनता सेनानियों के योगदान से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहा है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक दूरदर्शन द्वारा जनजातियों सहित सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों के जीवन निर्मित व प्रसारित धारावाहिकों/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	दूरदर्शन केन्द्र	कार्यक्रमों का ब्यौरा
1	2	3
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	स्वतन्त्रता संघर्ष में तेलुगु महिलाओं की भूमिका (4 कड़ियां)
		स्वतन्त्रता संघर्ष–विभूतियां (8 कड़ियां)
		प्रज्ञाकुडु प्रकाशम
		मुटनूरी कृष्णा राव
		रघुपति वेंकट रत्नम् नायडु
		तेलेंगाना केसरी सरदार जमालापुरम के राव
		कोडि राम मूर्ति नायडु
		सुखम् प्रताप रेड्डी
		पिंगली वेंकैया
		यविलाला गोपाला कृष्णैय्या
असम	गुवाहाटी	अन्यन्या अंगना (2 कड़ियां)
छत्तीसगढ़	रायपुर	महाकोशल गाथा (नाटक) (4 कड़ियां)
दिल्ली	दिल्ली	बाबू कंवर सिंह (7 कड़ियां)
		सुभाष चन्द्र बोस (6 कड़ियां)
		अरूणा आसफ अली (वृत्तचित्र)
		बिरसा मुंडा
		लाल बहादुर शास्त्री (2 कड़ियां)
		लचित बुरफोकन (3 कड़ियां)
कर्नाटक	बंगलौर	ब्रिटिश विरोधी दंड्या (13 कार्यक्रम)
		सुराप्रआदा वेंकटय्या जैसे जनजातीय समुदायों को भी कवर किया गया।
		नायका हेलागलिया बदाह आदि (4 कार्यक्रम) (जनजातीय)
महाराष्ट्र	मुंबई	"अजाचे पाहुने" नामक शीर्षक से साक्षात्कार आधारित कार्यक्रमों में श्री राम उगांवकार, लेखक, गीतकार और स्वतन्त्रता सेनानी के साथ साक्षात्कार।
		"स्वतन्त्रता उद्घोष" नामक साक्षात्कार

1	2	3
		आधारित कार्यक्रमों में स्वतन्त्रता सेनानी, श्री नारायण वन्नम् के साथ साक्षात्कार।
		भावी प्रयोग के लिए "ऐका हो ऐका" नामक श्रेम आधारित कार्यक्रम में स्वतन्त्रता सेनानी, श्री शंकर माली के साथ रिकार्डिंग साक्षात्कार।
उड़ीसा	भुवनेश्वर	डा. हरेकृष्णा मेहताब का जीवन और उपलब्धियां (6 कड़ियां)
		स्वतन्त्रता सेनानी, श्री रघु दिवाकर के जीवन व कार्य पर क्रांति बैजयंती नामक वृत्तचित्र
		आदिवासी श्री बिरसा मुंडा पर जनजातीय समिति की दो कड़ियों वाला धारावाहिक (2 कड़ियां)
		कोरापुट के आदिवासी शहीद लक्षमण नायक पर दो कड़ियों का धारावाहिक
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	चंद्रशेखर आजाद (2 कड़ियां)
		भगत सिंह (4 कड़ियां)

पूर्व संसद सदस्यों की विधवाओं को पेंशन

2422. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय संसद सदस्यों की विधवाओं को भरण-पोषण हेतु पेंशन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव आज की तारीख में किस स्तर पर है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक दिवंगत पूर्व संसद सदस्य की पत्नी को पेंशन तथा रेल यात्रा सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार करते समय, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति ने सिफारिश की कि दिवंगत पूर्व संसद सदस्य की पत्नी/पति को वहीं सुविधाएं प्रदान की जाएं, जो पूर्व संसद सदस्य को उसके निधन के पहले उपलब्ध थीं। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलिंडर

2423. श्री निखिल कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रयोग होने वाले रसोई गैस के 25 प्रतिशत से भी अधिक सिलिंडर अवैध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां देश में नकली सिलिंडरों के प्रयोग को रोकने में असफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसे अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) एलपीजी सिलिंडरों की खरीद ऐसे सिलिंडर विनिर्माताओं से कर रही हैं, जो तेल उद्योग तकनीकी समिति (ओआईटीसी) द्वारा अनुमोदित हैं और जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीओई) का वैध विनिर्माण लाइसेंस है। विनिर्माण प्रक्रिया पर बीआईएस द्वारा कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा खरीदे गए एलपीजी सिलिंडर अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

परिचालन में नकली और जीर्ण सिलिंडरों के प्रवेश को रोकने के लिए बाटलिंग संयंत्र में वितरकों/परिवाहकों से प्राप्त एलपीजी सिलिंडरों की गुणवत्ता और असलियत की अनिवार्य रूप से जांच की जाती है। घटिया/नकली सिलिंडरों का पता लगने पर उन्हें जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद उनको परिचालन में पुनः आने से रोकने के लिए तोड़-मोड़ दिया जाता है।

नकली एलपीजी उपकरण के किसी भी सप्लायर के विरुद्ध की जा सकने वाली कानूनी कार्यवाही के अलावा यदि किसी वितरक के पास नकली उपकरण पाए जाते हैं या वह वितरण प्रणाली में ऐसे उपकरण को शामिल करता है तो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) में अन्य बातों के साथ-साथ उपकरण जब्त करने, जुर्माना लगाने और पहले तथा दूसरे अपराध पर जुर्माने की दर पर वसूली

करने और तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन

2424. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कानपुर–रायबरेली विशेष ट्रेन जो इस समय दिल्ली–लखनऊ–रायबरेली मार्ग पर चल रही है को रायबरेली तक वाया अलीगढ़–कानपुर–उन्नाव–डलमाऊ के मार्ग से चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) इस संबंध में की गई मांग को पूरा करने के लिए जांच की गई लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों की वजह से कार्यान्वित करने के लिए व्यवहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

धर्म आधारित आरक्षण

2425. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में धर्म पर आधारित आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उपायों, जिसमें शिक्षा और सरकारी नियोजन में आरक्षण शामिल है, की सिफारिश करने हेतु न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। आयोग का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2006 तक है।

कैरिज फीस

2426. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या सूचना और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने डीटीएच बुके के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक निजी चैनलों पर एक करोड़ रुपये की कैरिज फीस लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले पर निजी चैनलों की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने डीटीएच समूह में शामिल होने के इच्छुक निजी चैनल से पहले 75.00 लाख रुपये प्रसारण शुल्क का प्रस्ताव किया था। इस समय, प्रसार भारती निजी टीवी चैनलों की शुरूआत से दो वर्ष की अवधि के लिए उनकी निःशुल्क मेजबानी कर रहा है। कई निजी टीवी चैनलों ने दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफार्म में शामिल होने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है।

[हिन्दी]

धनबाद में रेल दुर्घटना

2427. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 नवम्बर, 2005 को धनबाद मंडल के अन्तर्गत आने वाले बरवाडीह स्टेशन पर यात्री गाड़ी और मालगाड़ी की टक्कर हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना के प्रथम दृष्ट्या क्या कारण थे और इसके लिए किन लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया है;

(घ) इसमें हुई जान–माल की क्षति का ब्यौरा क्या है और प्रभावितों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। 9.11.2005 को 619 अप पैसेंजर लूप लाइन से निकलकर

बरवाडीह स्टेशन से रवाना हुई और इसी दौरान मालगाड़ी अप एलएचएम स्पेशल भी छिपादोहर स्टेशन से निकलकर बरवाडीह स्टेशन की ओर रुख किया। मालगाड़ी को बरवाडीह स्टेशन के होम सिगनल पर रुकना था। बहरहाल, इस मालगाड़ी ने अप मेन लाइन के होम सिगनल तथा स्टार्टर सिगनल को नजरअंदाज किया और 619 सवारी गाड़ी से साइड से टकरा गई जो कि बरवाडीह स्टेशन की लूप लाइन से निकली थी। इसके परिणामस्वरूप 619 अप पैसेंजर गाड़ी के 4 सवारी डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए तथा मालगाड़ी के 31 माल डिब्बों सहित इंजन पटरी से उतर गया जिसके फलस्वरूप अप तथा डाउन दोनों लाइनों पर यातायात अवरुद्ध हो गया।

(ग) और (घ) प्रथम दृष्ट्या यह दुर्घटना मालगाड़ी द्वारा सिगनल के अनदेखी के कारण हुई। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 9 व्यक्तियों की जानें गईं, 8 को गंभीर चोटें आईं तथा 18 को मामूली चोटें आईं। इस दुर्घटना से रेलवे संपत्ति को हुई क्षति लगभग 9,23,43,960/– रुपये है।

मुआवजे का भुगतान रेल दावा अधिकरण में दावा पेश किए जाने तथा डिग्री प्रदान किए जाने के बाद ही किया जाता है। बहरहाल, दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मुआवजे संबंधी कोई दावा पेश नहीं किया गया है। फिर भी मृतकों के निकट संबंधियों तथा घायल यात्रियों को 9.29 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) और (च) दक्षिण मध्य क्षेत्र के रेल आयुक्त से अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जो कि इस दुर्घटना की सांविधिक जांच कर रहे हैं। बहरहाल, वे अधिकारी जो प्रथम दृष्टि में इस दुर्घटना के दोषी पाए गए हैं, को निलंबित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में निवेश

2428. **श्री सुग्रीव सिंह :**

श्री हितेन बर्मन :

श्री सुब्रत बोस :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बाद निवेश के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय केवल अनुशंसा करने वाला विभाग है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अधीन विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस मंत्रालय को प्रिंट एवं प्रसार क्षेत्र के संबंध में इसकी सिफारिशों के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है जिसमें अनुमोदन हेतु अस्वीकृत किए जाने हेतु अनुशंसित और प्रक्रियाधीन प्रस्ताव शामिल हैं। क्योंकि यह मामला दर मामला आधार पर निर्भर करता है इसलिए कोई विशेष समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

विवरण

प्रिंट मीडिया में अनुमोदन हेतु अनुशंसित मामले

I. विदेशी वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्ट मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकियों के भारतीय संस्करण

क्र.सं.	आवेदक कंपनी का नाम	मैगजीन का नाम	अनुमोदन पत्र की तारीख
1.	मै. आईबीएस पब्लिशिंग प्रा.लि. एफडीआई–50 प्रतिशत (50000/– रुपये)	इन्टरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स	14.2.2005
2.	मै. फेक्प्रेसी पब्लिशर्स प्रा.लि. एफडीआई–74 प्रतिशत	प्रिंटकॉम इंडिया	16.3.2005

II. वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्ट मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी निवेश

क्र.सं.	आवेदक कंपनी का नाम	मैगजीन का नाम	अनुमोदन पत्र की तारीख
1	2	3	4
1.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	बैटर फोटोग्राफी	7.4.2003
2.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	सर्च	3.6.2003
3.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	ओवरड्राइव	3.6.2003
4.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	ऑटोमॉनीटर	3.6.2003
5.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	ओवरड्राइव ग्रैंडप्रिक्स	3.6.2003
6.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	ए वी मैक्स	7.5.2003
7.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	खाना–पीना	20.11.2003
8.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	यलो लाइन ऑफिस गाइड	20.11.2003
9.	मै. सोराबजी ऑटोमोटिव कम्प्यु. प्रा.लि. (विदेशी निवेश–50 प्रतिशत)	ऑटोकार इंडिया	19.2.2004
10.	मै. टाटा इन्फोमीडिया लि. (विदेशी निवेश–4.35 प्रतिशत)	फोटो इमेजिंग	19.2.2004
11.	मै. सेज पब्लिकेशंस इंडिया लि. (विदेशी निवेश–40 प्रतिशत)	इनसेज	1.3.2004
12.	मै. टी वी डब्ल्यू पब्लिशिंग एंड मीडिया प्रा.लि. कोई विदेशी निवेश नहीं (तकनीकी सह–सहयोग)	इण्टेलीजेंट कम्प्यूटिंग चिप	1.3.2004
13.	मै. बनियन नेटफैक प्रा.लि. (एनआरआई निवेश–4.16 प्रतिशत)	द ब्रैंड रिपोर्टर	1.3.2004
14.	मै. मैग्ज इण्टरनेशनल लि. (विदेशी निवेश–74 प्रतिशत)	गैर–समाचार और गैर–समसामयिक प्रकाशन	29.9.2004
15.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत आज तक की स्थिति के अनुसार)	इण्डस्ट्रीवाच	27.10.2004
16.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	माडर्न मशीन टूल्स	27.10.2004
17.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	यलो लाइन सिटी गाइड	28.10.2004
18.	मै. क्वाण्टम इन्फार्मेशन सर्विसेज लि. (विदेशी निवेश–7.12 प्रतिशत)	मनी सम्प्लीफाइड	11.11.2004
19.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	इन्फोमीडिया यलो पेजिज	19.11.2004
20.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	इंडियन एक्सपोर्टर्स गाइड	19.11.2004
21.	मै. बिरला सन लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि. (विदेशी निवेश–50 प्रतिशत)	इन्वेस्टाइन	22.11.2004

1	2	3	4
22.	मै. क्वाण्टम इन्फार्मेशन सर्विसेज लि. (विदेशी निवेश–7.12 प्रतिशत)	स्टॉक मार्किट इयर बुक	23.11.2004
23.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	इन्फोमीडिया होम गाइड	16.12.2004
24.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	इन्फोमीडिया सिटी गाइड	16.12.2004
25.	मै. हेमार्किट एसएसीपीएल (विदेशी निवेश–50 प्रतिशत)	ऑटोकार प्रोफेशनल	16.12.2004
26.	मै. इण्डिया कॉम लि. (विदेशी निवेश–53 प्रतिशत)	इण्डिया कॉम यलो पेजेज	16.2.2005
27.	मै. बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	बिरला सनलाइफ लाइफ लाइन	14.3.2005 और 24.5.2005
28.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	इन्फोमीडिया ऑफिस गाइड	14.3.2005
29.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	मॉडर्न मेडिकेयर	16.3.2005
30.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि. (विदेशी निवेश–0.1341 प्रतिशत)	बैटर इण्टीरियर्स	13.6.2005
31.	मै. हेमार्किट एसएसी पब्लिशिंग (इंडिया) प्रा.लि.	हंट कार	18.7.2005
32.	मै. वर्ल्डवाइड मीडिया लि.	फिल्म फेयर ट्रेवल	18.7.2005
33.	मै. आईडीजी मीडिया प्रा. लि.	आउटसोर्सिंग वर्ल्ड	24.8.2005
34.	मै. वर्ल्डवाईड मीडिया लि.	द फेमिना बुक ऑफ गुड पेरेंटिंग	30.8.2005
35.	मै. हेमार्किट एसएसी पब्लिशिंग (इंडिया) प्रा.लि.	हट हाई फाई	30.8.2005
36.	मै. सेज पब्लिकेशंस इंडिया लि. (विदेशी निवेश–40 प्रतिशत)	ग्लोबल बिजनिस रिव्यू	30.8.2005
37.	मै. सेज पब्लिकेशंस इंडिया लि. (विदेशी निवेश–40 प्रतिशत)	जेण्डर टेक्नोलॉजी एंड डेवलेपमेंट	6.9.2005
38.	मै. सेज पब्लिकेशंस इंडिया लि. (विदेशी निवेश–40 प्रतिशत)	द इंडियन इक्नोमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू	6.9.2005
39.	मै सेज पब्लिकेशंस इंडिया लि. (विदेशी निवेश–40 प्रतिशत)	कण्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी	6.9.2005
40.	मै. सेज पब्लिकेशंस इंडिया लि. (विदेशी निवेश–40 प्रतिशत)	चाइना रिपोर्ट	6.9.2005
41.	मै. कास्मिक प्रिंट मीडिया प्रा.लि. (विदेशी निवेश–24 लाख रुपये)	टी वी मीडिया	14.11.2005
42.	मै. वर्ल्डवाइड मीडिया लि.	फेमिना द ब्यूटी प्रोफेशनल्स बुक	18.11.2005
43.	मै. सेंट लाइफ मीडिया प्रा.लि. (विदेशी निवेश–74 प्रतिशत)	विशिष्ट मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकियों का प्रकाशन	23.11.2005

III. समाचार और समसामयिक विषयों से संबंधित समाचार पत्रों और आवधिकियों का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

क्र.सं.	आवेदक कंपनी का नाम	मैगजीन का नाम	अनुमोदन पत्र की तारीख
1.	मै. एचटी मीडिया लि. (एफडीआई–24.64 प्रतिशत) (1,93,99,96,638 रुपये)	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	3.12.2003, 7.10.2004 और 15.10.2004
2.	मै. बिजनेस स्टेण्डर्ड लि. (एफडीआई–13.85 प्रतिशत) (8,37,36,380 रुपये)	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	9.3.2004, 29.3.2004 और 5.4.2004
3.	मै. जागरण प्रकाशन प्रा.लि. (एफडीआई–26 प्रतिशत) (3,21,24,860 रुपये)	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	21.3.2005

5 दिसम्बर, 2005 तक विचाराधीन मामलों का विवरण

II. वैज्ञानिक तकनीकी/विशिष्ट मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकियों का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेश निवेश

क्र.सं.	आवेदक कंपनी का नाम	मैगजीन का नाम	अनुमोदन पत्र की तारीख
1.	मै. मीडिया ट्रांसएसिया इंडिया लि.	विशिष्ट मैगजीनों/आवधिकियों/पत्रिकाओं का प्रकाशन	5.7.2005
2.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि.	क्रिकइन्फो मैगजीन	5.10.2005
3.	मै. आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	आईसीआईसीआई प्रीयू क्वार्टरली रिव्यू	17.10.2005
4.	मै. वर्ल्डवाइड मीडिया लि.	फिल्मफेयर क्लासिक	23.11.2005
5.	मै. वर्ल्डवाइड मीडिया लि.	फिल्मफेयर स्टार होम्स	23.11.2005

III. समाचार और समसामयिक विषयक समाचार पत्रों और आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

क्र.सं.	आवेदक कंपनी का नाम	मैगजीन का नाम	अनुमोदन पत्र की तारीख
1	2	3	4
1.	मै. सन्देश लि. (एनआरआई होल्डिंग ऑफ 0.10 प्रतिशत)	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	13.9.2004
2.	मै. टाइम जनरल इंडिया प्रा.लि. (एफडीआईआई 26 प्रतिशत)	समाचार और समसामयिक प्रकाशन (वाल्स्ट्रीट पत्रिका)	12.10.2004
3.	मै. माथुरभूमि प्रिंटेड एंड पब्लिशिंग कं प्रा.लि.	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	29.3.2005
4.	मै. मिड डे मल्टी मीडिया लि.	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	25.8.2005
5.	मै. संभव मीडिया लि.	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	31.8.2005
6.	मै. धरा प्रकाशन प्रा.लि.	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	12.9.2005
7.	मै. डिकेन क्रॉनिकल होल्डिंग लि.	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	15.9.2005

1	2	3	4
8.	मै. बिजनेस इंडिया पब्लिकेशन लि.	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	20.9.2005
9.	मै. राइटर्स एंड पब्लिशर्स लि.	समाचार और समसामयिक प्रकाशन	18.11.2005
10.	मै. मिडराम पब्लिकेशन प्रा.लि.	इण्टरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	30.11.2005
11.	मै. फाइनेंशियल टाइम (इंडिया) प्रा.लि.	साउथ एशियन फाइनेंशियल टाइम्स के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	2.12.2005

अस्वीकृत मामलों का विवरण

वैज्ञानिक/तकनीकी/विशेष विषयक मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकियों का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी निवेश

क्र.सं.	कंपनी का नाम	प्रकाशन का नाम
1.	मै. प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई एस्सेट मैनेजमेंट कं.लि.	प्रूडेंट इन्वेस्टर
2.	मै. इन्फोमीडिया इंडिया लि.	टाटा प्रेस नेबरहुड गाइड

इलेक्ट्रानिक मीडिया संबंधी मामलों का विवरण

क्र.सं.	आवेदक का नाम (मौजूदा अथवा नई)	विदेशी सहयोगी का नाम	प्रस्ताव	मुख्य कार्यकलाप	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.*	मै. ऐंजल फाउंडेशन यूके (नई)	मै. ऐंजल फाउंडेशन यूके (नई)	भारत में 100 प्रतिशत नियंत्रित कंपनी की स्थापना करना	इस क्षेत्र में श्रव्य–दृश्य सॉफ्टवेयर का निर्माण/विपणन और परामर्श, अनुसंधान और वितरण	20.2.2003 को संप्रेषित किया गया
2.*	मै. मोगय कंसल्टेंट प्रा.लि. मुंबई (विद्यमान)	मै. डीईएनटीएसयू इंस जापान	एक संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना करना	श्रव्य और दृश्य साफ्टवेयर का निर्माण और विपणन	अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 4.9.2003 को संप्रेषित किया गया
3.	वाल्ट डिजनी इंडिया प्रा. लि. नई दिल्ली (विद्यमान कंपनी)	मै. डिजनी इंटर–प्राइजेज आईएनसी, अमेरिका (डीईआई)	1. डीईआई द्वारा 100 प्रतिशत निवेश के लिए अनुमति 2. रायल्टी भुगतान का प्रेषण	श्रव्य और दृश्य साफ्टवेयर का निर्माण और विपणन	अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 29.9.2003 को संप्रेषित किया गया
4.	मै. टोटल स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडिया प्रा.लि.	टोटल स्पोर्ट्स एशिया लि. कायमैन आई लैंड बीडब्ल्यूआई	निवासी और गैर–अनिवासी कंपनियों से प्रारंभिक अंशदान का अंतरण	सभी तरह के खेलों का विपणन और वितरण, मीडिया और मनोरंजन अधिकार विक्रय, चलचित्र की फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, एड–फिल्मों का वितरण	हमने आर्थिक कार्य विभाग को बता दिया है कि इस मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है

1	2	3	4	5	6
5.	सेट इंडिया प्रा.लि. (विद्यमान)	मै. सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट अमेरिका	हिस्सा बदलाव कार्रवाई के माध्यम से मैसर्स सेट सैटेलाइट सिंगापुर लि. के 100 प्रतिशत हिस्सों की अधिप्राप्ति	भारतीय भाषायी श्रृव्य-दृश्य निर्माणों का निर्यात, बिक्री और वितरण	2.1.2004 को संप्रेषित किया गया
6.	मै. बालाजी टेलीफिल्म्स लि. (विद्यमान)	मै. एशियन ब्रॉकास्टिंग एफजेडएलएलसी, संयुक्त अरब अमीरात	भारतीय कंपनी की इक्विटी की अधिप्राप्ति	टेलीविजन साफ्टवेयर निर्माण	29.12.2004 को अनापत्ति प्रमाण पत्र संप्रेषित किया गया
7.	मै. बी4यू टेलीविजन मुंबई (विद्यमान)	विदेशी कारपोरेट निकाय	विदेशी कारपोरेट निकायों के शेयरों का हस्तांतरण	टीवी साफ्टवेयर का निर्माण बी4यू चैनल का प्रसारण और फिल्म अधिकारों का विपणन	अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया गया है। एफआईपीबी ने आवेदन की संस्तुति कर दी है
8.	मै. टरनर इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि.	मैं टरनर ब्रॉडकास्टिंग सिस् एशिया पैस्फिक, इंस अमेरिका	टीवी सॉफ्टवेयर का निर्माण को शामिल करने के लिए कार्यकलापों में संशोधन करना	टाइम वारनर ग्रुप फिल्म्स की फिल्मों के प्रत्यालिप्याधिकारों का विपणन	अनापत्ति प्रमाण-पत्र 8.2.2004 को संप्रेषित किया गया
9.*	मै. बलूमबर्ग अमेरिका एलपी	मै. बलूमबर्ग अमेरिका का एलपी	टीवी सॉफ्टवेयर निर्माण कार्यकलाप करने हेतु भारत में 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना करना	टीवी प्रोग्रामिंग और साफ्टवेयर निर्माण (टीवी साफ्टवेयर निर्माण) आदि का व्यवसाय	अनापत्ति प्रमाण-पत्र 27.5.2005 को संप्रेषित किया गया
10.	मै. न्यूज टेलीविजन (इंडिया) प्रा.लि. अब स्टार इंडिया प्रा.लि.	मै. बजर इन्वेस्टमेंट लि. मरटियस (एन एफलियेटैड ऑन मै. सैटेलाइट टेलीविजन एसिया रीजन लि.)	भारत के अन्दर एवं बाहर दोनों जगह टीवी प्रसारण, रेडियो प्रसारण आदि में व्यस्त अनेक मंचों, संस्थानों में मीडिया स्पेस की अधिप्राप्ति शामिल करने हेतु इसके कार्यकलापों में संशोधन	मीडिया उद्योग से संबंधित अनेक कार्यकलाप	एमआरटीवी आयोग की टिप्पणियों हेतु शेष, जिनको 26 सितम्बर, 2005 को यह जानने के लिए मामला भेजा गया था कि कम्पनी द्वारा विज्ञापन बाजार में इसके कार्यकलापों का विस्तार सीधे एकीकरण एवं एकाधि-पत्य की प्रवृत्ति को बढ़ावा एमआर टीवी

1	2	3	4	5	6
					अधिनियम का उल्लंघन होगा
11.*	मै. अमेरिकोर्प वेंचर्स लि., मरटियस	मै. अमेरिकोर्प् वेन्चर्स लि. मरटियस	ट्रान्सैटलांटिक कार्पोरेशन लि. (एनसीएल के शेयर रखने वाली एक विदेशी निगमित) से निम्बुस कम्युनिकेशन लि. (एनसीएल) की शेयर पूंजी में शेयरों की अधिप्राप्ति	विज्ञापन, प्रचार, विपणन परामर्श एवं जनसंचार सहित मनोरंजन एवं मीडिया का व्यवसाय	एफआईपीबी ने दिनांक 27.4.2005 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव की सिफारिश की
12.	मै. निशान मीडिया (इंडिया) लि.	मि. रंजीत सिंह 3–4 द एवेन्यू, ए कॉक ग्रीन बरमिंघम वेस्ट मिडलैंड यूनाइटेड किंगडम	अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश	टेलीविजन एवं रेडियो प्रसारण और निर्माण	इस प्रस्ताव का मंत्रालय द्वारा समर्थन नहीं किया गया और एफआईपीबी को दिनांक 26.5.2005 को इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया
13.	मै. सीबीएन मल्टीमीडिया प्रा.लि. हैदराबाद	क्रिश्चियन ब्रॉड–कास्टिंग नेटवर्क, इंस, यूएसए	टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण हेतु मौजूदा डीटीएच इकाई का 100 प्रतिशत ईओयू में अन्तरण	कहानियों और टीवी कार्यक्रमों का निर्माण	एफआईपीबी ने दिनांक 14.6.2005 को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की सिफारिश की
14.	मै. मिटसुई एंड क. इंडिया प्रा.लि.	मै. मिटसूई एंड क. लि. जापान	कार्यकलापों के क्षेत्र को व्यापक बनाना और कतिपय अन्य अतिरिक्त कार्यकलापों को शुरू करना	आयात, निर्यात, अवतटीय व्यापार और थोक का व्यापार, पूंजीगत माल, पट्टे पर लेना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	अनापत्ति प्रमाण–पत्र 10.10.2005 को संप्रेषित किया गया
15.	मीडिया कण्टेंट एंड कम्यु. सर्विस (इंडिया) लि. (एमसीसीएस)	मै. स्टार न्यूज ब्रॉड–कास्ट लि.	मै. एमसीसीएस में प्रदत्त इक्विटी के 26 प्रतिशत निवेश का प्रस्ताव	समाचार और समसामयिक टीवी चैनल को अपलिंक करना	17.10.2003 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी
16.	न्यू दिल्ली टेलीविजन लि.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड प्रा. इक्विटी (मारिटियस) लि.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्रा. इक्विटी (मारिशस) लि. द्वारा कम्पनी को प्रदत्त पूंजी के पूर्व निर्गम के 14.35 प्रतिशत के समस्त प्रत्यक्ष मूल्य 10 रुपये के 34,28,387 इक्विटी शेयरों के विरुद्ध	समाचार और समसामयिक टीवी चैनल को अपलिंक करना	2003 में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी

1	2	3	4	5	6
			52,87,50,000 रुपये के विदेशी इक्विटी निवेश के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्ताव		
17.	आई न्यूज कॉम लि.	बिजनेस न्यूज एसिया (बीएनए)	एटीन इंडिया लि. की सहायक आई न्यूज काम लि. के 15 प्रतिशत तक विस्तार हेतु इक्विटी शेयर कैपिटल में बिजनेस न्यूज (एशिया) (बीएनए) द्वारा निवेश के लिए प्रस्ताव	समाचार और समसामयिक टीवी चैनल को अपलिंक करना	मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया था क्योंकि यह अपलिंकिंग के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता
18.	टीवी टुडे नेटवर्क लि.		आईपीओ के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए जारी विवरणिका के अन्तर्गत लोगों को निर्गमित कैपिटल पूर्व आईपीओ के 45,00,000 से अधिक के इक्विटी शेयर आमंत्रित शेयरधारकों द्वारा बिक्री के लिए आमंत्रित एवं 1,00,00,000 से अधिक के इक्विटी शेयरों के नए निर्गम। बिक्री आमंत्रण से इतर लिविंग मीडिया 17,00,000 से अधिक के इक्विटी शेयर आमंत्रित करेगी	समाचार और समसामयिक टीवी चैनल को अपलिंक करना	20.11.2003 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी
19.	एसियानेट कम्यु. लि.	मै. अमेरिकॉर्पवेन्चर लि. मरटियस	मै. अमेरिकार्प वेन्चर्स लि. मारीशस को 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 7,00,000 इक्विटी शेयरों का अन्तरण	समाचार और समसामयिक टीवी चैनल को अपलिंक करना	19.1.2005 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी
20.	मियसट इंटरनेशनल (साउथ एसिया)		100 प्रतिशत	भारत में 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी का गठन	14.7.2004 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी
21.	जागरण टीवी प्रा.लि.	मै. न्यू वर्नन भारत लि. मरटियस	विदेशी कम्पनी मै. न्यू वेर्नन भारत लि. को 10 रुपये	समाचार और समसामयिक टीवी चैनल को अपलिंक	27.5.2005 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र

1	2	3	4	5	6
			प्रति शेयर के हिसाब से 34,58,950 शेयरों का आवंटन	करना	जारी
22.	नई दिल्ली टेलीविजन लि.	मै. जीए यूरोपियन	1. मै. जीए यूरोपियन को श्याम सेलुलर के 7.95 प्रतिशत शेयरों का अन्तरण 2. डा. प्रनोय राय और श्रीमती राधिका राय द्वारा उनकी पुत्री जो एक अप्रवासी भारतीय है, की कम्पनी में प्रत्येक के 45,60,198 इक्विटी शेयरों को उपहार में देने हेतु प्रदत्त अंश पूंजी का 15 प्रतिशत मंत्रालय में जांचाधीन है	समाचार और समसामयिक टीवी चैनल को अपलिंक करना	25.8.2005 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कम्पनी के अनुरोध पर प्रस्ताव को स्थगित किया गया
23.	वैल्यू विजन ब्रॉडकास्टिंग प्रा.लि.	मि. विल्सन जोसेफ, मि. विर्की अब्राहम, मि. जाय कल्लुमकाल, मि. फिलिप जार्ज	श्री विल्सन जोसेफ (100 शेयर), श्री विर्की अब्राहम (1500 शेयर) और श्री फिलिप जार्ज (1500 शेयर) प्रत्येक के 1000 रुपये के 4600 इक्विटी शेयरों के निर्गम द्वारा 23 प्रतिशत एनआरआई निवेश	मंत्रालय में एक मनोरंजन चैनल को अपलिंक करने का प्रस्ताव जांचाधीन है	19.8.2005 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी
24.	मै. रेडियो मिड डे (वेस्ट) इंडिया प्रा.लि.	बीबीसी वर्ल्डवाइड लि.	20 प्रतिशत की निर्धारित सीमा में इक्विटी निवेश करना	एफएम रेडियो प्रसारण	30.11.2005 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया
25.	मै. स्पेस टीवी प्रा.लि.	स्टार ग्रुप	टाटा के साथ एक संयुक्त उपक्रम का गठन करना	डीटीएच सर्विस	17.5.2005 को आशय पत्र जारी

कोच्चि आगाती क्षेत्र में वायु सेवाएं

2429. डा. पी. पी. कोया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कोच्चि–आगाती क्षेत्र में इंडियन एयरलाइंस द्वारा उपयोग में लाए जा रहे डोरनियर एयरक्राफ्ट बार–बार खराबी की वजह से उड़ान भरने में असमर्थ रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप बिना सूचना के सेवा को रद्द कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में 46 सीटों वाले एटीआर जहाज की शुरूआत सहित अन्य विकल्पों पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी निजी एयरलाइन ने इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। अगस्त, 2005 से अक्तूबर, 2005 की अवधि के दौरान, 156 उड़ानों में से, डोर्नियर उड़ानों के केवल 13 रद्दकरण हुए। इनमें से, केवल 4 रद्दकरण डोर्नियर विमानों की तकनीकी समस्याओं की वजह से थे।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी, एलाइंस एयर छोटी श्रेणी के एटीआर विमानों को लीज पर अर्जित करने की प्रक्रिया में हैं। इन विमानों को चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली तथा कोलकाता में रखने की योजना है। एटीआर विमानों से कोच्चि तथा आगाती के बीच सेवाओं पर तब, वाणिज्यिक साध्यता के अध्याधीन, विचार किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। इस प्रकार, सभी एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन, देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि निजी एयरलाइनें इस सेक्टर पर प्रचालन करने के लिए अपनी अनुसूची फाइल करती हैं, तो सरकार आवश्यक क्लियरेंस प्रदान करेगी।

निगरानी क्षमता

2430. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे रक्षा बलों की निगरानी क्षमता अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो पूरे देश की निगरानी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) रक्षा सेवाओं की निगरानी क्षमताएं उनकी अनिवार्य संक्रियात्मक भूमिका के अनुरूप हैं। इन क्षमताओं की निरंतर समीक्षा की जाती है, एतदर्थ योजनाएं बनाई जाती हैं तथा उनका उन्नयन किया जाता है।

मिलावट रोधी प्रकोष्ठ को समाप्त करना

2431. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के मिलावट रोधी प्रकोष्ठ को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कदाचार को रोकने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब सेल्स आफिसर किसी कदाचार का पता लगाते हैं तो तेल माफिया द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है;

(च) यदि हां, तो हाल के दौरान सेल्स आफिसरों के मारे जाने से संबंधित कितनी घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(छ) सरकार द्वारा सेल्स अधिकारियों को तेल माफिया से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ताकि सेल्स स्टाफ कदाचार को रोक सकें?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) जी, हां। मिलावट रोधी प्रकोष्ठ (एएसी) का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत मार्च, 2001 में किया गया था। यह, इसके कुछ उन अधिकारियों के, संभावित रूप से अवांछित कार्यों में संलिप्त होने के कारण अपने कार्यकलाप में प्रभावहीन पाया गया, जिनसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पूछताछ कर रहा है। इसलिए एएसी के कार्य की व्यापक समीक्षा करने के लिए अप्रैल, 2004 में अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में एक, एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि एएसी अपनी वर्तमान संरचना और कार्यों के साथ मिलावट की बुराई नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों में एक सार्थक भूमिका अदा नहीं कर सका। तद्नुसार प्रकोष्ठ को जुलाई, 2004 में बंद कर दिया गया।

सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज)

ने मिलावट के खतरे को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत, ईंधन मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के तहत, राज्य सरकारों को मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकार ने निरीक्षण/औचक जांच करने के लिए इस मामले को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिलावट संबंधी गतिविधियां कम से कम हों तथा उनके क्षेत्राधिकारों में आने वाली विभिन्न निजी फर्मों, फैक्ट्रियों, प्रक्रम इकाइयों आदि पर निगरानी रखी जाए, निरीक्षण किए जाएं ताकि मिलावट कर्त्ताओं का पता लगाया जा सके तथा उपलब्ध कानूनी दायरे के अन्दर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।

(2) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित व औचक निरीक्षण करती हैं तथा कदाचार और मिलावट करने वालों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) तथा डीलरशिप करारों के तहत कार्रवाई भी करती है। एमडीजी में मिलावट का दोष प्रमाणित होने वाले मामलों में डीलरशिप समाप्ति के दंड की व्यवस्था का प्रावधान है।

(3) सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने एक अलग स्कंध की स्थापना की है जो निदेशक (विपणन) के अलावा ऐसे किसी निदेशक को रिपोर्ट करेगा जो मिलावट को कम करने के लिए सभी गतिविधियों तथा प्रचालन कार्यों को देखेगा और उन पर निगरानी रखेगा तथा इस संबंध में मानदंडों तथा दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करेगा।

(4) मिलावट के लिए एसकेओ के दुरुपयोग/विपथन की दृष्टि से, निजी पक्षकारों द्वारा एसकेओ के आयात को ओएमसीज के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया है।

(5) ओएमसीज ने परिवहनकर्त्ताओं द्वारा मार्ग में मिलावट रोकने के लिए नई छेड़छाड़ रोधी टैंक ट्रक ताला प्रणालियों की शुरूआत की है।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधान, जैसे वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) द्वारा टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी तथा खुदरा स्वचलन के माध्यम से खुदरा बिक्री केन्द्रों में ईंधन टैंकों के निगरानी स्तर की शुरूआत की गई है।

(7) ओएमसीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की ब्रांडिंग तथा तीसरे पक्षकार द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रमाणीकरण की शुरूआत की गई है।

(8) 2 अक्तूबर, 2005 से सरकार ने मिट्टी तेल के वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और सुचारू बनाने और पीडीएस मिट्टी तेल वितरण के पर्यवेक्षण में ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों और राज्य पंचायती राज संस्थानों को शामिल करने की दृष्टि से छह माह की अवधि के लिए 23 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए 417 ब्लाकों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में जन केरोसीन परियोजना आरंभ की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हकदार लाभार्थी वास्तव में अपनी हकदारी प्राप्त कर सकें और मिलावट तथा कालाबाजारी के लिए विपथन नियंत्रित, कम और अन्ततः समाप्त किया जा सके। प्रायोगिक परियोजना का एनसीएईआर द्वारा वर्तमान में मूल्यांकन किया जा रहा है और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर सरकार देश के सभी ब्लाकों को शामिल करने के लिए परियोजना का दायरा बढ़ाने की संभावना और वांछनीयता का निर्धारण करेगी।

मिलावट की जांच करने के उपायों की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है।

(ङ) से (छ) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दलों को धमकाने की कुछ घटनाएं देखी गई हैं। हाल ही में आईओसी के एक बिक्री अधिकारी की उत्तर प्रदेश में उस समय हत्या कर दी गई जब वे निरीक्षण कर रहे थे। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि निरीक्षण करने के लिए अपेक्षानुसार ओएमसीज के पदाधिकारियों को समुचित पुलिस संरक्षण/सुरक्षा प्रदान की जाए।

जामनगर और हापा रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफार्म

2432. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जामनगर और हापा रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय जामनगर स्टेशन पर दो प्लेटफार्म और हापा रेलवे स्टेशन पर तीन प्लेटफार्म हैं जिन्हें इन स्टेशनों पर संभाले जाने वाले मौजूदा यातायात के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

रेलवे भूमि का अतिक्रमण

2433. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की जोन-वार अनुमानित कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है; और

(ख) रेलवे द्वारा अतिक्रमण करने वालों से भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जोनवार रेलवे भूमि जिस पर अतिक्रमण किया गया है, के अनुमानित क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

रेलवे	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2
मध्य	82.1
पूर्व	56.388
पूर्व मध्य	28.533
पूर्व तटीय	24.905
उत्तर	1152.41
उत्तर मध्य	48.004
पूर्वोत्तर	40.250
पूर्वोत्तर सीमा	181.764
उत्तर पश्चिम	19.008
दक्षिण	63.42
दक्षिण मध्य	32.419
दक्षिण पूर्व	198.399
दक्षिण पूर्व मध्य	57.032
दक्षिण पश्चिम	19.5
पश्चिम	65.486
पश्चिम मध्य	06.303
जोड़	2075.92

(ख) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 तथा रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार रेलवे अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है।

कर्नाटक में दूरदर्शन कार्यक्रमों की कवरेज

2434. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों के खराब प्रसारण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कर्नाटक के सभी शहरों में दूरदर्शन कार्यक्रमों के कवरेज को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन के अड़सठ (68) टीवी ट्रांसमीटर कर्नाटक की लगभग 82.4 प्रतिशत जनसंख्या को कवरेज प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट + के द्वारा बहु चैनल टीवी कवरेज एक लघु आकार की डिश अभिग्रहण यूनिट की सहायता से संपूर्ण राज्य में प्राप्त की जा सकती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर सेवा

2435. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चल रही हेलीकॉप्टर सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक महीने में उड़ान के घंटों की कोई सीमा नियत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान यात्रा पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड (पीएचएचएल) ने मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा की सरकारों को लंबे समय के लिए लीज पर हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं। नियमित यात्री सेवाएं निजी (संबंधित) राज्य सरकारों के संरक्षण में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रचालित की जाएंगी।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य के लिए उच्चतम फ्लाइंग घंटों को निर्धारित किया है, जो अरुणाचल प्रदेश के लिए 180 घंटे प्रति माह, मेघालय के लिए 60 घंटे प्रति माह, सिक्किम के लिए 50 घंटे प्रति माह तथा त्रिपुरा के लिए 40 घंटे प्रति माह है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

2436. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में आरम्भ किए जाने वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है और वे किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) उन पर कितना व्यय होगा;

(ग) क्या इन ट्रांसमीटरों के प्रचालन और रख–रखाव हेतु अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध करवा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इन ट्रांसमीटरों के प्रचालन और रख–रखाव पर वार्षिक रूप से अनुमानतः कितना व्यय होगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) 1.38 करोड़ रुपये की लागत से मुढ़ोल तथा सिद्धनपुर में परिचालित 2 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त कर्नाटक में कोई अन्य ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। पदों की संस्वीकृति के अभाव में, इन ट्रांसमीटरों का परिचालन एवं रखरखाव अन्य स्टेशनों से प्रतिनियुक्ति स्टाफ द्वारा किया जा रहा है।

(च) इन ट्रांसमीटरों के रखरखाव एवं परिचालन पर वार्षिक प्राक्कलित व्यय लगभग 30.00 लाख रुपये है।

कंटेनर कार्पोरेशन को धनराशि बन्द किया जाना

2437. श्री पुरल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को पूर्व प्रदत्त लाभों को बंद करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुराने वायुयानों को बदलना

2438. श्री दुष्यंत सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना में कितने पुराने वायुयान हैं;

(ख) क्या सरकार के पास पुराने वायुयानों को बदलने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) पुराने विमानों को बदलना एक सतत् प्रक्रिया है। पुराने विमानों को बदलने के लिए

समय–समय पर कार्यक्रम बनाए जाते हैं तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। विमानों को चरणबद्ध ढंग से हटाने तथा उन्हें बदलने के कार्यक्रमों का और ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा आयात

2439. श्री जोवाकिम बखला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कंपनी ने मात्रा और मूल्य में कुल कितना आयात किया;

(ख) तेलशोधन और परिवहन पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, अन्य उपकरों के फलस्वरूप इनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान तेलशोधन और विपणन प्रचालनों से क्रमशः प्रत्येक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का हिस्सा कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए किए गए आयात की मात्रा व मूल्य के रूप में ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, विभिन्न उपकरों पर उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) एमआरपीएल के अतिरिक्त, जो कि एक परिशोधन कंपनी है, उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एकीकृत तेल परिशोधन व विपणन कंपनियां हैं और रिफाइनरी/विपणन प्रचालन से होने वाली निवल लाभ को पृथक रूप से नहीं रखा जाता बल्कि कंपनी के समग्र लाभ में जोड़ा जाता है। इन कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित कर पश्चात लाभ (पीएटी) निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम	2002–03	2003–04	2004–05
एचपीसीएल	1537	1904	1277
आईओसीएल	6115	7005	4891
बीपीसीएल	1250	1695	966
एमआरपीएल	412	459	880

विवरण–I

पीएसयू तेल कंपनियों द्वारा किए गए आयात

कम्पनी का नाम	2002–03		2003–04		2004–05	
	मात्रा टीएमटी	मूल्य करोड़ रुपये में	मात्रा टीएमटी	मूल्य करोड़ रुपये में	मात्रा टीएमटी	मूल्य करोड़ रुपये में
एचपीसीएल	32412	31600	34566	33338	38394	50851
आईओसीएल	7712	7311	10379	9889	11360	14710
बीपीसीएल	8012	7894	9243	8813	10226	13258
एमआरपीएल	7210	6756	7989	7408	8335	10710

विवरण-II

वर्ष 2002–03 के लिए राजकोष में योगदान	आईओसीएल	बीपीसीएल	एआरएल	एमआरपीएल
केन्द्र	3407.92	811.81	873.00	694.00
सीमा शुल्क	17171.62	6939.19	5661.00	518.00
उत्पाद शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपकर	119.89	206.65	2.00	शून्य
अन्य				
उप योग (क)				
राज्य				
बिक्री कर	12996.74	6457.97	6168.00	261.00
राज्य सरकार को लाभांश	1.44	8.08	शून्य	शून्य
भाड़ा व शुल्क	870.93	0.55	113.00	शून्य
अन्य	0.25	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष 2003–04 के लिए राजकोष में योगदान	आईओसीएल	बीपीसीएल	एआरएल	एमआरपीएल
1	2	3	4	5
केन्द्र				
सीमा शुल्क	3948.63	1145.47	1139.70	826.00
उत्पाद शुल्क	18017.43	7024.15	6128.99	1221.00
उपकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	95.55	134.25	4.21	शून्य
उप योग (क)				
राज्य				
बिक्री कर	14331.90	7334.64	6986.11	233.00
राज्य सरकार को लाभांश	2.84	14.990	शून्य	शून्य
भाड़ा व शुल्क	614.026	0.46	132.31	शून्य
अन्य	305.01	42.19	शून्य	57.00

वर्ष 2004–05 के लिए राजकोष में योगदान	आईओसीएल	बीपीसीएल	एआरएल	एमआरपीएल
केन्द्र				
सीमा शुल्क	5703.81	1534.82	1397.73	396.00
उत्पाद शुल्क	16918.95	7431.98	6189.05	2180.00
उपकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	141.85	145.49	6.74	शून्य
उप योग (क)				
राज्य				
बिक्री कर	18209.11	9450.76	7977.27	198.00
राज्य सरकार को लाभांश	2.77	17.99	शून्य	शून्य
भाड़ा व शुल्क	594.19	0.55	149.20	शून्य
अन्य	551.78	39.18	शून्य	118.00

टीवी चैनल

2440. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में सरकारी और निजी क्षेत्र में राज्य-वार कितने टीवी चैनल चल रहे हैं;

(ख) क्या किसी टीवी चैनल को निजी तौर पर चलाने के लिए कोई नियम तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश के विभिन्न भागों में कुछ टीवी चैनल अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सरकार ने अब तक 63 कंपनियों को भारत से 166 निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, वर्तमान में दूरदर्शन 23 टीवी चैनलों को प्रचालित कर रहा है। इन चैनलों को उपग्रह के फुटप्रिंट क्षेत्र में जहां ये अपलिंक किए गए हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। निजी टीवी चैनल को अपलिंक करने की अनुमति भारत से अपलिंक करने के लिए दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है। ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेडियो और टीवी स्टेशन

2441. मो. मुकीम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर और आजमगढ़ जिले में एक रेडियो/टीवी स्टेशन की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) आकाशवाणी ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और सिद्धार्थ नगर जिलों को गोरखपुर और वाराणसी स्थित 100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटरों द्वारा पूरी तरह से कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हालांकि आजमगढ़ जिले के अधिकांश हिस्से पटना स्थित 100 कि.वा.मी.वे. द्वारा कवर किए जाते हैं तथापि, सिद्धार्थ नगर जिले का पश्चिमी हिस्सा लखनऊ स्थित 300 कि.वा.मी.वे. के माध्यम से कवरेज प्राप्त कर रहा है। पर्याप्त कवरेज को देखते हुए, सिद्धार्थ नगर और आजमगढ़ जिले में नए रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके अतिरिक्त, 16 दिसम्बर, 2004 से दूरदर्शन की के.यू. बैंड फ्री–टु–एयर (डायरेक्ट–टु–होम) प्रसारण के शुरू होने से बारह आकाशवाणी चैनलों के अतिरिक्त तैंतीस टीवी (19 दूरदर्शन और 14 निजी चैनलों) चैनलों का इसका समूह उत्तर प्रदेश के उपर्युक्त जिलों सहित सारे देश में (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) दर्शकों/श्रोताओं के लिए भी उपलब्ध है जिसे एक लघु आकार की डिश अभिग्रहण यूनिट की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त दो जिलों में टीवी ट्रांसमीटरों की स्थापना का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

विमानन क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग

2442. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमेरिका आगामी पांच वर्षों के दौरान देश के विमानन क्षेत्र में 25 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु निवेश पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका (एफएए) भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या अमेरिका भारत व्यापार परिषद की बैठक में बोइंग एशियान, प्रेट एण्ड विटनी तथा हनीवैल जैसी कंपनियों ने भाग लिया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(च) इस मामले में अन्तिम निर्णय क्या लिया गया?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) यूएस सरकार द्वारा नागर विमानन के संबंध में एक समझौता करार (एमओए) किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराएगी :

- विकास, सुधार तथा नागर विमानन अवसंरचना के प्रचालन, मानक स्तर, क्रियाविधि, प्रशिक्षण तथा उपकरण को उन्नत बनाने के लिए तकनीकी तथा प्रबंधकीय विशेषज्ञ उपलब्ध कराना।
- नागर विमानन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- हमारे नागर विमानन उपकरण तथा विमान दिक्चालन सुविधा का निरीक्षण एवं अंशशोधन।
- भारत में हवाई अड्डा प्रमाणन में सहायता।
- हेलीकॉप्टर प्रचालनात्मक सुरक्षा पहलू के क्षेत्र में सहायता।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोचीन विमानपत्तन का पुनः नामकरण

2443. श्री एस. अजय कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम बदलकर भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व. श्री के. आर. नारायनन के नाम पर रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बर्ड फ्लू संक्रमण

2444. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 नवम्बर, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया में फाइनली आर्मी वेक्स अप टू बर्ड फ्लू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रक्षा बलों में बर्ड फ्लू से संबंधित बीमारी का कोई मामला सामने आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) टाइम्स ऑफ इंडिया में 14 नवम्बर, 2005 को प्रकाशित यह समाचार सही नहीं है कि सेना को बर्ड फ्लू संबंधी एहतियातों के बारे में अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे। बर्ड फ्लू महामारी के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए किए जाने वाले एहतियाती उपायों के संबंध में सेना ने 27 अक्तूबर, 2005 को अनुदेश जारी किए थे। इसके बाद बर्ड फ्लू महामारी के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए थे जिन्हें सेना, नौसेना तथा वायुसेना में प्रचारित किया गया था।

आज तक, सशस्त्र सेना कार्मिकों में बर्ड फ्लू बीमारी संबंधी किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कम किराए वाली विमान कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा

2445. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी विमान कम्पनियों ने कम किराए वाले वायुमार्गों की घोषणा की है जिनके किराए सुपर फास्ट ट्रेनों के किरायों से भी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम किराए वाली विमान कम्पनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रेलों को एयरलाइंस क्षेत्र, विशेषकर कम किराए वाली एयरलाइंस से मिल रही प्रतिस्पर्धा के बारे में जानकारी है। बहरहाल, रेलवे यात्री अर्जन पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है जैसा कि चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में इसमें 8 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि देखी गई है। यात्री अर्जन में वृद्धि करने के लिए रेलों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर तथा यात्री प्रोफाइल प्रबंधन (पीपीएम) परियोजना के माध्यम से गाड़ियों के प्रोफाइल में परिवर्तन करके अतिरिक्त सीटों की क्षमता को प्राप्त करके।

(ii) पैट्रानाइज्ड गाड़ियों में लदान क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाकर।

(iii) प्रतीक्षा सूची क्लीयर करने के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर।

(iv) सवारी डिब्बों की कमी को दूर करने के लिए कोचिंग स्टॉक की उपयोगिता में सुधार करके।

कंक्रीट स्लीपर संयंत्र

2446. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल बजट (2005–06) में देश के विभिन्न स्थानों में नए कंक्रीट रेलवे स्लीपन संयंत्रों की स्थापना के बारे में घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब तक कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) पिछला रेल बजट पेश करते समय, रेल मंत्री जी ने कहा था कि उत्पादन क्षमता और आवश्यकता के बीच अंतर को दूर करने और कंक्रीट स्लीपरों के लम्बे पारवहन से बचने के लिए रेलवे ने 12 नए कंक्रीट स्लीपर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। चक सिकंदर, दोराम मधेपुरा, सीतामढ़ी, पालघाट और हरिहर पांच स्थान हैं जहां पर नए स्लीपर संयंत्र लगाए जाने की योजना है, का बजट भाषण में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि नियोजन में शामिल था, चक सिकंदर (पूर्व मध्य रेलवे), दोराम मधेपुरा (पूर्व मध्य रेलवे), सीतामढ़ी (पूर्व मध्य रेलवे), पालघाट (दक्षिण रेलवे), हरिहर (दक्षिण पश्चिम रेलवे), सुलतानपुर (उत्तर रेलवे), धिलवान (उत्तर रेलवे), कठुआ (उत्तर रेलवे), औंडिहार (उत्तर पूर्व रेलवे), मनडगेरे (दक्षिण पश्चिम रेलवे), येलहंका (दक्षिण पश्चिम रेलवे), भंगा (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे), वेना (पूर्व मध्य रेलवे), बिटरागुंटा (दक्षिण मध्य रेलवे), और रोजा (उत्तर रेलवे) में नए कंक्रीट स्लीपर संयंत्र लगाने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। इस प्रयोजन के लिए कुल दो निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। एक 14.3.2005 को दूसरी 29.11.2005 को खोली गई थी। निविदाओं पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है।

(ङ) लागू नहीं।

मानकेश्वर मेंटेनेंस यार्ड का विस्तार

2447. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व तटीय रेल के मानकेश्वर मेंटनेंस यार्ड के विस्तार पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने उड़ीसा स्थित कटक रेलवे स्टेशन की क्षमता में विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मानकेश्वर में कोई यार्ड अनुरक्षण नहीं है। बहरहाल, मानकेश्वर में सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग के लिए एक कारखाना (वर्कशॉप) है। इस कारखाने के विस्तार के लिए कार्य प्रगति पर है।

(ख) इस समय मानकेश्वर कारखाने की क्षमता के विस्तार के लिए निम्नलिखित कार्य प्रगति पर है।

कार्य का नाम	लागत	टिप्पणी
(i) एसी कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग के लिए सुविधा का निर्माण	3.34 करोड़	1999–2000 में कार्य को स्वीकृत किया गया जिसे मार्च, 2006 तक पूरा करने की संभावना है।
(ii) डिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग क्षमता का आवर्धन	6.5 करोड़	2003–04 में कार्य को स्वीकृति दी गई थी और 2005–06 के लिए 3 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कटक रेलवे स्टेशन की क्षमता के विस्तार के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं :

(i) टर्मिनल सुविधा के सुधार के लिए 2.5 करोड़ रुपये की लागत पर गुड्स शेड का नवीकरण किया जा रहा है।

(ii) नए प्लेटफार्म सं. 4 और 5 के लिए कार्य का निष्पादन किया जा रहा है।

सेना को तेल की आपूर्ति

2448. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में सेना में तेल कथित चोरी और अपमिश्रण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले की जांच को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) से कहा था कि वह जुलाई, 2005 में मीडिया में आए समाचार के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में सेना को सप्लाई किए गए तेल की कथित चोरी की जांच अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) से कराएं।

सीवीओ ने जांच की और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

(1) वरिष्ठ टर्मिनल प्रबंधक, तत्कालीन डिपो प्रबंधक, लेह, उप प्रबंधक, अम्बाला टर्मिनल तथा सहायक प्रबंधक, अम्बाला टर्मिनल के खिलाफ बड़ी दण्डात्मक कार्यवाहियां तथा वर्तमान कार्यस्थलों से गैर-संवेदनशील पदों पर उनका तबादला।

(2) फोरमैन, अम्बाला टर्मिनल तथा वरिष्ठ आपरेटर, अम्बाला टर्मिनल के खिलाफ छोटी दण्डात्मक कार्यवाहियां तथा गैर संवेदनशील पदों पर उनका तबादला।

(3) लेह में पकड़े गए 7 टैंक ट्रकों की घटना में शामिल टैंक ट्रकों (टीटी) के कर्मी दल पर प्रतिबंध सहित संविदा करार के अनुसार ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई।

(4) नया परिपत्र जारी करके तालों की इन्वेंटरियों की जांच तथा मास्टर चाबियों को सौंपने/लेने की प्रणाली में अस्पष्टता को समाप्त करना और उससे संबद्ध व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(5) राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों/प्रधान कार्यालय द्वारा नियमित अंतराल पर टर्मिनलों/डिपुओं का निरीक्षण तथा निरीक्षणों के दौरान पाई गई खामियों को एक समयबद्ध ढंग से दूर करने के लिए कार्रवाई करना।

(6) पीओएल उत्पादों के परिवहन की वर्तमान प्रणाली को एक बेहतर/श्रेष्ठ प्रणाली से बदला जाए, ताकि उसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ बिल्कुल न की जा सके।

सीवीओ की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, आईओसी के प्रबंधन ने वरिष्ठ टर्मिनल प्रबंधक, अम्बाला टर्मिनल को निलम्बित कर दिया है। इसके अलावा, कथित चोरी में लिप्त पाए गए वरिष्ठ टर्मिनल प्रबंधक, तत्कालीन डिपो प्रबंधक, लेह, उप प्रबंधक, अम्बाला टर्मिनल, सहायक प्रबंधक, अम्बाला टर्मिनल, फोरमैन अम्बाला टर्मिनल तथा वरिष्ठ आपरेटर, अम्बाला टर्मिनल के खिलाफ नियमित अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेह में पुलिस द्वारा पकड़े गए 7 टैंक ट्रकों को निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा, उन ट्रांसपोर्टरों से संबंधित 45 टैंक ट्रकों को भी निलम्बित कर दिया गया है, जो घटना में लिप्त पाए गए थे। आईओसी ने कार्यक्रम के अनुसार डिपो/टर्मिनलों का निरीक्षण करने वाले, सुरक्षा लाकिंग प्रणाली देखने वाले अधिकारियों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों पर एक परिपत्र जारी किया है। वे अपने सम्मेलनों में मास्टर चाबी के महत्व पर जोर दे रहे हैं। आईओसी ने आगे यह भी सूचित किया कि हालांकि, परेषिती के लिए यह पूर्णतः अनिवार्य है कि माल की डेलिवरी लेने से पूर्व उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करें, फिर भी उनका यह प्रयास रहेगा कि टैंक लारियों में लगाए जाने के लिए ऐसे प्रभावी उपकरणों की तलाश की जाए की वाहन चालकों के लिए उत्पाद की चोरी/मिलावट करना मुश्किल हो जाए।

(ग) उक्त (क) और (ख) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षण कोटे का उपयोग

2449. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न रेलगाड़ियों में सड़क के किनारे वाले स्टेशनों हेतु निर्धारित बर्थों/सीटों का आरक्षण कोटा कम प्रयुक्त हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आरक्षण कोटे की उपयोगिता की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आरम्भिक स्थानों पर रेलगाड़ियों की क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) कुछ जगहों पर आरक्षण कोटा का कम उपयोग हुआ है। विभिन्न स्टेशनों पर आवंटित आरक्षण कोटे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक समायोजन किया जाता है। उपयोग और समायोजन का आंकड़ा गाड़ीवार नहीं रखा जाता है।

(ङ) गाड़ी की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से क्षेत्रीय रेलों पर पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट कक्षों का गठन किया गया है जिसमें गाड़ियों के प्रोफाइल्स और उनमें कोटे की उपयोगिता आदि का अध्ययन किया जाता है और यह प्रबंधन कम्पोजीशन में बढ़ोत्तरी/कमी/परिवर्तन, एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए निर्धारित कोटा इत्यादि के संबंध में विभिन्न सुझाव भी देता है।

बिजली की खरीद

2450. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण मार्गों पर रेलगाड़ियां चलाने के लिए विभिन्न राज्यों से विभिन्न दरों पर बिजली खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने राज्य सरकारों से उसे रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। कर्षण हेतु विद्युत शक्ति 16 राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) तथा 5 पावर कम्पनियों अर्थात् दामोदर घाटी परियोजना (डीवीसी), मैसर्स टाटा, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि. (एनटीपीसी), नॉर्थ डिस्ट्रीक्ट पावर लि. (मैसर्स एनडीपीएल) एवं मैसर्स बीएसईएस (राजधानी) से खरीदा जा रहा है। विभिन्न एसईबी एवं पावर कम्पनियों द्वारा प्रभारित दर संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, हां। राज्य बिजली नियामक आयोग (एसईआरसी) के स्थापित होने के बाद जब कभी कोई दरसूची परिशोधन प्रस्ताव एसईआरसी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्षेत्रीय रेलें एसईआरसी के समक्ष प्रस्तुत करती हैं और कर्षण दरसूची में कमी करने की पैरवी करती हैं।

(घ) आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं मैसर्स टाटा के मामले में 2004-05 में कर्षण दरसूची में कमी हुई है।

विवरण

विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/पावर आपूर्ति प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित औसत लागत/इकाई (2004-05 में)

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्डों/पावर आपूर्ति प्राधिकरणों के नाम	प्रति इकाई औसत लागत (रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कार्पोरेशन	4.43
2.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	5.02
3.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	5.03
4.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	3.90
5.	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन निगम लि.	4.76
6.	केरल राज्य बिजली बोर्ड	3.70
7.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	3.97
8.	मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	4.65
9.	ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ उड़ीसा	3.98
10.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	4.32
11.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	4.13
12.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	4.71
13.	उत्तर प्रदेश पावर निगम लि.	4.45
14.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	4.13
15.	छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड	4.44
16.	झारखंड राज्य बिजली बोर्ड	4.79
17.	मुंबई क्षेत्र में मैसर्स टाटा	3.48

1	2	3
18.	दामोदर वैली कार्पोरेशन	3.60
19.	नेशनल थर्मल पावर निगम लि.	2.53
20.	दिल्ली क्षेत्र में मैसर्स एनडीपीएल	4.69
21.	दिल्ली क्षेत्र में मैसर्स बीएसईएस (राजधानी)	4.69

स्पाइस जेट द्वारा नियमों का उल्लंघन

2451. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 2005 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित "स्पाइस जेट गोज एक्स्ट्रा माईल फॉर पैसेंजर, लैण्ड्स इन स्पॉट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और नियमों का उल्लंघन करने वाली विमान कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) दो यात्री, दोनों विदेशी राष्ट्रिक, इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिनांक 30.10.2005 को स्पाइस जेट द्वारा 0230 बजे दिल्ली के घरेलू टर्मिनल पर पहुंचे थे, और उन्हें टर्मिनल-II (अन्तर्राष्ट्रीय) आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली में 0420 बजे अन्तर्राष्ट्रीय उडान पकडनी थी। घरेलू से अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में यात्रियों के सामान का वहन एएआई द्वारा एयरसाइड पर उपलब्ध कराए गए कोच के जरिए किया जाता है। इन यात्रियों को एएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए कोच में छोड़ने की बजाए, स्पाइस जेट के स्टाफ ने उन्हें अपने वाहन से सीधे अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन पर छोड़ दिया।

(ग) स्पाइस जेट ने दोषी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया और मौजूदा सुरक्षा निदेशों को पुनः उद्‌धृत किया।

नए रसोई गैस कनेक्शनों की बुकिंग

2452. **डा. एम. जगन्नाथ :**

श्री परसुराम माझी :

श्री अनन्त नायक :

श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों से संपूर्ण देश में नए रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शनों की बुकिंग को सरकार के इन दावों कि रसोई गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है के बावजूद, अनाधिकारिक रूप से रोकने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार कितने व्यक्ति नए रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रसोई गैस को उपलब्ध करवाने और नए रसोई गैस कनेक्शनों वाले प्रतीक्षारत व्यक्तियों की सूची के निपटान के लिए की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओएमसीज) पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है।

एलपीजी की मांग घरेलू उत्पादन और आयातों से पूरी की जाती है। सितम्बर, 2005 में अनेक कारणों से एलपीजी की कृत्रिम कमी उत्पन्न हुई। अप्रैल-सितम्बर, 2005 की अवधि में पीएसयू उत्पादन योजनाबद्ध उत्पादन से 303 (हजार मीट्रिक टन) टीएमटी कम था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) का उत्पादन योजनाबद्ध उत्पादन से 190 टीएमटी कम था। इसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास वास्तविक माल सूची अप्रैल, 2005 के आरम्भ में 333 टीएमटी से घटकर अक्तूबर, 2005 के आरम्भ में 190 टीएमटी रह गई। उसके बाद 4 अक्तूबर, 2005 से एलपीजी की एकमात्र सबसे बड़ी घरेलू आपूर्तिकर्ता आरआईएल ने रखरखाव कार्य के लिए जामनगर में अपना फ्यूडाईज्ड कटेलिटिक क्रेकर (एफसीसी) यूनिट बंद कर दिया। इसके अलावा, लगभग उसी समय जब आरआईएल ने अक्तूबर, 2005 से अपनी उक्त यूनिट के बंद होने की पुष्टि की, मुंबई हाई नार्थ में आग से घरेलू उत्पादन संभाव्यताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा और वैश्विक एलपीजी आपूर्तियों में कठिनाई उत्पन्न हो गई, जो कि मुख्यतया अमेरिकी रिफाइनरियों पर हरीकेन केटरीना के असर के कारण हुआ। इस सभी कारणों ने मिलकर आपूर्तियों में अनुमानित कमी की पूर्ति के लिए ओएमसीज की आयात योजनाएं गड़बड़ा गईं। इससे बाजार में अफवाह फैल गई कि ओएमसीज मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं होगी जिसके कारण मांग में अचानक वृद्धि हो गई। सितम्बर, 2005 के अन्त में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में भरण संयंत्रों में हड़ताल भी हो गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

मंत्रालय ने मामले को अक्तूबर, 2005 के आरम्भ में अपने हाथ में लिया और यह निर्णय लिया गया कि सरकार के ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण के तहत ओएमसीज की संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा सीधे नियंत्रित इन्वेंटरी प्रबंधन और आयातों के जरिए आपूर्ति की वास्तविक कमियों पर यथाशीघ्र काबू किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि एनसीटी क्षेत्र में भरण संयंत्र रविवार, 9 अक्तूबर, 2005 और अन्य अवकाश दिवसों को भी कार्य करेंगे। इन निर्णयों के आधार पर यह घोषणा की गई कि एनसीटी में वास्तविक कमी दशहरा तक समाप्त हो जाएगी और देश के शेष भाग में दीपावली तक भी काफी समाप्त हो जाएगी। ये उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए। अक्तूबर–दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान 642 टीएमटी एलपीजी आयात करने के लिए ओएमसीज द्वारा पहले किए गए प्रबंधों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 237.9 टीएमटी की अतिरिक्त मात्रा आयात करने के प्रबंध किए गए हैं जिसमें से 138 टीएमटी देश में पहुंच चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में देश में समग्र वास्तविक कमी घटकर एलपीजी की औसत मासिक खपत का केवल लगभग 1.5 प्रतिशत के बराबर रह गई है। तथापि, प्रचालनात्मक कारणों से अलग–अलग बाजार में कमी की मात्रा अलग–अलग हो सकती है।

एलपीजी की अस्थायी कमी को देखते हुए ओएमसीज ने सितम्बर, 2005 से नए कनेक्शन देने बन्द कर दिए थे लेकिन 1 दिसम्बर, 2005 से उन्होंने नए एलपीजी कनेक्शन देना पुनः आरम्भ कर दिया है। देश के विभिन्न राज्यों में 1.11.2005 को प्रतीक्षा सूची में लगभग 3.90 लाख व्यक्ति हो गए हैं। राज्यवार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आरआईएल की रिफाइनरी में 1 दिसम्बर, 2005 से एलपीजी का उत्पादन पुनः आरम्भ होने से आने वाले सप्ताह में आपूर्ति की स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार होने और सामान्य होने की आशा है।

विवरण

1.11.2005 को अखिल भारतीय प्रतीक्षा सूची

राज्य	योग
1	2
आंध्र प्रदेश	9374
अरुणाचल प्रदेश	4170
असम	10212
बिहार	6800
छत्तीसगढ़	7849
दिल्ली	2117
गोवा	1365
गुजरात	7838
हरियाणा	2638
हिमाचल प्रदेश	4963
जम्मू और कश्मीर	8376
झारखंड	6370
कर्नाटक	20613
केरल	71161
मध्य प्रदेश	20720
महाराष्ट्र	30548
मणिपुर	4555
मेघालय	2553
मिजोरम	793
नागालैंड	1435
उड़ीसा	4874
पंजाब	19746
राजस्थान	5177
सिक्किम	565
तमिलनाडु	88818
त्रिपुरा	4821
उत्तर प्रदेश	11967
उत्तरांचल	1250

1	2
पश्चिम बंगाल	24831
उप योग	386499
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	51
चंडीगढ़	1428
दादरा और नगर हवेली	1515
दमन व दीव	416
लक्षद्वीप	400
पांडिचेरी	168
उप योग	3978
कुल योग	390477

रेलवे की निम्न उत्पादकता

2453. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निम्न उत्पादकता के साथ संघर्ष कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में रेलवे को सबसे बड़ी लाभ कमाने वाली इकाइयों में से एक बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या रणनीति अपनाई है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छह महीनों में प्राप्त वार्षिक उत्पादन और राजस्व लक्ष्य कितना रहा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) वित्त की शब्दावली के अनुसार रेलों की उत्पादकता का अनुमान सर्वोत्तम रूप से परिचालनिक अनुपात अर्थात् यातायात आमदनी की तुलना में संचालन व्यय का अनुपात, जो आमदनी की प्रति इकाई इन–पुट लागत का द्योतक है, द्वारा लगाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में रेलों के परिचालन अनुपात में सतत् सुधार हुआ है जो 2000–01 में 98.3 प्रतिशत बिन्दु से 7.3 प्रतिशत के सुधार के साथ 2004–05 में 91.0 प्रतिशत हो गया है। यह सुधार प्राथमिक रूप से खर्च पर कड़े नियंत्रण के साथ–साथ मालभाड़ा क्षेत्र के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार और यातायात आमदनी के अन्य क्षेत्रों में सामान्य वृद्धि के कारण यातायात आमदनी में पर्याप्त वृद्धि के कारण हुई है।

2005–06 के लिए निर्धारित परिचालन अनुपात 90.8 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। रेल प्रणाली की क्षमता को अधिकतम करना रेलवे का मुख्य लक्ष्य है ताकि वह अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम हो सके। इसके अतिरिक्त, मालभाड़ा नीति में परिवर्तन द्वारा मालभाड़ा दरों को आकर्षक बनाकर, मालभाड़ा ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। विभिन्न योजनाएं जैसे इंजिन–आन–लोड (ईओल), प्रीमियम पंजीकरण योजना आदि ग्राहकों को आकर्षित करने और सुवधिाएं उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई है। कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का विस्तार, अनारक्षित टिकट प्रणाली और इंटरनेट द्वारा टिकट आदि कदम यात्री यातायात के लिए उठाए गए हैं। आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के अतिरिक्त, रेलवे सभी क्षेत्रों में मितव्ययिता और सादगी द्वारा व्ययों को नियंत्रित करने के सभी प्रयत्न कर रही है।

(ङ) बजी अनुमान, 2005–06 की सितम्बर, 2005 के यातायात आउटपुट और आय के अनुमान नीचे दिए गए हैं :

	बजट अनुमान	सितम्बर तक प्रदर्शन		
	2005–06	2004–05	2005–06	पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि
मालभाड़ा लदान (मिलियन टन)	635.00	284.80	313.49	10.07%
बुक्ड यात्रियों की संख्या	5707.44	2718.89	2895.66	6.50%
खंडवार आय (करोड़ रु. में)				
यात्री आय	15080.00	6911.69	7393.12	6.97%
अन्य कोचिंग आय	1100.00	456.58	521.69	14.26%
मालभाड़ा आय	33480.00	14407.70	17257.59	19.78%
विविध आय	1208.00	402.63	411.31	2.16%
कुल यातायात आय	50868.00	22178.60	25583.71	15.35%

आईए और एआई के आईपीओ

2454. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस (आईए) और एयर इंडिया (एआई) के प्रस्तावित प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विचारार्थ विषय और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आईए और एआई में अपने हिस्से के विनिवेश की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने मैसर्स डीएसपी मैरिल लंच को आईपीओ का सलाहकार नियुक्त किया है। आईपीओ के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(i) एयर इंडिया के प्रस्तावित आईपीओ के लिए रोड मैप तैयार करना;

(ii) एसईबीआई/शेयर बाजार/भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शनों, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत अवसंरचना संस्था की बहिर्नियमावली तथा संस्था के अंतर्नियम में संशोधनों इत्यादि सहित आईपीओ को जारी करने से पहले की तैयारियों पर सुझाव देना;

(iii) निर्गम के प्रकार, एयर इंडिया के विमान बेड़े अर्जन योजना के अनुसार निर्गम की मात्रा, निर्गम की संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, निर्गम की प्राइसिंग, इत्यादि संबंधी विभिन्न विकल्पों तथा अधिमत (सबसे बेहतर) विकल्प के चयन (एकीकरण) पर मोटे तौर पर परामर्श देना;

(iv) निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों को आरक्षण तथा आवंटन की संभावना तथा विस्तार;

(v) ईएसओपीएस के लिए प्रक्रिया, औपचारिकता तथा संभव निबंधन एवं शर्तें;

(vi) रेड हैरिंग विवरण पत्रिका के मूल ढांचे तथा आईपीओ की आय का उपयोग करना;

(vii) आईपीओ की पहले तथा बाद की औचित्य संरचना;

(viii) आईपीओ में शामिल विभिन्न एजेंसियों के चयन के लिए की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया।

इंडियन एयरलाइंस के मामले में आईपीओ के लिए सलाहकार की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया अभी पूरी की जानी शेष है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चोपला उपरि पुल का निर्माण

2455. श्री संतोष गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चोपला उपरि पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है और इस परियोजना पर कितना खर्च होने की संभावना है;

(ख) क्या उपरि पुल समयानुसार पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर चोपला के निकट समपार सं. 356/स्पेशल और 250/ए के स्थान पर उपरि सड़क पुल के निर्माण को वर्ष 1999-2000 में मंजूर किया गया था। रेलवे के हिस्से का कार्य, पुल खास यथा रेलवे ट्रैक पर पुल का निर्माण रेलवे द्वारा और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार के लोक निर्माण कार्यक्रम/राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा किया जाएगा। इस समय, रेलवे के हिस्से (50 प्रतिशत) पर कार्य प्रगति पर है। रेलवे द्वारा अपने हिस्से के कार्य को 2006 के अन्त तक पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

रेलवे द्वारा अपने हिस्से के कार्य पर मार्च, 2005 तक लगभग 315 लाख रुपये व्यय किए गए हैं और वित्त वर्ष 2005-06 में रेलवे के हिस्से के इस कार्य के लिए 100 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं जिसे रेलवे द्वारा वर्ष के दौरान खर्च किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों हेतु वायु मार्ग

2456. डा. के. धनराजू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न निजी विमान कंपनियों को और अधिक वायु मार्ग देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005–06 के दौरान ऐसे वायु मार्गों की वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई यातायात सेवाओं का बेहतर विनियमन करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाएं। इसलिए सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, एयरलाइनें देश भर में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच गश्त सहयोग

2457. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत और श्रीलंका के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में वास्तविक मछुआरों पर गोलाबारी की लगातार हो रही घटनाओं और दोनों देशों के बीच अपराधियों की बेरोकटोक आवाजाही की भी जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय और श्रीलंका की नौसेना द्वारा समन्वित गश्त का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 2005 में भारत और श्रीलंका के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी किए जाने की किसी घटना की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। श्रीलंकाई शरणार्थियों के गैर–कानूनी रूप से, भारत से श्रीलंका जाने–आने की घटनाएं प्रायः देखने में आई हैं। वर्ष 2005 में, अब तक, 267 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत और श्रीलंका के बीच गैर–कानूनी आवाजाही के लिए गिरफ्तार किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं द्वारा समन्वित रूप से गश्त लगाए जाने के लिए, इस समय, सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

चिल्ड्रन्स फिल्म कॉम्पलेक्स

2458. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में एक चिल्ड्रन्स फिल्म कॉम्पलेक्स स्थापित करने की अनुमति मांगते हुए कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) हैदराबाद में बाल फिल्म परिसर के निर्माण की परियोजना वर्ष 1997 से विचाराधीन थी लेकिन इसको विभिन्न कारणों से 10वीं पंचवर्षीय योजना से हटा दिया गया था। तदनंतर, हैदराबाद में परिसर निर्माण संबंधी परियोजना की संस्वीकृति हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर दे दिया गया था। पूर्व प्रस्ताव को बहाल करने के लिए सितम्बर, 2004 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक अन्य अनुरोध प्राप्त हुआ था। भारत सरकार द्वारा बाल फिल्म परिसर के निर्माण संबंधी परियोजना प्रस्ताव को बहाल कर दिया गया है और प्राक्कलनों का पता लगाने तथा तत्पश्चात् संबंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों की स्थापना

2459. श्री रामदास आठवले :

कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विभिन्न शहरों में विमानपत्तन स्थापित करने हेतु विभिन्न राज्यों/उद्योगपतियों से मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। पाकयोग, गंगटोक (सिक्किम), चिथु, कोहिमा (नागालैंड), मोपा, पणजी (गोवा), चाकन, पुणे, शिरडी, नवी मुंबई (महाराष्ट्र), लुधियाना (पंजाब), भरूच (गुजरात), अजमेर (राजस्थान), देवनहल्ली (बंगलौर), गुलबर्गा तथा हासन (कर्नाटक), शमशाबाद, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कन्नूर (केरल) तथा ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में नए हवाई अड्डे बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा उद्योगपतियों द्वारा बहुत से शहरों तथा कस्बों का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) सरकार पहले ही सार्वजनिक निजी भागीदारी से बंगलौर के पास देवनहल्ली, हैदराबाद के पास शमशाबाद तथा गोवा में मोपा पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नियमित करने के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर चुकी है। अन्य प्रस्ताव आरम्भिक स्तरों पर हैं।

[अनुवाद]

विमान अपहरणरोधी उपकरण में खराबी

2460. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकाक जा रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान में विमान अपहरणरोधी उपकरण में खराबी के कारण मुम्बई विमानपत्तन पर संकट संकेत बजने लगा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उपकरण में खराबी की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस उपकरण में ऐसी खराबी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 7.11.2005 को 2300 बजे, एटीसी मुम्बई को बे सं. 47 पार्किंग में खड़े इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण संकेत मिला था। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तुरन्त कार्रवाई करने के लिए सचेत किया गया तथा विशेष सुरक्षा जांच की गई, इसके पश्चात् ट्रांसपोंडर का स्विच ऑफ कर दिया गया।

(ग) और (घ) महानिदेशक (नागर विमानन) तथा सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

(ङ) जांच–पड़ताल करने पर आने वाले नतीजों के आधार पर सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

[हिन्दी]

एयरो स्पेस कमांड की स्थापना

2461. श्री ब्रजेश पाठक :

श्री रशीद मसूद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयरो स्पेस कमांड की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) फिलहाल, एयरो स्पेस कमांड स्थापित करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

सीट क्षमता का उपयोग

2462. श्री गणेश सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया अपनी उपलब्ध क्षमता से काफी कम सीट क्षमता का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं और

वास्तविक क्षमता की तुलना में कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने के लिए यात्रा अधिकार, विदेशी के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों द्वारा शासित होते हैं। वर्तमान में, भारत के 100 देशों के साथ हवाई सेवा करार हैं। तथापि, किसी भी एयरलाइन द्वारा यातायात अधिकारों का वास्तविक उपयोग किया जाना, हमेशा उसके व्यावसायिक विवेक द्वारा ही संचालित होता है। इस समय एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस दोनों ही उपलब्ध बेड़ा क्षमता, यातायात की मांग विश्वव्यापी/आर्थिक स्थितियां, राष्ट्रीय वाहक होने के नाते सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूर्ण करना आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करते हुए उपलब्ध सीट क्षमता इष्टतम का उपयोग कर रही हैं। एयर इंडिया द्वारा वर्ष 2004–05 के दौरान प्राप्त भार गुणक 69.8 प्रतिशत तथा अप्रैल–जून, 2005 के दौरान 71.8 प्रतिशत था जबकि अप्रैल–अक्तूबर, 2005 के दौरान इंडियन एयरलाइंस का यात्री सीट उपयोग 65.9 प्रतिशत था।

(ग) दोनों ही एयरलाइनें, यात्री सीट उपयोग घटकों में सुधार करने के लिए समय–समय पर विभिन्न बिक्री एवं विपणन स्कीमें आरम्भ करती रही हैं। एयर इंडिया ने प्राइस सैंसिटिव खाड़ी रूटों पर अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस नाम का एक कम मूल्य वाला वाहक चलाया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाएं धीरे–धीरे दक्षिण–पूर्व एशिया एवं अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त दोनों एयरलाइनें नए विमान लेने के लिए कार्रवाई कर रही हैं जिससे उनकी सेवाओं में पर्याप्त वृद्धि होगी।

अवसंरचना के विकास हेतु विमानन वित्तीय पैकेज

2463. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में अवसंरचना विकास हेतु कर्नाटक हेतु किसी नई विमानन वित्तीय पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे देश के भीतर और विदेश से पर्यटन को बढ़ावा मिलने में कितनी सहायता मिलेगी;

(घ) क्या अन्य राज्यों के लिए भी ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यातायात की मांग, एयरलाइनों की आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता, भूमि आदि पर आधारित अपने संसाधनों के माध्यम से हवाई अड्डे के विकास का कार्य हाथ में लेता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग पर विचार किया जाता है। यद्यपि, किसी राज्य के लिए विशेष पैकेज नहीं दिया जाता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक की रेल परियोजनाएं

2464. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान कर्नाटक सरकार से प्राप्त रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में रेल नेटवर्क में सुधार और विस्तार हेतु किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया गया है;

(ङ) इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) हसन–मंगलोर रेल मार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक सरकार से निम्न नए प्रस्ताव प्राप्त हुए :

(i) कोलार–चिकबाल्लापुर छोटी लाइन का आमान परिवर्तन।

(ii) रामानगरम–मैसूर खंड पर दोहरीकण।

नई लाइनें

(ख) पिछले तीन वर्षों में शुरू किए सर्वेक्षण कार्य नीचे दिए गए हैं :

(i) कल्याण–दुर्ग के रास्ते रायदुर्ग–तुमकर (200 किमी.)

(ii) बीजापुर–शाहबाद (140 किमी.)

(iii) अलमाटी–कुपगल (170 किमी.)

(iv) बगलकोट–कुडची (111 किमी.)

(v) गुंजी–कुलेम (97 किमी.)

आमान परिवर्तन

कोलार–चिकबालापुर (85 किमी.)

दोहरीकरण

(i) सेलम–बंगलूरू (218 किमी.)

(ii) रामानगरम–मैसूर (94 किमी.)

(iii) हास्पेट–हुबली–अलनावाड़–लौंडा–वास्को–डी–गामा (341 किमी.)

(ग) से (च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रेल नेटवर्क में सुधार और इसके विस्तार के लिए शुरू किए गए कार्यों, प्रत्येक परियोजना पर किए गए खर्च और उनकी स्थिति तथा लक्ष्य, जहां कहीं निर्धारित हों, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना	लागत	मार्च 2005 तक व्यय	2006 का बजट परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइनें					
1.	मुनीराबाद–महबूबनगर (246 किमी.)	497.47	26.90	5	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है। कृष्णा–येरमरस के बीच दोहरीकरण कार्य संपूर्ण हो चुका है।
2.	गढ़वाला–रायचूर (60 किमी.)	108.91	18.37	4	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है।
3.	हुबली–अंकोला (167 किमी.)	997.58	53.90	5	हुबली–किरवट्टी खंड पर 33 किमी. में मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। इस खंड पर शेष लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के लिए वन भूमि से मार्ग परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से बातचीत शुरू कर दी गई है।
4.	गुलबर्गा–बीदर (140 किमी.)	369.7	29.01	4.45	अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। बीयर से 31 किमी. की दूरी के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को पेश किया जा चुके हैं और इसके आगे 22 किमी. के संबंध में कार्य प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5	6
5.	हरपनहल्ली से होकर कोट्टूर–हरिहर (65 किमी.)	124.03	19.01	3	यह कार्य कर्नाटक सरकार के साथ लागत में दो–तिहाई भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि को नियमित रूप से जमा नहीं कर रही है जिससे कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। कोट्टूर से 60 किमी. की दूरी तक मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गया है।
6.	कडूर–चिकमंगलूर–सकलेशपुर (93 किमी.)	274.29	40.66	8	कडूर–चिकमंगलूर खंड पर कार्य शुरू हो चुका है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य 40 किमी. पर शुरू हो चुका है। शेष वन भूमि है, जिसके लिए मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
7.	श्रावणबेलगोला होकर हासन–बैंगलोर (166 किमी.)	412.91	159.89	20	इस परियोजना पर, हासन–श्रावणबेलगोला (42 किमी.) पर कार्य पूरा हो चुका है। श्रावणबेलगोला–नीलमंगला (110 किमी.) पर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है।
8.	बैंगलोर–सत्यमंगलम (260 किमी.)	901.62	0.27	0.01	207 किमी. के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।
आमान परिवर्तन					
9.	सोलापुर (होतगी)–गडग (300 किमी.)	342.7	260.83	15	इस परियोजना पर, सोलापुर–बीजापुर (110 किमी.) पर आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष कार्य अर्थात् बीजापुर–गडग (190 किमी.) के आमान परिवर्तन का कार्य कर्नाटक सरकार के साथ लागत में (50 : 50) भागीदारी के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। बीजापुर–बसवना–बगेवड़ी (45 किमी.) रेलपथ जोड़ने का कार्य पूरा हो चुका है। शेष खंड पर भी कार्य शुरू हो चुका है।
10.	मैट्टूपलयम तक विस्तार सहित मैसूर–चमराजनगर (148 किमी.)	606.58	21.55	16.54	मैसूर–चमराजनगर खंड पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और गिट्टी को इकट्ठा करने का कार्य शुरू हो गया है। शेष लंबाई के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अद्यतन का कार्य शुरू हो चुका है।
11.	बैंगलूरू–हुबली परियोजना का शिमोगा टाउन–तलगुप्पा (97 किमी.)	46.22 (पूरी परियोजना के लिए 441.24)	4.17	0.1	बैंगलूरू–हुबली और बिरूर और शिमोगा के बीच लाइन पर कार्य समाप्त हो चुका है। शिमोगा–तलगुप्पा खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं।

1	2	3	4	5	6
12.	यशवंतपुर–सेलम (197 किमी.)	199.78	197.22	1.45	मुख्य लाइन पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। यशवंतपुर पर बाई पास लाइन के अवशिष्ट कार्य शुरू हो चुके हैं।
13.	अरसिकेरै–हासन–मंगलौर (236 किमी.)	357.43	291.90	0.01	कार्य समाप्त हो चुका है।
	दोहरीकरण				
14.	हास्पेट–गुंतकल (115 किमी.)	157.73	8.93	26	यह परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए, के–साइड से वित्तपोषण की पेशकश की गई है। तोरनगल्लु–हास्पेट का दोहरीकरण और गुंतकल–हगडी पर रेल पथ को जोड़ना पूरा हो चुका है। हगडी–बेल्लारी (14 किमी.) और बेल्लारी–तोरणगल्लू खंड पर कार्य को 2005–06 में पूरा किया जाने का लक्ष्य है।
15.	रायचूर–गुंतकल (81.1 किमी.)	136.62	0	19	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। यह कार्य मैसर्स रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
16.	विद्युतीकरण सहित कहीं–कहीं दोहरीकरण बंगलूरू–कैंगेरी	29.19	17.60	5.2	इस कार्य की दो तिहाई लागत कर्नाटक सरकार दे रही है। तल्प संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और गिट्टी का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्य को 2005–06 में समाप्त किए जाने का लक्ष्य है।
17.	कैंगेरी–रामनगरम (32.43 किमी.)	58.9	9.90	10	इस कार्य की दो तिहाई लागत कर्नाटक सरकार वहन कर रही है। इस परियोजना के कैंगेरी–बिडाडी खंड पर दोहरीकरण कार्य को 2005–06 में पूरा किया जाने का लक्ष्य है।
18.	यशवंतपुर–तुमकुर (64 किमी.)	98.14	48.76	35.55	यशवंतपुर–गोलाहल्ली (26 किमी.) पर कार्य को 2005–06 में पूरा किया जाने का लक्ष्य है। बड़े पुलों संबंधी कार्य पहले ही पूर्ण हो गए हैं। मिट्टी संबंधी, छोटे पुल, उपरि सड़क पुल और गिट्टी इकट्ठे करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
19.	बंगलूरू–व्हाइटफील्ड–बंगलूरू सिटी–कृष्णराजपुरम (23.08 किमी.)	85	0.016	0.01	कार्य को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।

टीवी टावर

2465. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न भागों में स्थापित टीवी टावरों की राज्यवार संख्या कितनी है और ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर कुल कितना खर्च आया;

(ग) क्या सरकार का देश में और अधिक टीवी टावर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में चालू किए गए चौंसठ टीवी ट्रांसमीटरों की राज्यवार अवस्थितियां अनुलग्नक में दी गई हैं। उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त परियोजनाओं पर किया गया व्यय 11.75 करोड़ रुपये था जबकि इन परियोजनाओं पर 108.94 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ था।

(ग) और (घ) देश में इस समय कार्यान्वयनाधीन नई टीवी ट्रांसमीटर परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

(i) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर :

(1) बीकानेर

(2) भटिंडा (डीडी न्यूज)

(3) बीकानेर

(4) बिलासपुर

(5) छतरपुर

(6) धरमशाला

(7) धर्मपुरी

(8) हिसार (डीडी–1 तथा न्यूज)

(9) करनाल

(10) कर्सियांग (डीडी न्यूज)

(11) सागर

(12) सहरसा

(13) श्रीनगर (डीडी न्यूज उन्नयन)

(14) श्रीनगर (कशीर चैनल उन्नयन)

(15) तिरूनेलवेली

(16) बड़ोदरा (डीडी–1 और न्यूज)

(ii) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

(1) अम्बासा

(2) सत्रसाल

(ङ) उपर्युक्त ट्रांसमीटर परियोजनाओं की अनुमोदित लागत 154.09 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सीएनजी फिलिंग स्टेशन

2466. मो. मुकीम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न तेल उपक्रमों के पास दिल्ली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) फिलिंग स्टेशन खोलने के लिए लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ख) इन आवेदनों का कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में विभिन्न तेल पीएसयू द्वारा लम्बे समय से स्वीकृत कुछ सीएनजी फिलिंग स्टेशन अब तक स्थापित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी स्वीकृत सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) तेल विपणन कंपनियों द्वारा उनके खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों से समय–समय पर उनके खुदरा बिक्री केन्द्र परिसरों में सीएनजी सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। क्षेत्र में सीएनजी सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर आईजीएल तेल विपणन कंपनियों के चुनिंदा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर चरणबद्ध रूप से सीएनजी सुविधाएं स्थापित करती हैं।

इस समय आईजीएल और तेल विपणन कंपनियों द्वारा दिल्ली में 137 सीएनजी स्टेशन प्रचालित हैं। इन स्टेशनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

आईजीएल	–	82
तेल विपणन कंपनियां	–	55
योग	–	137

दिल्ली के विभिन्न भागों में सीएनजी स्टेशन बाजार सर्वेक्षण के बाद स्थापित किए गए हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में सीएनजी वाहनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

आईओसी, एचपीसी, बीपीसी और आईबीपी ने मंत्रालय को सूचित किया है कि उनके खुदरा केन्द्रों के क्रमशः 3, 2, 3 और 4 मामले संभावित समय बताने के लिए लंबित हैं कि खुदरा बिक्री केन्द्र में सीएनजी सुविधाएं कब तक चालू की जाएंगी क्योंकि इसमें विस्फोटक पदार्थ विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने, मैसर्स आईजीएल द्वारा निर्माण, उपकरण प्रावधान आदि जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष 2005–06 के दौरान दिल्ली में निम्नलिखित ब्यौरानुसार छह नए सीएनजी स्टेशन प्रस्तावित हैं :

स्टेशन संख्या	स्टेशन	कंपनी
1.	गोपी सर्विस स्टेशन, वजीराबाद रोड	ओएमसी
2.	आटोकेयर शिवाजी प्लेस	ओएमसी
3.	मुंडका एसएस, नांगलोई	ओएमसी
4.	श्रीपाल जैन, सिंधू बार्डर	ओएमसी
5.	पाल सर्विस स्टेशन, नरेला	ओएमसी
6.	मयूर विहार फेज–3, गाजीपुर फ्रेट कम्पलैक्स	आईजीएल

[अनुवाद]

रसोई गैस पाइपलाइन

2467. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस के वितरण हेतु कोई प्रस्ताव या परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे शहरों और नगरों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया है अथवा मानचित्र तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली, मुम्बई और गुजरात राज्य के कुछ शहरों में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त गेल और अन्य तेल विपणन कंपनियों अर्थात् आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल की कानपुर, आगरा, लखनऊ, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, पुणे, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर शहरों में पीएनजी की आपूर्ति करने की योजना है।

(ग) और (घ) पाइप लाइन अवसंरचना के विस्तार और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के साथ चरणबद्ध तरीके से अन्य शहरों में भी पीएनजी का विस्तार किया जाएगा।

फिल्मों पर प्रतिबंध

2468. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत में बने अथवा डेवलप किए गए फिल्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त परिसंवाद वार्ता–क्षेत्र के भीतर भारतीय श्रृव्य–दृश्य कार्यक्रमों पर पाकिस्तान के प्रतिबंध के मुद्दे को निरंतर उठाया है। तथापि, इस मुद्दे का अभी तक हल नहीं निकल पाया है।

सड़क उपरि पुल/सड़क अधोगामी पुल हेतु धनराशि का अभ्यर्पण

2469. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सड़क उपरि पुल/सड़क अधोगामी पुलों के निर्माण हेतु आवंटित बड़ी धनराशि रेलवे द्वारा अभ्यर्पित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन–वार, वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिए जाने से पहले रेलवे और राज्य सरकारों के बीच समन्वयन का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और धनराशि के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान रेलवे संरक्षा निधि के अन्तर्गत सड़क संरक्षा कार्य ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल योजना शीर्ष के लिए रेलवे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय बजट अनुमान में किए गए आवंटन से कम है। इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के जोन–वार और वर्ष–वार विवरण नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

रेलवे	2002–03		2003–04		2004–05	
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
मध्य	25.10	4.38	8.77	1.54	5.68	1.95
पूर्व	32.12	12.62	35.20	5.91	15.65	18.60
उत्तर	35.86	15.77	26.39	9.87	24.05	21.76
पूर्वोत्तर	10.20	1.86	4.29	0.85	3.60	1.49
पूर्वोत्तर सीमा	6.88	4.14	3.78	3.00	4.30	0.80
दक्षिण	103.23	27.33	51.24	15.17	42.32	11.35
दक्षिण मध्य	52.42	8.30	45.00	15.24	12.82	22.56
दक्षिण पूर्व	32.91	3.85	16.75	5.04	14.20	7.20
पश्चिम	26.28	3.87	9.04	2.08	9.69	5.03
पूर्व मध्य	*	*	41.86	12.14	50.20	11.60
पूर्व तटीय	*	*	15.59	2.91	12.76	3.30
उत्तर मध्य	*	*	6.51	1.17	5.12	0.73
उत्तर पश्चिम	*	*	1.48	0.66	14.54	2.37
दक्षिण पूर्व मध्य	*	*	0.60	0.68	4.49	0.02
दक्षिण पश्चिम	*	*	40.90	7.81	26.28	4.48
पश्चिम मध्य	*	*	5.60	0.87	5.30	2.04
जोड़	325.00	82.12	313.00	84.94	251.00	115.28

*नए जोन 2003–04 से कार्यरत।

(ग) से (ङ) ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों संबंधी कार्यों को अंतिम रूप देने और उन्हें निष्पादित करने के संबंध में राज्य सरकारों और रेलवे के बीच समन्वय में कोई कमी नहीं रही है। समपारों पर यातायात के घनत्व पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किया जाता है। कार्य की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व कार्य की व्यवहार्यता की जांच करने तथा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के संरेखण को अंतिम रूप देने के लिए रेलवे और राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। प्रचलित नियमों के अनुसार कार्य की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव सहित निर्माण लागत में भागीदारी ऊपरी सड़क पुल पूरा हो जाने के बाद समपार को बंद करने, उनकी वार्षिक योजना में निधियों की व्यवस्था, संपर्क मार्गों के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में अपेक्षित वचनबद्धता सहित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। रेलवे निर्माण कार्यक्रम में लागत में भागीदारी आधार पर कार्य स्वीकृत होने के बाद आरेखण एवं अनुमान तैयार किए जाते हैं। रेलवे अपने हिस्से का निर्माण कार्य अर्थात् पुल विशेष का कार्य (रेल पथ के आर-पार पुल) तथा राज्य सरकार संपर्क मार्गों का निर्माण करवाती हैं। कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए तथा आवंटित निधियों के सदुपयोग के लिए कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। राज्य सरकार द्वारा संपर्क मार्गों के निर्माण सहित अपने हिस्से के कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं।

रेलवे पर विपणन रणनीति

2470. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय परिवहन अवसंरचना में रेलवे द्वारा अपनी प्रमुख भूमिका को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि उसे अपनी विपणन रणनीति का पुनर्गठन करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, भारतीय रेलें अपनी ओर से किए जाने वाले उपायों के रूप में अपनी बाजार रणनीतियों को तैयार करती रही हैं।

(ग) अतिरिक्त यातायात को आकर्षित करने के लिए भारतीय रेल द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) बढ़ रहे माल यातायात की आवश्यकता और माल डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिए माल डिब्बा निवेश योजना (डब्ल्यूआईएस) शुरू की गई है।

(ii) साइडिंग मालिकों के विश्वास की पुनः बहाली तथा अधिक लदान को प्रोत्साहित करने के लिए साइडिंग नियमों को और अधिक उदार तथा ग्राहकानुकूल बनाया गया है। सहायता प्राप्त साइडिंग की अवधारणा को पुनः शुरू किया गया है। यह विनिश्चय किया गया है कि यदि रेलवे द्वारा किए गए निवेश के अनुपात में उद्योग जगत 10 वर्षों या उससे अधिक की लंबी अवधि के लिए यातायात की वचनबद्धता के साथ आगे आता है तो रेलवे नई साइडिंग के निर्माण की लागत में हिस्सेदारी करेगी।

(iii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रेल साइड वेयरहाउसिंग काम्पलैक्स के विकास के लिए एक नई योजना भी शुरू की गई है। इससे माल के अग्रेषण, सम्हलाई, वेयरहाउसिंग तथा सड़क मार्ग तक पहुंचाने के लिए मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराने हेतु ग्राहकों को एकल खिड़की सेवा मुहैया कराई जाएंगी।

(iv) अधिक यातायात प्राप्त करने के लिए कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, (कॉनकोर) अपने टर्मिनल नेटवर्क में वृद्धि कर रहा है और भीतरी इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए तथा क्षमता संवर्धन के लिए और अधिक माल डिब्बों की खरीद कर रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, अधिक यातायात को आकर्षित करने की दृष्टि से माल भाड़ा ग्राहकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन भी प्रस्तावित किए गए हैं :

(i) माल डिब्बों को खाली प्रवाह की दिशा में माल भाड़े में रियायत-1.10.2005 से 31.3.2006 की अवधि के लिए माल डिब्बों के खाली प्रवाह की अधिसूचित दिशाओं में बंद माल डिब्बों में वर्धमान यातायात के लिए माल भाड़ा दरों में 20 प्रतिशत की दर की छूट दी गई है।

(ii) विशेष माल भाड़ा प्रोत्साहन योजना-दिसम्बर, 2005 से जनवरी, 2006 की अवधि के दौरान बंद माल डिब्बों में बुक किए गए वर्धमान यातायात के लिए माल भाड़ा दरों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

(iii) बंद माल डिब्बों के लिए विशेष स्टेशन से स्टेशन दर योजना—1.12.2005 से 31.1.2006 की अवधि के दौरान माल शेडों से बंद माल डिब्बों के वर्धमान यातायात हेतु माल भाड़ा दरों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

(iv) मिनी रेक योजना—मिनी रेक योजना, जो 20 या उससे अधिक बंद माल डिब्बों को चलाने के लिए पूरी गाड़ी लदान का लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान करती है, को 31.3.2006 तक बढ़ा दिया गया है।

पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं का उपयोग

2471. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 15 वर्षों से भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं के उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) माझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई देश का एकमात्र शिपयार्ड है जिसके पास पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रामाणिक क्षमता और एक समर्पित यार्ड है। माझगांव डॉक लिमिटेड के पूर्वी यार्ड की स्थापना विशेष रूप से भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के निर्माण तथा प्रमुख मरम्मतों हेतु 1982 में की गई थी। दो पनडुब्बियों का निर्माण करके उन्हें फरवरी, 1992 तथा मई, 1994 में सेवा में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद नई पनडुब्बियों के विनिर्माण के लिए माझगांव डॉक लिमिटेड को कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुए थे। पनडुब्बी रिफिट सुविधा का इस्तेमाल अब भारतीय नौसेना के पास मौजूद एसएस के किस्म की पनडुब्बियों के जीवन—मध्यकाल की प्रमुख मरम्मतों तथा आधुनिकीकरण के लिए किया गया है।

अब पनडुब्बी सुविधा का पूरा इस्तेमाल हो सकेगा क्योंकि भारत सरकार ने माझगांव डॉक लिमिटेड को अक्तूबर, 2005 में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस के सहयोग से पनडुब्बियों के विनिर्माण की एक संविदा दी है।

इसरो के साथ नेवीगेशन प्रणाली सहयोग

2472. श्री धनुषकोडी आर. अथिथन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने हवाई क्षेत्र में उपग्रह आधारित नेवीगेशन हेतु प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली (टीडीएस) विकसित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस प्रणाली के कब से काम करने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से भारत में उपग्रह पर आधारित संवर्धन प्रणाली (एसबीएएस) के विकास के लिए कदम उठाए हैं। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली (टीडीएस) इस परियोजना का ही एक भाग है।

(ख) आवश्यकता अनुसार बंगलौर, अहमदाबाद, कोलकाता, जम्मू, पोर्ट—ब्लेयर तथा गुवाहाटी में एसबीएएस के लिए विभिन्न उपकरणों के भागों जैसे संदर्भ स्टेशन उपकरण, मिशन नियंत्रण उपकरण, इत्यादि को लगाने के लिए कार्य पहले से ही प्रारंभ किए जा चुके हैं।

(ग) प्रणाली प्रचालित होने की संभावित तिथि दिसम्बर, 2009 है।

श्रेणी-II मार्ग

2473. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग के साथ श्रेणी—II मार्ग अब घाटे वाले मार्ग नहीं रहे;

(ख) यदि हां, तो घाटे की स्थिति से उबर चुके श्रेणी—II मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के मार्ग लाभकारी हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इन मार्गों को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है;

(च) क्या सरकार ने इन मार्गों पर उड़ान हेतु कोई राजसहायता दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य

श्रेणी–II मार्गों के लिए ऐसी ही रणनीति अपनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों को/से प्रचालन को छोड़कर श्रेणी–II मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस के प्रचालन लगातार घाटे वाले मार्ग बने हुए हैं।

(ङ) से (छ) देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता पर विचार करते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियम को उपलब्ध कराने के मद्देनजर सरकार द्वारा मार्ग संवितरण दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार स्थान विशेष से अपनी विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन देश में कहीं भी प्रचालन हेतु स्वतन्त्र हैं।

पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायु संपर्कों को बढ़ाने के लिए एलाइंस एयर की एटीआर विमानों के प्रचालन हेतु वर्ष 2002–03 से 5 वर्षों (175.00 करोड़ रुपये) के लिए प्रति वर्ष 35.00 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है। फिलहाल इस स्कीम को अन्य श्रेणी–II मार्गों पर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिल्म क्षेत्र में पायरेसी

2474. श्री एस. के. खारवेनथन :
श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री सी. एच. विजयशंकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फिल्म उद्योग पायरेसी के कारण कई समस्याओं का सामना कर रहा है और इसके परिणामतः भारी घाटा उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान कानूनों में संशोधन करने और उन्हें पायरेसी समस्याओं से निपटने के लिए अधिक कठोर बनाने की सतत मांग रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग प्रकोष्ठ परिसंघ (फिक्की) के अनुसार फिल्म पाइरेसी से वर्ष में लगभग 1200 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होती है।

(ख) से (घ) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कार्य–क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, में अन्य बातों के साथ–साथ चलचित्र फिल्मों और संगीत के प्रतिलिप्याधिकार संबंधी विधिक प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार कानून के अनुरूप बनाने के लिए इसको समय–समय पर संशोधित किया जाता है। इस मंत्रालय ने प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में होने वाले संशोधनों पर विचार करते समय फिल्म और संगीत क्षेत्र में पाइरेसी की घटनाओं को रोकने के लिए भी सुझाव दिए हैं। इस मंत्रालय ने मनोरंजन क्षेत्र में पाइरेसी को रोकने के लिए ऑप्टिकल डिस्क कानून बनाने संबंधी एक प्रस्ताव भी प्रस्ताव हुआ है। यह मंत्रालय भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग प्रकोष्ठ परिसंघ (फिक्की) संघ और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके इस प्रयोजनार्थ एक पृथक विधान की आवश्यकता की जांच कर रहा है।

विमान का पट्टे पर देना

2475. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का अपनी वर्तमान सेवाओं को बढ़ाने के लिए और अधिक विमानों को पट्टे पर लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एयरलाइंसों द्वारा अब तक हस्ताक्षरित समझौतों की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विमानों के उपयोग हेतु इन एयरलाइंसों द्वारा किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) **एयर इंडिया**—एयर इंडिया द्वारा दिनांक 15.12.2005 को एक बी–777–200ए विमान अपनी अनुसूची में शामिल किया जाना है। इसके अलावा एयर इंडिया ने 2006 में डिलीवरी के लिए ड्राई लीज आधार पर सायं के लिए 6 विमान तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए 7बी–737–200 विमान लेने का प्रस्ताव किया है।

इंडियन एयरलाइंस लि.—इंडियन एयरलाइंस ने 3ए–320

विमान तथा 3ए–319 विमान ड्राई लीज पर लेने का प्रस्ताव किया है।

(ग) विमानों को लीज आधार पर लिए जाने के निबंधन एवं शर्तें विमानों की स्थिति, आयु, एयर फ्रेम/इंजिम का युग्म लीज की अवधि विमानों की संख्या तथा प्रचालित बाजार स्थितियों के आधार पर पट्टाकर्ता से पट्टाकर्ता, विमान से विमान परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः 15 वर्ष से कम पुराने विमानों को 3–5 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर लिया जाता है।

(घ) इंडियन एयरलाइंस का लीज पर लिए विमानों को इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर के सम्पूर्ण नेटवर्क पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है जहां तक एयर इंडिया का प्रश्न है, इनके विमानों द्वारा प्रचालित किए जाने वाले सेक्टरों तथा मार्गों को लीज के मूल्यांकन की समय अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलवे हॉल्ट को स्टेशन के रूप में बहाल करना

2476. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव नामक स्थान पर गंजमुरादाबाद, रेलवे हॉल्ट को समाप्त करके इसे स्टेशन के रूप में पुनः चालू करने, नई रेलगाड़ियां चलाने तथा कानपुर तथा बालामऊ के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी बदलने के बारे में अगस्त, 2005 में लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्य से 18.8.2005 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ डीसीकेएम इंटर कालेज के प्रधानाचार्य और गांव–गंजमुरादाबाद, जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश) के अन्य निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र अग्रेषित किया गया है जिसमें निम्नलिखित मांगें की गई हैं :

(i) गंजमुरादाबाद हाल्ट स्टेशन को पूर्णरूपेण रेलवे स्टेशन में पुनः परिवर्तित करना।

(ii) नई गाड़िया चलाना।

(iii) कानपुर और बालामऊ के बीच गाड़ियों के समय–सारणी में परिवर्तन करना।

(ग) इन मांगों की जांच की गई थी और स्थिति निम्नानुसार है :

(i) गंजमुरादाबाद हाल्ट स्टेशन का पूर्णरूपेण रेलवे स्टेशन के रूप में पुनः परिवर्तन करना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

(ii) और (iii) मौजूदा परिचालनिक तंगियों के कारण गंजमुरादाबाद से नई गाड़ियां चलाना और कानपुर–बालामऊ खंड में गाड़ियों के समय में परिवर्तन करना व्यवहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

2477. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु और गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) स्कूल चलाने वाले तथा देश में मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए अन्य राहत उपाय करने वाले विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शासित दीनदयाल विकलांग पुनर्वास

योजना और विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों को खरीदने और लगाने की (एडिप योजना) योजना के अन्तर्गत और इस मंत्रालय के अन्तर्गत ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा शासित राहत संस्था योजना की स्थापना और सेवा प्रदाता प्रशिक्षण योजना (समुदाय आधारित सेवा प्रदाता) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के चयन का मानदंड विवरण सं. I में देखा जा सकता है, जो संलग्न है।

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों जो पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, डीआरडीएस तथा एडिप योजना के अन्तर्गत मानसिक और अस्थि विकलांग बच्चों के लिए स्कूल और अन्य राहत उपायों को चला रहे हैं, को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संगठनों का ब्यौरा, जिन्हें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय न्यास की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी गई थी, का ब्यौरा विवरण सं. II और III पर देखा जा सकता है, जो संलग्न है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीआरएस के अन्तर्गत वित्त पोषित 5 गैर–सरकारी संगठनों तथा राष्ट्रीय न्यास की योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित 3 गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध निधि के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन गैर–सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले आगे की सहायता अनुदान को रोक लिया गया है।

विवरण-I

वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों का चयन के लिए अपनाया गया मानदंड का ब्यौरा

I. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए

(क) संगठन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी संगत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए; या

वर्तमान में लागू कानून के अन्तर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास; या

कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेंसशुदा एक चैरिटेबल कम्पनी।

(ख) संगठन के पास एक विधिसम्मत गठित प्रबंधन निकाय होना चाहिए।

(ग) इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभार्थ नहीं चलाया जाना चाहिए।

(घ) परियोजना चलाने के लिए सहायता अनुदान के लिए आवेदन करने वालों के लिए कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(ङ) योजना के अन्तर्गत यथा निर्धारित योग्य कर्मचारी लगाना चाहिए।

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अपनी सिफारिश और निरीक्षण रिपोर्ट के साथ गैर–सरकारी संगठन के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अग्रसारित करना चाहिए।

पात्र गैर–सरकारी संगठनों के उन जिलों से प्रस्तावों को तरजीह दी जाएगी, जहां से इस योजना के अन्तर्गत एक भी परियोजना का वित्त पोषण नहीं किया गया हो। उन जिलों से नए प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी जहां से योजना के अन्तर्गत पहले से ही दो अधिक विकलांगता किस्म की परियोजनाएं वित्त पोषित की गई हों।

II. विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता योजना (एडिप योजना)

(क) संगठनों और उनकी शाखाओं, यदि कोई हो, को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए या एक पंजीकृत चैरिटेबल न्यास होना चाहिए।

(ख) इसके पास व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त कर्मचारी के रूप में व्यावसायिक/तकनीकी विशेषज्ञता से युक्त होना चाहिए।

(ग) इसे योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला कृत्रिम सहायक यंत्र/उपकरण को विखंडन लगाने और रखरखाव के लिए मशीनरी/उपस्कर के रूप में अवसंरचना से युक्त भी होना चाहिए।

(घ) इसे चिकित्सा कालेजों/जिला अस्पतालों/ग्रामीण अस्पतालों/कृत्रिम अंग निर्माण कम्पनी लिमिटेड के फिटमेंट केन्द्रों/जिला पुनर्वास केन्द्रों के साथ नेटवर्क तथा तालमेल स्थापित होना चाहिए।

III. **ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के राष्ट्रीय न्यास की राहत संस्था योजना की स्थापना और सेवा प्रदाता प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत**

(क) संगठन को पंजीकृत होना चाहिए और ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों का कल्याण राष्ट्रीय न्यास के साथ भी पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) इसे कम से कम दो वर्ष चलते रहना चाहिए।

(ग) इसके पास एक विधिसम्मत गठित प्रबंधन निकाय होना चाहिए।

(घ) इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभार्थ नहीं चलाया जाना चाहिए।

(ङ) इसे यथासंभव सेवा के लिए समुदाय हेतु चलाया जाना चाहिए।

विवरण-II

राष्ट्रीय न्यास की राहत संस्था स्थापना योजना (योजना को संशोधित किया गया है और चालू वित्त वर्ष के दौरान समर्थ के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	संगठन का नाम और पता	दी गई राशि (लाख रुपये)			
			2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5	6	7
1.			0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	उमा मनोविकास केन्द्र, मनोविकास नगर, रेड्डुपालम के पीछे, कोकिंडा	2.27	0.00	2.19	0.00
3.	आंध्र प्रदेश	अक्षय क्षेत्रम, आर.एस. तिरुपति उत्तरी पोस्ट ऑफिस के समीप	8.36	3.47	4.63	0.00
4.	आंध्र प्रदेश	श्री दक्षिण बाबा समिति, के.जी. कालेज रोड, गुन्टूर	2.53	6.05	4.03	0.00
5.	आंध्र प्रदेश	निर्माण एसोसिएशन फॉर दि मेंटलीरिटार्डेड डब्लयू.जेड.एच.एम.टी. कालोनी, एमएमटी टाउनशिप, रंगारेड्डी	5.30	0.00	6.89	0.00
6.	आंध्र प्रदेश	स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, मकान नं. 11–2–31, डी.पी.पी. कनकटेश्वर टेम्पल, कनकटेश्वर, निजामाबाद	2.83	4.30	3.94	0.00
7.	आंध्र प्रदेश	स्वयंकुसी, 285, न्यू वासवीनगर, सिकन्दराबाद	0.00	10.86	4.63	0.00
	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0.00	0.00	0.00	0.00
	अरुणाचल प्रदेश		0.00	0.00	0.00	0.00
8.	असम	पिरोर्णा प्रतिबंधी शिशु विकास केन्द्र, चिन्नमारा, जोरहट	3.08	3.58	1.99	0.00
9.	असम	पैरेंट एसोसिएशन ऑफ शिशु सरोथी, रामकृष्ण मिशन रोड, गोवाहाटी	0.00	9.96	3.39	0.00
10.	बिहार	शामा विकास समिति, असार नगर, माला विहार, इस्लामपुर, नालंदा	4.39	2.59	3.87	0.00
11.	बिहार	समाज कल्याण संस्थान नया नगर, रोशन, समस्तीपुर	6.28	0.00	7.40	0.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	बिहार	जे.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग, रोड नं. 5, इंदिरापुरी, पोस्ट केशरी, इंदिरापुरी, पटना	7.22	6.88	7.93	0.00
13.	बिहार	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एजूकेशन एंड रिसर्च, हैल्थ इंस्टीट्यूट रोड बेयूर (नियर सैंट्रल जेल पटना)	0.00	2.44	0.00	0.00
14.	बिहार	दीपालया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटलीहेल्थ, पूर्णिया	0.00	0.00	4.03	0.00
	चंडीगढ़		0.00	0.00	0.00	0.00
15.	छत्तीसगढ़	आकांक्षा लाइंस स्कूल फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड लाइंसडेन, जल विहार कालोनी, रायपुर	0.00	10.66	0.61	0.00
16.	छत्तीसगढ़	स्नेह संपदा, द्रुग	0.00	0.00	3.43	0.00
	दादरा एवं नगर हवेली		0.00	0.00	0.00	0.00
17.	दिल्ली	इंस्पिरेशन सेंटर एजीआई, 123डी, विकासपुरी, नई दिल्ली	7.86	8.25	7.10	0.00
18.	दिल्ली	मुस्कान पैरेंट एसोसिएशन फॉर दि वेल्फेयर ऑफ चिल्ड्रेन विथ मेंटल हैंडीकैप्ड, बी–2, वसंतकुंज, नई दिल्ली	1.80	1.74	2.25	0.00
19.	दिल्ली	हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन पैरेंट एसोसिएशन टू बलबीर सक्सेना मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली	0.00	7.96	2.48	0.00
20.	दिल्ली	तमन्ना स्पेशल स्कूल, वसंत विहार, नई दिल्ली	0.00	0.00	4.13	0.00
21.	दिल्ली	मनोविकास कम्प्रेहेंसिव रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली	0.00	0.00	4.28	0.00
22.	गोवा	लोकविश्वास प्रतिष्ठान शान्तादुर्ग क्रुपाश्रम, कपिलेश्वरी धैली कोंडा, गोवा	3.03	3.03	4.60	0.00
23.	गोवा	संगत सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फेमिली गाइडेंस, 35 डिफेंस कालोनी, आलोपोर्वाइन, गोवा	1.82	7.96	0.00	0.00
24.	गुजरात	संशकर्धन एजूकेशनल ट्रस्ट त्रैशाली रोड, बडौदा	3.45	2.69	3.20	0.00
25.	गुजरात	श्री बाघी लाल एस. गांधी चैरिटेबुल ट्रस्ट, अंतिसार दरवाजा, कपड़वाझ, खेड़ा	5.75	9.36	10.91	0.00
26.	गुजरात	श्रीमती प्रशानबेन रामदास रामजीसार (तलाजवाजा सोसाइटी फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड, 51 विद्यानगर, भावनगर	1.01	2.35	2.02	0.00
27.	गुजरात	अंधजन कल्याण ट्रस्ट अपोजिट मदीना, मस्जिद, चुरापा रोड, धोरजी	9.07	7.32	8.07	0.00
28.	गुजरात	नवजीवन चैरिटेबुल ट्रस्ट, 23 अविनाशी अपार्टमेंट नेहरू पार्खल्याड सोसाइटी रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद	1.64	2.58	3.02	0.00

1	2	3	4	5	6	7
29.	गुजरात	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वस्त्रपुर, अहमदाबाद	0.00	9.62	0.00	0.00
30.	हरियाणा	रेड क्रास पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेल्फेयर ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, गांधीनगर, नियर महिला आश्रम, रोहतक	5.22	0.00	0.00	0.00
31.	हरियाणा	अर्पण इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, गांधीनगर, रोहतक	5.30	3.67	0.00	0.00
32.	हरियाणा	दिशा वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, दिशा लेन, हिसार रोड, सिरसा	4.36	1.67	3.99	0.00
33.	हिमाचल प्रदेश	सहयोग बालश्रवण विकलांग कल्याण समिति, रेड क्रास भवन के निकट, मंडी	5.28	4.17	4.80	0.00
34.	हिमाचल प्रदेश	आस्था वेल्फेयर सोसाइटी नहान, जीपीओ टॉक के सामने, सिरमौर	5.41	2.17	4.34	0.00
35.	हिमाचल प्रदेश	प्रेम आश्रम पोस्ट ऑफिस, ऊना	5.04	7.21	7.21	0.00
36.	हिमाचल प्रदेश	विशप कोलोन स्कूल, शिमला	0.00	3.64	2.29	0.00
37.	झारखंड	दीपशिखा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ श्रद्धानन्द रोड, रांची	3.78	3.06	5.72	0.00
38.	कर्नाटक	एकेडमी फॉर सवेरा हैंडीकैप्ड एंड आटिज्म (आशा) एस 123, किर्लोस्कर कालोनी, थर्ड स्टेज, चौथा ब्लाक, बसवेश्वरानगर, बंगलौर	1.79	1.79	3.95	0.00
39.	कर्नाटक	आशाकिरन स्पेशल नीडस स्कूल, 15, सेवेंथ मेन, सेकेंड स्टेज, इंदिरानगर, बंगलौर	4.25	3.19	0.00	0.00
40.	कर्नाटक	वेल्फेयर एसोसिएशन फॉर दि रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड सोसाइटी (वार्डस), टेंथ मेन रोड, होपसकाम जीवन बीमा नगर के निकट, न्यू थिपासंद्रा पोस्ट, बंगलौर	2.54	2.61	3.19	0.00
41.	कर्नाटक	कांप्रहेंशिव रिहैबिलिटेशन आर्गनाइजेशन एंड सर्विस सोसाइटी, पी.ओ. नं. 6, आरईएमएल नगर, पोस्ट कोलारगोल्ड फील्ड	0.00	6.03	6.50	0.00
42.	कर्नाटक	सृष्टि स्पेशल एकेडमी एमआईजी 71, ए क्रास 5, मेन एएचबी कालोनी, सेकेंड स्टेज बसवेश्वरानगर, बंगलौर	0.00	6.50	6.50	0.00
43.	कर्नाटक	सोसल वेल्फेयर इंस्टीट्यूट ऑफ मामकेन्द्र, दावानजेने	0.00	0.00	3.30	0.00
44.	केरल	मित्रम चैरिटेबुल सोसाइटी, मित्रम रिहैबिलिटेशन कांपलेक्स, कांजीरिक्का–पिल्ली, अरापुन्नम, पी.ओ. एर्नाकुलम	2.83	2.83	4.03	0.00
45.	केरल	अक्षय पुल्लीइल पिली, गथुमुकु, कोल्लम	6.68	4.03	4.03	0.00
46.	केरल	पीरा रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड स्पेशल स्कूल (ए यूनिट ऑफ ए माउस बिल्ला चैरिटेबुल सोसाइटी)	5.10	4.04	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
47.	केरल	दीप्ति सोसाइटी, जट्टी रोड, मोहम्मा पो. आफिस, अल्लापुझा	2.09	6.02	4.24	0.00
48.	केरल	विकास योजना सोसल सर्विस सोसाइटी, कोट्यम	3.56	0.00	3.56	0.00
49.	केरल	एसोसिएशन फॉर वेल्फेयर ऑफ दि हैंडिकैप्ड पीओ नं. 59, 17/194ए, एम स्क्वायर काम्पलेक्स पावामनी रोड, कालीकट	0.00	8.88	9.35	0.00
	लक्षद्वीप		0.00	0.00	0.00	0.00
50.	मध्य प्रदेश	महिला उत्कर्ष संस्थान, 3/4 वृंदावन कालोनी, वाणगंगा, इंदौर	2.02	3.02	4.03	0.00
51.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति, 88 सुभाष नगर, इंदौर	2.86	2.64	0.00	0.00
52.	मध्य प्रदेश	श्री श्री उत्कर्ष समिति, 38 नारायण बाग, इंदौर	4.25	382.00	6.22	0.00
53.	मध्य प्रदेश	दिगदर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्था, रेड क्रास भवन कंप्लेक्स, शिवाजीनगर, भोपाल	0.00	11.02	2.52	0.00
54.	महाराष्ट्र	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, डिस्ट्रिक ब्रांच कोलापुर, गेट नं. 4, सेंट्रल बिल्डिंग पास कसाबा बवादा, कोल्हापुर	1.24	1.07	2.11	0.00
55.	महाराष्ट्र	संकल्प एसोसिएशन ऑफ पैरेंट ऑफ पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन वीयरली लेआउट राजानगर, नागपुर	1.86	5.50	4.69	0.00
56.	महाराष्ट्र	सवाली, अलंकार प्लाट नं. 14 क्रम सं. 133, प्रभा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. कोथाड, पुणे	2.64	4.47	5.69	0.00
57.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए संघ, टनर्ल मोरिसन हाउस (बेसमेंट) 16 बैंक स्टेट मुम्बई	0.00	2.68	4.94	0.00
58.	महाराष्ट्र	मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवोदय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, रेजीडेंसी रोड, सदर, नागपुर	0.00	6.78	3.19	0.00
59.	मणिपुर	पुपुल्स वेल्फेयर सोसाइटी, यरीपोक, लाइमनई पीओ/पीएस यारीपोक, ईस्ट इम्फाल	6.12	5.56	7.44	0.00
60.	मणिपुर	दि पाइनियर्स वार्म वेल्फेयर एसोसिएशन केइसंथागटाप, लिएरक, वेस्ट इम्फाल	4.68	3.40	5.16	0.00
61.	मणिपुर	सभी मणीपुर मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति कल्याण संगठन, किइसंथाग टाप, लिएरक, इम्फाल	5.28	5.14	5.14	0.00
62.	मणिपुर	वेटर लिविंग कंडिशन एवं रिसर्च आर्गनाइजेशन, थुबल	0.00	0.00	3.36	0.00
	मेघालय		0.00	0.00	0.00	0.00
	मिजोरम		0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	नागालैंड		0.00	0.00	0.00	0.00
63.	उड़ीसा	वीर सुरेन्द्र साई इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, सोसल वेल्फेयर सेंटर, पीओ धनकुड़ा, संबलपुर	6.65	6.65	7.80	0.00
64.	उड़ीसा	एसोसिएशन फॉर सोसल हेल्प इन रूरल एरिया, पीओ तुरुा, वोलांगी	5.46	4.09	4.45	0.00
65.	उड़ीसा	रिसर्च एकेडमी फॉर रूरल एंड रिवमेंट, पीओ सोनीपुर	5.38	4.28	4.99	0.00
66.	उड़ीसा	एसोसिएशन फॉर वाल्युन्टरेक्शन, धामपुर, पीओ बरबोई, पुरी	6.46	3.55	4.98	0.00
67.	उड़ीसा	पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र, भद्रम	0.00	0.00	4.47	0.00
68.	पंजाब	शिशु बसंत रेजीडेंसियल केयर, सुदर, पटियाला	3.64	4.64	4.03	0.00
69.	पंजाब	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, रेड क्रास भवन सादिक रोड, फरीदकोट	6.16	4.61	6.49	0.00
70.	पांडिचेरी	भारत में विकलांग जनों का पुनर्वास, 42 सेंट एंटोनी कोविल स्ट्रीट, रेडीआरपल्लयम, पांडिचेरी	1.97	1.43	4.33	0.00
71.	राजस्थान	राजस्थान महिला कल्याण मंडल, सावित्रि स्कूल के सामने गोविन्द भवन, सिविल लाइन, अजमेर	3.05	2.84	1.50	0.00
72.	राजस्थान	नवदिशा विकास समिति पी–6, हसनखान, म्यूलतीनगर, अलवर	1.40	1.39	2.47	0.00
73.	राजस्थान	आशा का झरना हरला का कोठी, नवलगढ़, झुंझुर	3.19	3.76	3.82	0.00
74.	राजस्थान	महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, मानसिक रूप से मंद के लिए जुकी स्कूल, राजेन्द्र नगर, भरतपुर	2.01	3.80	4.71	0.00
75.	राजस्थान	नारायण सेवा संस्थान, सेवा धाम सेवानगर, हिरानमरगी, सेक्टर 4–5, लिंक रोड, उदयपुर	3.29	2.02	7.49	0.00
76.	राजस्थान	अक्षय प्रतिष्ठान स्टेट रोड, चिरावा झुन्झुनु	0.00	4.61	2.80	0.00
77.	राजस्थान	श्रद्धालय आश्रम समिति जल हाउस सूरज पोल, कोटा	0.00	2.35	0.00	0.00
78.	राजस्थान	प्रयास प्राच्य शोधपीठ, 30 एसीआई रोड, भोपाल, पेसिया, उदयपुर	0.00	6.24	7.20	0.00
	सिक्किम		0.00	0.00	0.00	0.00
79.	तमिलनाडु	अनबागम, रोड सं. 14, थेनूजारी हाउसिंग कालोनी, थिनूगनपतिनगर, मडमबक्कम, चेन्नै	3.85	5.86	4.39	0.00
80.	तमिलनाडु	इकोमवेल आर्थोपेडिक सेंटर आरसी चर्च के पास थारामगलम स्लेम	3.48	5.38	4.03	0.00
81.	तमिलनाडु	एमएस चेलामुथ्थु ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन, 613 केके नगर, मदुरै	3.82	1.51	3.76	0.00
82.	तमिलनाडु	लोकल लेवल कमेटी उधगमंडलम, मीरगिरी	5.15	7.06	7.06	0.00

1	2	3	4	5	6	7
83.	तमिलनाडु	दि गिल्ड ऑफ सर्विसेज रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन रोड, कांचीपुरम	1.09	0.91	2.46	0.00
84.	त्रिपुरा	त्रिपुरा चैरिटेबुल हेल्थ सोसाइटी, कचौमोहारी, 42 करीमनगर, अगरतला	4.17	0.00	0.00	0.00
85.	त्रिपुरा	सभी त्रिपुरा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक उत्थान परिसर, रामनगर रोड नं. 1, (सेकेंड लैंड) पीओ रामनगर, अगरतला	4.41	4.02	4.03	0.00
86.	उत्तर प्रदेश	दृष्टि सामाजिक संस्था, एमजी 2/1, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ	6.16	4.63	6.47	0.00
87.	उत्तर प्रदेश	भगीरथ सेवा संस्थान, आर 10/44, नया राजनगर, गाजियाबाद	6.46	4.06	4.06	0.00
88.	उत्तर प्रदेश	मानसिक रूप से मंद व श्रवण बाधितों के लिए केन्द्र, 3 चर्च रोड, सिविल लाइन, सहारनपुर	0.00	5.02	3.86	0.00
89.	उत्तर प्रदेश	निर्बल वर्ग कल्याण समिति, मऊ	0.00	0.00	1.68	0.00
90.	उत्तर प्रदेश	यूएनईसीएसएस रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी, यूएनईसीएसएस हाउस, बिलन ताकुला रोड, बागेश्वर	5.52	3.82	5.04	0.00
91.	पश्चिम बंगाल	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, पी–35/1, 13 टोला रोड (मेराइन इंजीनियरिंग कालेज के सामने) कोलकाता	5.23	0.00	3.62	0.00
92.	पश्चिम बंगाल	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, दक्षिण दिनाजपुर, डिस्ट्रिक ब्रांच सूर्यसेन सारणी, पीओ बेल्लूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर	6.44	4.40	6.51	0.00
93.	पश्चिम बंगाल	मिदनापोर पुनर्वास बाल केन्द्र, गीतांजलि विद्यासागर रोड, मिदनापोर	5.55	6.82	6.82	0.00
94.	पश्चिम बंगाल	दुलाल समृति संसद, पीओ खजुरादहा, हुगली	6.94	0.48	0.00	0.00
95.	पश्चिम बंगाल	रामपूरत स्पास्टिक एंड हैंडीकैप्ड सोसाइटी, चमरागुदम, पीओ रामपुरत, बीरभूमि	4.62	4.63	4.46	0.00
96.	पश्चिम बंगाल	कंदुआदिही विकास सोसाइटी, पीओ कंदुआदिही, बैंकुरा	2.72	3.05	2.79	0.00
97.	पश्चिम बंगाल	चितरंजन स्मृति प्रतिबंधी सेवा केन्द्र, 10 आरएनटीपी, बाइ लेन, पीओ श्यामनगर, नार्थ 24 परगना	0.00	2.64	0.00	0.00

विवरण-III

राष्ट्रीय न्यास की सेवा प्रदाताओं (केयरगीवरज) के प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को राज्य–संघ राज्य क्षेत्रवार दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	श्री दक्षिण भाव समिति, गुंटूर	2.00	0.00	1.61	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	किरणम पेरेंट्स एसोसिएशन, रंगारेड्डी	0.00	0.00	098	0.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	आंध्र प्रदेश	रूरल एजूकेशनल मेडिकल एंड एकोनामिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, चित्तौड़	0.00	0.00	0.98	0.00
4.	आंध्र प्रदेश	ठाकुर हरि प्रसाद संस्था, हैदराबाद	0.00	0.98	0.00	0.00
5.	आंध्र प्रदेश	आरईएमईडीएस, चित्तौड़	0.00	0.98	0.00	0.00
6.	आंध्र प्रदेश	रूरल समाल इंडस्ट्रीज डेवलप सोसाइटी, चित्तौड़	1.00	0.00	0.00	0.00
7.	आंध्र प्रदेश	मनोचेतना, वारंगल	1.00	0.98	0.00	0.00
8.	आंध्र प्रदेश	उमा मनोविकास केन्द्र, काकीनंदा	1.00	0.00	0.98	0.00
9.	आंध्र प्रदेश	स्वामक्रुशी, सिकन्दराबाद	0.00	0.98	0.00	0.00
10.	आंध्र प्रदेश	स्नेह सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन निजामबाद	1.00	0.98	0.00	0.00
11.	असम	असम मेंटल वेल्फेयर सोसाइटी, नालबरी	1.00	0.00	0.00	0.00
12.	असम	प्रेरोणा, जोरहट	0.00	0.98	0.00	0.00
13.	असम	शिशी सारथी स्पाटस्टिक सोसाइटी, दुबरी	0.00	0.98	0.00	0.00
14.	असम	स्वालम्बी	0.00	0.00	0.98	0.00
15.	बिहार	दीपालय, पुर्णिया	1.00	0.98	0.00	0.00
16.	बिहार	जनहित सेवा मंडल, बेगूसराय	0.00	0.98	0.00	0.00
17.	बिहार	एकोविक, गया	1.00	0.98	0.00	0.00
18.	बिहार	समर्पण, शिवोहर	1.00	0.00	0.00	0.00
19.	बिहार	भारतीय स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पटना	1.00	0.00	0.00	0.00
20.	बिहार	समा विकास समिति, नालंदा	1.00	0.00	0.00	0.00
21.	बिहार	करपुरी ठाकुर ग्रामीण विकास संस्थान, पटना	1.00	0.00	0.00	0.00
22.	बिहार	इनवायमेंटल कंसल्टेंसी विकास केन्द्र, पटना	0.00	0.00	0.98	0.00
23.	बिहार	सुमम, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.98
24.	बिहार	समाज कल्याण संस्थान, समस्तीपुर	0.00	0.00	0.98	0.00
25.	छत्तीसगढ़	अकांक्षा, रायपुर	2.00	0.98	0.98	0.00
26.	छत्तीसगढ़	स्नेह संपदा विद्यालय, दुर्ग	0.00	0.98	0.00	0.00
27.	छत्तीसगढ़	अंकुर, कोरबा	1.00	0.00	0.98	0.00

1	2	3	4	5	6	7
28.	चंडीगढ़	जीआईएमआरसी, चंडीगढ़	1.00	0.98	0.00	0.00
29.	दिल्ली	तमन्ना, वसंत विहार	0.00	0.98	0.00	0.00
30.	दिल्ली	सेव दि चिल्ड्रेन विथ मेंटल रिटार्डेशन एंड डिसेबलटी, फाउंडेशन, लक्ष्मीनगर	0.00	0.00	0.00	0.98
31.	दिल्ली	मनोविकास कंप्रहेंशिव रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, विवेक विहार	0.00	0.00	0.98	0.00
32.	गुजरात	श्रीमती पी.एन.आर. सोसाइटी, भावनगर	1.00	0.00	0.00	0.00
33.	गुजरात	श्री एक्सीलेंट युवक मंडल, भावनगर	1.00	0.00	0.00	0.00
34.	गुजरात	मेडिकल केयर ट्रस्ट, वड़ौदरा	0.00	0.00	0.98	0.00
35.	गुजरात	श्री अंधजन विविधलक्ष्मी तमिल केन्द्र, जामनगर	0.00	0.98	0.00	0.00
36.	गोवा	दिशा, पणजी	0.00	0.98	0.00	0.00
37.	गोवा	संगथ, पणजी	0.00	0.98	0.00	0.00
38.	हिमाचल प्रदेश	चेतना, बिलासपुर	1.00	0.98	0.00	0.00
39.	हिमाचल प्रदेश	प्रेम आश्रम, ऊना	0.00	0.00	1.61	0.00
40.	हरियाणा	तपन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, कर्नाल	0.00	0.98	0.00	0.00
41.	हरियाणा	खुशबू वेल्फेयर सोसाइटी एंड एसओएस विलेज, गुड़गांव	0.00	1.91	0.00	0.00
42.	झारखंड	दीपशिका, रांची	0.00	0.98	0.00	0.00
43.	झारखंड	श्रीजक समूह देवघर	0.00	0.00	0.98	0.00
44.	कर्नाटक	अंगविकलरा आशा किरण ट्रस्ट, देवनगिरि	1.00	0.98	0.00	0.00
45.	कर्नाटक	कर्नाटक पैरेंट्स एसोसिएशन	0.00	1.00	0.00	0.00
46.	कर्नाटक	स्वेइम, देवनगिरि	1.00	0.00	0.00	0.00
47.	कर्नाटक	ग्रामीण अभ्युदय सेवा समस्थे, दोड्डाबल्ला	1.00	0.00	0.00	0.00
48.	कर्नाटक	अकेडमी फॉर सवेरे हैंडीकैप्स एंड आटिज्म, बंगलौर	1.00	0.00	0.00	0.00
49.	केरल	मनोविकास स्पेशल स्कूल, कोल्लम	1.00	0.00	0.00	0.00
50.	केरल	सेइरी आशा भवन, कोल्लम	0.00	0.98	0.00	0.98
51.	केरल	के. वेलेयुधान मेमोरियल ट्रस्ट, अल्लापुझा	0.00	0.00	0.98	0.00
52.	केरल	एसोसिएशन फॉर दि वेल्फेयर ऑफ हैंडीकैप्ड	0.00	0.98	0.00	0.00
53.	मध्य प्रदेश	एमपी विकलांग कल्याण समिति, उज्जैन	1.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
54.	मध्य प्रदेश	महात्मा गांधी संस्थान, इंदौरा	0.00	0.98	0.00	0.00
55.	मध्य प्रदेश	आशा दीप विकलांग विकास एवं संगठन, शिवनी	1.00	0.00	0.00	0.00
56.	मध्य प्रदेश	अवसर पुनर्वास एवं अनुसंधान संगठन, सागर	0.00	0.00	0.98	0.00
57.	मध्य प्रदेश	आशाग्राम ट्रस्ट, बरवानी	0.00	0.00	0.98	0.00
58.	मध्य प्रदेश	ब्रिग स्टार सोसल सोसाइटी, सिहोरा	0.00	0.00	0.98	0.00
59.	मध्य प्रदेश	गुरुकुल संस्कृत शिक्षण समिति, सीधी	0.00	0.00	0.98	0.00
60.	मध्य प्रदेश	रोशनी, ग्वालियर	1.00	0.00	0.00	0.00
61.	महाराष्ट्र	अविस्कार, कोल्हापुर	1.00	0.00	0.00	0.00
62.	महाराष्ट्र	जीओदय, नागपुर	0.00	0.98	0.98	0.00
63.	महाराष्ट्र	आदिवासी सेवाभावी संस्था, अहमदनगर	0.00	0.98	0.00	0.00
64.	महाराष्ट्र	साल्वी, पुणे	0.00	0.98	0.00	0.00
65.	महाराष्ट्र	दि रिसर्च सोसाइटी फॉर केयर ट्रीटमेंट ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन विथ मेंटल हैंडीकैप्ड, मुम्बई	0.00	0.00	0.98	0.00
66.	महाराष्ट्र	जिवहाला सोसाइटी फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सोलापुर	0.00	0.98	0.00	0.00
67.	मणिपुर	कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, थाउबल	1.00	0.00	0.00	0.00
68.	मणिपुर	आर्गनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एकोनामिक कांसियसनेस, विशनपुर	0.00	0.00	0.98	0.00
69.	मणिपुर	पीपुल एडवांस इन सोशल सर्विस, चुराचंदपुर	0.00	0.00	0.98	0.00
70.	मेघालय	डियर जिंगकीरमेंट, शिलांग	0.00	0.98	0.00	0.98
71.	मिजोरम	स्पेस्टिस सोसाइटी ऑफ मिजोरम, आइजोल	0.00	0.00	0.98	0.00
72.	उड़ीसा	वीएसएस इंस्टीट्यूट फॉर एमएच, सम्बलपुर	1.00	0.98	0.00	0.00
73.	उड़ीसा	आशा, बोलानगिर	1.00	0.00	0.00	0.00
74.	उड़ीसा	प्राची पथागार, पुरी	1.00	0.00	0.00	0.00
75.	उड़ीसा	विकास सदन, पुरु	1.00	0.00	0.00	0.00
76.	उड़ीसा	रेयारे, सोनेपुर	1.00	0.00	0.00	0.00
77.	उड़ीसा	विकास, भुवनेश्वर	0.00	0.98	0.00	0.00
78.	उड़ीसा	जेवेल्स इंटरनेशनल, भुवनेश्वर	2.00	0.00	0.00	0.00
79.	उड़ीसा	रिजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर, कटक	2.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
80.	उड़ीसा	डा. बीबी मोहन्ती मेमोरियल एमआर बेनिफिट ट्रस्ट, भुवनेश्वर	1.00	0.00	0.00	0.00
81.	उड़ीसा	रूरल रिसर्च एड डेवलपमेंट काउंसिल, मयूरभंज	1.00	0.00	0.00	0.00
82.	उड़ीसा	नेशनल रिहैबिलिटेशन अर्टिफिसियल लिम्ब सेन्टर, राउरकेला	1.00	0.00	0.00	0.00
83.	उड़ीसा	रिसर्च एकेडमी फॉर रूरल इरीचमेंट, सोनीपुर	0.00	0.98	0.00	0.00
84.	उड़ीसा	एसोसिएशन फॉर सोसल हेल्प इन रूरल एरिया (आश्रा) बोलनगिर	0.00	0.98	0.00	0.00
85.	उड़ीसा	ओपेन लर्निंग सिस्टम, भुवनेश्वर	0.00	0.00	0.98	0.00
86.	उड़ीसा	बालासोर डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड वेल्फेयर आर्गनाइजेशन, भद्रक	0.00	0.00	0.98	0.00
87.	पंजाब	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, फरीदकोट	1.00	0.00	0.00	0.00
88.	पंजाब	साधू बसंत रेसीडेंसियल केयर, पटियाला	1.00	0.98	0.00	0.00
89.	पांडिचेरी	सदय, पांडिचेरी	1.00	0.98	0.00	0.00
90.	राजस्थान	राजस्थान महिला कल्याण मंडल, अजमेर	0.00	0.98	0.00	0.00
91.	राजस्थान	जुबिन स्पास्टिक होम एंड चैरिटेबुल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर	0.00	0.00	0.98	0.00
92.	राजस्थान	सोसाल वेल्फेयर डिपार्टमेंट, जयपुर	0.00	1.69	0.00	0.00
93.	सिक्किम	स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ सिक्किम	0.00	0.00	0.98	0.00
94.	तमिलनाडु	भारतमाता सेंटर, तिरुवरुर	1.00	0.98	0.00	0.00
95.	तमिलनाडु	शांति नीथि केन्द्र, निलगिरी	2.00	0.98	0.00	0.00
96.	तमिलनाडु	विद्या विकासिनी अपोर्चुनिटी स्कूल, कोएम्बटूर	1.00	0.98	0.98	0.00
97.	तमिलनाडु	एकोमवेल आर्थोपेडिक सेंटर, सलेम	1.00	0.98	0.00	0.00
98.	तमिलनाडु	स्कोर्ड, थिरुवरुर	1.00	0.00	0.00	0.00
99.	तमिलनाडु	डीडीआरसी, तूतीकोरिन	0.00	0.98	0.00	0.00
100.	तमिलनाडु	डीसीडीआर, मदुरै	1.33	0.00	0.98	0.00
101.	तमिलनाडु	रुकोडे इंडिया, कन्याकुमारी	1.00	0.00	0.00	0.00
102.	तमिलनाडु	पीपुल्स क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, टीवी मलाई	1.00	2.00	0.00	0.00
103.	तमिलनाडु	स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नै	2.00	0.98	0.98	0.00
104.	तमिलनाडु	दीपम ट्रस्ट, पलैनी	0.00	1.00	0.00	0.00
105.	तमिलनाडु	कील ओट्टीवक्कम ग्राम संगम, कांचीपुरम	1.00	0.98	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
106.	त्रिपुरा	त्रिपुरा चैरिटेबुल हेल्थ सोसाइटी, अगरतला	1.00	0.00	0.00	0.00
107.	उत्तर प्रदेश	यू.पी. पैरेंट्स एसोसिएशन, लखनऊ	2.00	0.00	0.98	0.00
108.	उत्तर प्रदेश	इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर दि डिसेबल्ड, वाराणसी	1.00	1.00	1.96	0.00
109.	उत्तर प्रदेश	चेतना, लखनऊ	1.00	0.00	0.00	0.00
110.	उत्तर प्रदेश	सुभाष शिक्षण एवं विकास संस्था, रायबरेली	0.00	0.98	0.98	0.00
111.	उत्तर प्रदेश	शिक्षित युवा सेवा समिति, बस्ती, यू.पी.	0.00	1.00	0.00	0.00
112.	उत्तर प्रदेश	विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी, इलाहाबाद	0.00	0.00	0.94	0.00
113.	उत्तर प्रदेश	शांति समजा सेवी समिति, फरुखाबाद	0.00	0.00	0.98	0.00
114.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय बुद्ध शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान, जेपी नगर	1.00	0.00	0.00	0.00
115.	उत्तरांचल	यूएनईसीएसएस, बगेश्वर	1.00	0.00	0.00	0.00
116.	उत्तरांचल	मंगलदीप विद्या मंदिर, अल्मोड़ा	1.00	0.00	0.00	0.00
117.	पश्चिम बंगाल	मिदनापोर रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर चिल्ड्रेन, मिदनापोर	1.00	0.98	0.00	0.00
118.	पश्चिम बंगाल	मनोविकास केन्द्र, कोलकाता	1.00	0.00	0.00	0.00
119.	पश्चिम बंगाल	विकासयन, कोलकाता	1.00	0.98	0.00	0.00
120.	पश्चिम बंगाल	कंदुआदिही विकास सोसाइटी, बांकुरा	1.00	0.00	0.00	0.00
121.	पश्चिम बंगाल	रामपुरहाट स्पास्टिक एंड हैंडीकैप्ड सोसाइटी, बीरभूमि	1.00	0.98	0.98	0.00
122.	पश्चिम बंगाल	महिला उन्नयन शिविर, हावड़ा	1.00	0.00	0.00	0.00
123.	पश्चिम बंगाल	शेल्टर, हुगली	1.00	0.00	0.00	0.00
124.	पश्चिम बंगाल	आईआरसी, दक्षिण दिनाजपुर	1.00	0.00	0.00	0.00
125.	पश्चिम बंगाल	नार्थ बंगला हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, दार्जिलिंग	1.00	0.00	0.00	0.00
126.	पश्चिम बंगाल	नार्थ कलकत्ता प्रतिबंधी सेवा केन्द्र, कोलकाता	1.00	0.00	0.00	0.00
127.	पश्चिम बंगाल	सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर, बर्दवान	2.00	0.00	0.00	0.00
128.	पश्चिम बंगाल	प्रदीप सेंटर ऑफ आटिज्म मैनेजमेंट, कोलकाता	1.00	0.00	0.98	0.00
129.	पश्चिम बंगाल	डीडीआरसी मुर्शीदाबाद	0.00	0.98	0.00	0.00
130.	पश्चिम बंगाल	डीडीआरसी जलपाईगुड़ी	0.00	0.98	0.00	0.00
131.	पश्चिम बंगाल	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, कोलकाता	0.00	0.98	0.98	0.00
132.	पश्चिम बंगाल	न्यू अलीपुर अनुभव, कोलकाता	0.00	1.00	0.00	0.00

कॉल सेंटरों की स्थापना

2478. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार 22 कॉल सेंटरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो जोन–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कॉल सेंटरों को किस प्रकार के कार्य सौंपे जाएंगे; और

(घ) इन सेंटरों द्वारा कब तक कार्यकरण आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) समस्त देश में कॉल सेंटर मुहैया कराकर एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली स्थापित की जाएगी। पटना और बैंगलोर में दो काल सेंटर परीक्षण के तौर पर पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं। कॉल सेंटर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) कॉल सेंटर से कनेक्शन स्थापित करने के लिए बिना एसटीडी घुमाए 139 सार्वभौमिक नम्बर मुहैया कराया जाएगा।

(ii) इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम तथा मैनुअल इनक्वायरी, दोनों ही गाड़ी के संचलन की स्थिति, यात्री के आरक्षण की स्थिति तथा स्थान की उपलब्धता के बारे में जानकारी मुहैया कराएंगे।

(घ) शेष कॉल सेंटर 2006–07 के दौरान परिचालित हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों पर वृत्तचित्र

2479. श्री देविदास पिंगले :

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता सेनानियों और देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवन पर वृत्तचित्र बनाने/पुस्तके प्रकाशित करने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से स्वतन्त्रता सेनानियों के जीवन पर वृत्तचित्र आदि बनाने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) देश के स्वतन्त्रता सेनानियों और महत्वपूर्ण विभूतियों पर वृत्तचित्र बनाने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, फिल्म प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्वतन्त्र निर्माताओं और विभागीय निर्देशकों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकार के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु स्वतन्त्रता सेनानियों/विभूतियों के बारे में जीवनी–फिल्मों के निर्माण हेतु कुछेक विषयों पर कार्य करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग मुख्यतः देश की विभिन्न भाषाओं में आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला के अन्तर्गत भारत के सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों की जीवनियां प्रकाशित करता है। इस शृंखला के अन्तर्गत जिन नेताओं पर कार्य किया गया उनमें महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, डा. राजेन्द्र प्रसाद, डा. राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी आदि जैसे नेता शामिल हैं। कुल 103 विभूतियों को विभिन्न भाषाओं की शृंखला में पहले ही शामिल कर लिया गया है। आमतौर पर, ये पुस्तकें अंग्रेजी, हिन्दी और संबंधित विभूति की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित की जा रही हैं।

जहां तक उन अन्य महत्वपूर्ण विभूतियों का संबंध है जिनकी जीवनियां विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, उनका चयन विभूतियों के क्षेत्र विशेष पर निर्भर करते हुए सुविख्यात लेखकों, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, सीएसआईआर जैसी संस्थाओं के परामर्श से किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यात्रियों से होने वाली आय की वृद्धि दर

2480. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों से होने वाली आय की वृद्धि दर यात्रियों की वृद्धि दर के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने तथा यात्रियों से संबंधित क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के माध्यम से राजस्व के घाटे को बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(घ) भ्रष्ट रेलवे अधिकारियों, दलालों तथा एजेंटों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) यात्रियों की संख्या में वृद्धि तथा यात्री अर्जन में वृद्धि सामान्यतः आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि यात्रियों की संख्या में वृद्धि सांख्यिकी वृद्धि को दर्शाती है जबकि अर्जन में वृद्धि बहुत से कारकों पर निर्भर करती है यथा–यात्रियों द्वारा तय की गई दूरी में वृद्धि, उपनगरीय/गैर–उपनगरीय या निम्न श्रेणी/उच्च श्रेणी आदि जैसे विभिन्न प्रकार के यात्रियों की संख्या में वृद्धि।

(ग) यात्रियों से संबंधित क्षेत्रों में राजस्व की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) टिकटों की बिक्री में सुधार करने के लिए अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस), इंटरनेट के माध्यम से आरक्षण, मोबाइल फोन से आरक्षण, ई–टिकटिंग जैसी नई योनजाएं शुरू की गई हैं।

(ii) अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर तथा यात्री प्रोफाइल प्रबंधन (पीपीएम) परियोजना के माध्यम से गाड़ियों के प्रोफाइल में परिवर्तन करके गाड़ियों में अतिरिक्त सीटों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

(iii) पैट्रोनाइज्ड गाड़ियों की लदान क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा रहा है।

(iv) प्रतीक्षा सूची क्लीयर करने के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जा रहे हैं।

(v) मंडलों पर "गहन जांच चौकियां" तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा "नामित घंटे टिकट जांच" जैसी नवीन टिकट जांच रणनीतियां शुरू की गई हैं।

(vi) पुलिस, मैजिस्ट्रेट के सहयोग से भारी संख्या में टिकट जांच कर्मचारियों को लगाकर नियमित गहन अभियान चलाए जाते हैं।

(vii) बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना राशि को भी 1 जुलाई, 2004 से 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है जिसका बिना टिकट यात्रा पर निवारक प्रभाव पड़ा है।

(घ) औचक जांचें आयोजित करने तथा प्रमाणित मामलों में सजा दिए जाने के अतिरिक्त, संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे रेल कर्मचारियों की गुटबंदी तोड़ने के लिए उन्हें आवधिक रूप से स्थानांतरित भी किया जाता है।

डीटीएच के अन्तर्गत चैनलों को देखना

2481. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डॉयरेक्ट–टु–होम (डीटीएच) सेवा के अन्तर्गत मुफ्त प्रसारित किए जा रहे चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीटीएच के अन्तर्गत चैनल देखने के लिए सेट–टॉप बॉक्स की आवश्यकता होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या केबल ऑपरेटरों के कुछ दबाव के कारण सेट–टॉप बॉक्स अब तक लोकप्रिय नहीं हो सके हैं; और

(घ) यदि हां, तो डीटीएच के अन्तर्गत और निजी चैनलों को आकर्षित करने तथा इसे और अधिक वहनीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) दूरदर्शन की फ्री–टु–एयर डीटीएच सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध चैनलों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। सेट–टॉप बॉक्सों की लोकप्रियता उपभोक्ताओं द्वारा टीवी चैनलों की वरीयता, सेवा की गुणवत्ता, अन्य सेवा प्रदाताओं के शुल्कों की वहनीयता आदि पर निर्भर करती है।

(घ) जहां तक दूरदर्शन की फ्री–टु–एयर डीटीएच सेवा का संबंध है, सरकार ने प्रसार भारती को अपने समूह में टीवी चैनलों की संख्या को बढ़ाकर पचास करने की अनुमति दे दी है।

विवरण

डी.डी. डायरेक्ट प्लस के समूह में शामिल चैनलों की सूची

डी.डी. चैनल	निजी चैनल	रेडियो चैनल
1. डी.डी. राष्ट्रीय	1. आज तक	1. विविध भारती
2. डी.डी. न्यूज	2. हेडलाइन टुडे	2. आकाशवाणी एफ.एम. रेनबो
3. डी.डी. स्पोर्ट्स	3. बी.बी. वर्ल्ड	3. आकाशवाणी गोल्ड
4. डी.डी. इंडिया	4. जैन टी.ती.	4. आकाशवाणी हिन्दी
5. डी.डी. भारती	5. स्टार उत्सव	5. आकाशवाणी बंगला
6. डी.डी. कशीर	6. जी. म्यूजिक	6. आकाशवाणी नोर्थ ईस्ट
7. डी.डी. पंजाबी	7. स्माइल टी.वी.	7. आकाशवाणी उडीया
8. डी.डी. नोर्थ ईस्ट	8. ई.टी.वी. मराठी	8. आकाशवाणी गुजराती
9. डी.डी. बंगाली	9. सन टी.वी.	9. आकाशवाणी मराठी
10. डी.डी. उडीया	10. केराली टी.वी.	10. आकाशवाणी तेलुगु
11. डी.डी. गुजराती	11. आकाश बंगला	11. आकाशवाणी तमिल
12. डी.डी. सहयाद्री (मराठी)	12. ई.टी.वी. पंजाबी	12. आकाशवाणी कन्नड़
13 डी.डी. सप्तागिरी (तेलुगु)	13. एम.एच.–1	
14. डी.डी. चन्दाना (कन्नड़)	14. टी.वी.–9	
15. डी.डी. पोदीगई (तमिल)		
16. डी.डी. मलयालम		
17. डी.डी. एलएस (लोक सभा)		
18. डी.डी. आरएस (राज्य सभा)		

ऐजुकेशन चैनल

1. ज्ञान दर्शन

वायु सेना सेंटर का स्थान बदलना

2482. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राय पाल समिति ने वायु सेना सेंटर को पालम से हिंडन स्थानांतरित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय वायु सेना हिंडन एयरबेस को पहले ही बंद कर चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि इंडियन एयरफोर्स अपने प्रचालन पालम से हिंडन को स्थानान्तरित करके और इस समय उनके द्वारा अधिगृहित क्षेत्र को सिविलियन प्रयोग के लिए छोड़ दें ताकि एयरलाइनों की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए पार्किंग बे की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता करवाई जा सके।

(ग) इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की वसूली

2483. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा एस्सार कंपनी द्वारा 1996 में गैस की खरीद हेतु कोई समझौता किया गया था जिसके अन्तर्गत एस्सार कम्पनी को एचबीजे पाइपलाइन के माध्यम से गैस के ट्रांसपोर्टेशन पर प्रशुल्क देना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एस्सार कंपनी पर ट्रांसपोर्टेशन प्रशुल्क के रूप में कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या "गेल" ने उक्त कंपनी के बकाया राशि की वसूली कर ली है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कंपनी से बकाया राशि वसूलने के लिए "गेल" द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) एचबीजे पाइपलाइन की निश्चित आवंटित मात्रा के अलावा मजबूरी के आधार पर गैस आपूर्तियों की मात्राओं के लिए एचबीजे परिवहन प्रभारों का भुगतान करने हेतु एस्सार स्टील ने गेल के साथ जुलाई, 1996 में एक करार किया था। तत्पश्चात, एस्सार ने उक्त एचबीजे परिवहन प्रभारों के भुगतान को विवादित बना दिया। 31.10.2005 का एस्सार कंपनी द्वारा गेल को बकाया देय राशि लगभग 260 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) आंकी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। जैसा कि गेल ने बताया है, एस्सार ने माननीय उच्चतम न्यायालय तथा गुजरात उच्च न्यायालय के निदेशों पर पहले ही लगभग 81 करोड़ रुपये की राशि जमा करा दी थी। हाल ही के एक निर्णय में गुजरात उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया है कि एस्सार गेल को परिवहन प्रभारों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। गेल ने इस निर्णय के खिलाफ अनुमति याचिका अपील (एलपीए) दायर की है, और मामला गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

[अनुवाद]

तेल पूल घाटा

2484. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(ख) क्या तेल पूल घाटा प्रति वर्ष बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना तेल पूल घाटा था और चालू वित्तीय वर्ष में इसके कितना होने की संभावना है; और

(घ) उक्त घाटे को नियंत्रित और कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
2004-05	29,266
2003-04	20,383
2002-03	17,581

(ख) और (ग) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति की समाप्ति के बाद तेल पूल खाता 1.4.2002 से बंद कर दिया गया है।

वर्ष 2003 की बाद की अवधि से अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अकर्त पूर्व, तीव्र और सर्पिल वृद्धि हुई है। चूंकि संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप संशोधन नहीं किया गया है (ओएमसीज) को निम्नानुसार अल्प वसूलियां झेलनी पड़ी हैं :

(करोड़ रुपये)

अल्प वसूली	2003-04	2004-05 (अनन्तिम)	2005-06 (अनुमानित)
पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर	9,274	17,842	20,652
पेट्रोल और डीजल पर	–	2,304	14,900

(घ) संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बोझ पर नियंत्रण पाने के लिए विशेषकर जून, 2004 से सरकार ने अनेक उपाय किए जिनमें संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में कमी करना तथा मूल्य वृद्धियों में विशेषकर समय-समय पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धियों के कमी करना शामिल हैं। ऐसा विभिन्न पणधारकों अर्थात् सरकार, तेल विपणन कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच इस बोझ का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने एक घाटा हिस्सेदारी योजना तैयार की है जिसके द्वारा अपस्ट्रीम तेल कंपनियां नामतः ओएनजीसी, ओआईएल और गेल संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर अल्पवसूलियों के 1/3 भाग बढ़ाएंगी। सरकार राज सहायता प्राप्त पेट्रोलियम उत्पादों पर पीएसयू तेल विपणन कंपनियों द्वारा झेली गई अल्प वसूलियों के लिए बाण्डों के निर्गम पर भी विचार कर रही है।

सरकार ने डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन भी किया है। यह समिति सभी पणधारकों अर्थात् सरकार, तेल विपणन कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में स्थिरता और यौक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और कराधान ढांचे की समीक्षा करेगी।

सरकार मूल्य स्थिति की निरन्तर निगरानी कर रही है।

गुलबर्गा में आकाशवाणी की प्रसारण क्षमता में वृद्धि

2485. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुलबर्गा में आकाशवाणी की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) उक्त स्टेशन द्वारा स्थानीय संस्कृति, कृषि, शिक्षा एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस समय प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय गुलबर्गा में 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर और 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर कार्यशील हैं। निधियों की उपलब्धता के अधीन 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर को 10 कि.वा. एफएम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) स्थानीय संस्कृति, कृषि, शिक्षा और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसारित किए जा रहे (20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर पर) कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

स्थानीय संस्कृति : लोक संगीत, युवाओं के लिए विशेष श्रोता कार्यक्रम, उर्दू में बाल और महिला कार्यक्रम, रेडियों फीचर, रेडियो नाटक, कीर्तन, श्रोताओं के पत्रों का जवाब, भक्ति संगीत, प्रादेशिक समाचार और स्थानीय उत्सवों पर रेडियो रिपोर्ट।

कृषि : बागवानी के क्षेत्र में कृषि उत्पादन और पशुपालन, मछली पालन, पशुपालन-पोषण एवं डेयरी विकास आदि पर कृषकों के लिए संकेत और कार्यक्रम।

शिक्षा : हिन्दी पाठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, फोन पर परामर्श कार्यक्रम, बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और संगीत पाठ।

खेल : शुक्रवार को खेलों पर 30 मिनट का कार्यक्रम, समय-समय पर खेल आयोजनों की स्थानीय कवरेज तथा उभरते हुए खिलाड़ियों से साक्षात्कार।

स्थानीय महत्व के वार्षिकोत्सवों और समारोहों को कवर करने वाले नियमित कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है और इन्हें प्रसारित किया जाता है।

1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर, मनोरंजन चैनल के रूप में विविध भारती सेवा को भी रिले करता है।

अमरीका में पायलटों को प्रशिक्षण

2486. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से एक विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नौसेना ने मिग–29 के एस विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पायलटों को अमरीका भेजने की योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अमरीका में कितने पायलटों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) विमानवाहक 'एडमिरल गोर्शकोव' को नौसेना में शामिल करने के लिए 20.1.2004 को रूस के साथ संविदाओं और अनुपूरक करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समय इस विमानवाहक में रूस में आवश्यक मरम्मत तथा आशोधन किए जा रहे हैं। रूस से मिग 29के विमानों की अधिप्राप्ति के लिए संविदा में रूस में मिग 29के विमान पर 10 पायलटों का टाइप प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है। मिग 29के विमान उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पायलटों को अमरीका भेजने की कोई योजना नहीं है।

पैसेंजर फ्रेंडली इनफोरमेटिव कोचेज

2487. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दर रूप से डिजाइन किए गए पैसेंजर फ्रेंडली इनफोरमेटिव कोचेज को निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ) ने इस प्रकार के डिब्बे निर्मित किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेल सवारी डिब्बा कारखाना/कपूरथला और सवारी डिब्बा कारखाना/चेन्नै द्वारा निर्मित हमारे मौजूदा सवारी डिब्बों के बेड़ों का डिजाइन सुरुचिपूर्ण यात्रियों के सुविधाओं के अनुकूल है। हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि मौजूदा डिजाइन और विशिष्टियों में निरन्तर बेहतरी लाई जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जिला योजना समितियों का गठन

2488. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री अशोक कुमार रावत :

मोहम्मद शाहिद :

श्री मो. ताहिर :

श्री एस. पी. वीरेन्द कुमार :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को जिला योजना समितियों का गठन करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिला योजना समितियों का गठन नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला योजना समितियों का गठन न करने के क्या कारण बताए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन निकायों के गठन हेतु नए दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला योजना समितियों का गठन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (च) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र (मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा

पर्वतीय परिषद अस्तित्व में है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और छठा अनुसूचित क्षेत्र जहां स्वायत्त निकाय जिला परिषद गठित किए गए हैं को जिला योजना समिति स्थापित करने की आवश्यकता है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तथा अंडमान और निकोबार, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप सरीखे संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में जिला योजना समितियां गठित की गई हैं। मणिपुर ने इन समितियों को चार घाटी जिलों में स्थापित किया है। झारखंड और पांडिचेरी में जिला योजना समितियां गठित नहीं हुई हैं जहां पंचायतों का चुनाव अभी होना है। उत्तर प्रदेश ने जिला योजना समिति के लिए विधेयक पास किया है परन्तु इन निकायों के संविधान की अधिसूचना अभी जारी होनी है। संविधान की धारा 243 जेडडी के अनुसार महाराष्ट्र ने जिला पंचायत समिति गठित नहीं की है, परन्तु वहां मंत्री की देखरेख में पंचायतों और नगर पालिकाओं के नामित सदस्यों को सम्मिलित कर जिला योजना और विकास परिषद हैं। अपनी विधान सभा में सप्रसंग विधेयक के लम्बित होने पर आंध्र प्रदेश में जिला पंचायत समितियों के गठन के लिए सितम्बर, 2004 में अध्यादेश जारी किया है। पंजाब ने अक्टूबर, 2005 में जिला पंचायत समितियों के गठन के विधेयक को अधिनियमित किया है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने बताया है कि चूंकि इसके पास मात्र एक जिला है अतः क्षेत्रीय स्तर पर योजना कार्य को पूरा किया जा सकता है।

जुलाई और दिसम्बर, 2004 के मध्य पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों के प्रभारी राज्य मंत्रियों के साथ सात गोलमेज बैठकें आहूत की जिसमें 150 बिन्दुओं जिनमें 18 पंचायती राज को विस्तार करने के संबंध में हैं को एकमत से प्रस्तुत किया गया जिन्हें एक साथ संकलन में रखा गया है जिसे जयपुर में आयोजित अंतिम गोलमेज बैठक के दौरान निष्कर्ष के रूप में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। दिनांक 28–29 अगस्त 2004 को मैसूर में सम्पन्न दूसरे गोलमेज बैठक के समय योजना विषय पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में यह संकल्प लिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्त तक प्रत्येक राज्य के जिला स्तर पर, जहां जिला पंचायत समिति अस्तित्व में नहीं है, एक जिला योजना समिति का गठन होना चाहिए। यह भी संकल्प लिया गया था कि अनुच्छेद 243 जेडडी में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार जिला योजना समितियां गठित होनी चाहिए। दिनांक 11 अप्रैल, 2005 को सम्पन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पंचायती राज सचिवों की समिति की बैठक पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया था जिसमें पंचायती राज मंत्रालय ने सूचित किया था कि अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार जिन राज्यों ने जिला योजना समितियां गठित नहीं की हैं वे 31 अक्टूबर 2005 के भीतर जिला योजना समितियां गठित कर लें।

योजना आयोग ने दिनांक 24 अक्टूबर 2005 को वर्ष 2006–07 के लिए वार्षिक योजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला योजना बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त बताते हैं कि योजना आयोग वर्ष 2006–07 की वार्षिक योजना के अनुमोदन से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करेगा :

1. संविधान के उपबंधों के अनुसार वार्षिक योजना प्रस्तुत करते समय जिला योजना समितियां गठित होनी चाहिए।

2. राज्य की विधायिका द्वारा निर्मित विधि से जिला योजना समितियों का गठन होना चाहिए।

3. जिला पंचायत समितियों जिनकी मुख्य उत्तरदायित्व और कार्य ग्राम पंचायत और प्रखण्ड पंचायत विकास योजना पर विचार करना है, साथ ही जिले की नगर पालिकाओं की व्यवसायिक क्षमता की वृद्धि की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले की प्रारूप विकास योजना को समेकित करना है जैसा कि इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 243 जेडडी (3) (बी) के अनुसार राज्यपाल को विनिर्दिष्ट किया गया है।

गंगा बेसिन में गैस की खोज

2489. श्री समिक लाहिरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के गंगा बेसिन विशेष रूप से सुन्दरवन क्षेत्र में गैस पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल कंपनियों द्वारा खोज कार्य किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओएनजीसी) सुन्दरवन क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल में गंगा बेसिन में खोज का कार्य रही है। किन्तु, अभी तक इन अन्वेषण कार्यकलापों से किसी वाणिज्यिक महत्व के हाइड्रोकार्बनों की खोज का पता नहीं लगा है।

(ग) और (घ) ओएनजीसी इस समय बंगाल बेसिन के दो क्षेत्रों में खोज का कार्य कर रही है। एक भूमि पर ब्लाक कोन्टई है जो नामांकन आधार पर दिया गया था जबकि दूसरा आफशोर ब्लाक डब्ल्यूबी–ओएसएन–2000/1 है जो एनईएलपी–2 के अन्तर्गत दिया गया था। कोन्टई पीईएल में प्राप्त 3डी भूकंपीय डाटा का निर्वचन किया जा रहा है। डब्ल्यूबी–ओएसएन–2000/1 ब्लाक में प्रथम कुएं का वेधन करने का कार्य प्रगति पर चल रहा है। 1.10.2005 तक ओएनजीसी ने 31 कुओं का वेधन करने के अलावा 2डी भूकंपीय डाटा का 29243 ग्राउण्ड लाइन किलोमीटर और 3डी भूकंपीय डाटा का 394.36 वर्ग किलोमीटर का अर्जन कर लिया है।

नाइजीरिया द्वारा तेल और गैस ब्लाक की पेशकश

2490. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया ने नामांकन आधार पर भारत को तेल और गैस ब्लाकों की पेशकश की है, जैसा कि दिनांक 19 अक्तूबर, 2005 के "बिजनेस स्टेन्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) मित्तल इन्वेस्टमेंट्स सरल और एसबीआई कैप्स के संयुक्त उद्यम ओएनजीसी–मित्तल एनर्जी लिमिटेड (ओएमईएल), ने नवम्बर, 2005 में नाइजीरिया के पेट्रोलियम और संसाधन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू में नाइजीरियाई की ओर से ओएमईएल को नामांकन आधार पर तेल ब्लाक, सावधि संविदा आधार पर तेल की निश्चित मात्रा; और नाइजीरिया में क्षेत्र/बुनियादी ढांचा विकसित हो जाने पर एलएनजी की पेशकश का प्रस्ताव शामिल है। इसके बदले में ओएमईएल रिफाइनरी, रेलवे और विद्युत क्षेत्रों में नाइजीरिया के बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं में भागीदारी पर विचार करेगी। इस "आर्थिक पैकेज" के संबंध में ब्यौरा अगले कुछ महीनों में तैयार किया जाना है।

सिलचर विमानपत्तन

2491. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या नागर विमानन मंत्री सिलचर विमानपत्तन का विस्तार के बारे में 23 नवम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 829 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर विमानपत्तन में रनवे और नाइट लैंडिंग सुविधाओं के विस्तार से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिलचर हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार तथा भू प्रकाश सुविधाओं से संबंधित कार्य को मार्च, 2005 में अवार्ड कर दिया गया था। परन्तु, भारतीय वायु सेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका। जल्द से जल्द कार्य को प्रारम्भ किए जाने के प्रयोजन से, सितम्बर, 2005 में भारतीय वायु सेना/रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अग्रेषित किया गया है।

(घ) कार्य के प्रारम्भ होने के दो वर्ष के भीतर इस कार्य के पूरा होने की संभावना है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड,

नोएडा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2980/05]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2981/05]

(2) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2982/05]

(3) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2983/05]

(4) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2984/05]

(5) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2985/05]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मैं इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2986/05]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2987/05]

(2) (एक) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2968/05]

अपराह्न 12.01 बजे

लोक लेखा समिति

उन्नीसवें से बाइसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" के बारे में 19वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(2) "दोषपूर्ण स्लीपिंग बैगों की खरीद" के बारे में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 46वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(3) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2003-2004)" के बारे में 21वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(4) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2001-2002)" से संबंधित लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 58वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.01¼ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां और बाइसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम. एम. पल्लम राजू (काकीनाडा) : मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "सशर्त सम्पर्क प्रणाली" के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित "ई-शासन परियोजनाओं का क्रियान्वयन" के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

चौहत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : मैं उपकर विधि (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 74वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01¾ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II के तहत जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2005-06 की विस्तृत अनुदान मांगों के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 18वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में रखता हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2005-06 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विस्तृत अनुदान हेतु मांगों पर विचार करने के लिए 30 मार्च, 2005 को अपनी बैठक आयोजित की। लोक सभा में दिनांक 21.4.2005 को प्रस्तुत की गई अपनी 18वीं रिपोर्ट में स्थायी समिति ने 25 सिफारिशें कीं। इस मंत्रालय ने इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणी दिनांक 18.8.2005 को प्रस्तुत कीं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की 18वीं रिपोर्ट में यथा अन्तर्विष्ट विशिष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.02¼ बजे

(दो) (क) "विमानपत्तनों पर यात्री एवं कार्गो यातायात" के बारे में दिनांक 11.8.2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रफुल पटेल तारांकित प्रश्न संख्या 262 दिनांक 11.8.2005 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य पटल पर रख सकते हैं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, इससे पहले कि श्री प्रफुल पटेल तारांकित प्रश्न संख्या 262 दिनांक 11.8.2005 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य पटल पर रखें, आप कृपया माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर पर आधारित अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर माननीय सदस्यों को दें। सामान्यतया, जब मामला सभा के अन्दर का होता है तो आप अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं। चूंकि वह तारांकित प्रश्न का उत्तर शुद्ध कर रहे हैं, हमें उस आधार पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे। मैं यह देखूंगा कि प्रश्न किस प्रकार का है, किन्तु अभी नहीं।

श्री प्रफुल पटेल।

***नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : महोदय, मैं विमानपत्तनों पर यात्री एवं कार्गो यातायात के संबंध में श्री अनंत गुढ़े द्वारा दिनांक 11.8.2005 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

मैं उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखता हूं।

एयरपोर्टों पर यात्री एवं कार्गो यातायात के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2005 के मौखिक प्रश्न संख्या 262 के जवाब को ठीक करते हुए विवरण

एयरपोर्ट पर यात्री एवं कार्गो यातायात के बारे में दिनांक 11.8.2005 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 262 के भाग (ग) के जवाब में अनुलग्नक के क्रम संख्या 7 से 19 पर वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान प्रत्येक एयरपोर्ट द्वारा संभाले गए वास्तविक यात्री एवं कार्गो यातायात (मीट्रिक टनों में) के ब्यौरे देते हुए निम्नानुसार बताया गया था कि :

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2989/2005

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2990/2005

क्र.सं.	हवाई अड्डा	2004–05		2003–04		2002–03	
		यात्री	कार्गो	यात्री	कार्गो	यात्री	कार्गो
7.	कोचीन	1596126	22175	1332601	15961	818018	10696
8.	अहमदाबाद	1289747	16692	976687	13153	839918	3474
9.	गोवा	1265410	4856	987681	3486	1014287	25362
10.	त्रिवेन्द्रम	1160151	23655	1073582	26260	508719	4749
11.	कालीकट	827861	10589	655597	7600	178037	392
12.	पुणे	600949	8791	466295	7379	1010286	10802
13.	गुवाहाटी	598932	4310	541233	4376	629561	7787
14.	लखनऊ	453345	2588	384393	2107	410136	5326
15.	कोयम्बटूर	391175	4685	279324	4615	318656	2202
16.	श्रीनगर	389493	2172	264335	1679	258964	3464
17.	जयपुर	380251	1771	299824	1429	229915	1413
18.	वडोदरा	361894	3265	312447	2079	289934	1326
19.	अमृतसर	347911	1312	225292	1126	361302	1826

2. बाद में जांच करने पर यह पाया गया कि कम्प्यूटर पर तथ्यों का ट्रांसफर करते समय अनजाने में ही आंकड़ों (क्र.सं. 7 से 19) वर्ष 2002–2003 में गड़बड़ी हो जाने के कारण कुछ गलती हुई थी।

3. भाग (ग) के उत्तर में वर्ष 2002–2003 के संबंध में अनुलग्नक के क्र.सं. 7 से 19 में दिए गए आंकड़ों को निम्नानुसार पढ़ें।

क्र.सं.	हवाई अड्डा	2004–05		2003–04		2002–03	
		यात्री	कार्गो	यात्री	कार्गो	यात्री	कार्गो
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कोचीन	1596126	22175	1332601	15961	1010286	10802
8.	अहमदाबाद	1289747	16692	976687	13153	818018	10696
9.	गोवा	1265410	4856	987681	3486	839918	3474
10.	त्रिवेन्द्रम	1160151	23655	1073582	26260	1014287	25362
11.	कालीकट	827861	10589	655597	7600	629561	7787
12.	पुणे	600949	8791	466295	7379	410136	5326

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	गुवाहाटी	598932	4310	541233	4376	508719	4749
14.	लखनऊ	453345	2588	384393	2107	318656	2202
15.	कोयम्बटूर	391175	4685	279324	4615	258964	3464
16.	श्रीनगर	389493	2172	264335	1679	229915	1413
17.	जयपुर	380251	1771	299824	1429	289934	1326
18.	वडोदरा	361894	3265	312447	2079	361302	1826
19.	अमृतसर	347911	1312	225292	1126	178037	392

4. की गई त्रुटि तथा प्रश्न के संदर्भ में ठीक करते हुए विवरण के विलम्ब से रखे जाने के लिए खेद है।

हवाई अड्डों पर यात्री तथा कार्गो यातायात के संबंध में दिनांक 11.8.2005 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में हुई गलती को सुधारने में हुई देरी को बताने वाला विवरण

कम्प्यूटर में डाटा को स्थानांतरित करते समय अनजाने में गलती हुई। इसका पता संसद के वर्षाकालीन सत्र के अन्त में चला। इसलिए निर्धारित समयावधि के दौरान संसद में सही विवरण दिया जाना संभव न हो सका।

सही विवरण अब सदन के पटल पर दिया जा रहा है।

इसमें हुई देरी के लिए खेद है।

अपराह्न 12.02½ बजे

(ख) "विमानों की खरीद" के बारे में दिनांक 24.11.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

***नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : महोदय, मैं विमानों की खरीद के बारे में श्री वीरेन्द्र कुमार तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिनांक 24.11.2005 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विमानों के अर्जन से संबंधित लोक सभा के दिनांक 24.11.2005 के लिखित प्रश्न सं. 352 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में यह बताया गया था कि सरकार ने लगभग 10237 करोड़ रुपये की लागत पर 43 एयरबस विमानों के अर्जन के लिए इंडियन एयरलाइंस के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है।

बाद में हुई जांच से पता चला कि मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) द्वारा एयरबस इंडस्ट्री के साथ आगे हुई वार्ताओं के बाद, लगभग 349 करोड़ रुपये की आगे रियायत पर सहमति दी गई।

इस प्रकार इस प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को निम्नवत् पढ़ा जाना चाहिए :

> सरकार ने लगभग 9888 करोड़ रुपये की लागत पर 43 एयरबस विमानों के अर्जन हेतु इंडियन एयरलाइंस के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इंडियन एयरलाइंस एयरबस इंडस्ट्री के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् अन्तिम आर्डर प्लेस करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप इस वक्तव्य के बारे में कोई ब्यौरा देना चाहते हैं?

श्री प्रफुल पटेल : यदि आप चाहते हैं, तो मैं उन्हें अभी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें चाय पर बुला कर उनसे बात कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2991/2005

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, तीन समाचार पत्रों में छपा है कि 528 करोड़ रुपये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पत्र नहीं दिखाएं। यह निमय विरुद्ध है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, ...*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इससे स्पष्ट होता है कि कौन–सी पार्टी भ्रष्ट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप पत्र नहीं दिखाएं। यह संसदीय मानदंडों के विरुद्ध है। मैं आपसे पत्र नहीं दिखलाने के लिए कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक दिन मैं आप में से कुछेक को सबक सिखाऊंगा। मेरे अधिकारी आएंगे और वे पत्र छीन लेंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि क्या कार्रवाई की जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारी मर्यादा स्पष्ट रूप से किसी भी सदस्य को यहां पत्र प्रदर्शित करने से रोकती है। आप भली–भांति जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, कृपया संक्षेप में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, कल तीन समाचार पत्रों में छपा है कि 528 करोड़ रुपये *......*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बताए कि उसे इस बारे में एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की रिपोर्ट आई है कि नहीं?...*(व्यवधान)* तीन–तीन समाचार पत्रों में यह छपा है और अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि तेल का पैसा ...* जी के माध्यम से ...* को आया है।...*(व्यवधान)* महोदय, ...* भ्रष्ट है। श्रीमती सोनिया गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे मेरे पास लाइए। मैं देखूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, बिहार की बैकवर्डनैस के बारे में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, 528 करोड़ रुपये ...* पार्टी को मिले हैं।...*(व्यवधान)* इस बात को गवर्नमेंट का एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट बता रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रो. मल्होत्रा, आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, आप गवर्नमेंट से पूछिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता।

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, तीन–तीन पेपरों में छपा है और गवर्नमेंट के एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने बताया है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, आप जानते हैं कि मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं को उनसे संबद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जाइए और वह पत्र छीन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पत्र नहीं दिखाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या चाहते हैं? आप हाउस को चलाना चाहते हैं या नहीं? आपने अपना मुद्दा उठाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आपने अपना मुद्दा बहुत अच्छे ढंग से उठाया है। पूरा रिकार्ड हो गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने अपना मुद्दा बहुत अच्छे ढंग से उठाया है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं? क्या आप इस सभा को चलने देना चाहते हैं या नहीं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अभी ही आपको क्यों बताना चाहिए?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने मामला उठाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह बिहार का मुद्दा उठाना चाहते हैं। आप उन्हें बिहार का मुद्दा नहीं उठाने दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता यहां उपस्थिति हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप हमें थोड़ी मदद कीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आज जो एनफोर्समेंट की रिपोर्ट आई है, एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने इन्हें रिपोर्ट दी है, यह इनके चुप रहने से साबित होता है।...*(व्यवधान)* उन्हें इस सभा को विश्वास में लेना चाहिए।...*(व्यवधान)* सोनिया गांधी जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। आपने अपनी बात रख दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सोनिया गांधी जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं और ये रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सदन से वाक–आउट करते हैं।

अपराह्न 12.11 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहिर्गमन एक लोकतांत्रिक मानदंड है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग चुप हो जाइए। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. डोम।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, मैं आपको चेतावनी देता हूं। अब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह के वक्तव्य को छोड़ कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय करके पुकारते हैं, लेकिन बात सुनते नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे. एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम) : महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कठिनाई में पड़ जाएंगे मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं। आप सोचते हैं, मैं आपको व्यर्थ की चेतावनी दे रहा हूं। आप बच्चे नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

आप क्या कर रहे हैं श्री रघुनाथ झा?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : वह अपनी बात कह कर चले गए हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, हम एक–एक करके सब की बात सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रतिक्रिया नहीं दिखाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ प्रभुनाथ सिंह जी की बात रिकार्ड होगी, बाकी किसी की बात रिकार्ड नहीं होगी।

[अनुवाद]

सिर्फ श्री प्रभुनाथ सिंह का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम बिहार के सवाल पर चर्चा करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष*महोदय, हम आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं, बिहार पिछड़ा राज्य है और वहां का खजाना खाली है। इसकी चर्चा पहले भी पूरे देश में और सदन में भी चलती रही है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने हुए थे तो उस समय उन्होंने उस बंटवारे का बिल दिया था। उसमें एक पंक्ति लिखी हुई थी।...*(व्यवधान)* बिहार बंटवारे के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कहना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ श्री प्रभुनाथ सिंह का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : एक कमेटी का गठन किया जाएगा और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसमें उचित निधि मुहैया कराई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, बिहार और झारखंड का बंटवारा हुए काफी दिन हो गए और राष्ट्रीय सम विकास योजना से पैकेज के रूप में रुपया स्वीकृत किया गया था, खुदरा–खुदरा में, थोड़ा–थोड़ा विभिन्न

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परियोजनाओं पर भेजा भी गया है, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय सम विकास योजना में रुपया स्वीकृत था, वह पूरी निधि अभी बिहार को नहीं मिल पाई है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : आप अब क्यों बोल रहे हैं?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, ये रेल मंत्री हैं, हम इनकी किसी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप टिप्पणी मत कीजिए, आप हमें बोलिए। हमें बोलने से आपकी बात सीधी वहां चली जाएगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...*

इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जो बिहार का खजाना खाली है और जो पहले से पैकेज़ देने का भारत सरकार ने घोषित किया है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो बाकी पैसा है, उसे ये बिहार को भेजें। चूंकि उत्तरांचल को उन्होंने पिछड़े राज्य का दर्जा दिया है, उसी तरह बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा देना चाहिए।

हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, सदन के नेता बैठे हुए हैं, इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री यहां आए हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का समय मांगा हुआ है, हम निवेदन करेंगे कि इस पर सदन के नेता रैस्पोंड करें और बिहार के पैकेज का जो पैसा बकाया है, वह पैसा ये देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, इस पर ये सदन में बिल्कुल स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आपने भी हमें चैम्बर में आश्वासन दिया था कि आप बिहार के मामले में टिप्पणी करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : टिप्पणी करेंगे। निश्चित रूप से, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जिम्मेदार है। यह निश्चित रूप से देखेगी कि प्रत्येक राज्य को समुचित रूप से देखा जाए। मुझे विश्वास है कि समुचित उपाय किए जाएंगे। यह पहले भी उठाया गया था। बिहार का पिछड़ापन पहले श्री राम कृपाल यादव, श्री रघुनाथ झा और श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उठाया गया था। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अब श्री गुरूदास दासगुप्त बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : हमें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आपने बिहार का बंटवारा करा दिया और आप बात कर रहे हैं। आपने बंटवारा कराया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उदय सिंह, मैं आपका फोटोग्राफ भेजूंगा। मैं बाद में आपका सीडी कैसेट भेजूंगा। आप देखेंगे आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप अत्यन्त ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं। उनका अनुकरण नहीं करें। श्री राम कृपाल यादव का अनुकरण नहीं कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : प्रधानमंत्री जी ने बिहार को पैकेज दे दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : बिहार का ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, जब बिहार की अस्मिता का सवाल आया तो बिहार के हक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता ने निर्णय करने में थोड़ी देर कर दी, इसका मतलब ये लोग बिहार का विरोध करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे और चलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, बहुत हो गया। अब आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। अब बहुत हो गया। आप जानते हैं मेरे पास यह तैयार है। यदि मैं आप से छुटकारा पाना चाहूं तो मुझे एक मिनट लगेगा। मेरे पास सबकुछ तैयार है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए मिनिस्टर साहब बोले हैं, हमने भी बोला है।

[अनुवाद]

बिहार का मामला आज पहले श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाया गया है।

[हिन्दी]

कभी–कभी ये अच्छी बात बोलते हैं और रघुनाथ झा ने भी पहले इसे उठाया है।

[अनुवाद]

आप वही मुद्दा उठा रहे हैं। यद्यपि सरकार बदल गई है, बिहार की समस्याएं बनी हुई हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

[हिन्दी]

और क्या बोलेंगे?

श्री गुरूदास दासगुप्त।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नोटिस तो पहले मिला है। आप एक–एक करके नाम आने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, आपने कहा कि प्रत्येक राज्य को अवसर मिलना चाहिए। माननीय सदन के नेता उपस्थित हैं। उन्होंने अगले दिन राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को स्थानांतरित करने के संबंध में एक वक्तव्य दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं करें।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ श्री गुरूदास दासगुप्त के वक्तव्य को ही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त ही अनुचित है। मैंने आपको अनुमति दी है। मैंने कहा कि आपके लिए उस मुद्दे पर पूरा वक्तव्य देने के लिए व्यवस्था करूंगा। मैंने कुछ टिप्पणियां की हैं। फिर भी, यदि आप दूसरों को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठाने देते हैं तो यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी मंत्री को प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार उन्होंने उत्तेजित होकर कहा है कि हर रोज मंत्री हर बात का तुरन्त जवाब नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस पर सदन के नेता को रैस्पोंड करने दीजिए।...*(व्यवधान)* हम यह कहना चाहते हैं कि सदन के नेता को रैस्पोंड करना चाहिए, सदन के नेता हाउस में बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सदन के नेता ...* आप बता दीजिए, वे जरा बोलें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह निकाल दिया जाएगा। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : क्या वह सभा में विवरण देंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वृद्ध व्यक्ति पर कुछ दया कीजिए। क्या आप इसके बाद मुझे अनुमति देंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने कभी यह कहा कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा? जब तक आप अचानक खड़े न हों, आप एक अत्यन्त अच्छे सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.18 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर को घटाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं पूरी सभा का ध्यान कल संसद के बाहर दिए गए वक्तव्य की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जब संसद का सत्र चल रहा था।

महोदय, संसद का सत्र चल रहा है और श्रम मंत्री ने सभा के बाहर, कल, एक वक्तव्य दिया है। पर आज इस समय वह यहां वक्तव्य देने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि भविष्य निधि पर ब्याज दर 9.5 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दी जाएगी। इससे देश के चार करोड़ लोगों को परेशानी होगी जिसमें से अनेक असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। इसके क्या कारण है? सरकार कहती है कि सरकार के पास धन नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भविष्य निधि दिवालिया हो जाएगा, इसलिए ब्याज दर घटाई जानी है। क्या मैं आपको बता सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा कराने को तैयार हूं लेकिन यदि आप अधिक समय लेंगे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत करने के लिए 700 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। केवल 700 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी...*(व्यवधान)*। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : आप अत्यन्त ऊर्जावान व्यक्ति हैं। अच्छी बात है आपके पास ऊर्जा है लेकिन वह मेरे लिए नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : मैं आपका समर्थन करता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : ठीक है। यह बिना मांगे दिया गया समर्थन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, जहां से सपोर्ट मिलती है, ले लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : उधर से सपोर्ट विदड्रा कर लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, प्रश्न यही है। भारत सरकार ने विशेष जमा योजना पर ब्याज दर घटाई है। वर्ष 2000 से 2004 तक आपकी सरकार थी। उसने विशेष जमा योजना पर ब्याज दर घटाई थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरी सरकार नहीं थी। आपके 'योर' शब्द का अर्थ है मेरी सरकार थी।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : आपकी नहीं। मैंने उनका उल्लेख किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में यह शामिल नहीं किया जाएगा कि आप अपनी उंगली से उनको संबोधित कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं लेकिन मैंने संकेत उनके लिए किया।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैंने आपको देखा लेकिन उल्लेख उनकी तरफ किया। यह औचित्य का उल्लंघन नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : **अध्यक्ष** महोदय, ये गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपोज भी कर रहे हैं, दोनों बातें कैसे चल सकती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उधर से सपोर्ट विदड्रा कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किसे सपोर्ट करें, इसे वे लोग ही तय करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, सरकार ने विशेष जमा योजना, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपये जमा हैं, पर ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। यह मूल कारण है। इसीलिए, भविष्य निधि पर ब्याज दर घटाकर 8.5 प्रतिशत तक करनी पड़ी है। अब, मैं वर्तमान सरकार के बारे में बात करूंगा। बजट में यह उपबंध था कि द्वितीयक बाजार पर 0.1 प्रतिशत का कारोबार कर होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अफसोस है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं आपसे दो मिनट मांगता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : हर मुद्दा महत्वपूर्ण है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : प्रश्न यही है। चूंकि मुम्बई स्टॉक मार्किट में कुछ ब्रोकरों ने इस बात का कड़ा विरोध किया अतः वर्तमान सरकार ने कर 0.1 प्रतिशत से घटाकर 0.01 प्रतिशत कर दिया। इस कमी से देश को 7000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार ब्रोकरों के लिए 7000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अभी सारे ब्यौरे नहीं देखे जा सकते।

श्री गुरूदास दासगुप्त : सरकार भविष्य निधि के अंशदाताओं को 700 करोड़ रुपये नहीं देना चाहती...*(व्यवधान)*। महोदय, हम विरोध करते हैं, सभी मजदूर संघों ने विरोध किया है, हम पुरजोर विरोध करते हैं...*(व्यवधान)*। कृपया! वर्तमान सरकार को यह समझना चाहिए कि मजदूर संघ और वामपंथी दल सरकार की नीतियों पर केवल मुहर ही नहीं लगाते रहेंगे...*(व्यवधान)* हम मूक समर्थन नहीं करेंगे। कृपया, वाम दलों के बारे में यह बात समझें...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं अपने को इससे संबद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी संबद्धता नोट नहीं की जा रही है। केवल श्री संतोष गंगवार।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैं आपको बुलाऊंगा। मैं उन सबको बुलाऊंगा जिन्होंने सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है वह भी इसी मामले पर बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो एक सूचना भी देने का कष्ट नहीं करते मैं उन्हें कोई सुविधा नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : कृपया, मुझे अनुमति दीजिए, महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। दो सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : मगर तकलीफ की बात है कि ये वर्तमान सरकार को समर्थन दे रहे हैं लेकिन वर्तमान सरकार के सारे फैसले गरीब और आम आदमी के विरोधी हैं। साढ़े नौ प्रतिशत एनडीए सरकार का फैसला था तो आपने साढ़े आठ प्रतिशत क्यों किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ बातों की जरूरत नहीं है। आपका प्रोटेस्ट हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार : अध्यक्ष महोदय, अभी एक इन्वेस्टमेंट पालिसी नहीं बनी है।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : एनडीए सरकार ने ईपीएफ की ब्याज दर 8.5 परसेंट की थी।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार : ईपीएफ की ब्याज दर 9.5 परसेंट थी।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार : हम गुमराह नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम सही बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* इन्वेस्टमेंट पालिसी बननी चाहिए थी। दो साल हो गए लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट पालिसी पर विचार नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि क्या करना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी लब्धप्रतिष्ठ हैं। मुझे कोई समाधान दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : पन्द्रह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा अनक्लेम्ड मनी है। हम चाहते है। कि इस बारे में सरकार फैसला करे कि वे इस पैसे को म्युचुअल फंड या कहां पर डिपाजिट करेगी। उस हिसाब से आप निर्णय लें तो बात समझ में आती है।...*(व्यवधान)* लेकिन यह बात बिल्कुल समझ में नही आ रही।...*(व्यवधान)* गरीब, आम आदमी और चार करोड़ से ज्यादा आर्गनाइज्ड सैक्टर के जो वर्कर्स हैं, उनकी कोई चिन्ता नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पर फैसला ले और जब तक अंतिम निर्णय न हो तब तक सरकार ईपीएफ की ब्याज दर साढ़े नौ परसेंट ही रखे।...

(व्यवधान) उसके बाद सरकार यह भी फैसला करे कि ईपीएफ की ब्याज दर को कैसे बढ़ाया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आज देश के कई हजार कामगार संसद के सामने कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दर को पूर्ववत करने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने आए हैं। कल, भारत सरकार ने ब्याज दर को 9.5 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। वर्ष 1998 में कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 12 प्रतिशत थी और राजग के 6 वर्षों के शासन में यह दर 12 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दी गई। इससे 40 मिलियन संगठित और असंगठित कामगारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, यही सामाजिक सुरक्षा है जो अपने देश के कामगारों को उपलब्ध है, और इस पर सरकार के निर्णय का भी प्रभाव पड़ रहा है। महोदय, न्यासी बोर्ड की बैठक में मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि श्रम मंत्री को मजदूर संघ के नेताओं द्वारा व्यक्त चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर के बारे में निर्णय लेना चाहिए। महोदय, वे मांग कर रहे हैं कि ब्याज दर घटाई नहीं जानी चाहिए। गत वर्ष ब्याज दर 9.5 प्रतिशत थी। महोदय, ब्याज दर को घटाना भारत सरकार द्वारा लिया गया एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। वर्तमान सरकार–संप्रग सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया था कि सरकार एक व्यापक विधान लाएगी... *(व्यवधान)*। उन्होंने 37.5 करोड़ कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए एक विधान लाने का वायदा किया था। महोदय, हमारी मांग है कि यह ब्याज दर पुनः 9.5 प्रतिशत की जाए...*(व्यवधान)*। सरकार को अपने निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए और 37.5 करोड़ कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापक विधान लाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर विचार करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती की बात के अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर विचार करे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चार करोड़ मजदूर और कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, आपके माध्यम से... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी टेलीविजन पर क्यों बोलते हैं?...*(व्यवधान)* यह क्या मतलब है? यह संसद की गरिमा का सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ की अवहेलना करके आप संसद की गरिमा की रक्षा नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : श्रम मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में एक प्रतिशत कमी करके संसद के बाहर आश्चर्यजनक एवं जन विरोधी निर्णय लिया है। अब, वह इसमें एक प्रतिशत की कमी कर रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार के निर्णय का पुरजोर विरोध करता हूं...*(व्यवधान)* महोदय, यह कामगार विरोधी निर्णय है। इससे श्रमिक वर्ग के करोड़ों लोगों के हितों पर कुठाराघात होगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस निर्णय को वापस ले।

महोदय, सरकार को तुरन्त इस निर्णय को वापस लेना चाहिए और कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर पुनः 9.5 प्रतिशत करनी चाहिए। अन्यथा, हम सभा के बाहर आन्दोलन शुरू करेंगे...*(व्यवधान)* अतः, मैं मांग करता हूं कि यह निर्णय अविलम्ब वापस लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई अति मानव नहीं हूं। मैं एक साथ 80 माननीय सदस्यों की बात नहीं सुन सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 12—श्री पी. करूणाकरन क्या आप अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात उठाना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज दर को घटाए जाने के बारे में—जारी

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' पहले ही समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, सारे मजदूरों ने आज लाखों की तादाद में पार्लियामेंट के सामने डिमान्स्ट्रेशन किया है। उन लोगों की मांग है सोशल सिक्योरिटी की, उन लोगों की मांग है मिनिमम वेजेज की।

[अनुवाद]

इस मामले में, इसी सत्र में संसद के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' पहले ही समाप्त हो चुका है।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, इस संबंध में, मैं सदन के नेता की प्रतिक्रिया चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री जी को इस समय उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। 'शून्य काल' पहले ही समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि मद सं. 14, अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर पहले चर्चा की जाए?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं मद सं. 12 पर चर्चा कराऊं, मैं श्री लालू प्रसाद से अनुरोध करता हूं कि वह वक्तव्य दें।

अपराह्न 2.05 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2005-2006

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005–2006 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2994/2005]

अपराह्न 2.05¼ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज दर को घटाए जाने के बारे में—जारी

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, आज कई कामगार धरने पर बैठे हैं। कई आंदोलन हो रहे हैं। कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : आज देश की तरक्की हो रही है, लेकिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : महोदय, जैसा कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वादा किया गया था, सभा के समक्ष एक विधान लाया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कहना चाहते थे, वह रिकार्ड पर आ गया है। अब और समय जाया न करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं मद सं. 12 लूंगा। श्री पी. करूणाकरन।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यहां 37.5 करोड़ कामगार हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने असंगठित कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक विधान लाने का वादा किया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो वह कहना चाहते थे, वह मैं रिकार्ड पर ले आया हूं। अब आप बैठ जाएं।

श्री तरित बरण तोपदार : एक शब्द भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है।

डा. रामचन्द्र डोम : इसके बारे में थोड़ा सा रिएक्शन सरकार से चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कही गई कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार, उपयुक्त समय पर विधान अवश्य लाया जाएगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' पहले ही समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.07 बजे

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को जारी रखे जाने के समर्थन में जंतर-मंतर, नई दिल्ली में धरना के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का माइनोरिटी स्टेटस का जो केरेक्टर था, वह खत्म कर दिया गया है।...*(व्यवधान)*

[**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرادآباد)**: ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہزاروں طالب علم اور پروفیسرس جنتر منتر پر دھرنا دے رہے ہیں، کیونکہ علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنارٹی اسٹیٹس کا جو کریکٹر تھا، وہ ختم کر دیا گیا ہے......(مداخلت)]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : आप मेरी बात सुन लें। मुझे स्पीकर साहब ने समय दिया था इसलिए दो मिनट मुझे दे दें।...*(व्यवधान)* ये लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। सर सैयद अहमद खां ने यह युनिवर्सिटी आर्टिकल 30(ए) के मुताबिक कायम की थी। जिसमें मुसलमानों को अपनी तालीमदारी कायम करने का और अपनी तरक्की करने का पूरा अख्तियार दिया था। इसलिए मेरी मांग है कि इसका जो माइनोरिटी का केरेक्टर था, जिसे कोर्ट द्वारा खत्म कर दिया गया है, वह बहाल होना चाहिए और मुसलमानों को 50 प्रतिशत रिजर्वेशन वाला स्टेटस भी मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرادآباد)**: آپ میری بات سن لیں۔ مجھے اسپیکر صاحب نے وقت دیا تھا اس لئے دو منٹ مجھے دے دیں......(مداخلت) یہ لوگ ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ سر سید احمد خان نے یہ یونیورسٹی آرٹیکل 30 (اے) کے مطابق قائم کی تھی۔ جس میں مسلمانوں کو اپنی تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا اور اپنی ترقی کرنے کا پورا اختیار دیا تھا۔ اس لئے میری مانگ ہے کہ اس کا جو مائنارٹی کا کریکٹر تھا، جسے کورٹ کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے، وہ بحال ہونا چاہئے اور مسلمانوں کو 50 فیصد ریزرویشن والا اسٹیٹس بھی ملنا چاہئے......(مداخلت)]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री पी. करूणाकरण से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अनुरोध करूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' पहले ही समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ बर्क जी का ही स्टेटमेंट रिकार्ड में जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : मेरी मांग है कि उस स्टेटस को और केरेक्टर को बहाल किया जाए।...*(व्यवधान)*

[ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): میری مانگ ہے کہ اس اسٹیٹس کو اور کریکٹر کو بحال کیا جائے...(مداخلت)]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : यह सिफ मुसलमानों का ही नहीं, पूरी युनिवर्सिटी का मसला है।...*(व्यवधान)*

[ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، پوری یونیورسٹی کا مسئلہ ہے...(مداخلت)]

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बर्क साहब, इनका कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.10 बजे

(इस समय, डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बर्क साहब, आप जो कुछ कहना चाहते थे वह रिकार्ड में आ गया है, आप अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने किसी प्रकार की असंसदीय अभिव्यक्तियों को कार्यवाही वृत्तान्त का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं प्रदान की है। मैं आपसे केवल यह अनुरोध करता हूं कि कृपया सभा के अनुसूचित कार्य को ही करने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : सर, उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा पैसा लेकर...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह रिकार्ड पर नहीं गया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.12 बजे

(इस समय, श्री शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कुछ अवांछित तथ्यों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित होने नहीं दिया। यह अच्छी बात है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सभा के अगले कार्य को शुरू किया जाए। अब पूर्व के घटनाक्रम के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। डा. शफीकुर्रहमान बर्क ने जो कुछ कहा उसके बारे में मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि इसके लिए सरकार भी चिंतित है और वह पूरे मामले का आगे मूल्यांकन करेगी...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, हम चाहते हैं कि हमारी बात भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित की जाए ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.31 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) काली मिर्च, इलायची, सुपारी और अन्य कृषि नकदी फसलों की कीमतों में आई गिरावट से उत्पन्न स्थिति जिसके कारण इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों में भुखमरी की स्थिति के कारण हुई मौतें

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12—अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—को लेंगे।

श्री पी. करूणाकरन।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें :

> "काली मिर्च, इलायची, सुपारी और अन्य कृषि नकदी फसलों की कीमतों में आई गिरावट से उत्पन्न स्थिति जिसके कारण इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है और उनकी मौतें हो रही हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री, डा. अखिलेश प्रसाद सिंह से अनुरोध करूंगा।

---
*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : महोदय, चालू वर्ष के दौरान मूल्यों में मिला–जुला रूझान देखने में आया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं, तो वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : जी, हां।

***डा. अखिलेश प्रसाद सिंह** : चालू वर्ष के दौरान, देश में नकदी फसलों के मूल्यों में मिली–जुली प्रवृत्ति पाई गई, जैसा कि थोक मूल्य सूचकांक द्वारा आंका गया है। जबकि काली मिर्च तथा सुपारी के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है, इलायची के मूल्यों में वृद्धि हुई है। कच्चे रबड़ तथा काफी के मामले में, मूल्यों में वृद्धि हुई है जैसा कि उनके थोक मूल्य सूचकांक से पता चला है। कच्चे कपास के मामले में, मूल्यों में वृद्धि हुई है।

थोक मासिक मूल्य सूचकांक, 2005 (मार्च से अक्तूबर)

क्र.सं.	फसल	मार्च	अक्तूबर
1.	काली मिर्च	186.6	174.6
2.	इलायची	112.7	114.9
3.	पान सुपारी/सुपारी	143.8	139.2

उत्पादन

2000–01 से 2003–04 के दौरान काली मिर्च का उत्पादन 61–72 के मध्य अस्थिर रहा है जिसमें केरल का अंश 93 प्रतिशत से अधिक है। इलायची का उत्पादन 14–15 हजार टन के मध्य रहा जिसमें केरल का अंश 52–60 प्रतिशत के मध्य है। इस अवधि के दौरान सुपारी का उत्पादन 373.1 हजार टन से 417.5 हजार टन बढ़ गया है। केरल का अंश 20–26 प्रतिशत के मध्य है।

निर्यात/आयात के प्रभाव

काली मिर्च के मामले में, 1999–2000 के दौरान निर्यात 42806 टन से गिरकर 2004–05 में 14.150 टन हो गया। इसी समय, मिर्च के आयात में 1999–2000 में 3124 टन से काफी वृद्धि होकर 2004–05 में लगभग 17725 टन हो गया। विश्व उत्पादन में काली मिर्च की काफी वृद्धि होने तथा नए उत्पादकों के आने से जैसे वियतनाम जो कि अधिक उत्पादक भी है तथा इन देशों में मिर्च के नगण्य घरेलू खपत के फलस्वरूप घरेलू बाजार में आपूर्ति में विस्तार हुआ है। भारत में घरेलू विपणन में मिर्च के मूल्यों में गिरावट से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में प्रवृत्ति का पता चलता है।

घरेलू विपणन में इलायची के मूल्यों में गिरावट होने से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है। 2002–03 से 2004–05 के दौरान इलायची का निर्यात 650–750 टन रहा तथा 2003–04 में इलायची के आयात में 59.40 टन से वृद्धि होकर 2004–05 में 290.00 हो गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त उल्लेखित मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है (1.8 प्रतिशत)। पिछले वर्षों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

2000–01 से आगे घरेलू बाजार में सुपारी की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो कि चालू वर्ष में भी जारी है। व्यापारिक उदारता के संदर्भ में भारी मात्रा में प्रतिबंध समाप्त करने के कारण 1999–2000 के दौरान सुपारी का आयात बढ़ा है। अधिक घरेलू उत्पादन सहित आयात वृद्धि से कीमतें गिर रही हैं। 2004–05 के दौरान भारत ने 4558 लाख रुपये मूल्य की 33088 टन सुपारी आयात की थी।

आत्महत्या की घटना का ब्यौरा

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गत कुछ वर्षों में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आत्महत्या के पता लगाए गए मुख्य कारण, ऋणभार, फसल को नुकसान, निजी साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण को भुगतान नहीं कर पाना इत्यादि हैं।

केरल राज्य के बारे में स्थिति

विखण्डन की बढ़ती हुई घटनाओं तथा इसके फलस्वरूप भू जोत क्षेत्र के औसतन आकार में गिरावट आने से केरल के छोटे तथा मामूली जोत क्षेत्रों में खर्चीली प्रबलता आई है। फसलों की कम उत्पादकता से, छोटे तथा मामूली किसानों द्वारा कम निवेश क्षमता तथा उत्पादन की अधिक लागत ने केरल कृषि क्षेत्र को और अधिक अतिसंवेदनशील बना दिया है। फसलों पर कीटनाशक तथा रोगों की अधिक घटना ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है।

राज्य में लगातार दो वर्षों से अभूतपूर्व सूखा से फसल में काफी नुकसान पहुंचा है तथा नकदी फसलों में काफी गिरावट होने तथा अधिक वित्तीय ऋण से किसानों ने आत्महत्याएं की हैं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2992/2005।

[डा. अखिलेश प्रसाद सिंह]

जैसा कि केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है, केरल में तीन वर्षों यानि कि 2002–2004 के दौरान किसानों, जिन्होंने आत्महत्या की है, की कुल संख्या 180 है।

केरल सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- 23.1.2004 से एक वर्ष के लिए सहकारिता के कृषि ऋण के ऋणस्थगन तथा ब्याज तथा दण्ड ब्याज द्वारा उठाई गर्ठ हानि के लिए भी मुआवजा।
- एक बार बन्दोबस्त स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है।
- सहकारी बैंकों को पात्र ऋण में परिवर्तन तथा पुनर्सूची तैयार करने तथा एक वर्ष के लिए कृषि ऋण की वसूली को स्थगित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।
- वायनाड जिला के लिए घोषित विशेष पैकेज, जिला जहां पर सूखे का अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा है, किसानों द्वारा 31.3.2006 तक 50,000/– रुपये की राशि पर ऋण के ब्याज को, जिस अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने संबंधित बैंकों को ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी ली है, माफ कर दिया गया है।
- उन किसानों की सहायता के लिए, जो सुपारी, काफी तथा मिर्च को उगाते हैं, सुपारी तथा मिर्च के प्रापण तथा काफी के लिए उत्पादन में प्रोत्साहन प्रदान करने सहित सहायता उपायों का विशेष पैकेज राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है।
- सरकार ने, जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है, के प्रत्येक परिवार, को आर्थिक सहायता 50,000/– रुपये तक बढ़ा दी है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर, एक बहु–अनुशासनिक केन्द्रीय दल ने राज्य में कृषि स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जुलाई–अगस्त, 2004 में केरल का दौरा किया था। इस दल की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिंए गए निम्नलिखित निर्णय लागू किए जा चुके हैं।

(क) राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से 106.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) बारहमासी बागवानी तथा बागानी फसलों के लिए ऋण प्रतिबन्दी दिशा निर्देशों का वित्त मंत्रालय ने अन्तिम रूप दे दिया है।

(ग) काफी बोर्ड से उत्पादकों द्वारा लिए गए 24 करोड़ रुपये के पुराने विकसित ऋण भारत सरकार द्वारा माफ कर दिए गए हैं।

(घ) काजू तथा मिर्च की खेती के पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ करने के लिए वृहत कृषि प्रबंधन स्कीम के अन्तर्गत तीन वार्षिक किस्तों में 30 करोड़ रुपये का आवंटन। 10 करोड़ रुपये की पहली किस्त 2004–05 में जारी की गई थी।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम

किसानों की विपदा पूर्ण स्थिति को कम करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सहायता उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों विशेषतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र ने प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये की अनुदान राशि दी है। कुछ राज्य सरकारों, जैसे महाराष्ट्र तथा पंजाब ने भी इस परेशानी के मुख्य कारणों की पहचान करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा अध्ययन कराए हैं।

राज्य सरकारों के दृढ़ प्रयासों के कारण चालू वित्त वर्ष में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों की संख्या में प्रत्यक्ष गिरावट आई है जैसा कि संलग्न विवरणी में दिए गए आंकड़ों से प्रमाणित होता है।

केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

इसके साथ–साथ भारत सरकार ने भी निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं :

काली मिर्च

- केरल राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने, 15.2.2005 से 31.3.2005 तक 70 रुपये प्रति किलो के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर 5050 मीट्रिक टन काली मिर्च के प्रापण के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना की अनुमति दी है।
- भारत सरकार ने 27 अक्तूबर, 2005 को 5 रुपये प्रति किलो की दर (अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो) अन्तर्राष्ट्रीय भाड़े तथा 2 रुपये प्रति किलो आन्तरिक परिवहन, अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन मिर्च के लिए, भारत से मिर्च के निर्यात पर वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए एक योजना घोषित की थी। वित्तीय सहायता 31 मार्च, 2006 तक एक बार उपाय के रूप में प्रदान की जाएगी।

- पुनर्निर्यात के उद्देश्य हेतु मिर्च के शुल्क मुक्त आयात/आलियो रेनसिन उद्योग के लिए वांछित हल्के सरसफल को छोड़कर, के लिए अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को 7 जून, 2005 से समाप्त कर दिया गया है।

- वाणिज्य विभाग ने कानून उल्लंघन, गलत घोषणा अग्रिम लाइसेंस के दुरुपयोग के आरोपों को देखने के लिए डीजीएफटी को सलाह दी है।

- वाणिज्य विभाग ने राजस्व विभाग को भी लिखकर सीमा शुल्क प्राधिकारियों से मसालों से आयात से संबंधित अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त निगरानी के लिए अनुरोध किया है।

- यह भी निर्णय लिया गया है कि ईओयू स्कीम मे अन्तर्गत मिर्च तथा मिर्च उत्पादों डीटीए (घरेलू शुल्क क्षेत्र) बिक्री की सुविधा को अस्वीकार कर दिया है।

- ईओयू यूनिट के लिए मसाला बोर्ड में भी पंजीकरण कराने को अनिवार्य कर दिया गया है।

इलायची

- मसाला बोर्ड, कोचिन ने इलायची उत्पादकों को अपने प्लान स्कीम के माध्यम से बागान सामग्री, पुनःरोपण, सिंचाई तथा भू-विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी है।

- मसाला बोर्ड घरेलू अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के माध्यम से इसकी खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से इलायची के उपयोग को लोकप्रिय बना रहा है।

- मसाला बोर्ड ने सीडीएफ (इलायची विकास निधि) से हवाई भाड़ा वित्तीय सहायता नीलामी केन्द्रों से 16.10.2004 से 30.11.2004 के दौरान मध्य पूर्व गन्तव्य (स्थान) को निर्यात के प्रयोजन के लिए प्राप्त इलायची के लिए 30/- रुपये के प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ा दी है। हवाई भाड़ा सहायता इलायची निर्यात कर्ताओं का मध्य पूर्व विपणन को इलायची पहुंचाने तथा इन विपणनों में ग्वाटेमाला से नई इलायची के आगमन से पहले भारतीय इलायची की स्थिति हेतु हवाई भाड़ा सहायता प्रदान की गई। इसके बाद, हवाई भाड़ा सहायता दिसम्बर, 2004 से फरवरी, 2005 के दौरान बढ़ाकर 45/- रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई। इस समय यह स्कीम नहीं चल रही है।

सुपारी

- भारत सरकार ने आयात पर नियंत्रण लाने हेतु सुपारी पर 35 से 100 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ा दिया है।

- वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिकारियों से देश में सुपारी की अवैध प्रवेश रोकने के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं।

राज्य में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	राज्य का नाम	अवधि	संख्या (राज्य सरकार द्वारासूचित आंकड़ों पर आधारित)	आर्थिक सहायता/दिया गया अनुदान की राशि लाख रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1997-98	2	2	
		1998-99	148	148	
		1999-00	128	127	
		2000-01	191	189	
		2001-02	233	232	
		2002-03	280	280	

[डा. अखिलेश प्रसाद सिंह]

1	2	3	4	5	6
		2003–04	258	258	
		2004–05	972	622 (31.12.2004 तक)	
		2005–06 (1.9.2005 तक)	40	विवरण उपलब्ध नहीं है	
2.	कर्नाटक	2000–01	2630	5.70	2000–01 से 2002–03 तक के वर्षों के लिए आंकड़े राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के रिकार्ड पर आधारित हैं तथा बाद के वर्षों के लिए राज्य कृषि विभाग द्वारा बनाए गए रिकार्ड पर आधारित हैं। किसानों द्वारा आत्महत्याओं के 11 तथा 18 मामले क्रमशः 2004–05 तथा 2005–06 (23.8.2005 तक) वर्षों के लिए और सूचनाओं के लिए कमेटी पास लम्बित है।
		2001–02	2505	3.50	
		2002–03	2340	उपलब्ध नहीं है	
		2003–04	708	205	
		2004–05	271	110	
		2005–06 (23.8.2005)	52	21	
3.	महाराष्ट्र	2001	64	8	
		2002	131	40	
		2003	180	23	
		2004	524	105	
		2005 (30.8.2005)	86	उपलब्ध नहीं	
4.	पंजाब	2002–03	शून्य	शून्य	
		2003–04	2	शून्य	
		2004–05	शून्य	शून्य	
		2005–06 (1.9.2005 तक)	शून्य	शून्य	
5.	केरल	2002	44		राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50,000 रुपये की सहायता दी है।
		2003	40		
		2004	96		
6.	तमिलनाडु	2004–05	कोई नहीं	उपलब्ध नहीं	
7.	उड़ीसा	2001–02	2	शून्य	यह मामले ऋण ग्रस्तता तथा लाभकारी कीमतों के प्राप्त न होने के कारण हुए हैं।
		2002–03	1	शून्य	
		2003–04	शून्य	शून्य	
		2004–05 (30.9.2004 तक)	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6
8.	गुजरात	2001	13	उपलब्ध नहीं	यह मामले ऋण ग्रस्तता तथा आर्थिक समस्याओं के कारण हुए हैं। यह सूचना राज्य पुलिस रिकार्ड पर आधारित है।
		2002	6	उपलब्ध नहीं	
		2003	4	उपलब्ध नहीं	
		2004	5	उपलब्ध नहीं	

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, कृपया माननीय मंत्री जी को वक्तव्य पढ़ने दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आज अनेक कार्य निपटाने हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, मैंने माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य पढ़ा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए कुछ निर्णय वक्तव्य में सम्मिलित हैं। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि केरल और देश के अन्य भागों में कृषि क्षेत्र और नकदी फसल के क्षेत्र में वास्तव में जो स्थिति मौजूद है उसको परिलक्षित नहीं करता है।

महोदय, हमारे केरल का ग्रामीण हिस्सा कृषि क्षेत्र में जबर्दस्त हताशा में है। यह हताशा मूल्यों में भारी गिरावट, अवहनीय ऋण भार और यह भी कि कुछ क्षेत्रों में कम उत्पादन हुआ है के रूप में आया है।

महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि कुछ हिस्सों में मिश्रित मूल्य प्रवृत्ति है। यह सच नहीं है जब हम यह देखते हैं कि अनेक जिन्सों में मूल्य में कमी आ रही है। थोक मूल्य सूचकांक कभी भी जिन्सों में या अन्य वर्गों में खुदरा मूल्य में वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है।

महोदय, यदि मैं मूल्य गिरावट के संबंध में आंकड़ों को देखूं तो हम देख सकते हैं कि स्थिति कितनी हताशापूर्ण है। काली मिर्च के मामले में, 1 कि.ग्रा. काली मिर्च का मूल्य 2000 में 215 रुपये प्रति कि.ग्रा. था। 2001 में यह घटकर 174 रुपये प्रति कि.ग्रा. हो गया। 2002 में यह घटकर 80 रुपये प्रति कि.ग्रा. हो गया और फिर इसका मूल्य 88 रुपये प्रति कि.ग्रा. हो गया, फिर 2003 में इसका मूल्य 74 रुपये प्रति कि.ग्रा. था। इसलिए कोई मिश्रित प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति गिरावट की है।

महोदय, उदाहरण के लिए चाय का मूल्य लीजिए। 1998 में 62 रुपये प्रति कि.ग्रा. था, 2000 में 57 रुपये था, 2001 में 55 रुपये था और 2002 में 50 रुपये प्रति कि.ग्रा. था। आप हरी चाय भी लीजिए। यह अत्यन्त ही हताशापूर्ण स्थिति थी। 1998 में मूल्य सिर्फ 15 रुपये प्रति कि.ग्रा. था, 1999 में यह सात रुपये था और 2002 में यह घटकर छः रुपये पर आ गया। जहां तक चाय का संबंध है मूल्य में 43 प्रतिशत की कमी आ गई है।

काफी का मामला लीजिए। 1995 में इसका मूल्य 137 रुपये प्रति कि.ग्रा. था, 1996 में यह 80 रुपये था और यह 1997 में घटकर 63 रुपये हो गया, 1998 में 43 रुपये, 2000 में 33 रुपये, 2001 में 23 रुपये और वर्ष 2002 में यह मात्र 17 रुपये प्रति कि. ग्रा. था। इलायची के मामले में भी यही स्थिति है। पांच वर्ष पहले यह 900 रुपये प्रति कि.ग्रा. था और अब यह 120 रुपये और 170 रुपये प्रति कि.ग्रा. के बीच है। सुपारी के संबंध में, तीन वर्ष पीछे एक किलो सुपारी का मूल्य 160 रुपये था और अब यह मात्र 40 रुपये या 45 रुपये है। महोदय, आप इनके मूल्यों में आए भारी परिवर्तनों को देखिए।

केरल के प्रमुख जिलों में, विशेषकर वायनाड, इदुक्की और कासरगोड़ जिले अत्यधिक प्रभावित हैं। जैसा कि मैंने कहा काली मिर्च, इलायची, सुपारी, चाय, कॉफी और अन्य जिन्स मुख्य नकदी फसल हैं। जब कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आई, इसी समय यदि आप सर्विस सेक्टर देखते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की लागत में वृद्धि हो रही है। कृषि आदानों का मामला लीजिए। कुछ मामलों में शत–प्रतिशत वृद्धि हुई है। हम चारा का मूल्य देख सकते हैं और कीटनाशकों एवं अन्य को भी देख सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसान अपनी जमीन पर कृषि करने में सक्षम नहीं है। उत्पादन लागत इतनी अधिक है जिसे वे पूरा नहीं कर सकते। उन्हें बैंकों से ऋण लेना है। उन्होंने ऋण लिया है और वे मूल या ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप केरल के किसानों के सामने यह प्रश्न है कि वे जीवित रहें या मर जाएं। जैसा कि शेक्सपीयर ने कहा, यह टु बी और नॉट टु बी (है या नहीं है) का सवाल है। आज यह प्रश्न बन गया है। महोदय, सरकार को संदर्शी कदम उठाने होंगे और केरल में, न सिर्फ केरल में अपितु

[श्री पी. करूणाकरन]

देश के अन्य भागों में भी किसानों की रक्षा के क्रम में कतिपय उपाय करने होंगे।

महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह उल्लेख है कि आत्महत्या के सिर्फ 180 मामले हैं और यही सब कुछ है। मुझे स्मरण है कि इस सभा में ही हमने एक मुद्दा उठाया है और फिर माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि केरल से आत्महत्या की कोई खबर नहीं है। किन्तु फिर यह वक्तव्य कहता है कि 180 मामले हैं। किन्तु तथ्य यह है कि किसानों ने पिछले तीन–चार वर्षों में आत्महत्या की हों। वायनाड जिले में 476 मामले हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार के दूर के एक रिश्तेदार ने भी आत्महत्या की थी। इदुक्की जिले में 176 मामले हैं। कासरगोड़ में 180 मामले हैं। आत्महत्याओं के बारे में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े भी सही नहीं हैं।

माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में कहा गया है कि केरल में छोटी जोत के कारण कम उत्पादन हुआ है। वास्तव में यह गलत है क्योंकि जहां तक केरल का संबंध है भूमि विधान 1957 में अस्तित्व में आया। केरल और देश के अन्य भागों में कृषि संकट वास्तव में 1990 के बाद से शुरू हुआ। इस सकंट में पांच अथवा छह वर्ष पहले तेजी आई। अतः यह गणना गलत है। यही नहीं, जब कृषकों को अपनी निजी जमीन मिली तो जहां तक केरल का संबंध है तो खेती के प्रति उनका उत्साह अधिक है।

हमें यह देखना है कि वास्तव में कारण क्या हैं। हमें मूल कारण का विश्लेषण करना है। तभी हम इसका उपचार कर सकते हैं। यह सच है कि लगातार बाढ़ और सूखा एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण यह है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। हमने कल इस पर चर्चा की है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने कल ही विश्व व्यापार संगठन पर पूर्ण रूप से चर्चा की है।

श्री पी. करूणाकरन : जी, हां। महोदय हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। हमने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के परिणामस्वरूप हमें अनेक वस्तुओं का आयात करना है। हम विश्व व्यापार संगठन की अनेक शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हमारी मालाबार की काली मिर्च दुनिया में गई है। पहले पुर्तगाली लोग हमसे यह वाली मिर्च ले रहे थे। किन्तु अब काली मिर्च श्रीलंका से आ रही है। हमें श्रीलंका की काली मिर्च का उपयोग करना पड़ता है। यह श्रीलंकाई वाली मिर्च ही नहीं है बल्कि वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड आदि से काली मिर्च श्रीलंका के माध्यम से यहां आती है। परिणामस्वरूप हमारा घरेलू बाजार वास्तव में कमजोर हुआ है।

यह हमारी कृषि और हमारे घरेलू उद्योग की लागत पर नहीं होना चाहिए। यह स्थिति क्यों आई है? यह मुख्य प्रश्न है। सरकार दीर्घकालिक और अल्प कालिक उपायों के रूप में क्या कर सकती है? यह इस मामले के संबंध में मुख्य मुद्दा है। कृषि मुद्दों के संबंध में सरकार कृषि को कुछ रियायतें दे सकती है, किन्तु जहां तक नकदी फसलों का संबंध है वह रियायतें नहीं दे रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इलायची, रबड़, चाय, काली मिर्च और इस सूची की अन्य नकद फसलों के कृषकों की सहायता करने के लिए विशेष पैकेज शुरू करने पर विचार करेगी।

इसके अतिरिक्त मुख्य मुद्दा आयत पर प्रतिबंध लगाने का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे घरेलू बाजार की जरूरतों के अनुसार आयात पर प्रतिबंध लगाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : चार सदस्यों को अभी बोलना है।

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं दो अथवा तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

रोजगार के अवसर होने चाहिए। इस सभा ने नियोजन गारंटी विधेयक पारित किया है। यह अब वायनाड पर लागू है किन्तु इसे इदुक्की और कासरगोड़ पर भी लागू किया जाना चाहिए और इसके कार्यान्वयन में लचीलापन होना चाहिए।

छब्बीस वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मूल्य मिला है किन्तु इस सूची में केरल की एक वस्तु नारियल ही है। काली मिर्च का 81 प्रतिशत उत्पादन केरल में होता है। हम करोड़ों रुपये का योगदान कर रहे हैं। यह केरल का ही प्रश्न नहीं है, यह पूरे भारत का प्रश्न है। इन छब्बीस वस्तुओं में केरल से केवल नारियल शामिल है। क्या सरकार अन्य नकदी फसलों को भी शामिल करने पर विचार करेगी?

जहां तक चाय का संबंध है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल विशेषकर इदुक्की जिले के चाय बागानों में काम करने वाले पूजा करने के लिए साबरी माला नहीं बल्कि रोजगार पाने के लिए वहां जा रहे हैं। जो मैं कह सकता हूं, वह यह है कि हमने नीलगिरि के संबंध में कुछ निर्णय लिए हैं। इसी प्रकार हरी पत्ती विशेषकर कोलम्बू के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना है। यही समय है जब सरकार को निर्णय लेना है कि क्या आप किसानों को मरने देना चाहते हैं अथवा उन्हें जीने देना चाहते हैं। यही मुख्य प्रश्न है। इसी बारे में हमें निर्णय लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी आप केवल स्पष्टीकरण पूछ सकती हैं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला) : महोदय, मैं चाय, काफी, इलायची और काली मिर्च के बारे में बात करना पसंद नहीं करूंगी क्योंकि मेरे साथी श्री करूणाकरन ने बड़ी अच्छी तरह उसका उल्लेख किया है। मैं यहां कपास और मिर्च का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूंगी।

महोदय, जैसा कि हमें ज्ञात है कपास का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है लेकिन, मैं मंत्री का ध्यान इस तथ्य की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वैज्ञानिक तरीके से तय नहीं किया गया है। आदान लागत, जैसा कि श्री करूणाकरन ने उल्लेख किया है, कुछ बढ़ी है लेकिन सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था वह आदान लागत के अनुरूप नहीं है। जब हम आदान के बारे में बात करते हैं तो इसके अन्तर्गत बीज, खाद, बिजली, जल और वे सारी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो उत्पादन में लगती हैं। चूंकि आदानों की कीमत बढ़ गई है इसलिए मेरे विचार से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार निर्धारित कर रही है, की समीक्षा की जानी चाहिए। कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2010 रुपये है जबकि बीटी काटन के बीज का मूल्य 1750 रुपये और 1800 रुपये के बीच है जिसका किसान प्रयोग कर रहे हैं। अतः न्यूनतम समर्थन मूल्य और आदान की लागत में कोई तुलना नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि क्या वे सभा में यह बताएंगे कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा करेंगे।

मिर्च के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। हमारे पास एक बाजार अंतराक्षेप योजना है जो केवल तभी लागू होती है जब बाजार अंतराक्षेप योजना के निर्धारित मानक पूरे हो जाएं। यह ऐसी फसल होती है जो चाय, काफी या अन्य प्रजातियों की तरह खेत में बहुत दिन तक खड़ी नहीं रहती हैं। यह ऐसी फसल है जो छह माह के अन्दर उपज दे देती है और छह माह के बाद इसे फिर से लगाना होता है। इस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की आवश्यकता होती है। यदि मेरी बात सही है तो इसके संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही एक अनुरोध भेजा है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे हमें सभा में बताएं कि क्या वे मिर्च के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का विचार करेंगे और क्या वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में विचार करेंगे जिसका वे अन्य नकदी फसलों हेतु भी निर्धारण करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसे मैंने पढ़ा है। आज जिस तरह से श्री मणि शंकर अय्यर जी ने माना कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पार्लियामेंट मे दिए गए हैं, वे गलत हैं। इसी तरह से मेरा मानना है और मंत्री जी भी मानेंगे कि पंजाब के बारे में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं, वे आपने बिल्कुल गलत दिए हैं। आपने वर्ष 2002–03 में पंजाब में सिर्फ दो सुसाइड केस इंडीकेट किए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पंजाब में उपरोक्त समय में 329 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं—ये फिगर्स इसमें क्यों नहीं हैं? इन सब चीजों के एक–दो कारण हैं, जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहला कारण यह है कि कैश क्राप की मार्केटिंग की फैसिलिटी किसानों को नहीं मिलती है, अच्छी मार्केटिंग नहीं मिलती है, क्राप का पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण किसान सुसाइड कने की तरफ बढ़ता है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार एक किसान 40 किलो गोभी लेकर मंडी में गया। मंडी में आढ़ती ने उससे कहा कि यह 40 रुपये की है। यह सुनकर किसान गोभी फेंकने लगा। वहां एक कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोर का एक व्यक्ति खड़ा था, जो यह सब देख रहा था। उसने किसान से कहा कि गोभी मत फेंको, मुझे दे दो, जब इसके रेट ज्यादा हो जाएंगे तो मैं इसे बेचकर आपको पूरे पैसे दे दूंगा। इस तरह से उसने वह 40 किलो गोभी कोल्ड स्टोरेज में रख दी और दो महीने बाद जब शादियों का सीजन शुरू हुआ तो वही बंदगोभी 40 रुपये किलो के हिसाब से बिकी। इस तरह से जिस किसान को 40 किलो गोभी के 40 रुपये मिल रहे थे, उसे उसे गोभी के 1600 रुपये मिल गए। इस तरह से यदि सरकार किसानों की कैश क्राप के लिए मार्केटिंग की सुविधा दे दे तो किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और किसानों द्वारा सुसाइड करने का ट्रेन्ड भी खत्म होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए सरकार ने किसानों के लिए इन्कम इश्योरेन्स स्कीम चलाई थी। यदि किसानों की आमदनी पक्की हो, किसानों को अपनी फसल का सही पैसा मिले तो वह इन समस्याओं से बाहर निकल सकता है। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पंजाब में दो सुसाइड हुई हैं, ऐसे गलत आंकड़े देकर आपने पंजाब को बहुत लाइटली लिया है। मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसी घटना कभी नहीं हुई होगी जो पंजाब में हुई। पंजाब में एक पूरा गांव हाथ में बैनर लेकर सड़क पर आकर खड़ा हो गया। उनके बैनर पर लिखा था कि यह गांव सेल के लिए है, जो खरीदना चाहते हैं वे इस गांव को खरीद लें, क्योंकि हम लोग यहां से जा रहे हैं। इस तरह से बहुत से किसान अपने

[श्री अविनाश राय खन्ना]

बड़े–बड़े मकान छोड़कर वहां से चले गए। अभी तक उनका पता नहीं चला है। आज पंजाब में सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए मंत्री जी आप इस ओर विशेष ध्यान दीजिए और आज सदन में इस बारे में कुछ एश्योरेंस भी दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : मैं श्री करूणाकरन ने जो कहा है उसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं वायनाड क्षेत्र से आता हूं। मुझे केवल तीन बातें कहनी हैं।

भारत में काफी का वस्तु विनिमय प्रबंधन बहुत खराब है और इसके बारे में दशाएं दृढ़ नहीं हैं और अनुवर्ती कार्यवाही नहीं होती है। मैं इसे सरकार के ध्यान में लाता हूं। स्वयं एक्सचेंज द्वारा एनएमसीई द्वारा निर्धारित अनेक मानकों का उल्लंघन कतिपय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। उदाहरणार्थ, काफी के जुलाई के करार के लिए आपूर्ति की निर्धारित तिथि 15 जुलाई, 2005 थी। इस तिथि को कोई आपूर्ति नहीं दी गई। 15 जुलाई तक बहुत अधिक स्थितियों का समाधान नहीं किया जा सका क्योंकि कतिपय बहुराष्ट्रीय कंपनियां निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति नहीं कर सकीं। मात्र इस एक आदान–प्रदान के कारण वास्तविक उत्पादकों और अन्य नियमित भागीदारी को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जुलाई 2005 में क्रेता सदस्यों को समय पर काफी की आपूर्ति में चूक होने के परिणाम–स्वरूप, क्रेता सदस्य 63 रुपये प्रति कि.ग्रा. के बजाय 76 रुपये प्रति कि.ग्रा. खरीदने के पात्र थे। मुख्यतः विक्रेताओं की रक्षा करने के लिए ऐसा करने की एनएमसीई द्वारा अनुमति नहीं थी। 'एक्सचेंज' और वायदा बाजार आयोग दोनों को ही अनेक बार अपील की गई है लेकिन इन प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला है।

लेकिन यह सभी जानते हैं कि अन्ततः उत्पादक को नुकसान होता है। काफी जैसी वस्तुओं में वायदा व्यापार से केवल उत्पादकों को नुकसान होता है और इससे मध्यस्थों और अन्य शक्तिशाली लोगों को लाभ होता है। लगता है कि विनियामक प्राधिकारी भी इस स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्सचेंज के कार्यकरण की उचित एवं व्यापक जांच की जानी चाहिए ओर भागीदारों को न्याय दिया जाना चाहिए।

काली मिर्च के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने पहले ही श्रीलंका से आयात का उल्लेख किया है। काली मिर्च जो श्रीलंका के माध्यम से भारत आती है वह गुणवत्ता की दृष्टि से घटिया होती है। व्यापारियों के अनुसार आयात की गई काली मिर्च के 50 कि.ग्रा. बैग में 1.5 कि.ग्रा. धूल होती है और उसमें 14 प्रतिशत नमी होती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुसार काली मिर्च में नमी की अनुमेय प्रतिशतता 12 प्रतिशत तक है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मसाला बोर्ड के अधिकारियों को पत्तन पर उस समय उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करे जब श्रीलंका से काली मिर्च के भेजे गए माल आते हैं और उन्हें आयातित काली मिर्च की गुणवत्ता का सत्यापन और प्रमाणन करना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारी आयातित काली मिर्च की गुणवत्ता के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में चल रहे गलत कार्यों को रोकने के लिए मसाला बोर्ड के अधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य है।

मैं इस मुद्दे के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं। वास्तविक आयात को विनियमित करने के लिए, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि भारत में काली मिर्च का आयात अन्य किसी पत्तन से नहीं केवल कोच्चि पत्तन के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पडुर बागान नामक एक चाय बागान है जो लगभग तीन वर्षों से बंद है और लगभग 1500 कामगारों के पास कोई काम नहीं है। वाणिज्य मंत्री ने सभा में मुझे आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को केरल सरकार के साथ उठाएंगे। लेकिन आज तक इस पर उनसे बात नहीं हुई है।

अन्त में, कृषि मंत्रालय इस बहस का उत्तर दे रहा है लेकिन वाणिज्य मंत्रालय अव्यवस्था पैदा कर रहा है। मैं महसूस करता हूं कि हमें वाणिज्य से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना है तो इस संबंध में उपयुक्त समझ और समन्वय होना चाहिए। आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, लेकिन मैं आपको एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने की केवल अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, काली मिर्च, इलायची, सुपारी और अन्य कृषि नकदी फसलों की कीमतों में आई गिरावट से उत्पन्न स्थिति के कारण इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों में भुखमरी से होने वाली मौतों के संबंध में माननीय सदस्य श्री पी. करूणाकरन जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मैं उससे अपने को संबद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि यह केवल केरल या पंजाब की बात नहीं है। आज पूरे हिन्दुस्तान में जो भी उत्पादन हमारे किसान कर रहे हैं, उसके वाजिब दाम उनको नहीं मिल पा रहे हैं। उनके लिए वाजिब मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए। दूसरी तरफ

जो खेतिहर मजदूर हैं और जो गांवों में छोटे–छोटे किसान हैं, जो खेतों में मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं, उनके सामने दिक्कत यह है कि उन्होंने बैंकों से लोन ले लिया है लेकिन उसकी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फसलों का वाजिब मूल्य न मिलने के कारण आज वे भुखमरी की कगार पर हैं और आत्महत्या करने तक को मजबूर हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि केन्द्र सरकार द्वारा 'काम के बदले अनाज योजना' या 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना' को पूरे हिन्दुस्तान में लागू करके कम से कम ऐसे खेतिहर मजदूरों को रोजगार देने की बात होनी चाहिए ताकि उनका गांवों से शहरों की तरफ पलायन न हो और उनको अपने यहां रोजगार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात पर बल देता हूं और खासकर सरकार से मांग करता हूं कि जिन किसानों ने 20–25 हजार रुपये या 50 हजार रुपये तक के लोन लिए हैं, यदि उनकी स्थिति खराब है तो सरकार उनके ऋणों को माफ करे, तभी हम किसानों की भुखमरी और आत्महत्या से छुटकारा पा सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सामान्य परम्परा के अनुसार किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल पांच माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। मेरे पास कुछ और माननीय सदस्यों के नाम हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं लेकिन इसके बाद मुझे दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेना है। इसलिए, यदि माननीय सदस्यगण मुझे आश्वासन दें कि वे प्रत्येक स्पष्टीकरण एक मिनट के अन्दर पूछेंगे तो मैं 3 या 4 माननीय सदस्यों को अनुमति दे सकता हूं। अगर उनको भाषण करने हैं तो मैं उन्हें अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : हां, महोदय, हम आपके इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हैं।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, कोई भाषण नहीं दिया जाएगा केवल प्रश्न पूछे जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य भाषण देंगे तो मैं बीच में रोक दूंगा। मैं माननीय सदस्यों को केवल स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। श्री सुरेश कुरूप।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, इलायची के मूल्यों में गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोलकाता पत्तन के द्वारा नेपाल से भारत में बहुत अधिक मात्रा में इलायची लाई जा रही है। वहां के किसान यह शिकायत बराबर करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यह नेपाल से कोलकाता पत्तन में आयात की जा रही है। यह इलायची के मूल्यों में गिरावअ का एक प्रमुख कारण है। क्या मंत्रालय इस समस्या को हल करने के लिए अविलम्ब एवं अत्यावश्यक कदन उठाने हेतु वाणिज्य मंत्रालय के साथ समन्वय करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री सी. के. चन्द्रप्पन, लेकिन मैं आपको एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या का प्रमुख कारण कर्ज है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के निर्णय के अनुसार इन वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय ड्यूटी शुल्क क्या है और जब उन वस्तुओं का आयाता किया जाता है तो उस पर उद्ग्रहण की जाने वाली दर क्या है। कर्ज की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक विशेष मामले के रूप में चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दने का विचार करेगी?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, सभी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए मैं मंत्री और इस सभा के विचारार्थ कतिपय तथ्यों का उल्लेख करूंगा। हमें याद करना चाहिए कि केरल का अर्थ है 'नारियल की भूमि'। स्थिति निन्दनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे अनुरोध है कि स्पष्टीकरण पूछने का अनुरोध किया गया है न कि इतिहास में जाने के लिए कहा गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : वहां 25 लाख छोटे नारियल उत्पादक हैं जो वास्तव में भुखमरी की स्थिति में हैं। ऐसा भारत सरकार द्वारा विश्व व्यापार समझौता में प्रवेश करने की एक गलती करने के कारण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कोपरा एक कृषि उत्पाद है। दुर्भाग्य से विश्व व्यापार समझौता के बाद यह औद्योगिक उत्पाद बन गया। इसी प्रकार हम जानते हैं कि प्राकृतिक रबड़ एक कृषि उत्पाद है। दुर्भाग्य से, विश्व व्यापार समझौता की शर्तों के अनुसार, यह एक औद्योगिक उत्पाद है। इसलिए, रबड़ उत्पादक और नारियल उत्पादक भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसा तत्कालीन सरकार की उपेक्षा के कारण है जिसने इस मामले में केरल के किसानों की दुर्दशा पर विचार नहीं किया कि हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

इन दो वस्तुओं रबड़ और नारियल के विकास के लिए गठित बोर्ड किसानों का बचाव करने में अपने को असहाय पा रहे हैं। यही हाल मसाला बोर्ड का है। वहां भी यही स्थिति है। वे इलायची उत्पादकों की मदद नहीं कर सकते हैं। वे काली मिर्च के उत्पादकों के लिए कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

कई वर्षों से अरब के साथ हमारे संबंध थे। पूर्व में अरब से लोग केरल आते थे और उत्पाद एकत्र करते थे। आजकल हम इसे अन्य देशों से आयात के कारण बेच नहीं सकते हैं। यह एक अन्य पहलू है। इतना ही नहीं, केरल में सभी चाय बागान बंद हो गए हैं। वे कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए, केरल की अर्थव्यवस्था कठिनाई में है। जब तक सरकार इन्हें बचाने की लिए आगे नहीं आएगी तब तक हमारी स्थिति और अत्यधिक दयनीय होती जाएगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इन कृषि उत्पादों के विकास के लिए गठित संबंधित सांविधिक निकायों को उचित निर्देश दें।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पी. करूणाकरन ने केरल के मजदूरों का सवाल उठाया है। उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण मामला सुपारी उगाने वाले केरल के किसानों का कीमतों के बारे में है। जहां तक दूसरे उत्पादों का संबंध है, उनके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर एक बहु–अनुशासनिक केन्द्रीय दल ने राज्य की कृषि की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जुलाई, 2004 में केरल का दौरा किया था।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, उस दौरे के पश्चात् जो निर्णय लिए गए थे, उन्हें कार्यान्वित किया गया है। सबसे पहले राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से रुपये 106 करोड़ जारी किए गए हैं। दूसरे बारहमासी बागवानी तथा बागान फसलों के लिए ऋण प्रतिबंधी दिशा निर्देशों को वित्त मंत्रालय ने अन्तिम रूप दे दिया है और तीसरे काजू तथ मिर्च की खेती के पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ करने के लिए वृहद् कृषि प्रबन्धन स्कीम के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें से 10 करोड़ रुपये की पहली किस्त वर्ष 2004–05 में जारी की गई थी।

महोदय, काली मिर्च का सवाल श्री पी. करूणाकरन साहब ने बार–बार उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले, उसमें मार्केट इंटर्वेशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 15.2.2005 से दिनांक 31.3.2005 तक 70 रुपये प्रति किलों के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर 5050 मीट्रिक काली मिर्च के प्रोक्योरमेंट के लिए अनुमति दी गई है। दूसरे, भारत सरकार ने 27 अक्तूबर, 2005 को 5 रुपये प्रति किलों की दर, अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, अन्तर्राष्ट्रीय भाड़े तथा 2 रुपये प्रति किलो आन्तरिक परिवहन, अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन मिर्च के लिए, भारत से मिर्च के निर्यात पर वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए एक योजना घोषित की थी। वित्तीय सहायता 31 मार्च, 2006 तक वन टाइम सैटलमेंट के रूप में प्रदान की जाएगी। पुनर्निर्यात के उद्देश्य हेतु मिर्च के शुल्क मुक्त आयात/आलियो उद्योग के लिए वांछित हल्के सरसफल को छोड़कर, अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को 7 जून, 2005 से समाप्त कर दिया गया है। डीजीएफटी द्वारा कानून उल्लंघन, गलत घोषणा और अग्रिम लाइसेंस के दुरुपयोग के आरोपों पर ध्यान दिया जा रहा है। यह भी निर्णय लिया गया है कि ईओयू स्कीम के अन्तर्गत मिर्च तथा मिर्च उत्पादों डीटीए (घरेलू शुल्क क्षेत्र) बिक्री की सुविधा को अस्वीकार कर दिया गया है। ईओयू यूनिट के लिए मसाला बोर्ड से भी अपनी यूनिट को रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

महोदय, जहां तक इलायची का सवाल इस सदन में उठाया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मसाला बोर्ड ने इस बारे में कुछ कदम उठाए हैं। इसमें इलायची उत्पादकों को बागान सामग्री, पुनःरोपण, सिंचाई तथा भू–विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। इसकी खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से मसाला बोर्ड इलायची के उपयोग को लोकप्रिय बना रहा है। दिनांक 16.10.2004 से दिनांक 30.11.2004 के दौरान इलायची के लिए सीडीएफ (इलायची विकास निधि) से 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हवाई भाड़ा वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई है। इसके बाद, हवाई भाड़ा सहायता दिसम्बर, 2004 से फरवरी, 2005 के दौरान बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। यह ग्वाटेमाला से नई इलायची के आगमन से पहले मध्य पूर्व विपणन को इलायची पहुंचाने के लिए किया गया था।

महोदय, जहां तक सुपारी का सवाल है, भारत सरकार ने आयात पर नियंत्रण करने हेतु सुपारी पर 35 से 100 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिकारियों से देश में सुपारी के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं और केरल सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं जिनमें केरल सरकार ने जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उनके परिवार, को आर्थिक सहायता 50,000/– रुपए तक बढ़ा दी है। 23.1.2004 से एक वर्ष के लिए सहकारिता के कृषि ऋण के ऋणस्थगन, ब्याज तथा दण्ड ब्याज द्वारा उठाई गई हानि के लिए भी मुआवजा दिया जा रहा है। एक बार बन्दोबस्त स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है। सहकारी बैंकों को पात्र ऋण में परिवर्तन तथा पुनर्सूची तैयार करने तथा एक वर्ष के लिए कृषि ऋण की वसूली को स्थगित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

माननीय सदस्य ने वायनाड जिला के लिए जो सवाल उठाया है, जो कि सूखे से बुरी तरह प्रभावित है, 31.3.2006 तक 50,000/– रुपए की राशि पर ऋण के ब्याज को माफ कर दिया गया है। श्री पी. करूणाकरन साहब ने डब्ल्यूटीओ रिजीम और बायलेटरल एग्रीमेंट का सवाल उठाया है। ये दो सवरन कंट्रीस का मामला है और इस पर हम लोगों का जो बायलेटरल रिलेशन है, उसकी कोई समय–सीमा नहीं है। हम लोगों का जीरो परसेंट ड्यूटी पर श्रीलंका से आयात होता है। उसके चलते निश्चित रूप से इस पर हमारे केरल के किसानों को और देश के दूसरे राज्यों के किसानों को यह समस्या हो रही है। यह बात सच है कि पिछले चार–पांच वर्षों के दौरान ब्लेक पैपर, कार्डेमम और अरेकानट के प्राइस में कमी आई है। भारत सरकार और इसके साथ–साथ केन्द्र सरकार ने इस दिशा में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उससे हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से इन सामानों का दाम घरेलू बाजार में बढ़ेगा।

मैडम पुरन्देश्वरी जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल सदन में उठाया, वह केवल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तय नहीं करती है, सीएसीपी के द्वारा यह तया किया जाता है। इन्होंने कॉटन के मूल्य का वेरायटी वाइस मांगा था, एफ–414, एच–777, जे–34, इसका 2004–05 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1760 रुपए और एच–4 क्वालिटी के लिए 1960, 2004–05 के लिए और 2005–06 के लिए 1980 रुपए तय किया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन : यह सत्य नहीं है।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : श्री अविनाश राय खन्ना साहब ने पंजाब के किसानों की आत्महत्या का सवाल उठाया। हम लोगों को जो फीगर्स पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई हैं, उसमें केवल दो सुसाइड की सूचना भारत सरकार और हमारे मंत्रालय को है और उसी के आधार पर हमने अपना उत्तर आपको दिया है। जहां तक केरल का सवाल है, वहां भी उसी तरह आफिशियल तरीके से जांच नहीं कराई गई है। फिर भी केरल की सरकार ने हम लोगों को जो सूचित किया है कि 180 किसानों ने वहां आत्महत्या की है, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उसकी सूचना सदन में देता हूं। मुझे जो सूचना केरल की सरकार द्वारा मिली है, उस आधार पर मैंने सदन को आपके माध्यम से सूचित किया है। अगर एक भी आत्महत्या, जिस प्रदेश में या पूरे देश में होती है तो यह भारत सरकार और हम सभी के लिए चिन्ता और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार चाहती है कि एक भी किसान इस देश में आत्महत्या न करे।...*(व्यवधान)* जब से यूपीए सरकार आई है, किसानों की आत्महत्या को, किसानों के हितों को सरकार ने बड़ी गम्भीरता से लिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : कोई उम्मीद नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वरकला राधाकृष्णन जी, कृपया माननीय मंत्री जी को सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : और ऋण बोझ को पहले बजट में यूपीए गवर्नमेंट ने तीन साल में दोगुना करने का निर्णय लिया था। पहले साल हमारा जो 30 परसेंट का लक्ष्य था, 30 परसेंट लक्ष्य से ज्यादा हमने एक साल में ऋण दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, कृपया मुझे अपनी बात रखने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, एम. पी. वीरेन्द्र कुमार जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

माननीय मंत्री जी, आप कृपया बोलिए।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : हमने अभी आपको बताया कि केरल सरकार ने और भारत सरकार ने किसानों की सहायता करने के जो फैसले लिए हैं, उनको ब्यौरेवार पढ़कर मैंने आपको सुनाया है और आपके जो भी सुझाव आए हैं, उन सुझावों पर भी निश्चित रूप से सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करके अमल में लाएगी। किसानों को

[डा. अखिलेश प्रसाद सिंह]

मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उससे भी ज्यादा प्राइस कैसे मिले, इस दिशा में कारगर कार्रवाई करेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद सं. 13 पर आते हैं

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया, एक मिनट।

[हिन्दी]

चार बजे एग्रीकल्चर पर डिस्कशन होगा, आप उस पर बोलना।

श्री बसुदेव आचार्य।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं, रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एग्रीकल्चर पर चार बजे बहस होगी, उस पर बोल लेना, अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एग्रीकल्चर पर चार बजे बहस होगी, उस पर जो कुछ आपको कहना है, आप कह लेना।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, आपने मुझसे प्रश्न पूछने के लिए कहा, और मैंने अपना प्रश्न पूछा था। परन्तु माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, कृपया मुझे बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र कुमार जी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : मंत्री जी, कुछ एश्योर कर दें कि क्या करने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको एश्योरेंस देंगे तो दूसरों को भी एश्योरेंस देना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.12 बजे

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा जांच शुल्कों में की गई बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद सं. 13 पर चर्चा करेगी—श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) **:** महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस पर अपन वक्तव्य दें :

"अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा जांच शुल्कों में की गई बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : उपाध्यक्ष महोदय...

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप कृपया अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

***डा. अंबुमणि रामदास :** महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की क्रिया का ध्येय जो 12 वर्षों के अंतराल के बाद की गई है, यह सुनिश्चित करना है कि मुफ्त चिकित्सा ज्यादा से ज्यादा गरीब मरीजों और सामान्य मरीजों को उपलब्ध कराई जा सके और साथ ही संस्थान में अतिरिक्त और नई सुविधाओं का सृजन भी हो सके।

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2993/05

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : इसे आप ले करा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, मंत्री जी कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : एम्स में, गरीब मरीजों को मुफ्त चिकित्सा शुल्कों को तर्कसंगत बनाने के बाद भी मिलती रहेगी जैसा कि अब तक मिलती रही है। इसके अलावा, आकस्मिक विभाग में मुफ्त चिकित्सा मिलती रहेगी, भर्ती सभी मरीजों को चाहे उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। इस प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एम्स में शुल्कों में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया उदार और आसान है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है।

शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की क्रिया दो वर्षों से भी अधिक समय से जारी थी और यह अभी नहीं किया गया है। इसे अंतिम रूप एम्स संकाय सहित विभिन्न स्तरों पर और उपयुक्त सांविधिक निकायों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श करने के बाद दिया गया है।

शुल्कों को तर्कसंगत बनाने में कई नई नैदानिक प्रक्रियाओं इत्यादि प्रारंभ करना शामिल है। उपभोज्य वस्तुओं की लागत में कटौती के लाभ को मरीजों तक पहुंचाने के लिए इसमें शुल्कों की न केवल ऊर्ध्वमुखी समीक्षा की व्यवस्था है बल्कि अधोमुखी समीक्षा की भी व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, साधारण एक्स-रे की दरें 30 रुपये से घटाकर 25 रुपये कर दी गई हैं। एचआईवी एड्स परीक्षण शुल्कों को 100 रुपये से घटाकर 30 रुपये कर दिया गया है। करीब 450 नैदानिक प्रक्रिया शुल्कों की समीक्षा नहीं की गई है। मरीजों के लिए सामान्यतः आवश्यक कई नेमी परीक्षणों के शुल्क अत्यन्त तर्कसंगत हैं और गरीबों के लिए इनमें कोई शुल्क नहीं है। शुल्कों की गणना उपभोज्य वस्तुओं की लागत के आधार पर की गई है।

मैं यह भी सूचित करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में एम्स पर मरीजों के भार में कई गुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में, बहिरंग विभाग (ओपीडी) में उपस्थिति 15 लाख से ज्यादा थी और अंतरंग मरीजों की संख्या 80,000 से भी अधिक थी। एम्स में आने वाले रोगी समाज के सभी वर्गों से होते हैं और उच्चतर आर्थिक वर्ग से आने वाले रोगी शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं और वे एम्स में अत्यंत सक्षम डाक्टरों द्वारा की जाने वाली अत्याधुनिक सुपर-स्पेसियलिटी चिकित्सा प्राप्त करने के लिए अत्यन्त युक्तिसंगत शुल्क का भुगतान करने के इच्छुक हैं। इतना ही नहीं, कई मरीज, जिनका इलाज अन्य कारणों से महंगे निजी अस्पतालों में चल रहा है वे भी दोबारा परामर्श लेने के लिए एम्स में आते हैं। यह भी एक अन्य खंड है जो नैदानिक परीक्षणों के लिए भुगतान करने हेतु तैयार है। इससे सृजित संसाधनों का उपयोग नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने और अधिक संख्या में गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगी परिचर्या सुविधाएं बढ़ाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। हाल ही में अत्यल्प दरों पर रोगियों के संबंधियों को कमरा मुहैया कराने के लिए मौजूदा तीन सौ बिस्तरों में एक सौ बिस्तर वाला विश्राम सदन और जोड़ा गया है। नए और सुसज्जित प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है, अगले कुछ महीनों के भीतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नई नैदानिक सुविधा चालू हो जाएगी जिससे प्राइवेट वार्डों के रोगियों की आवश्यकता पूरी होगी और इसी प्रकार मौजूदा नैदानिक सुविधाएं गरीबों और सामान्य रोगियों को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। इस कदम के परिणामस्वरूप विभिन्न जांचों के लिए प्रतीक्षा अवधि में कमी आएगी और अधिक संख्या में रोगियों को और सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इस बात की पुनरावृत्ति की जाती है कि इस पूरे कार्य के पीछे बुनियादी विचार एक प्रगतिशील राजस्व अर्जन की रूपरेखा विकसित करना है। साथ ही, देश के विभिन्न भागों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बड़ी संख्या में आने वाले गरीब और जरूरतमंद रोगियों को सतत निशुल्क उपचार पर बल और ध्यान दिया जाएगा। मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आने वाले सभी गरीब तथा जरूरतमंद रोगियों को वहनीय उपचार के लिए निशुल्क गुणवत्ता उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया कि जांच हेतु शुल्क में वृद्धि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़ी संख्या में गरीब रोगियों और सामान्य रोगियों को निशुल्क उपचार प्रदान किया जा सके और साथ ही संस्थान में अतिरिक्त और नई सुविधाओं का सृजन किया जा सके। यदि वास्तव में यही उद्देश्य है तो ठीक है क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विशेषकर गरीब रोगियों के लिए सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है। देश भर से सस्ती दरों पर उपचार लेने के लिए गरीब रोगी आते हैं। यह लगभग निशुल्क उपचार जैसा है। मुझे एक बाईपास सर्जरी के एक मामले की जानकारी है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गरीब रोगी पर की गई थी, वह सर्जरी लगभग निशुल्क की गई थी।

[श्री बसुदेव आचार्य]

मंत्री ने यह भी बताया है कि कुछ मामलों में इस दर को कम कर दिया गया है। शुल्क में कमी आई है। इसका मुख्य उद्देश्य शुल्क को युक्तियुक्त बनाना है जो बारह वर्ष बाद किया गया है। इसे उन्होंने बताया है और यह भी कहा है कि इस के पीछे एक प्रगतिशील राजस्व की रूपरेखा विकसित करने का विचार है जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के विभिन्न भागों से आने वाले बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद रोगियों के सतत निशुल्क उपचार पर बल और ध्यान दिया जाएगा। यह सच है कि देश के विभिन्न भागों से गरीब रोगी आते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जो रोगी उपचार हेतु आते हैं उनमें साठ प्रतिशत रोगी गरीब होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, निम्न मध्यम वर्ग के हैं, किसान हैं, कृषि मजदूर आदि हैं। गरीब रोगियों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के उद्देश्य से, यदि इस श्रेणी के रोगियों के लिए कतिपय वृद्धि की जाती है जो अपने उपचार का खर्च उठा सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के रोगियों की और अधिक संख्या को लाभान्वित करने के लिए उनकी क्या योजना और कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 मे बहिरंग रोगियों की संख्या पन्द्रह लाख से अधिक थी और अंतः रोगियों की संख्या अस्सी हजार थी। इस संख्या का बोझ पहले से ही काफी अधिक है।

इस वर्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वर्णजयंती वर्ष मना रहा है। इसकी स्थापना देश में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और ऐसी परिचर्या में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में की गई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सरकारी क्षेत्र में सफल उद्यम का उदाहरण है। वास्तव में, इसकी तुलना सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के साथ की जा सकती है। यह संस्थान सरकार के लिए मुनाफा नहीं कमाता और इससे इसकी आशा भी नहीं की जाती किन्तु इसकी उपलब्धियां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय, तकनीशियनों, रेजीडेंट डाक्टरों, पराचिकित्सा कर्मचारियों आदि समेत स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के समर्पण को दर्शाती है। समय की जरूरत यह है कि बड़े पैमाने पर इसके विस्तार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निवेश किया जाए ताकि उन चुनौतियों जैसे प्रतीक्षा सूची, नई स्वास्थ्य समस्याएं, तेजी से विकसित होती प्रौद्योगिकियों को अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकियों का उन्नयन आदि को पूरा किया जा सके जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। नई प्रौद्योगिकियां आ रही है और उसके लिए अधिक निवेश की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले हमें इस सभा में बताया गया था कि सरकार के पास, कतिपय क्षेत्रों को कवर करने, इसकी कार्यशैली को सुधारने और कतिपय नई पहल शुरू करने के लिए इस संस्थान का विस्तार करने हेतु कतिपय प्रस्ताव हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस संस्थान के समक्ष मौजूद चुनौतियों को पूरा करने के लिए अब तक क्या पहल की गई है। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लंबित परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए उदार वित्तीय सहायता दे देगी और वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी ताकि गरीब रोगियों पर बोझ कम हो सके और सामान्य रोगियों का भार कम हो सके। शुल्क बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है, इसलिए भारत सरकार को कतिपय उपाय, जिनकी आज जरूरत है, करने होंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समक्ष मौजूद समस्याओं को किस प्रकार हल करने का विचार रखती है। यह कहा गया है कि गरीब रोगियों के उपचार के संबंध में सरकार का मार्गदर्शन विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा तय किया जाएगा। वह इस पहलू को भी स्पष्ट करें। कुछ ऐसी प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी जिससे कि इस संस्थान में उचित उपचार प्राप्त करने के लिए गरीब लोगों को कोई कठिनाई न हो। सिर्फ गरीब रोगियों के लिए ही उपचार न उपलब्ध कराया जाए बल्कि इस उपचार का विस्तार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों तक भी किया जाना चाहिए। इन श्रेणियों के लोगों, जो उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते, को रियायती दरों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार का लाभ मिलना चाहिए। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी प्रणाली विकसित करने पर विचार करेगी जिससे ऐसे रोगियों को कोई कठिनाई न हो जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भारी धनराशि का भुगतान कर उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट इस देश की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्था है परन्तु उसमें पिछले दिनों हर मरीज के लिए जो रेट थे, उनको काफी गुणा बढ़ा दिया गया है। इसके जो कारण बताए गए हैं, मैं समझता हूं कि वे कारण उचित नहीं हैं। बेसिक प्रश्न यह है कि क्या इस देश में जो सरकारी अस्पताल हैं, वे वहीं से पैसा लेकर वहां सुविधा देंगे या सरकार उनको सुविधा देगी? वक्तव्य में कहा गया है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान किया जा सके इसलिए यहां रेट बढ़ा दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब आदमियों को मुफ्त सेवा देने के लिए

क्या दूसरे गरीब आदमियों से पैसा लिया जाएगा? क्या मध्यम वर्ग से पैसा लिया जाएगा? यह इस देश की जनता के साथ बड़ा विश्वासघात होगा। देश की जनता के साथ इन्होंने जो वायदे किए थे कि आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, यूपीए के साथ तो उस वायदे की खिलाफी होगी।

आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां देश भर से लोग आते हैं, हर गरीब आदमी वहां जाता है, वहां आप एक हजारे रुपये की जगह पांच हजार रुपये और पांच हजार की जगह दस हजार रुपये कर दें, इस तरीके से वहां पैसे बढ़ा दें और फिर यह कहें कि क्या करें, वहां ज्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं, तो ठीक नहीं होगा। इस वक्तव्य में लिखा है—क्योंकि 15 लाख से उपस्थिति बढ़कर अब ज्यादा हो गई है, कई गुणा बढ़ गई है, अंतरंग रोगियों की संख्या बढ़ गई है इसलिए यह कारण रेट बढ़ाने का हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार अपने पास से पैसा क्यों नहीं देती? सरकार को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को इतना पैसा देना चाहिए कि वहां गरीब और मध्यम वर्ग का जो भी आदमी आता है, वह सुविधा पा सके। क्या आप समझते हैं कि वहां अमीर आदमी लाइन में खड़ा होता होगा? अमीर आदमी तो दूसरे अस्पतालों में जाते हैं। सरकर ने जो पैसे बढ़ाए हैं, उससे कितना रुपया आपके पास आएगा? इस पैसे से चार-पांच करोड़ रुपये ही आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको मुफ्त में जमीन इसलिए दी गई कि वे उन अस्पतालों में गरीब लोगों का इलाज कर सकें लेकिन आज वे उस वायदे को पूरा नहीं कर रहे। उन अस्पतालों से एक हजार करोड़ रुपये वसूल हो सकते हैं। वे इस पैसे को देने के लिए भी तैयार है। मेरा कहना है कि आप जमीन को मार्केट रेट पर देकर उनसे एक हजार करोड़ रुपये लीजिए। आप चार-पांच करोड़ रुपये बढ़ाकर लाखों गरीबों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप तुरन्त इसे वापस लीजिए क्योंकि यह गरीबों के साथ नाइंसाफी है, आपके वायदे की खिलाफत है इसलिए आप इसे तुरन्त वापस लें। इससे आपको जो चार-पांच करोड़ रुपये की आमदनी होने वाली है, उसे आप सबसीडाइज्ड करें और उन अस्पतालों से पैसा लें।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि देश में छः मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करके जो बारह मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनने थे, उनका क्या हुआ? अगर आप बिहार, रांची, उड़ीसा आदि जगहों पर ये 12 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बना देते तो लोगों को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए नहीं आना पड़ता।

आज यहां पर अमीर आदमी और हममें से सब अपोलो में जाकर दाखिल हो सकते हैं परन्तु जो आदमी यहां आता है, उसके ऊपर एकदम से यह कहा जाए कि सबसे पूछ लिया, कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखते हैं कि किसी की बाईपास सर्जरी होनी है, पैसा दीजिए, तीन लाख रुपया लगता है, पच्चीस हजार रुपया वहां से दिया जाता है, हैल्थ मिनिस्टर के यहां कितने दिन लगते हैं और जब तक उसकी बारी भी नहीं आ पाती है।

महोदय, मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही गलत हैं और आपत्तिजनक हैं कि वहां पर रेट बढ़ गए, लोग आ जाते हैं और वहां पर हमें गरीबों को सुविधाएं देनी हैं। सुविधाएं देने का काम सरकार का है। सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाएं देने का काम सरकार का है। सरकारी अस्पतालों में भी गरीबों को आप सुविधाएं नहीं दे सकते और उसके लिए रुपया बढ़ाते हैं तो आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। सरकारी अस्पतालों में कम से कम गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होना चाहिए और इसलिए यहां पर मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो दरें बढ़ाई गई हैं, वे तुरन्त वापस ली जाएं नहीं तो हम समझेंगे कि सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे, सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती रंजीत रंजन—उपस्थित नहीं।

कुंवर जितिन प्रसाद (शाहजहांपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आई है। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वथा अभाव है और इसी संदर्भ में गांवों का गरीब आदमी "एम्स" में जाना पसन्द करता है जहां उसे कम पैसों पर अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो चिकित्सा दरों में वृद्धि की गई है, मैं समझता हूं कि इससे गरीब आदमी पर काफी भार पड़ेगा। जो वृद्धि हुई है, वह निःशुल्क सेवाओं पर हुई है। मैं समझता हूं कि जो भी गरीब आदमी वहां अपने इलाज के लिए आएगा तो कम से कम 250 रुपये से 500 रुपये तक का खर्च उठाना पड़ेगा जो मैं समझता हूं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि जब से वृद्धि हुई है, वहां स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है और यह भी देखने को मिला है कि जब से वृद्धि हुई है, ओपीडी में लोगों की संख्या में गिरावट आई है और जहां तक गरीबों के इलाज का सवाल है, उनको अपने चेक-अप के लिए लाइनों में लगना होता है जो कि वही एक बड़ी समस्या है। फिर अगर पेमेंट का भी चलन हो जाएगा तो उसके लिए भी एक अलग कतार लगेगी। इलाज होते-होते तीन-चार दिन लग जाते हैं।

[कुंवर जितिन प्रसाद]

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री से कतिपय पहलुओं के बारे में जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि प्रगतिशील राजस्व सृजन की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में यह डर है कि गरीब सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। क्या अब गरीबों को राजस्व सृजन की रूपरेखा बनने के बाद भी प्राथमिकता प्राप्त उपचार मिलेगा जिसके बारे में मंत्री जी बात कर रहे हैं।

इस बारे में अन्य प्रश्न हैं। क्या मंत्री जी दसवीं योजना के अन्त तक गरीब रोगियों के लिए कम किराए वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं?

इसके बाद मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं—और मैं उनसे पहले ही पूछ चुका हूं—कि देश के अन्य भागों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी अन्य संस्थाओं की स्थिति क्या है।

***श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों** (लुधियाना) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। महोदय, आज अस्पतालों में चिकित्सा उपचार कराना लोगों के लिए बड़ा कठिन हो गया है। गरीब रोगियों के लिए यह और अधिक कठिन है। गरीब लोगों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पीजीआई, चंडीगढ़ जैसे अस्पतालों से बड़ी उम्मीदें हैं। किन्तु जिस ढंग से इन अस्पतालों की स्थिति बिगड़ रही है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। यदि वास्तव में हम गरीब रोगियों की सहायता करना चाहते हैं तो हमें ये सुविधाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पतालों में उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे गैर-सरकारी अस्पतालों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। विदेशों में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पीजीआई, चंडीगढ़ जैसे अस्पतालों की बड़ी प्रतिष्ठा है। किन्तु आज इन अस्पतालों में लोगों का विश्वास घट रहा है जो चिन्ता का विषय है। धनी लोग गैर-सरकारी अस्पतालों में अपने उपचार का खर्च वहन कर सकते हैं। किन्तु गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते। मात्र उपचार प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। जिस ढंग से उपचार उपलब्ध कराया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। क्या वहां अच्छे डाक्टर उपलब्ध हैं? क्या वहां नई तकनीक उपलब्ध है? सरकारी अस्पतालों को छोड़कर गैर-सरकारी अस्पतालों में काम करने का रुझान अच्छे डाक्टरों में बढ़ रहा है। यहां उन्हें अधिक वेतन और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। निजी अस्पताल इन विशेषज्ञ डाक्टरों को अपने यहां ले रहे हैं। वास्तविक पीड़ित तो गरीब आदमी है जिसे उचित उपचार नहीं मिल रहा है। विदेशों में प्रत्येक डाक्टर पर जवाबदेही निर्धारित की जाती है। यह डाक्टर गलत उपचार करता है तो विदेशों में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। किन्तु भारत में विशेषकर निजी अस्पतालों में ऐसा नहीं है। ऐसे मामले हुए हैं जहां उन रोगियों का आपरेशन किया गया जिनका आपरेशन नहीं किया जाना चाहिए था। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिन रोगियों का आपरेशन नहीं किया जाना चाहिए था, पैसा बनाने के लिए उसका निजी अस्पतालों में आपरेशन किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार अपराधियों को सजा देगी? ऐसे रोगियों को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए?

महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पतालों में डाक्टरों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनें और नवीनतम प्रौद्योगिकी होनी चाहिए जिससे कि डाक्टर प्राइवेट हास्पिटल नहीं जाएं तथा सरकारी अस्पतालों में नौकरी करते रहें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न उपचार सुविधाओं की दर, जिसे बढ़ाया गया है, को वापस लिया जाना चाहिए। जब मरीज इन अस्पतालों में जाते हैं तो वहां प्रतीक्षा सूची होती है। अनेक बार, अपनी बारी आने से पहले ही मरीज मर जाता है। इसलिए इस प्रतीक्षा सूची को भी कम करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सदन की यह प्रैक्टिस रही है कि कॉलिंग अटेंशन पर पांच से अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हम इसे एक शर्त पर कर सकते हैं कि अगर माननीय सदस्यगण एक-एक मिनट समय लेते हुए केवल अपने क्लेरीफिकेशन्स रखें। अगर सभी माननीय सदस्य भाषण देंगे तो मेरे लिए कठिनाई होगी क्योंकि इससे हमारी पोजीशन खराब होती है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो हॉस्पिटल हैं, खासकर एम्स अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गरीब लोगों के लिए एक बेहतर हॉस्पिटल है। इलाज के लिए आज गरीब मरीजों में एक शंका पैदा हो गई है। जिस तरह से यह विषय उठाया गया है, वह बहुत ही दुःखद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गरीब मरीजों में पहले, खासकर एम्स की ओर जो विश्वास था, वह कम हो गया है और उनमें विश्वास का संकट पैदा हो गया है।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इसीलिए यहां पर माननीय सदस्यों ने इस विसंगति की तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, वह जायज है। चिकित्सा जांच शुल्क में बढ़ोत्तरी को रेशनलाइज के नाम पर रेशनलाइजेशन ऑफ चार्जेज के नाम पर मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह वेग है। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि बढ़ोत्तरी भी हुई है और कमी भी हुई है। मैं यह स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को क्या इलाज आदि के लिए प्राथमिकता मिलेगी या नहीं और क्या रेशनलाइजेशन ऑफ चार्जेज के नाम पर उन पर इसका बोझ पड़ेगा या नहीं? क्या चिकित्सा शुल्क में बढ़ोत्तरी की जाएगी और क्या कोई ऐसी केटेगरी भी बनाई गई है कि जिनकी क्रय शक्ति कम है, जो दो समय का खाना नहीं खा सकते, ऐसे गरीब मरीजों को आप प्राथमिकता देंगे या उनके लिए प्राइवेट सेक्शन खोलने का काम करेंगे? आप कह रहे हैं कि गरीबों को एक्सरे और इलाज आदि की सुविधा मुफ्त देंगे। मैं क्लियरकट जानना चाहता हूं कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगी हैं, क्या उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे? रेशनलाइजेशन ऑफ चार्जेज की जो बात कही है, मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बढ़ोत्तरी पर पुनर्विचार करना चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए। इस विषय पर मंत्री जी को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे गरीबों में एक अविश्वास का वातावरण बन गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को बेहिचक रोल बैक करना चाहिए और यह जो बढ़ोत्तरी हुई है, इसे वापस लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य एक-एक मिनट में अपनी बात खत्म करें तो अच्छा होगा।

श्री अजय माकन (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल दो-तीन स्पष्टीकरण मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। एम्स 1956 के पार्लियामेंट एक्ट का क्रिएशन है। इसका मुख्यतः मकसद रिसर्च और एजुकेशन की फील्ड से था। रिसर्च के टोटल बजट का कितने प्रतिशत एम्स पर खर्च किया जा रहा है? क्या-क्या बड़े प्रोजेक्ट रिसर्च के एम्स के लिए हैं? ये जो चार्जेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मशीनें वहां लगी हैं और खराब पड़ी हैं, उन्हें कब तक ठीक कराया जाएगा? कैंसर की कैट स्कैन मशीन जो एम्स में खराब पड़ी है, उसे कब तक ठीक कराया जाएगा? हमारी लैबोरेट्री में ओपन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था थी, उसके लिए अपोलो अस्पताल, एस्कॉर्ट्स अस्पताल के साथ एम्स में भी रोबाटिक मशीन आई थी, जो कि करोड़ों रुपये की है। एम्स में उससे कितने ऑपरेशन किए गए हैं, क्योंकि बाकी के दोनों अस्पतालों में वह मशीन ठीक से काम कर रही है, लेकिन यहां उसके बारे में कुछ पता नहीं है?

मैं एक मिथ दूर करना चाहता हूं कि एम्स में गरीब लोगों का अपने आप इलाज हो जाता है, ऐसा हम सोचें, तो इससे बड़ा मिथ नहीं हो सकता। हम संसद सदस्य हैं। हमारे पास सैंकड़ों लोग हर महीने आते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप सिफारिश कर दें, जिससे हमारा एम्स में इलाज हो जाए और दवाएं मिल जाएं। बगैर सिफारिश के गरीब आदमी का वहां सही ढंग से इलाज नहीं होता है। यह जब तक नहीं होगा, तब तक हम एम्स की स्थापना जिस मकसद के लिए की गई थी, उसे सफल नहीं कर पाएंगे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं पहले तो बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाया। मंत्री जी ने बहुत सही ढंग से उत्तर भी दिया और बताया कि करीब 15 लाख मरीज वहां आते हैं, उनमें से 80,000 की भर्ती कर लेते हैं। यह फिगर तो उन्होंने दी, लेकिन गरीबों का भी हम इलाज करते हैं, कितने गरीबों का इलाज किया, इसकी कोई संख्या उनके वक्तव्य में नजर नहीं आई। दिल्ली शहर में बहुत से स्टार अस्पताल हैं। जिनकी तीन-चार लाख रुपये देने की हैसियत नहीं है, वे लोग यहां आते हैं। यहां पर बीपीएल की बात हुई। जो गरीब लोग एम्स में इलाज के लिए जाते हैं या जो सीजीएचएस से कवर होते हैं, वे वहां जाते हैं, उनकी भी बात हुई। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएल के अन्तर्गत नहीं आते हैं और इलाज कराना उनके लिए कठिन काम है। ऐसे लोगों का भी इंतजाम कराना क्या सरकार का दायित्व नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे गरीब लोगों की तादाद क्या है जिनका आप एक साल में इलाज करते हैं और ऐसे लोगों की तादाद क्या है जो न बीपीएल हैं और न ही एक पैसा अपनी जेब से खर्च करने की हैसियत रखते हैं तथा ऐसे लोगों की तादाद क्या है जो न इंश्योरेंस के तहत और न ही सीजीएचएस के तहत कवर होते हैं।

माननीय माकन जी ने बहुत अच्छी बात उठाई कि सफदरजंग अस्पताल में छापे पड़ रहे हैं कि उन्होंने डुप्लीकेट मशीनें अस्पताल में लगाई हैं। बहुत सारे आरोप एम्स पर भी लगते रहे हैं कि मशीनें डुप्लीकेट हैं या खराब पड़ी रहती हैं या जो शोध का पक्ष है या पढ़ाई का पक्ष है उसमें भी शिथिलता है। मेरा कहना यह है कि वहां मुफ्त में गरीबों का इलाज होना चाहिए और जो संपन्न लोग भी हैं उनके ऊपर भी इतना चार्ज नहीं लगाना चाहिए जिससे वे मजबूर होकर स्टार अस्पतालों की ओर रुख करें। हालांकि स्टार अस्पतालों को भी जो जमीन दी गई वह इस शर्त पर दी गई कि वे गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। लेकिन जब उनसे गरीबों की संख्या पूछी जाती है तो वे जिन गरीबों ने उनके अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया, उनकी संख्या नहीं बता पाते हैं। इसीलिए उनके सब एलाटमेंट

[श्री मोहन सिंह]

खारिज हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में गरीबों को सरकारी अस्पतालों में जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। ऐसी हालत में रेशनलाइजेशन का भी कुछ रेशनेल होना चाहिए। रेशनलाइजेशन के नाम पर रेशनेल को छोड़ दिया जाए और गरीबों को वहां इलाज के लिए बाध्य किया जाए, मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है। इसलिए मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें।

श्री मानवेन्द सिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह हमारे शाहजहांपुर के माननीय मित्र ने भी उठाया है कि एम्स की जो संस्थाएं अन्य राज्यों में काम करने वाली थीं, उनका क्या हुआ? पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में भी एम्स का अस्पताल खुलना था उसका क्या हुआ? उसके लिए भूमि भी आवंटित हो गई थी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एम्स की सुविधाएं गरीबों को भी उपलब्ध करानी हैं। एम्स की सुविधाएं केवल दिल्ली में ही नहीं अन्य प्रांतों और नगरों में भी होनी चाहिए। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बहुत दुःखद घटना हुई। एक मरीज की आंख चींटियों ने खा ली और उसकी मृत्यु हो गई। एम्स की सुविधाएं अन्य प्रांतों में हो सकें, इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं कि एम्स की संस्थाएं अन्य प्रांतों में कब खुलने वाली हैं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, इससे पहले क्या मैं एक बात कह सकता हूं? मुझे एक टिप्पणी करते हुए खेद है। मैं उन सभी बातों में नहीं जा रहा। उन्हें भी प्रश्न पूछने दें। किन्तु नियम यह प्रावधान करता है कि पहले जो प्रश्न करता है उसे छोड़कर सिर्फ चार व्यक्ति प्रश्न पूछ सकते हैं। वह एक बात है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मसला ऐसा है जो सारे देश से जुड़ा हुआ है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि आप इसे नियम 193 के अधीन लेते हैं और सबको इस पर चर्चा करने की अनुमति देते हैं। इस पर चर्चा की अनुमति सबको दी जा सकती है। मुझे यहां विशेष रूप से बुलाया गया है। मैं यहां बैठा हूं। मुझे कुछ और भी करना है। मैंने सोचा कि सिर्फ चार सदस्य ही बोलने जा रहे हैं। मैं यहां आया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि आपको चार बजे जाना है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : फिर, मैं जा सकता हूं। मैं अभी जाऊंगा।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। इसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए यह एक महत्वपूर्ण मसला है और सदस्यों को पूछने का अवसर मिलना चाहिए। उन्हें भी प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इनको ऐज ए स्पेशल केस अलॉउ किया है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, एम्स में जो चार्ज लगाए गए हैं, उससे गरीबों के साथ अन्याय किया गया है। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि एम्स में जो भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या है, उसमें 60 प्रतिशत लोग बिहार से आते हैं, जो गरीब हैं। ये गरीब लोग एक भी पैसा और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसे आपने बढ़ाया है। शुल्क बढ़ाने के बाद आप कह रहे हैं कि आप विशेष सुविधा देंगे। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि देश के हर एक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है और सरकार का यह दायित्व है कि हम उसे स्वास्थ्य और शिक्षा की फ्री सेवा दें। यही यूपीए सरकार का कमिटमेंट भी है और मैं समझता हूं कि उस कमिटमेंट की वादाखिलाफी होने जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में पुनर्विचार करें। एम्स के बारे में एनडीए के लोगों ने गलत बयान दिया था। छः जगहों पर शिलान्यास कर दिया और कहीं पर काम नहीं हुआ...*(व्यवधान)* आपने चुनाव प्रचार में गलत ब्यान दिया था, जनता आपको इसके बारे में बताएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर एम्स को आप बिहार में खोल देते, तो बिहार का 60 प्रतिशत गरीब और बेसहारा आपके पास नहीं आता और इतनी भीड़ नहीं लगती। मैं समझता हूं कि बिहार के अलावा 2 राज्य और हैं जहां इस तरह के प्रस्ताव हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कब एम्स चालू कराएंगे, ताकि गरीबों के साथ न्याय हो सके? साथ ही मैं चाहूंगा कि जो बढ़ी हुई राशि है, उसे आप वापस लें।...*(व्यवधान)* यह गरीबों के प्रति जायज

नहीं होगा, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस वृद्धि को आप वापस लें।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, जैसा श्री राम कृपाल जी कह रहे थे कि जो ढाई-तीन सौ किलोमीटर के सांसद हैं, उनकी बात समझ में आती है कि एम्स में मरीज का इलाज कैसे कराया जाए? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगाते हैं। लाइन भी वे लोग ही लगाते हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे होते हैं और गरीब होते हैं। दिल्ली में इतने हास्पिटल्स हैं कि वहां पर जिसके पास भी थोड़ा-बहुत पैसा है, वह उनमें जा सकता है। मैं आपको बताता हूं कि दिक्कत क्या है? अभी मेरे पास एक केस आया था, जिसमें एम्स में बाईपास पैकेज ज्यादा का था और मेट्रो का कम का था। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि आपने गरीबों के साथ एक और अन्याय किया गया है। अब हर सांसद की सिफारिश पर एक महीने में केवल एक व्यक्ति को ही आर्थिक सहायता मिलेगी यानी एक साल में हम केवल 12 व्यक्तियों को ही सिफारिश करके आर्थिक सहायता दिला सकते हैं, यह एक गंभीर अन्याय है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह दूसरा जुल्म है।

श्री संतोष गंगवार : मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें, इस वृद्धि को वापस लें। हमारे पास गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाला गरीब सहायता के लिए आता है और चाहे प्रधानमंत्री सहायता हो या स्वास्थ्य मंत्री की सहायता हो, हमारे पास सूचना यह है कि हम एक महीने में केवल एक ही व्यक्ति को आर्थिक सहायता दे पाएंगे और वह भी एक-डेढ़ लाख में से केवल 25 से 30 हजार रुपये तक ही सहायता ही जा सकती है। मैं चाहूंगा कि आप तत्काल आज से ही वृद्धि को वापस लेने की घोषणा करें।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बीमार अमीर नहीं होता, बीमार गरीब नहीं होता, बीमार तो बीमार होता है। जब यह हास्पिटल खुला था, तो हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति के लिए था। बड़े-बड़े हास्पिटल उसके बाद खुले हैं, जहां अमीर आदमी इलाज करा सकता है, अन्यथा पहले सभी को यहीं आना पड़ता था। आज भी इन्फ्लुएंस्ड लोगों को, असर वाले लोगों को, सरमाएदार लोगों को, पालिटिकल लोगों को, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोगों को प्रायरिटी मिलती है। हमारे राज्य में पहले की सरकार ने अनाउंस किया था और पैसा भी दिया था, यह सवाल नहीं है कि वह सरकार चली जाए तो दूसरी सरकार उसको क्रिटिसाइज करे, ऐसी बातें, नहीं होनी चाहिए। होना यह चाहिए कि ये कहें तो वे पूरा करें और वे कहें तो ये पूरा करें। मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट में...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखें।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैं कह रहा था कि आप हिन्दू बन गए और मैं मुसलमान बन गया। मेरे अपने जम्मू का अपग्रेडेशन उस समय कहां था, जिसका इनोग्रेशन हुआ था, जिसे पैसा एलाट हुआ था और अगर पैसे नहीं भी थे, तो क्या आज सरकार की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपग्रेडेशन दिया जाए?

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (वीरभूम) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। फीस संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव की सराहना मुझे अवश्य ही करनी चाहिए यह अच्छा मिशन है। फीस संरचना को युक्तिसंगत बनाने के नाम पर यद्यपि मंत्री जी ने नीति बताई है, हालांकि इस नीति को युक्तिसंगत नहीं बनाया गया है। महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक तृतीयक अस्पताल है। यह हमारा गौरव है। पूरे देश के 90 प्रतिशत के लगभग लोग जिनके पास कारपोरेट अस्पताल में जाने का कोई अन्य विकल्प नहीं है वे यहां सुपर स्पेशलाइज्ड उपचार के लिए आते हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन तथ्यों के प्रति सजग हैं और जब इसे युक्तियुक्त बनाया जा रहा है, 90 प्रतिशत लोगों को दर वृद्धि से मुक्त रखना चाहिए। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। समाज के संपन्न और निर्धन वर्गों के बीच पहचान करने की क्या प्रणाली होगी? एक अन्य बात यह है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मरीजों का अतिरिक्त भार वहन करना होता है। अत्यधिक भीड़भाड़ वाले बहिरंग मरीज विभाग (ओपीडी) को युक्तिसंगत बनाने के लिए उनका प्रस्ताव क्या है? यह एक तृतीयक अस्पताल है।

मेरा अंतिम प्रश्न प्रबंधन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से संबंधित है। भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है। अनेक मामले सार्वजनिक हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रबंधन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कुछ कर रही है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी

[श्री सुरेश चन्देल]

एम्स में जो चार्जेज बढ़ाए गए हैं, उसका गरीबों पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। एम्स में जिस तरीके के चार्जेज बढ़ाए गए हैं, इसी तरीके से पीजीआई चंडीगढ़ में भी बढ़ाए गए हैं। मुझे मंत्री महोदय से जानना है कि क्या ये चार्जेज बढ़ाने से पहले इंस्टीट्यूट बॉडीज में चर्चा की गई थी। हम लोग संसद में चुन कर आते हैं जिनकी बात को देखने की जिम्मेदारी है। जहां तक मेरी जानकारी है, वहां इस बात पर चर्चा नहीं हुई। 2002 में श्री शत्रुघ्न सिन्हा जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, तब भी यह विषय आया था। उस समय यह निर्णय हुआ था कि चार्जेज बढ़ाए नहीं जाएंगे। बावजूद इसके इस बार निचले स्तर पर यह निर्णय किया गया है और रेट बढ़ाने से वहां गरीबों का आना-जाना कम हो गया है जिसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जिस तरीके की फिजूलखर्ची है, उसे रोकने के लिए कोई कमेटी बना कर, बहुत सारा पैसा जैनरेट किया जा सकता है। गरीबों पर बोझ डालने की बजाय क्या इस तरीके पर विचार करके इसे एग्जामिन कराएंगे?

[हिन्दी]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नैदानिक शुल्कों में वृद्धि करने पर आपत्ति करता हूं। यह मेरा पहला प्रश्न है। इसका कारण यह है कि बाद में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि सरकार शिक्षा उपकर की तरह स्वास्थ्य उपकर लगाने जा रही है। सरकार स्वास्थ्य उपकर कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य उपकर लगाने के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के पास सुझाव गया है, यदि सरकार द्वारा यह फैसला किया जाना है कि स्वास्थ्य उपकर में दो प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच शुल्क के लिए राजसहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश में अग्रणी चिकित्सा कालेजों अथवा संस्थानों में से एक है। पिछली सरकार और वर्तमान सरकार ने वायदा किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में खोला जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह वहां खोला जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके लिए इस वर्ष बजट आवंटन कितना है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय में बोलने का मौका दिया है। डा. राम मनोहर लोहिया जी का नारा था रोटी, कपड़ा सस्ता हो और दवाई, पढ़ाई मुफ्त हो। जिस तरीके से प्रकृति ने हवा, पानी और सूरज की रोशनी मुफ्त दी है। उसी प्रकार यह सरकार कटिबद्ध है। यूपीए की सरकार ने वायदा किया था कि आम जनता को सुविधाएं पहुंचाएंगे। एम्स का शुल्क बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आठ रुपये का पर्चा एक रुपये किया है।

अपराह्न 4.00 बजे

वहां पर हॉस्पीटल बैड पर जो 50 रुपया शुल्क लिया जाता था, वह माफ कर दिया गया है। उसी प्रकार केन्द्र सरकार को भी बढ़ा हुआ शुल्क माफ करना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, हम सब यहां सांसद लोग बैठे हुए हैं, चाहे उसमें पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन सब की यह अवधारणा है कि यह शुल्क माफ होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि इस शुल्क को माफ किया जाए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि स्वास्थ्य मंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दें, मुझे आपके माध्यम से इस सभा से एक निवेदन करना है। हम कृषि क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में नियम 193 के अधीन 4 बजे चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। अब मैं इस सभा से अपील करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मैंने गंगवार जी से बात की है जिसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री जी के जवाब के बाद इंटरनल सिक्योरिटी पर बोलने वाले दो-तीन वक्ता रह गए हैं, वे बोलेंगे और उसके बाद श्री शिवराज पाटील जी का उत्तर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह बहस 4.30 बजे तक खत्म कर दें ताकि डा. अंबुमणि रामदास के जवाब के बाद नियम 193 के तहत डिस्कशन टेक अप कर सकें। मैं हाउस की सहमति के लिए यह कह रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उम्मीद करता हूं कि यह सभा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

डा. अंबुमणि रामदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अखिल भारतीय

आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने के मसले पर सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम, यह प्रभारों में वृद्धि नहीं है, यहां सिर्फ प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया गया है। दूसरा वे सिर्फ नैदानिक परीक्षणों के लिए हैं और किसी भी चिकित्सा या उपचार के लिए नहीं हैं। तीसरा, अनेक नैदानिक परीक्षण हैं जिनके लिए दर में कमी आई है और कुछ में इसमें वृद्धि हुई है। चौथा, गरीबी रेखा के नीचे के सभी मरीजों के लिए, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। यह सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे के मरीजों पर लागू नहीं है अपितु, निर्धन मरीजों पर भी लागू है जो नैदानिक परीक्षण की लागत का वहन नहीं कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कैसे?...*(व्यवधान)* उनकी संख्या कितनी है?...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : मैं उस पर आऊंगा। आप इतने अधीर क्यों हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : वह उनकी संख्या जानना चाहते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं उस पर आऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जिनका उपचार किया गया है उसमें गरीबी रेखा के नीचे के मरीजों, गरीब मरीजों, मध्यमवर्गीय मरीजों, किसानों इत्यादि की संख्या कितनी है?

डा. अंबुमणि रामदास : मैं उस पर आऊंगा।...*(व्यवधान)* मुझे अपने प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। कृपया मेरी बात सुनें।

महोदय, कैजुएल्टी में सभी आपातकालीन मामलों में सभी नैदानिक प्रभारों, चाहे वे कोई भी हैं अथवा वे क्या हैं, उनके लिए हर चीज निःशुल्क है। इसलिए गरीबीरेखा के नीचे के मरीजों के लिए सभी गरीब मरीजों के लिए सभी आपातकालीन मामलों के लिए हर चीज बिल्कुल मुफ्त है। हम केवल उनसे रुपये ले रहे हैं जो दे सकते हैं। फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सभी संकाय सदस्यों के पास यह विवेकाधिकार है कि वे नैदानिक प्रभार की फीस माफ कर सकते हैं।

महोदय, इन शुल्कों को लगभग 12 वर्ष पूर्व युक्तिपूर्ण बनाया गया था। शुल्कों को युक्तिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया लगभग दो वर्ष पूर्व शुरू की गई थी और मैंने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व कार्यभार संभाला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मूल रूप से एक अनुसंधान इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। चूंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि जैसे पड़ोसी राज्यों में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। कई मरीज एम्स में अपना इलाज कराने आते रहे और उनका उपचार किया गया। इसके अतिरिक्त हम एम्स में आने वाले किसी रोगी का उपचार करने से मना नहीं करते हैं। 12 वर्षों के अन्तराल के बाद हमने केवल इन शुल्कों को युक्तिपूर्ण बनाया है।

महोदय, मैं यह पुनः दोहराना चाहूंगा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसी रोगी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अतः मुझे नहीं लगता कि इस युक्तिकरण से कोई गरीब रोगी प्रभावित होगा। निश्चित रूप से कोई गरीब रोगी प्रभावित नहीं होगा। कई ऐसी नैदानिक प्रक्रियाएं हैं जिनकी दरें कम की गई हैं।

एम्स में आने वाले रोगियों की संख्या के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यहां आने वाले कई रोगी ऐसे हैं जो काफी व्यय कर सकते हैं। लेकिन यह केवल धन का प्रश्न नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इस देश में सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन फिर भी, हमें संयज गांधी इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल हैदराबाद, जहां आपको दाखिले के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, सहित पूरे देश में इन प्रक्रियाओं को युक्तिपूर्ण बनाना होगा। राज्य सरकारें भी ऐसा कर रही हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें अन्य अस्पतालों से तुलना नहीं करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, एम्स में प्रतिदिन लगभग 3500 दुपहिए और चार पहिए वाले वाहन आते हैं। कई लोग महंगी कार में आते हैं। हम उनसे गरीब लोगों की सहायता करने हेतु कुछ धन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रश्न केवल धन का नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि यह प्रक्रिया दो वर्ष पूर्व शुरू की गई थी और मैंने इसे शुरू नहीं किया है। यह केवल स्थिति को युक्तिपूर्ण बनाने से संबंधित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए किसी गरीब रोगी से शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

जहां तक गरीब रोगियों अथवा मजदूरों इत्यादि का प्रश्न है, हमारे पास इन रोगियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। इनकी संख्या अत्यधिक है। यहां रजिस्टर उपलब्ध है और मैं इनकी संख्या का पता लगाकर माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उनके पास आंकड़ा होना चाहिए...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, यह नीति है कि किसी गरीब रोगी से शुल्क नहीं लिया जाएगा। हताहत और आपातकाल विभाग में किसी रोगी से कोई शुल्क नहीं वसूल किया जाता है। अतः मुझे

[डा. अंबुमणि रामदास]

यह समझ में नहीं आ रहा है वे इसके बारे में क्यों चिंतित हैं। निश्चित रूप से यूपीए की सरकार गरीबों के लिए है और इसकी नीतियां भी गरीबों के लिए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : मैं आपको इसका विवरण दूंगा। यह एक विस्तृत आंकड़ा है। मैं सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्य को दूंगा।...*(व्यवधान)* मैं इसका पता लगाकर माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हास्पिटल नार्म्स का पैरामीटर क्या है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : कोई पेशेन्ट पैदल तो नहीं आएगा। वह किसी न किसी गाड़ी में ही आएगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही है।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : बीपीएल कार्डधारक गरीब रोगियों को छूट दी गई है। यदि उनके पास कार्ड नहीं भी हैं और यदि संकाय के विचार में रोगी गरीब माना जाता है तो उसे भी छूट दी जाएगी। यह इतनी सीधी बात है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : यह व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। यदि संकाय के विचार में रोगी गरीब है तो उसे छूट दी जाएगी। इसके लिए कोई कठोर स्थापित नियम नहीं है। यूपीए सरकार की मूल नीति देश भर में रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और जो इनकी लागत वहन नहीं कर सकते उन लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम निश्चित रूप से इसके प्रति कटिबद्ध हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब मैं एम्स जैसे छः नए संस्थानों की चर्चा करूंगा। कई मुद्दे उठाए गए थे...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य के इस प्रश्न कि गरीब रोगियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने हेतु क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं हम निश्चित रूप से इसके प्रति चिंतित हैं और हम एम्स की सेवाओं में विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। आज एम्स में 2000 बिस्तर हैं और आगामी कुछ महीने में हम इसमें 420 बिस्तर की वृद्धि करने जा रहे हैं। यह प्रथम चरण का कार्य है। इसके पश्चात् हमने एक विशाल परियोजना बनाई है जिसके अन्तर्गत हमने लगभग 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हम इस पर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। भूमि की कठिनाई है। लेकिन हम इसके लिए तरीके निर्धारित कर रहे हैं। यहां एक नाला भी है। भूमि की पहचान की जानी है।

इस समय हम विस्तार के चरण में हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, प्रति वर्ष लगभग 15 लाख रोगी आ रहे हैं। यह संख्या अत्यधिक है। महोदय लगभग 80,000 रोगी दाखिले की स्थिति में रहते हैं। हम इसके प्रति चिंतित हैं। जहां तक एम्स जैसे इन छः संस्थानों का प्रश्न है इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है। मंत्रिमंडल ने सचिवों की एक समिति को भेजा है और उसने सिफारिश की है। मैं इसे पुनः मंत्रिमंडल के समक्ष यथाशीघ्र रखने का प्रयास करूंगा और इसकी प्रक्रिया चल रही है। हम इसके प्रति कटिबद्ध हैं। हम एम्स जैसे इन छः संस्थानों की स्थापना करने जा रहे हैं। यह कुछ समय की बात है और हम इसकी रूपरेखा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक परियोजनाओं के उदार रूप से वित्त पोषण का प्रश्न है निश्चित रूप से हमें अधिक धन की आवश्यकता है। वास्तव में प्रत्येक वर्ष के अन्त में गैर-योजना में हम एम्स को दिए जाने वाले बजट से दो गुणा बजट देते हैं। अतः हम एम्स को धन देने में अत्यधिक उदार हैं क्योंकि यहां कई गरीब रोगी आते हैं। हमारे पास गैर-योजना के लिए धन की कोई सीमा नहीं है। गत वर्ष के लिए वास्तव में हमने गैर-योजना धन को दो गुणा कर दिया था। अतः धन की समस्या नहीं है लेकिन हमें विस्तार के लिए सेवाएं भी देनी होंगी। निश्चित रूप से व्यवस्था तैयार करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है किसी भी कार्ड धारक अथवा गैर कार्ड धारक जो

संकाय के विचार में व्यय वहन नहीं कर सकता है को छूट दी जाएगी। निदेशक ने सभी व्यक्तियों को सभी संकायों को इस मुद्दे पर ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया है कि यदि कोई रोगी उपचार का व्यय वहन नहीं कर सकता है तो उसे नैदानिक प्रक्रियाओं के शुल्क में छूट दी जाएगी।

श्री मल्होत्रा जी ने कहा है कि मध्यम वर्ग के लिए दरों में वृद्धि की जानी चाहिए। हमारे विचार में गरीब रोगियों और मध्यम वर्ग के ऐसे रोगी जो व्यय वहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें इन शुल्कों में छूट दी जाएगी। सरकार भी अधिक धन उपलब्ध कराएगी। हम अधिक धन की व्यवस्था कर रहे हैं और हम एम्स का विस्तार कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री जितिन प्रसाद ने आम व्यक्तियों की समस्याओं का उल्लेख किया है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अथवा गरीब रोगी इससे प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि रोगियों की संख्या में कमी आई है। यह गलत है, इसमें कमी नहीं आई है, वास्तव में इसमें काफी वृद्धि हुई है। वास्तव में एम्स के सभी चिकित्सकों के बावजूद कठिनाई होती है क्योंकि देश के सभी भाग से रोगी यहां आते हैं। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में गरीब व्यक्तियों के लिए बिस्तर किराए की दर कम है। जैसा कि श्री बसुदेव आचार्य जी ने कहा है, ह्रदय संबंधी उन प्रक्रियाओं जिन पर अन्यत्र उसे 5 लाख रुपये का व्यय होता है, का यहां निःशुल्क है। महोदय, यह केवल धन का प्रश्न नहीं है। हम निश्चित रूप से गरीब रोगियों पर ध्यान दे रहे हैं। हम इसकी निश्चित रूप से निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री सरणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि एम्स में नई तकनीकी लाई जानी चाहिए। एम्स में देश में श्रेष्ठतम तकनीकी हैं। कई नए उपकरण लगाए गए हैं। यह अत्याधुनिक अस्पतालों में से एक है और यहां अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराया जाता है। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने गरीबी से नीचे रहने वाले मरीजों के लिए छूट के बारे में बात की। मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया है। श्री अजय माकन ने पूछा कि अनुसंधान पर खर्च किए जा रहे धन की प्रतिशतता क्या है। मैं पुनः अनुसंधान पर खर्च किए जा रहे धन की प्रतिशतता के बारे में सूचना प्राप्त करूंगा और उसके बाद मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा है यह संस्थान एक अनुसंधान संस्थान के रूप में शुरू किया गया था। फिर यह स्वास्थ्य देख-रेख के लिए एक अस्पताल बना यद्यपि इसका एक कार्य रोगियों का उपचार करना भी है तथापि अनुसंधान कार्य गौण हो गया। अब, हमें सारे अनुसंधान कार्य फिर शुरू करने हैं और हमने इस दिशा में काफी कार्य शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कुछ मशीनें खराब हैं जिनमें से एक पीईटी है। पीईटी बेकार नहीं पड़ी हुई है। इसके परीक्षण किए जा रहे हैं। यह नई मशीन है। शीघ्र ही यह पूरा कार्य करने लगेगी। इस समय, इसका परीक्षण किया जा रहा है। वास्तव में, यह कहा गया है कि बिना सिफारिश के गरीब मरीजों का इलाज नहीं होता है। मैं इससे इन्कार करता हूं किस प्रमाण पत्र के अनुसार उन्हें इलाज उपलब्ध होता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है चाहे सिफारिश हो या न हो। श्री मोहन सिंह ने पुनः वही प्रश्न पूछा जिसे श्री बसुदेव आचार्य ने पूछा था कि कितने गरीब मरीजों का इलाज होता है। निश्चय ही मैं यह सूचना प्राप्त करूंगा और मैं माननीय सदस्यों को इसकी सूचना दूंगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की तरह छह नए संस्थानों की स्थापना के बारे में पूछा गया। श्री राम कृपाल यादव ने भी इसी तरह के छह नए संस्थानों के बारे में पूछा है—मैंने पहले ही कहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे इन छह नए संस्थानों में से वे एक बिहार में चाहते हैं। वास्तव में, हमें बिहार में जमीन अभी भी नहीं मिली है। हमें एक-तिहाई जमीन मिली है। शेष दो-तिहाई जमीन हमें बिहार में नहीं मिली है। श्री संतोष गंगवार ने शुल्क वृद्धि को वापस लेने को कहा है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : उसी समय भूमि दे दी गई थी।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जमीन दी गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, हम बिहार सरकार के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने भूमि प्रदान करने का वादा किया है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनका उत्तर सुनें।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : श्री संतोष गंगवार ने मूल्यों को वापस लेने की बात कही है। मैंने पहले ही सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और कहा कि सभी गरीब रोगी प्रभावित नहीं होंगे।

[डा. अंबुमणि रामदास]

डा. रामचन्द्र डोम ने नीति में परिवर्तन के बारे में बात की। जो भी हो किसी भी नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। वह यह भी जानना चाहते थे कि भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमने बाल चिकित्सा के लिए अलग से बहिरंग विभाग बनाया है और हम सभी प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, विस्तार के साथ-साथ भीड़ भविष्य में उचित समय पर कम हो जाएगी।

श्री सुरेश चंदेल ने पूछा कि क्या संस्थान में इसके बारे में चर्चा की गई थी। हां, इन सभी मुद्दों पर संकाय सदस्यों के साथ चर्चा की गई थी। अधिकांश संकाय सदस्यों ने इसकी सहमति दे दे थी और कहा था कि इसे समाप्त होना चाहिए। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। इस पर निर्णय लेने से पहले संस्थान में विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई थी।

श्री विक्रम देव ने स्वास्थ्य उपकर के बारे में कहा है। मैं अभी तक इससे अवगत नहीं हूं। मैं वित्त मंत्री से पूछूंगा और हो सकता है कि मुझे इसके बारे में और सूचना मिले जो मैं आप सबको दूंगा। जहां तक रियायती दर की बात है, इस पर पहले ही रियायत मिली हुई है और वास्तव में हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों को निशुल्क एक अच्छी चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं। जैसा कि मैंने भुवनेश्वर के बारे में कहा है देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे छह से आठ संस्थान जो खुल रहे हैं उसमें से एक भुवनेश्वर में होगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कुछ मुद्दे उठाए थे जिस पर पहले ही ध्यान दिया गया है।

महोदय, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि संप्रग सरकार इस बारे में बहुत चिन्तित है और यह गरीबों के पक्ष में है। निश्चय ही, गरीब रोगियों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों या अन्य कोई व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे है या ऐसा व्यक्ति जो इस इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकता, को परेशानी का कोई सवाल ही नहीं है और हर व्यक्ति निशुल्क इलाज प्राप्त करेगा।

मेरे विचार से मैंने सभी माननीय सदस्यों की चिन्ताओं पर ध्यान दिया है। वास्तव में संप्रग सरकार पूरी तरह गरीबों के पक्ष में है। निश्चय ही हमें इसकी चिन्ता है और हम गरीबों के प्रति अन्याय नहीं करेंगे।

अपराह्न 4.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 15 लेंगे। आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन सभी मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

[हिन्दी]

(एक) झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधान सभा निर्वाचन, 2005 के दरम्यान बोकारो दौरे के क्रम में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार 10 मिलियन टन तथा प्लांट द्वारा विस्थापितों की समस्या का समाधान किया जाएगा। बोकारो में बड़े पैमाने पर भूमि अधिगृहीत की गई है, जिसके चलते 64 ग्राम विस्थापित हुए थे। उक्त 64 ग्रामों में से बहुत से ऐसे ग्राम हैं जो केवल कागजी रूप से अधिगृहीत हैं। ग्रामीण ज्यों के त्यों पूर्ववत उसी ग्राम में उसी मकान में रहते आ रहे हैं। उन्हें न ही पुनर्वास के लिए भूखंड दिया गया है, न ही विस्थापन की सुविधा। अधिगृहीत भूमि का एक बहुत बड़ा भाग सालों से बोकारो स्टील प्लांट के उपयोग में नहीं है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि यदि बोकारो स्टील संयंत्र के विस्तार की योजना हो तो शीघ्र उसका डीपीआर तैयार कराया जाए। यदि विस्तार की योजना नहीं हो तो अनुपयुक्त भूमि को पूर्व के रैयत को लौटा दी जाए क्योंकि उक्त ग्रामों का विकास पूर्णतः अवरुद्ध है तथा ग्रामीण नारकीय जीवन जी रहे हैं।

[अनुवाद]

(दो) पलानी में न्यायालय भवन के निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेन्थन (पलानी) : मेरे पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पलानी तमिलनाडु का एक प्राचीन पर्वतीय शहर है जो कि भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान है। पलानी में दण्ड न्यायालय और सिविल न्यायालय दो अलग-अलग स्थानों पर चल रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तालुक कार्यालय परिसर में

*सभा पटल पर रखे माने गए।

कार्य कर रहा है। जिला मुन्सिफ न्यायालय और उप न्यायालय एक अलग भवन में डिन्डीगल रोड पर चल रहा है। राज्य सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा 1984 में एक नए भवन का निर्माण किया गया और उसी वर्ष जिला मुन्सिफ न्यायालय उसी परिसर में स्थापित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 में पलानी के लिए उप न्यायालय की अनुमति दी और उच्च न्यायालय भी उसी भवन के एक भाग में कार्य करना शुरू किया। न्यायालय और विधिक सहायता केन्द्र उसी भवन में चल रहे हैं।

चूंकि भवन में ग्रन्थालय ओर 'बार रूम' का कोई उपबंध नहीं है। मैंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से 'ग्रन्थालय हाल' का निर्माण करने के लिए 5 लाख रुपये आवंटित किए हैं और डिन्डीगुल जिला कलेक्टर के प्रशासनिक अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

हाल ही में मूसलाधार वर्षा और बाढ़ से भवन लगभग क्षतिग्रस्त है और यह वकीलों, न्यायाधीशों और मुवक्किलों के लिए खतरा है। तमिलनाडु सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था और वह अभी तक लंबित है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसकी सिफारिश की थी। आज तक सरकार ने पलानी में संयुक्त न्यायालय भवन के निर्माण के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की है।

मैं माननीय विधि तथा न्याय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और पलानी में संयुक्त न्यायालय भवन की स्थापना हेतु अविलम्ब कार्यवाही करें।

(तीन) दिल्ली में इन्द्रलोक और मोतीनगर को मैट्रो रेल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, राजधानी दिल्ली में मैट्रो रेल चलाने से यात्रियों की सुविधाएं बढ़ी हैं तथा साथ में सरकार का रेवन्यू भी बढ़ा है। कई मैट्रो लाइनों का निर्माण प्रगति में है। बाराखंभा–रोहिणी–द्वारका लाइन अतिशीघ्र चालू होने की संभावना है तथा शाहदरा–रिठाला लाइन पहले से ही चल रही है। इन दोनों को जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसे पश्चिम दक्षिण केन्द्र तथा पूर्वी दिल्ली जोन से जोड़ा जा सके। इसके समाधान के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि शाहदरा से रिठाला के मध्य इन्द्रलोक से बाराखंभा–रोहिणी–द्वारका लाइन को मोती नगर से जोड़ने में समाधान है। यह दूरी केवल 3 किलोमीटर है तथा इसके निर्माण के लिए जनसुविधा को मद्देनजर रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

अतः मैं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस सुझाव पर विचार कर अतिशीघ्र 3 किलोमीटर, चन्द्रलोक–मोतीनगर के बीच, मैट्रो लाइन की स्वीकृति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

(चार) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्युत विभाग में अस्थायी और दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : 1990 के दशक के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन के विद्युत विभाग ने विभिन्न योजना स्कीमों जैसे विद्युत गृहों की स्थापना, टी एण्ड डी प्रणाली का निर्माण, अक्षम ऊर्जा प्रणाली की स्थापना और सर्विस कनेक्शन एवं स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करना आदि के क्रियान्वयन के लिए दैनिक मजदूरों को नियुक्त किया था। इनमें से कुछ दैनिक मजदूरों को वर्ष 1993 में अस्थायी तौर पर रख लिया गया। जहां तक मैं समझता हूं आज की तिथि के अनुसार इस विभाग में लगभग 677 मजदूर अस्थाई हैं। समय–समय पर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने इस मामले में गृह मंत्रालय से बात की है जिसने यह मामला विद्युत मंत्रालय के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेज दिया है। गृह मंत्रालय को विद्युत मंत्रालय के निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। महोदय, मैं एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 1999 में गृह मंत्रालय ने उन नैमित्तिक कामगारों जो पहले 1980 में इस विभाग में नियुक्त किए गए थे, को नियमित करने हेतु वेतनमान रुपये 2550–3200 में समूह 'घ' के 964 मजदूरों के पदों के सृजन की निम्नलिखित शर्तों के साथ मंजूरी दी थी।

(एक) ये पद अस्थायी स्थिति धारण करने वाले नैमित्तिक कामगारों के लिए उस समय तक व्यक्तिगत माना जाएगा जब तक उन्हें नियमित रिक्तियों/सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों के साथ समायोजित नहीं कर दिया जाता है; और

(दो) भावी पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि की स्थिति में ये पद समाप्त हो जाएंगे।

इसी प्रकार, मेरी दृढ़ राय है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्युत विभाग में इन मजदूरों की लंबी सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान स्थिति का समाधान संवदेनशीलता एवं दया के साथ किए जाने की आवश्यकता है। थोड़ा और प्रयास करने से उचित अधिसूचना जारी करना संभव हो सकेगा।

(पांच) राजस्थान में कतिपय कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, ग्वार, मोठ, धनिया और जीरे के उत्पादन में राजस्थान प्रदेश का देश में अग्रणी स्थान है। देश के ग्वार उत्पादन का 80 प्रतिशत राजस्थान में उत्पन्न होता है। मोठ के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है। मोठ के अन्तर्गत गत पांच सालों का औसत बुवाई क्षेत्रफल 8.69 लाख हैक्टेयर है तथा प्रति वर्ष 1.20 लाख मै. टन मोठ का उत्पादन होता है। ग्वार के अन्तर्गत बुवाई क्षेत्रफल 20.56 लाख हैक्टेयर तथा उत्पादन 3.77 लाख मै. टन प्रति वर्ष है। जीरा तथा धनिया के अन्तर्गत विगत पांच सालों का औसत बुवाई क्षेत्रफल क्रमशः 2.35 तथा 1.66 लाख हैक्टेयर तथा औसत उत्पादन क्रमशः 0.75 तथा 1.68 लाख मै. टन है। धनिया तथा जीरा के अन्तर्गत कुल बुवाई क्षेत्रफल लगभग 4 लाख हैक्टेयर है तथा लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की जीविका इस पर निर्भर करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसबगोल एवं मेथी राजस्थान की महत्वपूर्ण औषधि/मसाला फसलें हैं। इन फसलों के अन्तर्गत विगत पांच साल का औसत बुवाई क्षेत्रफल क्रमशः 88000 व 470000 हैक्टेयर तथा औसत उत्पादन 60000 व 54000 मैट्रिक टन है। भारत सरकार द्वारा अभी तक इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करवाएं ताकि किसानों को लाभकारी भाव मिल सकें।

(छह) देश में खादी बुनकरों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोले) : मैं खादी उद्योग की समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत 100 वर्षों से खादी उद्योगों को घरेलू और विदेशी दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वे आज भी अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परन्तु वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस परिवर्तित परिदृश्य में मशीन द्वारा चालित कपड़ा मिलों से प्रतिस्पर्द्धा, उपयुक्त सरकारी सहायता की कमी और अन्य कारणों से इस क्षेत्र की समस्याएं कई गुणा बढ़ गई हैं। इसके कारण लोगों में दरिद्रता और भुखमरी की स्थिति आ गई है तथा दैनिक कामगारों के रूप में उनका दूसरे स्थानों की ओर पलायन हो रहा है।

इसके मद्देनजर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह खादी के लिए बाजारों के कतिपय क्षेत्रों को आरक्षित रखे जैसे कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए खादी पोशाक को अनिवार्य बनाया जाना। ऐसे कार्यक्रमों से लाखों गरीब खादी कामगारों को राहत मिलने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आएगी और रोजगार के अनेकों अवसर सृजित होंगे। इससे युवाओं में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना का संचार भी होगा। मैं पुनः सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करे और खादी उद्योग की सहायता करें जो कभी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी।

(सात) राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल को एम्स का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हैं और जो उपकरण अतिआवश्यक हैं, उनको खरीदने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नए वार्डों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसलिए हर दृष्टि से अस्पताल की व्यवस्था जो अच्छे डाक्टरों के कारण अति उत्तम है, इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा दिया जाना अतिआवश्यक है। जिससे कि दिल्ली की भीड़ कम हो सकेगी और एम्स की भांति राजस्थान के लोगों को सुविधा मिल सकेगी।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सवाई मानसिंह अस्पताल को शीघ्र ही एम्स का दर्जा दिया जाए।

(आठ) हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी, परागपुर, ज्वालामुखी और रानीताल को जोड़ने वाली रेल लाइन की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और रेल मंत्री जी का ध्यान हिमाचल प्रदेश में आजादी से अब तक रेलों के नगण्य विस्तार की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि निर्माणाधीन एकमात्र ब्रॉडगेज रेल लाइन ऊना-तलवाड़ा वर्तमान में ऊना से चुरूडू तक बन चुकी है और अम्ब से तलवाड़ा तक का कार्य प्रगति पर है। मेरा आग्रह है कि इस रेल लाइन को अम्ब से चिंतपूर्णी, परागपुर (हैरीटेज विलेज), नादौन और ज्वालामुखी होते हुए रानीताल तक बनाया जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा और हिमाचल प्रदेश की सरहद से निकलने के साथ-साथ यह हिमाचल के बीच से निकल सकेगी, जिसका लाभ हिमाचल निवासियों को मिलेगा। इससे हैरीटेज विलेज परागपुर तथा

हमीरपुर जिले के तहसील मुख्यालय नादौन के साथ-साथ ज्वालामुखी, बृजेश्वरी एवं चिंतपूर्णी आदि विश्व विख्यात देवियों के धार्मिक स्थल भी जुड़ेंगे और रेलवे की आय भी बढ़ेगी।

(नौ) देश में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, देश में अचानक रासायनिक खाद की आपूर्ति में आई कमी से समय पर किसानों को खाद नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी देखने को मिली है। ज्ञात हुआ है कि देश के उत्पादकों ने खाद बनाना बंद कर दिया है जिससे विदेश से खाद की आपूर्ति की जा रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी खाद किस भाव से विभिन्न देशों से खरीदी गई है। सरकार को उन कारणों की जांच करनी चाहिए जिनके चलते देश में खाद का उत्पादन बंद हो गया है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए समुचित उपाय किए जाएं।

(दस) घरेलू लघु उद्योगों को रियायती दरों पर कोयले की आपूर्ति करके उनके हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश के विकास तथा रोजगार सृजन में लघु उद्योगों की विशेष भूमिका रही है। अल्प निवेश कर देश के छोटे शहर तथा ग्रामों में लघु उद्योग फैले हैं। देश की प्राथमिकता के अनुसार उत्पाद तथा रोजगार उपलब्ध कराने वाले लघु उद्योगों के विकास तथा विपणन के लिए सरकार द्वारा बढ़ावा देना एवं संरक्षण देना अभिप्रेत था, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस नीति के अन्तर्गत कई निर्णय लिए गए, क्योंकि देश में करीब 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य लघु उद्योगों द्वारा हो रहा है। यह देखते हुए इस सरकार से भी लघु उद्योगों को यही अपेक्षा है, लेकिन पिछले कई दिनों से कोयला नीति में भारी परिवर्तन कर ई-आक्शन प्रणाली द्वारा कोयला निलामी करने से कोयला आधारित लघु उद्योग रुग्णता की तरफ बढ़ रहे हैं।

ई-आक्शन प्रणाली द्वारा कोल इंडिया को भले ही लाभ दिखाई दे रहा हो लेकिन लघु उद्योगों की कीमत पर फायदा बड़ा नहीं हो सकता। कोयला मंत्रालय के उक्त निर्णय के कारण रुग्णता की ओर बढ़ रहे लघु उद्योगों के श्रमिकों पर भी इसका कुप्रभाव है, वे बेरोजगारी के संकट को झेलने पर मजबूर हो उठे हैं। कोयला मंत्रालय कोर व नॉन कोर सेक्टर के नाम से कोर सेक्टर (विद्युत, इस्पात, सीमेंट) उद्योगों को फ्लोर रेट पर कोयला उपलब्ध करा रहा है। नॉन कोर सेक्टर जिसमें लघु तथा मझौले उद्योग शामिल हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धा से ई-आक्शन से महंगा कायेला खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। आज चीन जैसे राष्ट्रों द्वारा अपने लघु उद्योगों के बलबूते पर विश्व बाजार में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास देखते हुए तथा भूमंडलीकरण के कारण अपने लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में सुदृढ़ रखने के लिए भी उन्हें कोयला सस्ते दाम पर देना आवश्यक होगा। इसी नीति से ही लघु उद्योगों का संरक्षण होगा।

(ग्यारह) राजस्थान के नागौर जिले के मेडता में भूमिगत कोयले का दहन करने की पद्धति द्वारा बिजली का उत्पादन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 25 सालों से भी अधिक समय हो गया है जब कोल इंडिया लि. मेडता जिला नागौर, राजस्थान के कोयले की जानकारी हेतु कुएं खुदवाए थे। इसी कोल्स लि. ने वर्ष 1995 में रूस के विशेषज्ञ दल को, जो कि स्कोचिन स्कोई इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग व वीओ मशीनोम्पोट, जो रूस की कम्पनी है, को उक्त कोयले के कुओं के संबंध में किस तरह से कोयले का उपयोग लिया जा सकता है। विशेषज्ञ रिपोर्ट बनाने के लिए नियुक्त किया। कोल्स इंडिया लि. को जानकारी थी कि उक्त भू-भाग में जो कोयला मिला है वह अच्छी श्रेणी का नहीं है तथा भूमि से कोयला बाहर निकालने में अत्यधिक खर्चा आएगा। इस कम्पनी ने कोयले की गैस से विद्युत उत्पादन हेतु जानकारी देने की विशेषज्ञ रिपोर्ट देने हेतु कहा गया था। उक्त विशेषज्ञ दल के दिनांक 21.2.1995 को अपनी रिपोर्ट तैयार की व कोल इंडिया लि. को प्रस्तुत की। इस संबंध में पूर्व में भी मैंने राजस्थान सरकार के माध्यम से वहां विद्युत उत्पादन परियोजना लगाने के लिए चेष्टा की थी। परन्तु, किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हुआ। ऐसी ही परिस्थितियों में अब ऑयल और गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) भारत ने पब्लिक सेक्टर में कोल्स इंडिया लि. व नेवेली लिग्नाइट का. लि. के सहयोग से एक योजना जो कि भूमि गत कोयले को जलाकर गैस उत्पादन कर विद्युत पैदा करने की बनाई है, जैसा कि मुझे समाचार पत्र बिजनिस स्टैण्डर्ड-14 दिसम्बर, 2004 के पृष्ठ 14 पर छपने से ज्ञात हुआ है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान में मेडता जिला नागौर में इसी विधि से विद्युत उत्पादन करने के लिए कोल्स इंडिया लि. को आवश्यक निर्देश दें।

(बारह) निजी क्षेत्र के उद्योगों के अधिक से अधिक कर्मचारियों और कर्मकारों को शामिल करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करके बोनस के लिए हकदारी मानदंड को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा) : बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के माध्यम से सीमा अधिरोपित किए जाने के कारण निजी क्षेत्र के उद्योगों में अधिसंख्य कर्मचारी और कामगार बोनस से वंचित हो गए हैं। चूंकि निर्वाह लागत में वृद्धि होने के कारण कई कामगारों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। अतः बोनस संदाय के लिए वेतन की अधिकतम सीमा बढ़े हुए वेतन के अनुरूप बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि अधिकतम बोनस की सीमा भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। अतः देश में रुपये में हो रहे लगातार अवमूल्यन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर बोनस पात्रता के मौजूदा मानदंड 3500/- रुपये प्रति माह को बढ़ाने और बोनस राशि की सीमा को बढ़ाकर 7500/- रुपये करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 पर संशोधन विधेयक लाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

(तेरह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय जातियों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गत सालों में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने हेतु विभिन्न राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विधिवत सर्वे करा कर, अपनी संस्तुति के साथ केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारें भेजी हैं, पर केन्द्र सरकार उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंध में प्रस्तावित निर्णय लेने में देरी के कारण लाखों लोगों को सुविधा मिलने में देरी हो रही है। मेरा मानना है कि जिन जातियों को अनुसूचित जाति में बहुत पहले ही शामिल कर लेना चाहिए था, वे अभी भी अधर में लटक रही हैं, अन्य राज्यों में उनमें से कई जातियां पहले से ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं पर कुछ राज्यों में वे आज भी उक्त सूची में शामिल नहीं हैं। आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी जातियां और भी पिछड़ती जा रही हैं, इस तरह उन जातियों के लाखों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि वे जातियां सरकारों द्वारा जारी आरक्षण संबंधी सुविधाओं से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ जातियां—केवट, निषाद, बिंद धीवर, धीमा, मछुआ, कश्यप व चिक, चाक, हिन्दू चिकवा को भी इसी प्रकार अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार की अभी तक मंजूरी न मिल पाने के कारण उन जातियों के हजारों लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी ऐसे जातियों को जिनको केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु राज्य सरकारों से अनुशंसा प्राप्त हो चुकी हैं, को अविलम्ब अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

(चौदह) नीम के वृक्ष की अत्यधिक उपयोगिता को देखते हुए नीम के वृक्ष को एक राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सड़क के किनारे दिखने वाला नीम का पेड़ गुणों की एक खान है। भारतीय संस्कृति और दवाओं की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण पेड़ है। पारसी में इसे आजादे दरख्त कहा गया है।

नीम असंख्य बीमारियों में लाभकारी है। खेती और खाद में भी इसका प्रयोग लाभकारी है। वाशिंगटन की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी के लिए यह एक बहुत उपयोगी पेड़ है। कोई अन्य पेड़ इतने उत्पाद नहीं देता, जितने नीम से प्राप्त हैं। इस पर काफी साहित्य भी उपलब्ध है। अमेरिका की एक कम्पनी ने इससे कुछ कीटनाशक दवाओं के तरीके पर पेटेंट भी प्राप्त किया है। गुणों की खान से भरपूर इस पेड़ को भारत का राष्ट्रीय पेड़ घोषित कर दिया जाए ताकि संसार में इसके गुणों का प्रचार हो और पेटेंट की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।

(पन्द्रह) बिहार के सीतामढ़ी जिले में रीगा चीनी मिल और डिस्टिलरी फैक्टरी के बहिःस्राव द्वारा हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिले में रीगा चीनी मिल एवं डिस्टिलरी फैक्टरी से निकलने वाले गंदे पानी को नदी में बहाया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण के कारण इलाके की हजारों आबादी के लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए हैं। अधिकतर पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। जबकि चीनी मिल मालिकों को चीनी मिल से निकलने वाले गंदे

पानी के बहाव की अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। जबकि वे ऐसा नहीं करते हैं। ये नियम और कानून के खिलाफ है।

अतएव केन्द्र सरकार से मांग है कि जनहित में यथाशीघ्र उक्त चीनी मिल से निकलने वाले गंदे पानी एवं डिस्टिलरी फैक्टरी से निकलने वाले गंदे पानी के बहाव को रोका जाए ताकि उक्त क्षेत्र को प्रदूषण से बचाया जा सके।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में मोहम्मदी और मितौली के बीच गोमती नदी पर एक पुल का निर्माण करने के लिए "आदर्श जिला योजना" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी के क्षेत्रों को गोमती नदी दो भागों में विभाजित करती है, उसमें मात्र एक पुल राष्ट्रीय मार्ग 24 पर है।

दूसरा पुल औरंगाबाद–बरवर के बीच निर्माण आरंभ हुआ, परन्तु दो साल से उस पर काम बंद है।

उस क्षेत्र की पहली जरूरत गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल को अविलम्ब पूरा करने के साथ मोहम्मदी व मितौली के बीच एक और पुल के निर्माण की है।

इन दोनों पुलों के निर्माण के बिना मोहम्मदी तहसील व खीरी जिले का विकास असंभव है। मेरी सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर निर्माणाधीन पुल अविलम्ब पूरा कराया जाए तथा मोहम्मदी व मितौली के सीध में गोमती नदी पर एक और पुल बनाने के लिए आदर्श जिला योजना या अन्य किसी योजना से धन उपलब्ध कराया जाए।

(सत्रह) प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को इंदिरा आवास योजना में शामिल करने की दृष्टि से अर्हता मानदंड में छूट दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : मैं इंदिरा आवास योजना के तहत पात्रता के नियमों को लचीला बनाए जाने की आवश्यकता की ओर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करती हूं। मौजूदा नियमों के अनुसार इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार ही लाभ पाने के पात्र होते हैं। जिस परिवार का घर प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हो जाता है उसकी सारी संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। ऐसे परिवार के पास अपने बलबूते पर घर का पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक वित्तीय क्षमता नहीं होती। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर घर फूंस के बने होते हैं तथा अचानक आग लगने से ऐसे घर और इसके अन्दर की सभी वस्तुएं जल कर राख हो जाती हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इससे संबंधित मौजूदा नियमों को लचीला बनाया जाए ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन नहीं करने वाले ऐसे परिवार भी जिनके घर बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, सुनामी या आकस्मिक आग से बर्बाद हो गए हैं, इंदिरा आवास योजना के तहत लाभान्वित हो सकें।

(अठारह) तमिलनाडु के मदुरै में एक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी) : रोजगार ढूंढ़ने वालों और अन्य लोगों, जो विदेश जाकर देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाते हैं, के लिए पासपोर्ट एक मात्र साधन है। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए तमिलनाडु से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि पासपोर्ट जारी करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, लेकिन उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां अभी भी विद्यमान हैं।

अब सभी जिला मुख्यालयों में जिला पासपोर्ट संग्रहण प्रकोष्ठ, जिनके कर्मचारी राज्य सरकार के होते हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे राज्यों, जो राशन कार्ड भी बनाकर बांट नहीं सकते हैं, को यह काम सौंपा गया है। दक्षिणी जिलों के लिए सभी पासपोर्ट त्रिचुरापल्ली पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। हालांकि, पासपोर्ट के लिए आवेदन–पत्र जिला संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से जमा कराए जाते हैं, आवेदक को किसी न किसी कारण से तिरूचि पासपोर्ट कार्यालय जाना ही पड़ता है।

प्रत्येक जिले में पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र खोलने के बजाय मदुरै में ही सभी सुविधाओं से युक्त पासपोर्ट कार्यालय खोलना बेहतर होगा जो तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के सभी लोगों के लिए सुगम्य होगा। केरल में तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं जो 14 जिलों को सेवाएं प्रदान करते हैं। त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट कार्यालय केवल 3 जिलों को सेवाएं प्रदान करता है जबकि त्रिचुरापल्ली पासपोर्ट कार्यालय 16 जिलों को सेवाएं प्रदान करता है।

अतः तमिलनाडु के मदुरै में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने की आवश्यकता है।

(उन्नीस) झारखंड के गम्हरिया में उषा मार्टिन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किए जा रहे बहिःस्राव से हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड के सराय केला खरसवा के गम्हरिया में स्थित उषा मार्टिन कम्पनी लिमिटेड जो स्टील, आयरन बार एवं बिजली का उत्पादन करती है, उत्पादन में काफी मात्रा में कोयले का उपयोग करती है, जिससे निकलने वाले धुएं से यहां के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग दमा का शिकार हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस फैक्टरी से जो वेस्टेज के रूप में पानी बाहर फेंका जाता है, वह पानी गरीब किसानों की जमीन की उर्वरता को कम कर रहा है और खेतों में इस दूषित पानी से गरीब आदिवासी किसानों की फसल खराब हो जाती है। दूसरी ओर यहां के वेस्टेज पानी के साथ विभिन्न प्रकार के तेल की मात्रा पाई जाती है, जो कि सीधे सीतारामपुर डैम में जाता है, वहां से आधे जमशेदपुर के क्षेत्र को जल आपूर्ति होती है। इस पानी में भी तेल की मात्रा बनी रहती है, जिसके पीने से यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस क्षेत्र में जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण बुरी तरह से फैल रहा है, जिसकी रोकथाम करना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस फैक्टरी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए।

(बीस) बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र मेडिकल कालेज मेरठ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पश्चात् 450 कि.मी. दूरी पर स्थित है। इसके बीच में कोई भी मेडिकल कालेज इस क्षेत्र में स्थित नहीं है। गरीब बीमार मरीज अपना इलाज मंहगे प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं करा पाते हैं। जहां स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां डाक्टर एवं दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं। उपरोक्त कारणों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर में एक सरकारी मेडिकल कालेज खोला जाए, जिससे इस क्षेत्र के गरीब किसानों एवं मजदूरों को चिकित्सा का लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) दिनांक 29.10.2005 को दिल्ली में शृंखलाबद्ध बम विस्फोट

(दो) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा

(तीन) दिनांक 13.11.2005 को बिहार के जहानाबाद में नक्सलवादी हमला

(चार) दिनांक 11.11.2005 को होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर, गिरिडीह, झारखंड में हुआ नक्सलवादी हमला—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 21 लेते हैं—नियम 193 के अधीन चर्चा। नियम समय चार घंटा था। हम पहले ही तीन घंटा छत्तीस मिनट चर्चा कर चुके हैं।

जब इस पर पिछली बार चर्चा हो रही थी तो श्री निखिल कुमार बोल रहे थे। मैं उनसे भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री निखिल जी, हम इस विषय को 4.30 बजे तक समाप्त करना चाहते हैं। आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिएगा।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद) : मैं पिछले छः दिनों से बोलने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मुझे थोड़ा समय जरूर दीजिएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैं 1 दिसम्बर, 2005 को बोल रहा था और मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विशेष कानून की मांग क्यों हो रही है। दूसरी ओर के हमारे मित्रों ने एक बात कही कि हम अपने देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं हैं। उन्होंने इसका एक कारण बताया कि हमारे यहां विशेष कानून नहीं है और विशेष कानून जो था उसे समाप्त कर दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं, ऐसा माना जाता है कि विशेष कानून, आतंकवादी अपराध की जांच करने और आतंकवादी का अभियोजन सिद्ध करने दोनों में मदद करता है जिससे कि विशेष कानून आतंकवादी को दण्ड दिलाने की स्थिति में है। इस देश में कुछ अत्यन्त ही गंभीर

आतंकवादी अपराध हैं। मैं इनमें से सिर्फ दो का उल्लेख करूंगा। एक था लाल किले पर हमले की घटना।

और दूसरा संसद पर हमला था। इन दोनों मामलों में दोष सिद्धि हो चुकी है। इसे नोट किया जाना चाहिए। इन दोनों ही मामलों में विशेष कानून का बहुत उपयोग नहीं हुआ था। दूसरी ओर, महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही मामलों में सामान्य कानून के तहत दोष सिद्धि हुई। इसे समझा जाना चाहिए कि यदि हमें आतंकवाद से लड़ना है तो इस समय हमारे पास जो सामान्य कानून है उसकी सहायता से कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली रूप से लड़ा जा सकता है।

युनाइटेड किंगडम में एक विशेष कानून है किन्तु इससे 7 जुलाई को शृंखलाबद्ध आतंकवादी घटनाओं को रोकने में युनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों को मदद नहीं मिली। सुनवाई में तेजी लाने हेतु विशेष कानून से सहायता की उम्मीद की जा सकती है। दुर्भाग्यवश, विशेष कानूनों के तहत विशेष अदालते हैं किन्तु सुनवाई किसी भी सामान्य न्यायालय की भांति लम्बे समय तक चली। कुछ मामलों में सुनवाई समाप्त हो गई होगी किन्तु फैसला नहीं सुनाया गया है।

हमने ब्रिटेन में देखा था कि लगभग छः माह पहले जो क्रमिक बम विस्फोट हुए थे किन्तु अभी भी ब्रिटेन की अपराध न्याय प्रणाली के मद्देनजर जहां मुकदमों पर विचारण बहुत तेजी से किया जाता है, वहां भी विशेष कानून भी तेजी से विचारण को पूरा नहीं कर सका। इसलिए मेरा कहना यह है कि स्वयं विशेष कानून को आतंकवाद से लड़ने में रामबाण नहीं माना जा सकता है। यह सरकार सामान्य कानून के माध्यम से आतंकवाद से लड़ने के लिए अत्यधिक सुनिश्चित और कारगर है और यह इससे लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर है। हमने ठीक ही आतंकवाद पर काबू पाने के लिए इसे महत्व दिया है जैसा कि होना चाहिए क्योंकि इससे मुख्य रूप से निर्दोषों के जान–माल की हानि होती है।

किन्तु मैं कहूंगा कि यह परिदृश्य जिसे नक्सलवाद कहा जाता है, भी यदि अधिक नहीं तो उतना ही गंभीर है, और इसे भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। आज नक्सलवाद इतना बड़ा संकट है कि देश में लगभग एक–तिहाई जिले नक्सलवाद के प्रभाव में हैं। 600 में से लगभग 200 जिले वामपंथी अतिवाद से प्रभावित हैं। सीपीआई (माओवादी), वामपंथी अतिवादी का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (मार्क्सवादी) माओवादियों से है और वे नेपाल से दक्षिण तक एक संघटित रिवॉल्युशनरी जोन बनाना चाहते हैं। यदि यह हो गया तो यह इस देश के केन्द्र को भेद कर पूरे देश में होगा। यह इस देश को पूर्वोत्तर से शेष देश को अलग कर देगा। इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसकी हमेशा कल्पना की जा सकती है। इसलिए, यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि इस नक्सलवाद से सशक्त और प्रभावशाली तरीके से लड़ा जाए।

महोदय, मैं नक्सलवाद के कारणों के बारे में कुछ बोलूंगा। मूलतः यह सामाजिक–आर्थिक कारणों से संबंधित है। इसके आपराधिक कारण भी हैं। किन्तु सभी समस्याओं की जड़ में जमीन है। इस समस्या के मूल में जमीन है और दूसरा कारण 1793 में किया गया राजस्व प्रबंध है। सरकार और किसान के बीच एक मध्यवर्ती आया, जोतदार। यही मध्यवर्ती जिसे निर्धारित भूमि किराया भुगतान करना था अत्याचार और शोषण करने की स्थिति में था। यही है जो कि उत्पादन और उत्पादकता के लिए गैर प्रोत्साहक है। इसके कारण गरीबी आई। इसके कारण पिछड़ापन आया और इसलिए इससे नक्सलवाद पनपा। यही कारण है कि इस देश के आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक निर्धनतम जिलों में यह है।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस पर सिर्फ कानून और व्यवस्था के रूप में ही काबू नहीं पाना चाहिए अपितु केन्द्र को स्वतः ही इस समस्या पर काबू पाने के लिए अधिकार रखना चाहिए। यदि इसका मतलब संविधान के समवर्ती सूची और राज्य सूची में संशोधन लाना हो तो भी करना चाहिए। इस विषय की जांच अत्यन्त ही सावधानीपूर्वक और गहराई से की जाए और इसे समवर्ती सूची में लाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निखिल कुमार : कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको अब और समय नहीं दे सकता।

श्री निखिल कुमार : मैं जो बात कहना चाहता हूं वह नक्सलवादियों के साथ होने वाली वार्ता के बारे में है। मेरा कहना है कि बातचीत होनी चाहिए किन्तु इसमें वामपंथी अतिवादियों को अपने आपको एकजुट करने का कोई अवसर नहीं मिले और उसके बाद वे चाहे जो भी समझौता सरकार उनके साथ करे उससे वे पीछे हट जाएं।

इससे हिंसा और बढ़ती है। इसी हिंसा के प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा और हिंसा पर दो सूत्री कार्यक्रम नियंत्रण और प्रतिवाद द्वारा काबू करना चाहिए। इसे सीमित रखने के लिए केन्द्र को स्वतः ही कार्यवाही करना चाहिए। मैं यह इसलिए भी कहता हूं कि नक्सलवाद के अंतर–राज्यीय परिणाम हैं। यह ऐसा मसला नहीं जो एक ही राज्य तक सीमित है। फिर सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण

[श्री निखिल कुमार]

सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि कुछ स्थानों पर पुलिस बल इतना पिछड़ा हुआ है कि वे नक्सलवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में जाने में भी असमर्थ हैं। वे इतने भयभीत हैं, विशेष रूप से बारूदी सुरंग से, जो बिछाई जाती हैं। बारूदी सुरंगरोधी वाहन उपलब्ध कराने का प्रयोग विफल हो चुका है। हमने छत्तीसगढ़ की घटना देखी जहां 22 लोग मारे गए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कृपया केन्द्र सरकार द्वारा यदि इसके लिए संशोधन लाना पड़े तब भी सक्रिय कार्रवाई पर विचार करे। नक्सलवाद की विचारधारा से लड़ने के लिए हमारी विकास की विचारधारा होनी चाहिए। फिर भूमि सुधार महत्वपूर्ण है और हमें वार्तालाप के साधन के माध्यम से अत्यधिक विशेष ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. एम. रामदास—उपस्थित नहीं।

अब श्री तापिर गाव बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने दिल्ली में हुए बम धमाके और कश्मीर, जहानाबाद और झारखंड की स्थिति के संबंध में बोल दिया है। लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जब कभी भी वे राज्य सभा या संसद के अंदर अथवा बाहर वक्तव्य देते हैं वे हमेशा कहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति में सुधार आया है। लेकिन मैं और पूरा देश इससे आश्चर्यचकित होता है। हाल ही में असम के कारबी आंगलोंग और उत्तरी कछार पर्वतीय जिले में एक घटना घटित हुई है। भारत सरकार ने इस घटना के लिए दो जनजातीय समूहों के बीच सांप्रदायिक झड़प को जिम्मेदार बतलाया है। जनजातीय लोग सीधे—सादे लोग हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि इस देश के मंच पर उन्हें इस पर किस प्रकार ध्यान देना चाहिए। हमारे मीडिया के सभी मित्र इसे जनजातीय समूहों की झड़प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि यह जनजातीय समूहों के बीच की झड़प है तो मैं जानना चाहता हूं कि राहत शिविरों में डीआईएमएएसएएस और कारबी दोनों वर्ग के लोक साथ—साथ क्यों रह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार वहां की जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही है। डीआईएमएएसएएस और कारबी वर्ग के लोग भूमिगत गतिविधियों में संलिप्त हैं। इन दोनों वर्गों के भूमिगत कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के साथ युद्ध विराम किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इसकी जिम्मेवारी आतंकवादी मुद्दे के रूप में क्यों नहीं ले रही है। भारत सरकार उग्रवाद की स्थिति पर अंकुश लगा रही है लेकिन वह इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ़ रही है।

मेरे पास कहने के लिए कई बातें हैं लेकिन आपने मुझे केवल दो मिनट का समय दिया है। हम नक्सलवादियों और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों के बीच सांठ—गांठ से इंकार नहीं कर सकते हैं। हम इससे भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही उग्रवाद की सभी गतिविधियां मुख्य भूमि उग्रवाद से प्रभावित है। इसके लिए भारत सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। राजनीतिक इच्छा के बिना हम देश के किसी भी भाग में किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं।

महोदय, मणिपुर में प्रतिदिन निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यदि वहां भूमिगत नागा उग्रवादियों के साथ युद्ध विराम है फिर मेरे संसदीय क्षेत्र के तिरप जिले में हाल ही में एक नागरिक की हत्या क्यों की गई। क्या यह भूमिगत नागा उग्रवादियों के साथ शांति वार्ता की मुख्य विशेषता है। भूमिगत नागा उग्रवादियों की गतिविधियों की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। यदि जबरन वसूली और हत्या शांति वार्ता की प्रमुख विशेषताएं हैं तो फिर समाधान क्या है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की बातें हो रही हैं। इसीलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इलाज से रोकथाम बेहतर है। माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने सभा में एक सपाट वक्तव्य दिया है।

हमारे विपक्ष के उप नेता प्रो. वी. के. मल्होत्रा द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कपिल सिब्बल ने इस सम्माननीय सदन में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के भूमिगत उग्रवादियों और राजनीतिक नेताओं के बीच संबंध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किन—किन राजनीतिक नेताओं के साथ उग्रवादियों की सांठ—गांठ है। साथ ही असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सरकार है। माननीय गृह मंत्री जी और भारत सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन गतिविधियों को रोकने हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए।

मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या म्यांमार और बांग्लादेश की सरकार से प्रशिक्षण शिविर बंद करने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु कोई वार्ता चल रही है। यदि हां, तो इस वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं? पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी उग्रवादी गुटों के म्यांमार और बांग्लादेश में प्रशिक्षण शिविर हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना नहीं सुलझाई जा सकती है।

मेरे पास कुछ सुझाव हैं। मेरा पहला सुझाव सरकार के राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम बंदूक की नोंक पर हमेशा किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आज सुबह आज तक में एक समाचार प्रसारित हुआ कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने वहीं के एक भूमिगत संगठन को 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं। अतः राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सेना, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाना चाहिए। उग्रवाद से निपटने के साथ-साथ देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास किए जाने की भी आवश्यकता है। हमें सीमा पर बाड़ भी लगानी चाहिए।

मैं गृह कार्य संबंधी विभागीय स्थायी समिति का सदस्य हूं। हम हमेशा ही सीमा पर बाड़ लगाने की बात करते हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश के साथ लगने वाली पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर बाड़ लगाए जाएं। माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह और श्री गुरूदास दासगुप्त ने कारबी आंगलोंग मुद्दे पर 29 नवम्बर, 2005 को एक प्रश्न पूछा था। राज्य सरकार ने इसके शिकार हुए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 3 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया है लेकिन अब तक एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया है। इसे जनजातीय समूहों के बीच हुई झड़प बताया गया है। अतः पर्दे के पीछे सब कुछ उग्रवादियों द्वारा किया गया है। असम सरकार ने भारत सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की मांग की है। सीबीआई द्वारा जांच कहां हो रही है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और आज तक एक भी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

महोदय, मैं पूर्वोत्तर की स्थिति के बारे में चिंतित हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक सार्थक उत्तर चाहता हूं।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : महोदय, हम लोग चार घटनाओं, दिल्ली में हुए क्रमवार बम धमाके, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा, बिहार के जहानाबाद और झारखंड के गिरिडीह में होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र में हुई नक्सलवादी हिंसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली दो घटनाओं को हमारे पड़ोसी देश के द्वारा की जा रही आतंकवादी हमला कहा जा सकता है और अन्य दो घटनाओं को नक्सलवादी उग्रवाद कहा जा सकता है।

नक्सलवादी गतिविधियां देश भर में प्रत्येक वर्ष बढ़ रही हैं। ये पूरे देश में बढ़ रही हैं और वे कई जगहों पर हमला कर रहे हैं। देश में लगभग 160 जिले पिछड़े हैं जहां भूख और भुखमरी की स्थिति है। वास्तव में नक्सलवादी गतिविधियों की शुरूआत पश्चिम बंगाल में हुई थी। अब वहां ऐसी कोई बात नहीं है। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि की समस्या को अत्यधिक गंभीरता से लिया। इसने भूमि सुधार के संबंध में कई प्रगतिशील कदम उठाए हैं और इन्हीं कदमों के कारण वहां नक्सलवाद की समस्या सुलझाई जा सकी। मैं समझता हूं कि इस उदाहरण को ऐसे अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए जहां भूमि संबंधी समस्या है और भुखमरी और भूख की स्थिति है जो नक्सलवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेवार है। यदि राज्य सरकार इन भूमि सुधारों को लागू करती है तो उनके द्वारा इन गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : साढ़े चार घंटे में से बीएसपी को एक मिनट भी नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के किसी भी सदस्य ने नाम ही नहीं दिया था।

श्री इलियास आजमी : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारे यहां ही नहीं दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में आतंकवाद पर बहस हो रही है, लेकिन सिर्फ हमारे यहां ही नहीं दुनिया के ज्यादातर देशों में एक सुपर पावर, एक सुपर टैररिस्ट पावर के इशारे पर हम जगह बहस को गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी पूरे एतमाद के साथ कहता हूं, खास तौर से हमारे दाहिने साइड बैठने वाले भाइयों से कि वे इसे गलत मायनों में नहीं लेंगे। इसलिए कि मेरा नाम इलियास आजमी है।...*(व्यवधान)*

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, यह बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डालें। कृपया आप अपने स्थान पर बैठिए तथा सभा का समय बर्बाद न करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी, कृपया अपनी बात अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : जब तक हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे, जब तक हम उन वजूहात को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवाद सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है। यह अलग बात है कि कश्मीर के आतंकवाद की ज्यादा चर्चा हम यहां करते हैं। उन लोगों का भी आतंकवाद है, जिनको हजारों सालों से जानवर बनाकर रखा गया था और एक आदमी एक वोट के जमाने में इस जम्हुरी निजाम में भी हमने ताल–तिकड़म करके यह कोशिश की कि उनको इन्सान बनने का मौका न दें। उनको आप लाख टैरेरिस्ट कहें, लाख टाडा और पोटा बनाएं या उससे भी शैतानी कानून बना दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं और मेरी यह बात लोक सभा के रिकार्ड में रहेगी कि इस सबसे आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। यदि हम पूरी तरह से सच्चा इंसाफ कायम कर दें तो नक्सलाइट आतंकवाद खत्म हो जाएगा।

जिन वजूहात से आतंकवाद पनपता है, जिन वजूहात से आतंकवाद भड़कता है, न वजूहात को खत्म किए बिना, हम टाडा, पोटा या बंदूक के जरिए आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते हैं। हमें यह सोचना होगा कि 18–20 साल का एक नौजवान, जिसने इस दुनिया में आने के बाद कुछ नहीं देखा है, दुनिया का लुत्फ नहीं उठाया है, वह क्यों अपने शरीर पर बम बांधकर अपने आपको उड़ा देता है और अपने साथ दस–बीस लोगों को भी उड़ा देता है? इसकी कोई वजह तो होगी? उन वजूहात को समझे बगैर और उसका तदारुक किए बगैर हम लाख बहस करें, चाहे पूरी लोक सभा सिर्फ आतंकवाद पर बहस करती रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ आतंकवाद को अवामी आतंकवाद का नाम देकर, उसे दुनिया से कभी खत्म नहीं किया जा सका है और न हमारे देश में खत्म किया जा सकता है।

अमरीका इराक के उन लोगों को दर्स दे रहा है कि आतंकवाद बुरी चीज है, आतंकवाद खत्म कर दो। जिनकी आजादी एक सुपर पावर ने ताकत के बल पर छीन ली, जिनको गुलाम बना दिया। मैं कहता हूं कि इराक और अफगानिस्तान में एक दिन में आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर काबिज ताकत वहां से चली जाएं। आतंकवाद उन मुल्कों में खत्म हो जाएगा। हमारे यहां भी जिन वजूहात से आतंकवाद उभरा है, जिन वजूहात से नौजवान खूनी इंसाफ मिलने से मायूस होकर हलाकत का रास्ता अख्तियार करता है, जिसमें मासूम लोग मारे जाते हों, चाहे पुलिस के जरिए मारे जाते हों, चाहे आतंकवादियों के जरिए मारे जाते हों। मैं उनकी घोर निन्दा करता हूं और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। लेकिन हमें निहायत संजीदगी के साथ गौर करना पड़ेगा कि एक नौजवान किस वजह से बागी हो जाता है और अपनी जान देने पर आमादा हो जाता है। अगर हम उन वजहों को खत्म कर दें, तो टैरोरिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। यह कहना है भारत में टैरोरिज्म है, आपने हजारों सालों से जिन्हें जानवर बनाकर रखा, उन्हें इस जन्म में इंसान बनने का मौका भी नहीं देंगे और कहेंगे कि ये टैररिस्ट्स हैं।...*(व्यवधान)* आप लाख गालियां दे दीजिए, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता।...*(व्यवधान)*

मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि उन वजूहात पर गौर करें, जिन वजूहात से एक नौजवान आदमी अपनी जान देने पर आमादा हो जाता है, उनको खत्म कर दें, टैरोरिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा, दूसरी कोई शक्ल नहीं है।...*(व्यवधान)* उसका इलाज न ही पोटा है, न ही टाडा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री इलियास आजमी : अगर टाडा और पोटा जैसे कानून ने टैरोरिज्म पर लगाम लगाई हो, तो दोनों को मिलाकर एक कानून और बना दें और आपके दिमाग में इंसान को जलील करने के लिए जो कानून हो सकता है, वह बना दें, लेकिन टैरोरिज्म खत्म नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू–कश्मीर में भी आतंकवाद का मुद्दा बहुत गंभीर है। कृपया मुझे भी एक मिनट बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना : जब भी कोई घटना होती है तो कुछ कॉमन बयान सुनने को मिलते हैं कि स्टेट में रैड एलर्ट जारी हो गया है, सुराग मिल चुके हैं,...*(व्यवधान)* एरिया के डीएम का तबादला हो गया है, एसएसपी का तबादला हो गया है,...*(व्यवधान)* सस्पैंड कर दिया गया है। लेकिन वहां फिर घटनाएं होती हैं। राज्य में चाहे रैड एलर्ट हो चाहे डीएम का तबादला हो गया हो, पुराने घिसे–पिटे बयानों से न ही आतंकवाद खत्म होगा और न ही हम आंतरिक सुरक्षा को ठीक कर पाएंगे।...*(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान लुधियाना के पास सोहिया गांव की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर मैं जानना चाहूंगा तो मुझे यही जवाब मिलेगा कि हमें प्रदेश से सूचना नहीं आई।...*(व्यवधान)* पुलिस द्वारा जो आतंकवादी मारे गए थे, उनका वहां मैमोरियल खड़ा कर दिया गया है, वहां उनके नाम अंकित हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप हाउस में कागज नहीं दिखा सकते।

श्री अविनाश राय खन्ना : लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने बयान देने के सिवाए कुछ नहीं किया। अगर वहां ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तो पंजाब की शान्ति भंग होने की तरफ चली जाएगी। मेरे जिले में एसजीपीसी के एक सदस्य को उसके घर के सामने सरेआम गोली से मार दिया गया। रोज बैंक डकैती, बच्चों के अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

मैं एक नई बात बताना चाहता हूं। सिक्युरिटी फोर्सेज के मोरेल को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सिक्युरिटी फोर्सेज के मन में यह बात है कि जब उनकी प्रमोशन होती है तो बड़े पद जैसे डीआईजी, आईजी, एडी, एडीजी, डीजी आदि, उन पर सीआरपीएफ के लोगों को ऊपर नहीं लाया जाता, दूसरे लोगों को डैपुटेशन पर लाया जाता है और जिन्हें डैपुटेशन पर लाया जाता है, उन्हें उनकी रचना के बारे में, उनकी डिफिकल्टीज के बारे में पता नहीं होता। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सीआरपीएफ के लोगों की प्रमोशन का सिस्टम उस कैडर से ही हो ताकि जो लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, उन्हें सिक्युरिटी फोर्सेज की डिफिकल्टीज के बारे में पता होगा और ये लॉ एंड आर्डर के साथ अच्छी तरह डील कर सकेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का निर्धारित समय समाप्त हो गया है। आप अपनी बातें समाप्त कीजिए।

श्री अविनाश राय खन्ना : एक सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन के 77 प्रतिशत लोग आतंकवाद से प्रभावित हैं, डरे हुए हैं और सबसे ज्यादा नम्बर भारतीय लोगों का है, यहां 82 प्रतिशत लोग आतंकवाद से डरे हुए हैं। अमरीका के 66 परसेंट और जर्मनी के 64 परसेंट लोग आतंकवाद से डरे हुए हैं। अब आतंकवाद को कम करने के लिए, सिक्योरिटी की भावना को पैदा करने के लिए हमें लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल ऊंचा करना होगा, बढ़ाना होगा।...*(व्यवधान)* अगर अर्थोरिटी खत्म हो गई, सरकार की अर्थोरिटी खत्म हो गई, तो इंटरनल सिक्योरिटी नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी का निर्धारित टाइम खत्म हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना : जो फोर्सेस हैं, यदि उनका डर खत्म हो गया तो इंटरनल सिक्योरिटी नहीं हो सकती इसलिए इसको हमें रिस्टोर करना होगा।

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का निर्धारित टाइम खत्म हो गया है।

...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पार्टी का सवाल नहीं है।...*(व्यवधान)* जम्मू–कश्मीर का सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर साहब को लिखकर दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भारतवर्ष पर इसलिए अभिमान है कि ढाई हजार साल पहले भारत में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ जिन्होंने इस देश को शांति का संदेश दिया। लेकिन सारी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भारत की स्थिति आज बहुत खतरनाक बनती जा रही है। इस देश में आतंकवाद, जातिवाद, नक्सलवाद और कौमी मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। एक आदमी को दूसरे आदमी की रक्षा करने की भावना रखनी चाहिए, उनकी रक्षा के लिए प्लानिंग करनी चाहिए लेकिन आज एक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामदास आठवले]

आदमी, दूसरे आदमी, समूह, धर्म, जाति आदि सबको खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। पार्लियामेंट में हम सब लोग बैठे हुए हैं। माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी यहां मौजूद हैं। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी देश को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। एनडीए सरकार ने अपने छः साल के शासन में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम सब लोग...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप कहां जा रहे हैं? आप अपने टॉपिक पर बोलें। आपका एक मिनट हो चुका है इसलिए अब आप अपना भाषण खत्म कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : मैं खत्म कर रहा हूं लेकिन पहले आप मुझे आतंकवाद खत्म करने दीजिए। मेरा कहना है कि उग्रवाद को खत्म करने के लिए हम सबको पार्लियामेंट में पार्टी को अलग रखना चाहिए। हम सबकी जाति, धर्म, पार्टी आदि अलग-अलग हैं लेकिन हमें भारतवर्ष पर इसलिए अभिमान है कि हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को स्वीकार किया है। अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक चलें तो देश में शांति प्रस्थापित हो सकती है। आज लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। *...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा। वे सदन में उपस्थित नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार जो भी कानून बनाएगी, उसमें रिपब्लिकन पार्टी पूरा सहयोग देगी। हमारा कहना है कि यहां टाडा या पोटा जैसे कानून बनाने से काम नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* समाज में परिवर्तन करने का काम भी हम सबको करना है।...*(व्यवधान)* जो भी टैरोरिस्ट एक्टीविटीज हैं, उन एक्टीविटीज को खत्म करने के लिए हमें कोई न कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए।...*(व्यवधान)* आतंकवादी मूवमेंट को खत्म करने के लिए हम सब लोगों को एक साथ होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)***

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सब पार्टीज का निर्धारित टाइम खत्म हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में कुछ नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको क्लेरीफिकेशन पूछने के लिए टाइम दे दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले साहब, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ से समय मांगने का यह कोई तरीका नहीं है। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास बंधु आठवले, कृपया आप अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह बाद में आपको क्लेरिफिकेशन दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, जहानाबाद वाली घटना बिहार में हुई है। इतनी बड़ी घटना घटी है और क्या हम अपनी बात भी नहीं रखेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि केवल गृह मंत्री महोदय का बयान कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए और ऐसा ही किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर दी है, जो कोई भी माननीय सदस्य अगर यह महसूस करता है कि उसे समय नहीं मिला है तो वे बाद में जो भी उनका बहुत जरूरी प्वाइंट हो, इनकी स्पीच के बाद क्लेरिफिकेशन इनसे ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बाद में आपको क्लेरिफिकेशन दे देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, आंतरिक सुरक्षा के मसले पर राज्य सभा में चर्चा हुई थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय के भाषण में व्यवधान न डालें।

श्री शिवराज वि. पाटील : आंतरिक सुरक्षा के मसले पर अब लोक सभा में भी चर्चा हो रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके होम मिनिस्टर साहब खड़े हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मेरा मानना है कि हम लोग आंतरिक सुरक्षा के मसले पर संसद में जितनी चर्चा करते रहे हैं उसके अधिक चर्चा की जानी चाहिए। यहां आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। कभी-कभी हम लोग अपना ध्यान घटनाओं पर केन्द्रित कर देते हैं। यह जरूरी है कि हम घटनाओं पर भी विचार करें लेकिन यदि हम आंतरिक सुरक्षा की समस्या के प्रति व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं, तो हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। अतः आंतरिक सुरक्षा की समस्या और इसके विभिन्न पहलुओं पर संसद में बारंबार विचार किया जाना उपयोगी होगा।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया और मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छे-अच्छे मुद्दे उठाए। उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए उससे सही निर्णय लेने और सही नीतियां बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने वक्तव्य दिए और उन वक्तव्यों में अपने-अपने विचार बताए जिनमें से कुछ उन्हें स्वीकार्य हैं और कुछ पर वे एकमत नहीं हैं। उन्हें यह भी बताने का मौका मिला कि दूसरे दृष्टिकोण कैसे ठीक नहीं हैं। इससे मेरा काम और सहज हो गया क्योंकि कुछ मान्य सदस्यों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए उनका दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा खण्डन कर दिया गया जिसके कारण एक मिली-जुली स्थिति उभर कर सामने आ गई।

एक पक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का दूसरे पक्ष के सदस्यों द्वारा खण्डन कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्होंने एक संतुलित छवि पेश की है जो सरकार के लिए सहज ही स्वीकार्य हो सकती है।

मैं इस वाद-विवाद में काफी रुचि लेने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यहां सभा में नहीं बैठ रहा था क्योंकि इसी प्रकार के वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मेरी मौजूदगी राज्य सभा में अपेक्षित थी। फिर भी मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी वक्तव्य पढ़ लिए हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे जायज हैं और हम उनसे लाभ उठाएंगे। मैं सदस्यों को बधाई देता हूं। मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं।

सभी मुद्दों पर प्रकाश डालना मेरे लिए संभव नहीं है; अतः कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालने से पहले मैं इस सभा को दो-तीन बातें बता देना चाहता हूं। पहली बात यह कि जब कभी भी आंतरिक सुरक्षा के मसले पर चर्चा होती है तो यह कहा जाता है

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

कि आज से पहले कुछ जिले ही प्रभावित थे और आज कई जिले प्रभावित हैं। वे जिलों के संबंध में बात कर रहे हैं न कि तालुका या गांव या पुलिस थाना के संबंध में। इससे हमारे सामने खण्डित तस्वीर उभर कर आती है। यदि किसी जिले में कोई गांव प्रभावित होता है, तो हमारे लिए यह कहना संभव नहीं है कि पूरा जिला प्रभावित है। यदि किसी जिले में कोई तालुका प्रभावित होता है तो यह कहना गलत होगा कि पूरा जिला प्रभावित है। यही बात कही जा रही है कि बहुत से जिले प्रभावित हैं। हम लोगों का कहना है कि इसे लेकर एक कारीडोर बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय या माननीय सदस्यों द्वारा या मेरे जैसे मंत्रियों द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाने से गलत संदेश जाएगा। इससे लोग भयाक्रांत हो जाएंगे, अतः ऐसे वक्तव्य देने से परहेज करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें जिला के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करनी चाहिए, हमें गांव या कम से कम पुलिस थाना के परिप्रेक्ष्य में बात करनी चाहिए। कितने पुलिस थाने प्रभावित हैं—से और अधिक साफ तस्वीर हमारे सामने उभर कर आएगी।

जब घटनाएं घटती हैं, तो वे बहुत ही बुरी होती हैं। कुछ स्थानों पर हुई घटनाओं से न तो हमें खुशी होती है न ही हम उस पर गर्व कर सकते हैं। श्रीनगर, दिल्ली, झारखंड, गिरिडीह में जो घटनाएं घटीं उनके बारे में मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे उन घटनाओं पर गर्व है और वहां जो कुछ हुआ उसे मैं न्यायसंगत मानता हूं। जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आपका सिर ऊंचा नहीं होता बल्कि झुक जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग मर गए और इस पर हमें दुख है। उनकी मौत पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उन लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। हमने इन घटनाओं के पीड़ितों की मदद करने के लिए कदम उठाए हैं। हमने उन्हें मुआवजा दिया है। हमने उनकी मदद की है। यदि उन्हें और मदद की जरूरत है, तो उन्हें वह भी दी जाएगी।

लेकिन, यदि हम इन घटनाओं पर केन्द्रित होकर पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने की कोशिश करें, तो क्या हमारे लिए सही निष्कर्ष पर पहुंचना संभव होगा? इन घटनाओं के आधार पर यह संभव नहीं होगा। हमें देश में घटी घटनाओं और मामलों की संख्या पर विचार करना होगा। मामलों, घटनाओं और हताहतों की संख्या पर विचार करने के बाद ही हम यह बताने की स्थिति में होंगे कि स्थिति सुधर रही है या और बिगड़ रही है।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन केवल एक घटना पर ध्यान केन्द्रित करना संभव नहीं होगा। यदि संसद पर हमला होता है, तो इस घटना मात्र के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कुछ भी नियंत्रण में नहीं रहा। यदि जहानाबाद या श्रीनगर या दिल्ली में कोई घटना घटती है तो उसके आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि स्थिति बेकाबू हो गई है। ये सभी दुर्घटनाएं हैं और इस पर काबू पाने के लिए कुछ और किए जाने की जरूरत है और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम दोषी होंगे। फिर भी, उन घटनाओं के आधार पर देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

अपराह्न 5.01 बजे

(श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*)

हमें आज घट रही घटनाओं के साथ—साथ विगत वर्षों में घटी घटनाओं पर भी विचार करना चाहिए। क्या उनकी संख्या में वृद्धि हुई है या गिरावट आई है? मौजूदा स्थिति और पहले की स्थिति की तुलना करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि स्थिति सुधरी है या बिगड़ी है।

एक और बात जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह है देश में रह रहे लोगों की संख्या। हमें देश में होने वाली हत्याओं, डकैतियों और कानून व्यवस्था के मामलों के आंकड़ों की तुलना उन देशों में घटी उन घटनाओं और उनमें मारे गए लोगों से करनी चाहिए। अन्य देशों के संदर्भ में वहां रह रहे लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इन तथ्यों पर विचार करके ही केवल हम सटीक राय कायम कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज यह पहले की तुलना में बेहतर है या पहले की तुलना में बदतर है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहां की स्थिति अन्य देशों की स्थिति से बेहतर है। मैं सभा में केवल बात रखना चाह रहा हूं कि हमें आंतरिक सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे कोई शंका नहीं है कि उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने यहां पर अपनी बात कही, उनके ध्यान में यह बात रही होगी और उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। महत्वपूर्ण सुझावों में से एक सुझाव माननीय सदस्य श्री निखिल कुमार द्वारा दिया गया है। मुझे पता नहीं कि वे यहां हैं या नहीं। उन्हें इसकी जानकारी है। उन्हें स्थिति की जानकारी है। उन्होंने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस बल को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अब, हमारे यहां 'पुलिस' राज्य सरकारों के अधीन है। हमारे

यहां 'पुलिस' केन्द्र सरकार के अधीन है। हमारे यहां रक्षा सेनाएं भी केन्द्र सरकार के अधीन हैं। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार इन पुलिस बलों का विस्तार करने का प्रयास कर रही हैं। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अधीन करीब 22 लाख अधिकारी और पुलिस बल के लोग हैं। परन्तु इन लोगों को पूरे देश में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करना होता है और हमारे यहां करीब 108 करोड़ लोग हैं। यहा पुलिस और लोगों का अनुपात देखने लायक है। कुछ देशों में यदि प्रति लाख लोगों पर एक हजार या 200 या 300 या 400 पुलिस बल है तो हमारे देश में यह केवल 112 या 115 पुलिस बल प्रति लाख लोग है जिन्हें इन्हें नियंत्रित करना होता है। इसलिए, पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए हमें कई कदम उठाने हैं। पहला कदम जो हमने उठाया है वह है देश में और बटालियनों का गठन करने के लिए अनुमति देना। पहले राज्य में प्रत्येक बटालियन का गठन करने के लिए हम 13 करोड़ रुपये देते थे, अब हम इसके लिए 25 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हमने करीब 55 और बटालियनों के गठन की अनुमति दी है। अब, हमने 25 और अधिक बटालियनों के गठन का निर्णय लिया है। राज्य सरकारें इनका गठन कर सकती हैं; इन्हें अपने यहां रख सकती हैं। और यदि आवश्यक हो, तो वे बटालियनों को ऐसे कार्यों के लिए पड़ोसी राज्यों को दे सकते हैं।

जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह यह है कि राज्यों के माध्यम से पुलिस में लोगों और अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का कार्य जारी है। केन्द्र सरकार द्वारा भी उसके अधीन पुलिस बल का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। तकरीबन 250 बटालियनों का गठन हमारे द्वारा किया जाना है।

माननीय सदस्यों के समक्ष जो अत्यन्त महत्वपूर्ण बात मैं रखना चाह रहा हूं वह यह है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि परिस्थिति का मूल्यांकन करते समय इसे ध्यान में रखें। सेना हमारी पूरी सीमा की रक्षा नहीं करती है। कृपया याद रखें कि 4000 किलोमीटर की बांग्लादेश सीमा, पश्चिमी क्षेत्र की सीमा, हिमालय क्षेत्र की सीमा और अन्य सीमाओं की रक्षा पुलिस करती है। यह पुलिस बल ही है जो मोर्चे पर और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर खड़ी है, न कि सेना। इसे समझना चाहिए। केवल नियंत्रण रेखा पर ही सेना अग्रिम मोर्चे पर रहती है। वहां पुलिस है पर अग्रिम पंक्ति में नहीं है। परन्तु अन्य स्थानों पर अग्रिम पंक्ति में बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी खड़ी है। ये बल ही सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जब वे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वे हमें आंतरिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वे लोगों को यहां आने और हमें परेशान करने से रोकते हैं। उन्हें आने से रोकना अत्यन्त कठिन कार्य है फिर भी वे इसमें काफी सफल होते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में बाड़ लगाई गई है; पूर्वी क्षेत्र में बाड़ लगाने की प्रक्रिया जारी है। आधा कार्य पूरा हो चुका है और बाकी बचा आधा कार्य 2006 में पूरा हो जाएगा। इस तरह से पुलिस सीमाओं की रक्षा कर रही है। पुलिस केवल शहरों और ग्रामों की ही रक्षा नहीं कर रही है। हम उन्हें बटालियन दे रहे हैं। परन्तु वे मुख्य कार्य सीमाओं पर कर रहे हैं। पुलिस जो वहां तैनात है वह राज्य सरकारों को भी चुनावों के समय और कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर रही है।

मैं इस सभा को बताना चाहूंगा कि कुछ राज्य, नक्सल प्रभावित राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल के कुछ क्षेत्र और मध्य प्रदेश में कुछ स्थान भी प्रभावित हैं। इन राज्यों को 26 बटालियनें दी गई हैं। इसका मतलब है कि 26000 जवान और अफसर दिए गए हैं। वे राज्य सरकारों के अधीन हैं। यह उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा इनका उपयोग नक्सल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार, इस परिस्थिति को हम पुलिस बल द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम केवल यही नहीं कर रहे हैं परन्तु हम बल को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं। करीब 3000 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों को अपने बलों को आधुनिक बनाने के लिए दी गई है। हम काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये हमने दिए हैं। ये निधियां राज्य सरकारों को दी गई हैं। मुझे खेद है कि कुछ राज्य सरकारों ने इनका उपयोग तक नहीं किया है। केवल कुछ राज्य सरकारों ने ही इनका उपयोग किया है। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे इन निधियों का उपयोग बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर हथियार, बेहतर संचार सुविधा, बेहतर वाहन, बेहतर बख्तरबंद गाड़ियां और ऐसी चीजें प्रदान करने के लिए करें। मैं कहना चाहूंगा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं जिन्होंने इसका उपयोग किया है। परन्तु बड़े राज्यों ने इस राशि का उपयोग नहीं किया है। हमारा उनसे अनुरोध है कि वे उन्हें दी गई राशि का उपयोग करें। उन्हें निधियां अधिक पुलिस थाने बनाने के लिए दी गई हैं, उन्हें निधियां संचार प्रणाली, पोलनेट प्रणाली के लिए दी गई हैं।

संचार के लिए आवश्यक उपस्कर के संबंध में और यह देखने के लिए कि पुलिस थाने जिलों के साथ संवाद करने में सक्षम होने चाहिए, जिले राज्यों के साथ संवाद करने में सक्षम हों, राज्य केन्द्र के साथ संवाद करने में सक्षम हो, हमने पोलनेट प्रणाली की स्थापना की है और इस पोलनेट प्रणाली के माध्यम से पूरे देश में संचार प्रणाली की स्थापना की गई है। इसका उपयोग किया जाना है। जहां तक जिला स्तर और राज्य स्तर तक संचार का संबंध है, यह पूरा हो गया है। परन्तु जिला स्तर से ग्राम स्तर तक यह अपूर्ण है और इसलिए यह भी नहीं हो पाया है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हमने यह भी कहा है कि पुलिस को मदद करने के लिए हम उन्हें जानकारी देना चाहेंगे। हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं, हम उन्हें बख्तरबंद गाड़ियां भी दे रहे हैं जिसका वे उपयोग कर रहे हैं। वे बख्तरबंद गाड़ियों का उपयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जम्मू और कश्मीर में और पूर्वोत्तर राज्यों में कर रहे हैं। न केवल यही, बल्कि हमने उनसे यह भी कहा है कि हम उन्हें हेलिकाप्टर देंगे। और वे घायल व्यक्तियों को बाहर निकाल सकें, घायल व्यक्तियों को उनके घायल होने के स्थान से अस्पतालों तक ले जा सकें और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए उन्हें हेलिकाप्टर दिए गए हैं।

इस संबंध में जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह यह है कि जहां तक बलों को सुदृढ़ बनाने, बलों का आधुनिकीकरण करने और राज्य सरकारों को उनकी अपनी पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए मदद देने का संबंध है कुछ माननीय सदस्यों विशेषकर श्री निखिल कुमार जी द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के बारे में जो अभी उपस्थित नहीं हैं, वह यह कहना चाह रहे थे; बेहतर होता यदि उन्हें अधिक समय दिया जा सकता क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी जानकारी है—और वे सरकार की मदद कर सकते हैं। अब, इस बिन्दु पर काफी चर्चा हो चुकी है और इस प्रकार हम इस पर कार्य कर रहे हैं।

महोदय, मैं आदरपूर्वक इस सभा को बताना चाहूंगा कि हम यह दावा नहीं करते कि हमें सब पता है। हम इस बिन्दु पर उनके सुझावों द्वारा अपनी मदद कर सकने में सक्षम होंगे। इसका मतलब है देश में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए हम पुलिस की मदद ले रहे हैं।

परन्तु इस मुद्दे पर इतना कुछ कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि इसे सही ढंग से उठाया गया था। मुझे लगता है, यह श्री चक्रवर्ती थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि "आप बुलेट द्वारा हिंसा पर काबू नहीं पा सकते।" माननीय सदस्य जो पहली पंक्ति में बैठे हैं उन्होंने भी यही बात कही। आप केवल बुलेट और बंदूक की मदद से हिंसा पर काबू नहीं पा सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात कही गई है और मैं इससे सहमत हूं। उन्होंने कई अच्छी बातें कहीं और वही इस वाद-विवाद का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू था।

महोदय, उन्होंने कहा कि यदि भूमि सुधार ठीक ढंग से नहीं हो पाए हैं, यदि अतिरिक्त भूमि का वितरण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है, यदि घरों हेतु स्थान, जो गरीबों को दिए जाने हैं, ठीक प्रकार से नहीं दिए जाते हैं, यदि उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है, यदि वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों को वन उपज का उपयोग नहीं करने दिया जाता है जिसमें वे हजारों वर्षों से रह रहे हैं, तो हिंसा पर नियंत्रण करना कठिन होगा। अब आदिवासी वनों को नष्ट नहीं करते। जो बाहर रहते हैं, वनों को नष्ट करते हैं। आदिवासी वनों को नष्ट नहीं करते, वे तो वस्तुतः वनों की संरक्षा करते हैं; उन्हें वनों, पेड़ों, हरियाली, वनों और वहां के वातावरण से प्रेम है। अतः यदि हम यह सब नहीं करते तो हमारे लिए हिंसा और वन क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों के युवा लोगों के मन में उभरे क्रोध पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा और हम यह भी देखें कि अन्य स्थानों पर क्या हो रहा है और वहां लोग किस प्रकार से रहते हैं। यदि उनके मन में क्रोध फूटा और उन्होंने हथियार उठा लिए, यह ठीक है कि इसका हल बंदूक के बैरल अथवा गोली में नहीं है। इसका हल तो उन्हें सहमत करने, उन्हें बताने और देश में ऐसे ढंग से ऐसी स्थिति पैदा करने में है कि वे क्रोधित महसूस न करें अथवा वे हथियार न उठाएं। यही बात माननीय सदस्यों ने कही है। अनेक माननीय सदस्यों ने जो मुख्य बात कही, वह यह थी।

किन्तु वे पुलिस बल को सुदृढ़ बनाने अथवा पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर बहुत कम बोले। कुछ संकेत तो निश्चित रूप से दिए गए। किन्तु मुख्य बल तो आर्थिक विकास लाने, आर्थिक न्याय करने, सामाजिक न्याय करने, राजनीतिक न्याय करने, समाज को उन बुराइयों से मुक्त करने, जिससे यह समाज इन तमाम वर्षों से पीड़ित है, और इस उपाय के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों और नक्सली गतिविधि पर नियंत्रण करने और रोकने का प्रयास करने पर था।

माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा था कि हमें समस्या के मुख्य कारण में जाना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि वे आतंकवादी क्यों बन रहे हैं और हिंसक क्यों बन रहे हैं। तभी हम यह कार्य कर पाएंगे। यह एक बहुत सही दृष्टिकोण है। करनी से कथनी आसान है और फिर भी यह एक ठीक दृष्टिकोण है। इसके बिना इस समस्या का कोई हल नहीं है। यदि हम यह नहीं करते तो यह कठिन हो जाएगा।

कभी-कभी लोग कहते हैं "बंदूक उठाओ और कार्यवाही करो।" इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है—बंदूक उठाओ और दूसरों पर वार करो। इसके कारण यदि कोई अपंग हो जाता है अथवा मारा जाता है—एक गोली एक व्यक्ति पर चलाई—इससे और अधिक नक्सली और अधिक हिंसक व्यक्ति पैदा होंगे। उसके परिवार के सदस्य भी नक्सली बन जाएंगे।

अतः माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव बहुत वैध हैं और

मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि माननीय सदस्य बिना सोचे समझे यूं ही सुझाव नहीं दे रहे हैं कि इस कार्य को कैसे करना है उन लोगों का कहना बिल्कुल ठीक था, उन्होंने कहा कि यह कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। उन्होंने कहा कि हम यह कार्य करने के लिए राज्य सरकार से कहेंगे। यह बात बिल्कुल ठीक है कि भूमि सुधार, भूमि का वितरण, भूमिधारण कानून, सीमांत कानून जो राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानून हैं; उन्हें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। जब भी भूमि सुधार ठीक प्रकार से हुए हैं तो हिंसा का स्तर कम हुआ है। यह तथ्य भी ठीक है। हमें इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझना है।

इसलिए हमें कार्यवाही करनी होगी। भारत सरकार इस संबंध में क्या कर सकती है? माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि हमें राज्य सरकारों से कहना होगा, भूमिधारण कानूनों और सीमांत कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने होंगे और अतिरिक्त भूमि को उचित ढंग से वितरित करनी होगी। जी हां, यह कार्य करना है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को राज्य सरकारों को यह सुझाव देने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि ये कार्य किए जाने चाहिए। भारत सरकार राज्य सरकारों से परामर्श कर सकती है और उन्हें बता सकती है कि यह कार्य करना है और कृपया यह कार्य कीजिए। यह आदेश नहीं है किन्तु यह परामर्श है, समूचा देश हमारे साथ है और आप सबके साथ है, भारत सरकार यह कार्य कर सकती है।

क्या मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि वे राज्यों में अपनी सरकारों से कहें कि वे इस पहलू पर और अधिक ध्यान दें क्योंकि इससे सहायता मिलेगी? राज्य सरकारें माननीय सदस्यों की बात सुनेंगी। वे माननीय सदस्यों के सुझावों की अनदेखी नहीं कर सकतीं। वे माननीय सदस्यों की बात सुनेंगी और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप यह कार्य करें।

प्रश्न यह है कि आर्थिक विकास आवश्यक है और यह कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाना है...*(व्यवधान)* हम इस मामले में आपकी सहायता करेंगे। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है और हम यह कार्य निश्चित रूप से करेंगे। पुलिस बल को सुदृढ़ करना ही पर्याप्त नहीं है। आर्थिक विकास करना आवश्यक है।

तीसरा प्रश्न यह है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इसके लिए सामाजिक-आर्थिक विकास और सामाजिक-आर्थिक न्याय भी उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि आप एक गांव में जाएं। यह खुशकिस्मती है कि ऐसा शहरों में नहीं हो रहा है किन्तु आप गांवों में जाएं तो आप पाते हैं कि आदमी के साथ अछूत का व्यवहार किया जाता है। कुत्ते को छुआ जा सकता है किन्तु इंसान को नहीं छुआ जा सकता! इसलिए उस व्यक्ति का क्रोध फूट पड़ता है। वह महसूस करता है कि उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। बल अथवा कानून का प्रयोग करके इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता।

जीवन के प्रति यही सही दृष्टिकोण है जो आवश्यक है। इसलिए आर्थिक न्याय आवश्यक है; सामाजिक न्याय आवश्यक है और राजनैतिक न्याय भी आवश्यक है। यदि आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चुनावों के माध्यम से एक विशेष प्रकार के लोग आ सकते हैं। वे अलग-अलग तरीके अपनाने का प्रयास करते हैं और यही है जहां यह कार्य करना पड़ता है। लेकिन यह कार्य राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ही नहीं किया जा सकता। यह कार्य तो पूरे समाज को करना है। यदि यह कार्य समाज द्वारा और समाज में सभी माननीय सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है तो यह समाधान कम प्रभावी सिद्ध होगा।

इसलिए तीन चीजें अर्थात् आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय भी किया जाना है और तभी इस समस्या में कमी की जा सकती है।

माननीय सदस्यों द्वारा कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए थे। एक सदस्य ने कहा था कि आपने पोटा का निरसन कर दिया है और अब आप उसे खो चुके हैं। जिसका उपयोग हिंसा पर नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता था। क्या यह सत्य है? मैं बहुत प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य द्वारा दिए गए भाषण के तत्काल पश्चात् कुछ अन्य सदस्य खड़े हुए और उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जब पोटा अस्तित्व में था और तब भी अनेक स्थानों में घटनाएं हुई थीं। आज भी श्री निखिल कुमार ने यह बात कही। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं इसके संवेदनशील भाग में नहीं जाना चाहता। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। जब पोटा अस्तित्व में था तब भी घटनाएं हुई थीं। हमें यह समझना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन में कठोर कानून हैं। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार-मैं समझता हूं श्री कपिल सिब्बल इस बारे में बोले थे-विद्यमान कानून को बदलना चाहती थी और गिरफ्तार व्यक्ति को एक सौ साठ अथवा इसके लगभग अवधि तक कारागार में रखने की सरकार को अनुमति देना चाहती थी। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने यह कानून पारित नहीं किया। यह घटना उन घटनाओं के तत्काल बाद हुई जो वहां पैदल पारपथ में हुई थी। अब इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

महोदय, मुझे एक बहुत रुचिकर कहानी याद आती है। दो महिलाओं को अपने पतियों से अगाध प्रेम था। एक महिला ने दूसरी

[श्री शिवराज वि. पाटील]

महिला के पास आकर कहा कि उसका पति बहुत बड़ा शिकारी है। उसने यह भी कहा कि जब वह वन में जाता है, वह बंदूक ले जाता है लेकिन गोली नहीं ले जाता। वह बाघ को बंदूक दिखाता है और बाघ भाग जाता है। दूसरी महिला ने कहा कि यह कहानी तो कुछ कहानी नहीं है। उसने कहा कि मेरा पति आपके पति से बेहतर शिकारी है। वह बंदूक नहीं ले जाता और अपनी जेब में लाइसेंस ले जाता है और बाघ को लाइसेंस दिखा देता है।

यह बात बिल्कुल ऐसी ही है। आप इस कानून के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कानून है लेकिन आप इसका प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो कानून रखने का क्या फायदा है? कानून की जरूरत है। मैं इस सभा में यह कहना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता, विधि विरुद्ध असेम्बलीज अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम औ अन्य अनेक कानून अस्तित्व में हैं। अतः यदि पोटा अस्तित्व में नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भी पोटा में था क्या वह अन्य कानूनों में है। जो पोटा में था और जो सर्वाधिक आपत्तिजनक था तो उसका यह सिद्धान्त था कि यह अभियोजन नहीं है बल्कि रक्षा है जिसे यह जिसे यह सिद्ध करना है कि वह दोषी नहीं है। यह सिद्धान्त सर्वाधिक आपत्तिजनक था और यह सिद्धान्त पोटा के साथ समाप्त हो गया है। इसलिए यह कहा जाना कि आपने पोटा का निरसन कर दिया है, इसलिए आपके पास हिंसा को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं है, तो यह स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कानून हैं। हम मौजूदा कानूनों के कारण अपंग नहीं हैं। हम इसे नियंत्रित करने की स्थिति में हैं। जो सरकार में हैं वे कह रहे हैं कि वे मौजूदा कानूनों का प्रयोग करने और स्थिति को नियंत्रित करने की स्थिति में हैं। विपक्ष में बैठे लोगों को यह नहीं करना पड़ता है। जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन्हें यह करना है। हम यह करने की स्थिति में हैं उनसे हम यह कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर के पश्चात् पूछ सकते हैं। वह आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, इस तरह से मेरा प्रवाह टूटता है।...*(व्यवधान)*

महोदय, जहां तक कानून का संबंध है, श्री निखिल कुमार ने सुझाव दिया कि पुलिस और कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा मसला है जिस पर पिछली सरकारों द्वारा विचार किया गया और अभी भी विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। कभी–कभी हम महसूस करते हैं कि कुछ स्थानों पर घटनाएं हो रही हैं और भारत सरकार जब तक कि न कहा जाए स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अपना बल भेजने में कठिनाई पाती हैं। यदि इस बाबत कहा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं हो अथवा जब राज्य में सरकार हटा दी गई है तो बल भेजे जा सकते हैं। किन्तु सामान्यतया वे बुलाए जाते हैं और बल भेजे जाते हैं। हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु राज्य सरकार हटाना और बलों को भेजना एक अतिवादी कदम है जो कि नहीं उठाया जाना चाहिए। यह केन्द्रीय बलों के लिए हमेशा संभव नहीं है कि वह जाए और स्थिति पर नियंत्रण करे क्योंकि वे हमेशा फील्ड में नहीं होते। जो फील्ड में होते हैं वे इससे निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। बल वहां से जा रहे हैं। किन्तु यह एक ऐसा मसला है जिस पर वाद–विवाद जारी है और वर्तमान सरकार की स्थिति यह है कि हम इस स्थिति जो आज विद्यमान है, में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते जब तक कि सभी संबंधित राज्य या संबंधित राज्यों में से अधिकांश इसके लिए नहीं कहते हैं अथवा वे कहते हैं कि यह किया जाए अन्यथा इससे अनावश्यक समस्या पैदा होगी।

कभी–कभी हम महसूस करते हैं कि हम अत्यधिक निःशक्त हैं क्योंकि घटनाएं हो रही हैं और हम जिस स्थान पर घटना हो रही है वहां से मुश्किल से एक किलोमीटर की दूरी पर खड़े बलों की सेवाएं हम नहीं ले पाते। इस तरह की स्थिति पीछे आई है और उत्तर प्रदेश से हमारे मित्र जानते हैं कब यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। हम अभी भी कह रहे हैं, देखो, यह एक ऐसा मसला है जिसके साथ अत्यन्त ही सावधानी से निपटना चाहिए और हम इससे अत्यन्त ही सावधानी से निपटेंगे। हम चाहते हैं कि माननीय सदस्य हमारा मार्गदर्शन करें कि किस तरह से इससे निपटा जाए। हमारे अपने विचार हैं और हम अपने विचारों का कार्यान्वयन करेंगे किन्तु यदि माननीय सदस्यों का कोई विचार है तो इससे हमें लाभ होगा। आज जो हो रहा है वह यह है कि मैंने आंतरिक सुरक्षा के बारे में पिछली बार वाद–विवाद के उत्तर देते समय ही कहा था कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति में सुधार हुआ है और नक्सलवादी गतिविधियों भी घटी प्रतीत हुईं। किन्तु आज मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि नक्सल गतिविधियों में कमी आई है। इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। किन्तु जम्मू और कश्मीर में स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति में सुधार हुआ है और यहां जो घटनाएं हो रही हैं संपूर्णता नहीं बनाती हैं। वे सही तस्वीर नहीं देते हैं। यही स्थिति है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमें अपने ध्यान में यह रखना है कि यह वह स्थान है जिसमें एक–दूसरे पर आरोप लगाने और एक–दूसरे पर तीर चलाने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह स्थान है जिसका प्रयोग सहमति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि यह विभाजक दृष्टिकोण है। मैं इसका विभाजक मसले के रूप में उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं अत्यन्त ही तीखी भाषा में कुछ भाषणों का जवाब दिया होता, जो कि माननीय सदस्यों द्वारा वक्तव्य दिया गया है। किन्तु मैंने एक भी बात का उल्लेख नहीं किया क्योंकि मैं कटुवाहट से बचना चाहता था और यही कारण है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैं यह कह सकता था कि ये राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित भाषण थे जिनसे कुल मिला कर विचार का विकास नहीं होता। किन्तु मैं यह कह रहा हूं कि उनके अपने विचार हैं और यह अलग बात है यदि मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूं अथवा नहीं कर रहा हूं। किन्तु फिर मैं माननीय सदस्यों का विचार जानना चाहता हूं। यह एक मंच है जिसका प्रयोग सहमति बनाने के लिए किया जा सकता है जो कि देश को बेहतर बनाने में प्रयोग किया जा सके।

समस्याएं क्या हैं? वास्तविक समस्या जिसका सामना मैं कर रहा हूं वह घटनाओं की संख्या तथा इन घटनाओं में हताहतों की संख्या नहीं हैं किन्तु जिन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रेनेड का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। दूसरा कार बमों का प्रयोग किया जा रहा है और तीसरा बारूदी सुरंगों का प्रयोग किया जा रहा है। इन चीजों से किस तरह निपटा जाए? हमारा अपना विचार है और हम यह करते हैं! किन्तु इन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है।

मान लीजिए कल यदि अधिक कठिन हथियारों या अधिक खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया जाएगा तो यह कैसे किया जाए? यह वास्तव में एक प्रश्न है जिसका हमें उत्तर देना है।

अब बिहार के हमारे मित्रों ने जहानाबाद के मुद्दे पर कहा है। जहानाबाद बिहार में एक स्थान है। कोरापुट जैसे स्थान भी है। गिरिडीह का मसला है। अब वास्तव में क्या हुआ है? हमारे पुलिस स्टेशन कम हैं और हमारे कस्बों तथा नगरों में कुछ ही पुलिस वाले तैनात हैं। एक पुलिस स्टेशन में दस या सौ पुलिस कर्मी हो सकते हैं। मान लीजिए 300 या 400 या इससे भी अधिक लोग पुलिस वर्दी में वहां आएं और हमला कर दें फिर यह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। हम इस तरह की स्थिति से भयभीत नहीं हैं। हमें उस पर नियंत्रण करने की ताकत है और हम उस पर काबू करेंगे। किन्तु जब यह होता है तो क्या किया जाए? यही है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।

मेरा विचार यह है कि इन सब चीजों का सबसे अच्छा उपचार आसूचना है। यदि हमारे पास आसूचना होगी तो हम परिस्थिति पर काबू पाने की स्थिति में होंगे। आसूचना राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय आसूचना भी उपलब्ध है। किन्तु दुर्भाग्यवश, राज्य आसूचना और इससे भी अधिक, स्थानीय आसूचना उपलब्ध नहीं है। अब यह आवश्यक है कि स्थानीय आसूचना को सुदृढ़ बनाया जाए।

हम स्थानीय आसूचना किस तरह विकसित करें? इसे स्थानीय पुलिस और स्थानीय तंत्र जो वहां उपलब्ध है के माध्यम से विकास किया जाना है और उस तरह की आसूचना प्रचालनरत आसूचना होगी। इसका अर्थ यह होगा कि यह वह आसूचना है जिस पर आपरेशन किए जाते हैं। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें छः महीने पहले सूचना थी। आतंकवादियों के अनुकूल एक ही बात है वह है समय और स्थान। वे समय और स्थान का चयन कर सकते हैं और वे अपनी इच्छानुसार हमला कर सकते हैं। यही है जो हमें हमेशा मालूम नहीं होता। हमें मालूम होता है कि इस प्रकार की कोई घटना होनी वाली है किन्तु कहां और किस समय और किस प्रकार यह नहीं मालूम होता। हम उस बारे में सदैव ही ठीक नहीं हो सकते और यही कारण है कि हमें इनके बारे में आसूचना एकत्र करना होगा।

मैं यह कह रहा हूं कि ये बातें गांवों में हो रही हैं। गांवों पर 100 या 200 लोगों द्वारा हमला किया जाता है। जंगलों में छिप जाते हैं किन्तु नगर का भी इसके लिए उपयोग किया जाता है जैसा कि दिल्ली और श्रीनगर में हुआ है। आतंकवादियों के लिए नगर वन की तरह हैं। आतंकवादियों के लिए वहां छिपना आसान है। यह आतंकवादी के लिए अथवा जो हिंसक गतिविधियों में संलग्न हैं का नगरों में छिपना अधिक कठिन नहीं है। नगर उनकी रक्षा कर सकते हैं, वे उन्हें कवर प्रदान कर सकते हैं और नगर भी उन्हें हमले का जबावी प्रहार करने में उनकी मदद कर सकते हैं।

अब हम महानगरों और छोटे नगरों में सुरक्षा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं। हम निर्णय करेंगे कि यह कैसे किया जाए। दूसरे देशों में सड़कों के प्रत्येक कोने पर और प्रत्येक चौराहे पर कैमरे लगे होते हैं। भूमिगत कैमरे होते हैं। भवनों में कैमरे होते हैं। हमारे लिए यह संभव है कि हम भी वैसा करें? फिर जनता भी इस संबंध में हमारी मदद कर सकती है। ट्रेड यूनियन, दुकानदारों का यूनियन और उद्योगों के लोग हमारी मदद कर सकते हैं। स्कूल के शिक्षक हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि वे कोई भी चीज कहीं भी देखते हैं और यदि वे समझते हैं कि यह विस्फोट कर सकता है तो यह उन पर है कि वे इसे खोजें और पुलिस को बताएं। और यह

[श्री शिवराज वि. पाटील]

आवश्यक भी है। कुछ देशों में बड़े नियंत्रण कक्ष हैं। इस तरह के बड़े कमरे से वे पूरे शहर में प्रत्येक गली पर निगाह रखते हैं। क्या हमारे लिए ऐसा करना संभव है? हम यह करने की स्थिति में हैं और हम ऐसा करेंगे। किन्तु इस प्रकार का विचार यहां हो रहा है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि आतंकवादी आतंक फैलाते हैं और वे इसी के आधार पर जीते हैं। हमें उनके द्वारा आतंक फैलाने में योगदान नहीं करना चाहिए। हम उन्हें सीधे ही हथियार नहीं दे रहे हैं। हम उनके साथ, किसी पर हमला करने के लिए हाथ नहीं मिला रहे हैं।

लेकिन हम इन बातों पर जिस प्रकार से विचार कर रहे हैं उससे आतंक की स्थिति बनती है। यदि हम कहते हैं कि कई जिले प्रभावित हैं वहां कारीडोर बनाया जाएगा, यह हो रहा है, वह हो रहा है जैसी कई प्रकार की बात होंगी तो आतंक का माहौल पैदा होता है। देश के किसी एक भाग में होने वाली घटना को देश के सभी अन्य भागों में महसूस किया जाता है। स्वाभाविक रूप से वहां रहने वाले लोग यह सोचते हैं कि यह घटना उनके आसपास हुई है और जब वे ऐसा सोचते हैं फिर आतंक का यह माहौल देश के एक भाग से अन्य भागों में फैलता है। क्या हम इसमें योगदान कर रहे हैं अथवा नहीं? हमें अपनी नीति बनानी होगी। सरकार लोगों को यह नहीं कह सकती है कि लोग क्या करें और क्या नहीं। यह सरकार की नीति नहीं है। हम इसे उन लोगों पर छोड़ दें जो यह करने की स्थिति में हैं।

यहां हमने माननीय सदस्यों को यह कहते हुए सुना कि ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है। एक माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते हुए कहा कि दिल्ली में घटना होने के पश्चात् पूरे बाजार में हंगामें का माहौल था और लोग सड़कों पर नहीं आ रहे थे। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने ईद और अन्य त्यौहार मनाए। इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी घटना हुई लोगों ने ईद मनाई। इससे यह पता चलता है कि वे इस प्रकार की घटनाओं का सामना कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कर दिखाया।

अतः महोदय मैं यह अनुरोध करता हूं कि हमें आतंकवाद के तथ्यों को बढ़ा–चढ़ा कर, जैसा कि आतंकवादी चाहते हैं, इसमें और वृद्धि नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की कई बातें हुई हैं। अतः किसी भी प्रकार से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें बढ़ा–चढ़ा कर अथवा इस प्रकार से अवगत नहीं कराया जाना चाहिए जिससे कि आतंक को बढ़ावा मिल सके।

गिरिडीह और झारखंड में हुई घटनाओं पर मैं कोई राजनीतिक मत नहीं देना चाहता हूं। विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न दलों का शासन है। हम इन दलों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब इस स्थिति से हम सभी को मिलकर निपटना होगा। एक–दूसरे की आलोचना करने के बजाए इसे संयुक्त प्रयास द्वारा हम इस स्थिति से निपटने हेतु बेहतर स्थिति में होंगे। यदि आप सरकार की आलोचना करना चाहते हैं और यदि आप गृह मंत्री मंत्री की आलोचना करना चाहते हैं यह आपका अधिकार है। आलोचना को सुनना और उसके बारे में जानना मेरा कर्त्तव्य है। इसकी जानकारी पुलिस को मिलेगी और वे और अधिक सजग होंगे। लेकिन यदि आप आतंकवादियों की आलोचना नहीं करेंगे और यदि आप इसकी उत्पत्ति के कारण जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः हमारा प्रयास आतंक और आतंकवादियों की आलोचना करने और इसका कारण पता करके इसके लिए सुझाव देने का होना चाहिए।

साथ ही साथ, सरकार, गृह मंत्री अथवा पुलिस को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन यदि आप केवल सरकार, गृह मंत्री अथवा पुलिस की आलोचना करेंगे तो इसका परिणाम लाभकारी नहीं होगा।

मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं इस वाद–विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को पुनः धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से शांति वार्ता शुरू हुई है तब से आज तक कितने ट्रेंड पाकिस्तानी जम्मू–कश्मीर में बैठे हुए हैं और इस वार्ता के बाद कितने वापिस बुलाए गए हैं?

जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र के दूर–दराज के क्षेत्रों में जाता हूं तो वहां के एसपीओज, सीआरपीएफ और पेरामिलिटरी फोर्सिस के जवान मुझसे कहते हैं कि यह उनकी मोरल ड्यूटी है कि वे हमें बताएं कि हम उन दूर–दराज के इलाकों में न जाएं। वहां जो एसपीओज, वीडीओज, गार्ड्स आज तक तैनात किए गए हैं, वे कांस्टेबल्स के बराबर होते हैं, लेकिन जब किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वे नौकरी पर पक्के नहीं होते हैं। सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिए सरकार ने क्या किया है? रिक्रूटमेंट करके देश में अनेक कंपनियां खड़ी की जा रही हैं, लेकिन जो देशभक्त इलाके हैं, जिनके बारे में पता भी है और जहां के लोग आज भी

मिलीटेंसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे डोडा, उधमपुर और कठुआ, उन इलाकों में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही है? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा एरिया है, जो आक्यूपाइड कश्मीर में मीरपुर और आजाद कश्मीर एरिया है, उसका झगड़ा आज तक सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है?

सभापति जी, लास्ट में जानना चाहता हूं कि मैं, लाल सिंह, इस हाउस का मैम्बर, अपने एरिये में, दूरदराज के एरिये में, जहां गाड़ियां नहीं चलती हैं, जहां 86 किलोमीटर, 68 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और रातें काटनी पड़ती हैं, वहां जाने के लिए क्या सरकार ने मेरे लिए किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की या होम मिनिस्ट्री से कोई ऐसी व्यवस्था की है, जिससे मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी में सुरक्षित जा पाऊं?

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तारपूर्वक अपनी बातें कहीं। यह बहस दो मुद्दों पर थी, लेकिन इकट्ठी हो गई—एक तो जिसे हम नक्सलवादी गतिविधि कहते हैं और दूसरी आतंकवादी गतिविधि। नक्सलवाद शब्द तो अब पुराना हो गया। अब इसके लिए लोग दूसरा शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन मैं जो कार्यवाही सूची में लिखा है, उसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। हमें नक्सलवादी और आतंकवादी दोनों गतिविधियों को अलग-अलग देखना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां, सीमा पार से आयोजित और प्रायोजित की जाती हैं और दूसरे प्रकार की गतिविधियां, जिन्हें नक्सलवादी गतिविधियां कहते हैं, वे अपने देश की मिट्टी से, अपनी परिस्थितियों से उपजे असंतोष से पैदा होती हैं, ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, गृह मंत्री जी ने बताया कि नक्सलवादी हिंसा में कमी आई है या नियंत्रण कर लिया गया है। मेरा इस विषय में दूसरी तरह का मूल्यांकन है। जो दो ग्रुप नक्सलवादियों के थे, वे संगठित हो गए हैं, उनकी ग्रुपिंग हो गई है और इकट्ठे हो गए हैं। उनके रिश्ते सीमा पार नेपाल में माओवादी गतिविधियों में लिप्त संगठन से बन गए हैं। इसलिए उन्होंने छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर, बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का काम हाथ में लिया है, फिर चाहे वह भोर की घटना हो, गिरिडीह की घटना हो या जहानाबाद की घटना हो। यह उनका सफल आप्रेशन है। इस सफलतापूर्वक आप्रेशन और तकनीक को हम उस तकनीक और गतिविधि से नहीं जोड़ सकते, जो अपने देश के बाहर से की जा रही आतंकवादी गतिविधियां हैं। अपने देश के बाहर से प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने की जो हमारी तकनीक होगी, उसे हम नक्सलवादी गतिविधि से निपटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नक्सलवादी गतिविधियां देश के बाहर से नहीं, बल्कि अपने देश के अन्दर उपजे असंतोष का परिणाम हैं।

महोदय, जैसा गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में अभी एक 'परसुएशन' शब्द का इस्तेमाल किया। उस परसुएशन के तरीके के तहत, एक टेबल पर, आमने-सामने बैठकर जो बात करके समस्या के समाधान का तरीका है, क्या उसे नहीं अपनाया जा सकता? जैसा अभी श्री सुभाष घीशिंग के साथ बात हुई और कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या उसी तरह से नक्सलवादी संगठनों से बातचीत नहीं की जा सकती?

महोदय, आंध्र प्रदेश में यह बातचीत प्रारम्भ हुई, लेकिन एक-दो घटनाओं के चलते, उस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, उस पद्धति को तोड़ दिया गया और यह कहा गया कि आक्रमणकारी ढंग से इन गतिविधियों पर काबू पाया जा सकता है—ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इसलिए हम माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो संगठन आन्तरिक कारणों से, देश के अन्दर उपजी परिस्थितियों से तंग आकर नक्सलवादी हिंसा में लिप्त हो गए हैं, क्या उनसे भारत सरकार, टेबल पर आमने-सामने बैठकर बात करेगी, भले ही राज्य सरकारों की मदद से यह कार्रवाई शुरू करे? दूसरी बात यह कि हम अपनी पुलिस का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। यह बात ठीक है कि हम अपनी पुलिस को आधुनिकीकरण करें और करना भी चाहिए।

हमारे देश में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड था, वह इसी तरह की गतिविधियों से जूझने के लिए प्रारम्भ में बनाया गया। बीएसएफ की अपनी अलग धारणा थी और सीआरपी की अपनी अलग धारणा है। सीआरपी को ट्रेनिंग देकर हम उस लायक नहीं बना सकते, जिस तरह नेशलन सिक्योरिटी गार्ड के लोगों को बना सकते हैं। इसलिए हम माननीय गृह मंत्री जी से आग्रहपूर्वक पूछना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बेस को हिन्दुस्तान के उन सभी बड़े राज्यों में स्थापित करने की, जहां इस तरह की परिस्थितियों से हम मुकाबला कर रहे हैं, वहां सरकार की कोई कोशिश है। ये दो प्रश्न हम माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डालने का काम किया है कि किस तरह हम नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जहानाबाद की जो घटना घटी है, मैं बिहार प्रदेश से आता हूं, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो नक्सलवाद पनप रहा है, आम गरीबों में जो असंतोष है, उसके क्या कारण हैं, उसकी जड़

[श्री राम कृपाल यादव]

में जाने का काम हम लोगों ने किया है या नहीं? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम नक्सलवाद पर कंट्रोल कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि हम जितना कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही नक्सलवाद बढ़ रहा है। खासकर मैं अपने प्रदेश की बात बोल रहा हूं, उसी तरह पूरे बिहार के पैमाने पर और पूरे देश के पैमाने पर भी नक्सलवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहां जो असमानता, गरीबी और फटेहाली है, जिसकी वजह से एक वर्ग और तबके में आक्रोश है, जिसके वास्ते लोग जान देने तक को तैयार हो रहे हैं, आप जान की सुरक्षा देने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, कुछ वर्ग और तबका ऐसा है जो अपनी जान देकर भी नक्सलवाद को बढ़ावा देना चाहता है, वैसी चीजों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार के क्या प्रयास हो रहे हैं?

महोदय, जहानाबाद में जो घटना घटी है, आपने कहा कि हमने पूरे देश को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। आपने कहा कि यह राशि थाने के भवन निर्माण करने के लिए दी है। मैं चाहूंगा कि बिहार प्रदेश को, जहां बड़े पैमाने पर लोग नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, वहां आपने पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आवंटित की है या उसे कंट्रोल करने के लिए आप कितनी राशि देना चाहते हैं? क्या आपको जानकारी है कि 13 तारीख को जहानाबाद में इतनी बड़ी घटना घटी, जिसकी चर्चा करने के लिए हम सदन में बैठे हैं, उसी दिन सरेआम जहानाबाद के हास्पिटल में, जहां आम लोग आते-जाते हैं, वहां एक पर्चा नक्सलवादियों के माध्यम से दिया गया है और कहा गया है कि सारे थानों को मैं उड़ा दूंगा, राजनेताओं पर हमला करूंगा। इस तरह की कोई जानकारी आपको है, और अगर है, तो उस पर आप अपने स्तर पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से एक बात जानना चाहता हूं। गुवाहाटी में पुलिस अधीक्षकों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में उन्होंने एक सुझाव दिया था। मंत्री महोदय, जैसा कि आपने अपने उत्तर में ठीक ही कहा है कि राज्य सरकारों का खुफिया तंत्र कमजोर है। वे वहां हो रही हिंसा से निपट पाने में सक्षम नहीं हैं। अतः आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है?... *(व्यवधान)* आपकी सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है? क्या सरकार आंतरिक सुरक्षा को, अमरीका में 9/11 सितम्बर को हुई घटना के पश्चात् 'होम लैंड सिक्योरिटी' की तरह, समवर्ती सूची में शामिल करने वाली है।

दूसरी बात, आंतरिक सुरक्षा में भी एक बाहरी तत्व है क्योंकि हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने दो मुद्दों पर चर्चा की है। पहला फिदायीन हमले और दूसरा नक्सलियों और माओवादियों द्वारा आंतरिक हमलों के बारे में है। अब आंतरिक सुरक्षा में बाहरी तत्व शामिल हैं। इससे निपटने के लिए राज्य सरकारें पूर्णतया सक्षम नहीं हैं क्योंकि जैसा कि आपने उल्लेख किया है वे 'क्लेमोर माइन्स' का उपयोग कर रहे हैं। वे अधिक अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं और इसे बाहर से भी प्राप्त कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री बिक्रम केशरी देव : मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि आतंकवाद में शामिल धन मुख्यतया स्वापक पदार्थों से आता है। जैसा कि सर्वत्र ज्ञात है यह केवल आतंकवाद नहीं बल्कि स्वापक आतंकवाद है। अतः सरकार ने स्वापक आतंकवाद को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं क्योंकि यह उनका वित्त पोषण करने वाली एजेंसी है। उन्हें यहां से ही आतंक फैलाने के लिए धन प्राप्त होता है क्योंकि कोई आतंकवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : मैं अपनी बात श्री मोहन सिंह के उस बयान कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, के संदर्भ में बोल रहा हूं।

महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। पहली बात, यह तार्किक दृष्टि से संभव नहीं है। दूसरी बात, यह कार्य प्रचालन की दृष्टि से संभव नहीं है। तीसरी बात, यह नैतिकता की दृष्टि से संभव नहीं है। सिद्धान्त रूप में यह एक अच्छा सुझाव है लेकिन इसे कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह कठिन है क्योंकि इसमें कई कारक शामिल हैं। अतः अच्छे विचार से दिए गए इस सुझाव का स्वागत करते हुए मैं कहूंगा कि यह अव्यवहारिक है। अतः मेरा सुझाव है कि इस पर विचार कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। परन्तु अपनी बात कहते हुए मैं और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे पूर्व में अनुमति नहीं दी थी, ऐसा नहीं कर सका। मैं यह कहना चाहता था कि नक्सलवादी समस्या के विभिन्न पहलू हैं। इसका सामाजिक, आर्थिक तथा कानून और व्यवस्था की दृष्टि से अपना पहलू है। हमें केवल इसे कानून और व्यवस्था की, हालांकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, दृष्टि से नहीं निपटना चाहिए। यदि हम इसका निपटान नहीं कर पाते तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगी। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम अपने सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करने का प्रयास करें। लेकिन सामाजिक और आर्थिक पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री निखिल कुमार : इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि केन्द्र को राज्यों के परामर्श से एक व्यापक केंद्रीय योजना तैयार करनी चाहिए जिसे राज्यों समान रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इसीलिए मैंने कहा है कि चूंकि इस विषय का अन्तराज्यीय प्रभाव है, ऐसे अवसर आ सकते हैं जब केन्द्र को जहानाबाद की घटना की तरह स्वतः कार्यवाही करनी पड़ सकती है। यह कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश से कि बिहार में झारखंड के रास्ते से बीज आए थे और उसी रास्ते लौट गए। ऐसे मामलों में केन्द्र को अपने पास स्वतः कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए।

अपराह्न 5.54 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

इसलिए संविधान में एक संशोधन करना आवश्यक होगा। मैं यह सुझाव माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ दे रहा हूं कि वे कृपया इस पर ध्यान दें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए कहा कि जिन राज्यों में भूमि सुधार कार्यान्वित किए गए हैं वहां नक्सलवादी समस्या तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन यह राज्य सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रश्न है कि भूमि सुधार से कहां तक सफलता मिलेगी। मैं महसूस करता हूं कि केंद्र सरकार को दवाब डालने के लिए न केवल पहल करनी चाहिए बल्कि इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को भी कहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या पर चर्चा करने और भूमि सुधार के कार्यान्वयन के संबंध में सुझाव हेतु मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक बुलाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। यदि केंद्र यह पहल करती है तो इसे करने का कार्य राज्यों पर होगा। मैं इस संबंध में आपका उत्तर जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल) : वे अपने आप में सैन्य बल के अनुरूप हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप मुझे मौका देंगे, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री मोहन रावले।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, मुझे भी एक सवाल पूछने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले की बात के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : गृह मंत्री जी ने अभी कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन हिन्दुस्तान के एयर मार्शल, जो कि फील्ड में काम करते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान से शांति वार्ता शुरू होने के बाद वहां इतना टैरेरिज्म हुआ है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। जम्मू-कश्मीर में बार-बार बम विस्फोट हो रहे हैं, हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में बम विस्फोट हो रहे हैं—इसमें सच्चाई क्या है? इसकी जानकारी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लिए आपने कितनी राशि आवंटित की है। मैं एक सजैशन देना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवादियों को आईएसआई के जरिए हथियार दिए जा रहे हैं। जब आपने फ्रस्ट्रेशन एंगर कहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतने साल तक किसका राज था?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक वक्ता हैं, जो बोलना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय गृह मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हर पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, जबकि मैंने इंडिपेंडेंट्स को भी बोलने के लिए टाइम दिया है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवि प्रकाश वर्मा, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, माननीय सदस्यों ने चर्चा में विभिन्न मुद्दे उठाए हैं और प्रश्न पूछते समय उन्होंने विभिन्न सुझाव दिए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) **:** उन्होंने कारबी एंगलोंग के बारे में कुछ नहीं कहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको पर्याप्त समय दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव : माननीय गृह मंत्री ने कारबी एंगलोंग के बारे में उत्तर नहीं दिया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी उपेक्षा यह देश नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री की बात के अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) **:** ये आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, ये आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मेरी बात का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। वे जो कह रहे हैं वह मैंने नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मंत्री जी ने बड़े विस्तार से जवाब दिया है। सभी माननीय सदस्यों को इससे तसल्ली होगी। गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं, उसे सुनने की कोशिश करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैंने उन्हें नोट किया है। वे प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए नहीं पूछे गए थे। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे लेकिन इस प्रकार नहीं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, यह संसद में 'आतंकवाद' है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, इसे कम से कम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, वे सभा में यही करते हैं,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यही वे उत्तर प्रदेश में करते हैं और यही वे बाहर करते हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, मैंने आपको समय दिया है, आप बैठ जाइए। अगर आप इस तरह हाउस को डिस्टर्ब करेंगे तो मेरे पास हाउस एडजर्न करने के सिवाए और कोई रास्त नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दी है, वही सफिशिएंट समझी जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं जीरो आवर लूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : यह उनकी समझ पर निर्भर करता है। यदि वे नहीं समझ रहे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप गृह मंत्री जी के नोटिस में कोई स्पेशल बात लाना चाहते हैं तो उन्हें लिखकर दे दें, वे उस पर गौर करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस के लोग इतने बहादुर है कि ऐसी स्टेटमेंट से उनका मनोबल कमजोर होने वाला नहीं है, जो कहना चाहें, कहें। दूसरी बात है कि सम्माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, प्रश्न के रूप में भी सुझाव दिए हैं। हम उन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे।

यहां एक सवाल उठाया गया कि आप बातचीत करेंगे या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि नार्थ-ईस्टर्न स्टेट से बातचीत अभी भी चालू है और उसी का नतीजा कल हुआ। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पहल करनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, पता नहीं श्री निखिल कुमार यहां हैं या नहीं, उन्होंने बार-बार कहा कि इसे स्टेट लिस्ट से कनकरेंट लिस्ट में लाइए। फैडरल सिस्टम में बहुत सारी अड़चनें होती हैं, इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया है और इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई और आज भी हुई है। सरकार का कहना है कि वे जो कह रहे हैं, वह सही होने पर भी हम सब राज्यों को अपने विश्वास में लेकर उनकी मर्जी से कुछ कर सकेंगे, नहीं तो दूसरी प्राबल्म क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वे बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। जब भी कोई बात निकलती है तो फैडरल सिस्टम को ध्यान में रखकर उसकी चर्चा नहीं होती। यहां चर्चा होगी तो कहा जाएगा कि वहां यह हो गया, आपने क्या किया। वहां हमारी पुलिस नहीं है, हमारे इंस्पैक्टर्स नहीं हैं, स्टेट के हैं, लेकिन स्टेट के भी हमारे ही हैं। जब यह सवाल स्टेट लैजिसलेचर में उठने की बजाए पार्लियामेंट में उठता है तो कहा जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है। यह फैडरल स्ट्रक्चर की वजह से है। इसे बहुत ही बैलैंस्ड तरीके से हमारे लोगों ने किया है और इसे ध्यान रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए।... *(व्यवधान)*

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे टेन्योर में...*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : यह पन्द्रह राज्यों की प्राबल्म है, यूनियन गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी तो स्टेट कैसे करेंगे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : आपको यह समझना है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हम उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए हम इसके विरोध में बाहर जा रहे हैं।

सायं 6.05 बजे

(इस समय, श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर का रिप्लाई पूरा माना जाएगा।

आइटम नम्बर 22 के बारे में मिनिस्टर साहब यह एग्री करके गए हैं कि इसे किसी और दिन लिया जाए। अगर सभी आदणीय मैम्बर्स चाहते हैं कि जीरो ऑवर लिया जाए तो हम उसे ले लेते हैं।

सायं 6.05½ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—जारी

(तीन) गोवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमिताभ बच्चन को दिए गए निमंत्रण को कथित रूप से वापस लिए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भारतीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ है, उसमें पिछली शताब्दी के महानायक, महान कलाकार श्री अमिताभ बच्चन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया लेकिन उसके बाद इस सरकार द्वारा उनका अपमान किया गया। श्री अमिताभ बच्चन इस सदन के सदस्य भी रह चुके हैं। श्री जयपाल रेड्डी जी ने उनको पत्र लिखकर कहा कि आप चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए आप इस समारोह में न आएं। हम कहना चाहते हैं कि एक तरीके से यह शताब्दी के महानायक का अपमान हुआ है और समाजवादी पार्टी को भी अपमानित करने का काम किया गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और शताब्दी के महानायक से माफी मांग कर उन्हें सम्मान दे।

अभी लीलावती अस्पताल में जब वह जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे तब सभी टेलीविजन चैनलों ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी लेकिन दूरदर्शन के चैनल ने उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इस प्रकार से दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार पत्र लिखकर श्री अमिताभ बच्चन जी से माफी मांगे और शताब्दी के महानायक कलाकार को सम्मान दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शैलेन्द्र कुमार जी की बात से अपने को संबद्ध करता हूं। यह एक गंभीर मामला है। मैं कहना चाहता हूं कि यह अपमान आमंत्रण देकर किया गया है। यह भारतीय संस्कृति की परम्परा के खिलाफ है कि आप आमंत्रण दें और उसके बाद आमंत्रण वापस ले लें। यह एक गंभीर बात है। भारतीय संस्कृति की परम्परा के खिलाफ है। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस पर स्पष्टीकरण दे या पूरे देश के सामने माफी मांगे। भारतीय संस्कृति की परम्परा का अपमान नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मंत्री जी का जवाब आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चय ही यह मामला संबंधित मंत्री के ध्यान में लाऊंगा। परन्तु मैं यह स्वीकार नहीं करता कि कोई भेदभाव हुआ है। मैं इस बात से इंकार करता हूं कि श्री अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार के साथ कोई भेदभाव हुआ है...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव : महोदय, सभी समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि समाजवादी पार्टी से उनकी निकटता के कारण उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव किया गया...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : महोदय, जो भी हो निश्चय ही, मैं यह मामला संबंधित मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कह दिया है कि मैं कन्सर्न मंत्री के नोटिस में यह लाऊंगा।

श्री हेमलाल मुर्मू—अनुपस्थित।

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। चार दिन से लगातार मैं इस मामले को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। दो दिन तो एनडीए वालों की कृपा से मौका नहीं मिला और कल आपकी अनुमति नहीं मिली।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में चलाए जा रहे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों का विद्यालय के अध्यापकों एवं प्रशासन द्वारा लगातार उत्पीड़न हो रहा है। दैनिक समाचार पत्रों में लगातार इस बारे में खबरें भी आ रही हैं। मेरे ही संसदीय क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालय, महोबा (उ.प्र.) में 23 जुलाई, 2004 को कक्षा छः के छात्र, श्री अजय वर्मा के पुत्र श्री राम प्रसाद की संदिग्ध परिस्थिति में रेल पटरी पर लाश पाई गई थी तथा अक्तूबर, 2004 को इसी विद्यालय के एक अन्य छात्र, वीरेन्द्र प्रजापति, पुत्र श्री राम नरायण ने प्रवक्ताओं के उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। एक साल बाद नवम्बर, 2005 में पुनः एक प्रवक्ता द्वारा कक्षा नौ के छात्र फारुख अहमद, पुत्र मो. अब्दुल बानी की कमरे में ले जाकर बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका इलाज अभी भी जिला अस्पताल में चल रहा है। चीख-पुकार सुनकर अन्य छात्र वहां आ गए। दर्द से कराह रहे इस छात्र को उसके साथी छात्रों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय, महोबा, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे छात्रों के उत्पीड़न को रोका जाए और मरने वाले छात्रों के परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे की राशि को बढ़ाया

जाए। साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती छात्र फारूख अहमद के इलाज का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए तथा उसके परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएं और इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गणेश सिंह—उपस्थिति नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य—उपस्थित नहीं।

चौधरी बिजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे खाद की समस्या पर बोलने का समय दिया। कृषि देश का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हमारा देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश जो कि इस देश का एक विशाल प्रदेश है, वहां पर इस समय रबी की फसल की बुबाई का समय चल रहा है। पूरे प्रदेश में खाद की कमी है और यह समस्या विकराल रूप ले रही है। पूरी-पूरी रात किसान कोआपरेटिव सैक्टर की सोसाइटीज में पड़े रहते हैं लेकिन उन्हें खाद न के बराबर मिलती है। इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रबी की फसल एक मुख्य फसल है जिस पर पूरे देश की आय निर्भर करती है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें यही एकमात्र मौका मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्सेनिक का स्टेट्स में भी यही हाल है। आर्सेनिक को भी साथ में लिया जाए।

चौधरी बिजेन्द्र सिंह : खाद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन खाद किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच के लोगों ने उसे रोक लिया है। यह पूरे देश की समस्या है, अकेले उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूरे देश के किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए खाद कोटा बढ़ाया जाए और हालांकि इसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं लेकिन इसके बावजूद भी यह उपलब्ध नहीं है। इससे पूरे राष्ट्र को क्षति होगी, उत्पादन कम होगा, इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए सरकार का निर्देश दिया जाए जिससे कम से कम इस समस्या का समाधान हो सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब को भी इसके साथ जोड़ दें।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो जीरो ऑवर में बोलने के लिए अपना नोटिस दिया है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निरन्तर बाघों की संख्या घटती जा रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी यह चिंता दिखाई थी जब वह सिरस्का में गए थे और उन्होंने सिरस्का में कहा था कि इसके लिए अलग से कानून बनना चाहिए और इसके लिए अलग से देखरेख होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को तथा देश को यह बताना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से बाघों की पोचिंग होती रही तो आने वाले दिनों में इस धरती से और खासकर भारत से बाघ मिट जाएंगे और केवल किताबों में ही रह जाएंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। अभी मेरे पास जीरो ऑवर के 39 नोटिस और हैं। आपका प्वाइंट आ गया है।

श्री रेवती रमन सिंह : सर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे 23 रिजर्व फारेस्ट पूरे देश में हैं और इनमें बाघों को रखा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्हें बचाकर रखा जाए जिससे आने वाली पीढ़ी को हम कम से कम यह कह सकें कि ये बाघ भी नेचर की देन हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट के अनुसार जो रिजर्व पूर्वांचल में हैं, आसाम में डमफा में पूरी तरह से बाघ समाप्त हो गए हैं। इसी तरह से इन्द्रावती, छत्तीसगढ़, बालमिकी, बिहार में मानस एवं नमेरी, आसाम में तथा नागार्जुन सागर, आन्ध्र प्रदेश एव पलामू, झारखंड में भी यही स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है और मेरा भी सुझाव है कि कम से कम आईसीपी और सीआरपीसी में संशोधन किया जाए तथा प्रावधान किया जाए कि अगर कोई पोचिंग करते हुए पकड़ा जाएगा या शेरों को मारते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। उनको 10 साल का कठिन कारावास या आजीवन कारावास देने का प्रावधान होना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम. एम. पल्लम राजू उपस्थित नहीं हैं।

श्री ए. वी. बेल्लारमिन।

श्री ए. वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : महोदय, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां बहुत अधिक संख्या में भारतीय राष्ट्रीयता के लोग कार्य कर रहे हैं। वहां लगभग 17 लाख भारतीय नियुक्त हैं। उनमें से अधिकांश कामगार तमिलनाडु और केरल के हैं। उनमें से

लगभग सभी निर्माण, मछली पकड़ने, कृषि फार्म, अस्पताल, सरकारी दफ्तरों में चतुर्थ श्रेणी के पदों और घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तबके के हैं।

तपती धूप और जमी बर्फ की चिन्ता किए बगैर वे लगातार कठिन कार्य करते रहते हैं। तथापि, उन्हें दिन-प्रतिदिन के कार्य में असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकांशतः ये कर्मचारी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और दम तोड़ देते हैं। इस प्रकार के मामलों में शव को भारत लाने में कई महीने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें समझौते के अनुसार उनके नियोक्ताओं से भुगतान नहीं मिलता है। बहुत अधिक काम के बोझ या वैध यात्रा दस्तावेज की अनुपलब्धता या धोखाधड़ी या अन्य कारणों से विदेश में पहुंचने के कारण वे सदैव भय में कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार के कामगारों की काफी संख्या में पुलिस द्वारा पहचान की गई और अन्त में वे जेल चले गए।

उनके बचाव के लिए आगे आने और उन्हें जेल से छुड़ाने या उन्हें श्रम संबंधी मुकदमेबाजी में सहायता करने या मजदूरी संबंधी निपटारे में उन्हें विधिक सहायता देने हेतु न तो कोई उपयुक्त तन्त्र है न कल्याण अधिकारी जो उनकी समस्याओं में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करें।

इसी प्रकार, रियाध में भारतीय दूतावास या जेद्दाह में कनसुलेट जनरल आफिस इतना शक्तिशाली नहीं है कि उन कामगारों की समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सके। इसके अतिरिक्त कामगार भी शिकायत दर्ज करने के लिए 500 कि. मी. या 1000 कि.मी. की दूरी तय करने का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए, भारत सरकार को भारतीय कामगारों की उस समय जब उन्हें सहायता अत्यावश्यक हो, सभी संभव एवं प्रभावी सहायता प्रदान करने के विशेष उद्देश्य सहित सऊदी अरब में स्थित कार्यालयों को और अधिक कर्मचारी देने चाहिए। इसी प्रकार, सऊदी अरब के धम्माम में कनसुलेट जनरल आफिस खोला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह—उपस्थित नहीं हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन।

सायं 6.17 बजे

(चार) भारतीय नागरिक के विरुद्ध जदाह, सऊदी अरब में एक शरीयत कोर्ट के कथित निर्णय के बारे में

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, यह सूचना आई है कि सऊदी अरब के जेद्दाह की शरियत अदालत ने वहां कार्य कर रहे एक भारतीय नागरिक की एक आंख निकालने का आदेश दिया है। आरोप है कि उसने सऊदी अरब के एक नागरिक की आंख को चोट पहुंचाई है। अतः 'जैसे को तैसा' के सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए शरियत अदालत ने आदेश दिया कि उसकी आंख निकाली जाए। अब वह जेल में है। अतः यह अत्यन्त गंभीर मामला है। यह मानवता के विरुद्ध है। किसी व्यक्ति की एक आंख निकालना मानवता के विरुद्ध है।

माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह मानवता का मुद्दा है। सऊदी अरब के जेद्दाह में नियुक्त एक भारतीय की आंख निकाले जाने के इस अमानवीय व्यवहार से सभी लोग अत्यन्त चिन्तित हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं, जो यहां उपस्थित हैं, कि मामले में हस्तक्षेप करने हेतु केन्द्र सरकार को सूचित करें क्योंकि यह लोगों की आवाज है।...*(व्यवधान)*

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं भी अपने को उनसे संबद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, माननीय मंत्री को कुछ कहने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। यह मानवता के उल्लंघन का मामला है...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सरकार की जानकारी में है। चूंकि माननीय सदस्य ने आज यह बात उठाई है, मैं यह मामला संबंधित मंत्री के ध्यान में लाऊंगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत गंभीर मामला है। यह सभी समाचार पत्रों में छपा है।

श्री तरित बरण तोपदार — उपस्थित नहीं

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव — उपस्थित नहीं

श्री छत्तर सिंह दरबार — उपस्थित नहीं

श्री लक्ष्मण सेठ — उपस्थित नहीं

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता — उपस्थित नहीं

श्री अब्दुल्लाकुट्टी।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आवारा कुत्तों के खतरे जैसे गंभीर मसले की ओर माननीय सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गलियों और गांवों में घूम रहे आवारा कुत्ते लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। कुत्तों के काटने से ये रेबिज बीमारी के शिकार हो गए जिसके कारण कभी-कभी इनकी मौत भी जो जाती है।

पिछले महीने संसद में कार्यरत एक ड्राइवर के बेटे को आवारा कुत्ते के काटने से रेबिज की गंभीर बीमारी हो गई और वह मर गया। केरल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यह एक गंभीर मुद्दा है। पंचायत और नगरपालिकाएं पहले आवारा कुत्तों को पकड़ा करते थे। लेकिन, एनडीए की सरकार द्वारा कुत्तों के प्रति निर्दयता निवारण कानून लागू किए जाने से आवारा कुत्तों को समाप्त करने में रुकावट आ गई है। यह गंभीर मुद्दा है। यदि कोई जंगली जानवर जंगल से बाहर आ जाता है तो हम उसे देखते ही गोली मारने के आदेश देते हैं। अतः हम आवारा कुत्तों, जिनके कारण रेबिज की बीमारी होती है, को नियंत्रित क्यों नहीं करते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इस गंभीर मसले पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। वह इस मामले का अध्ययन करे और इसके लिए उपयुक्त संशोधन लाएं। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं आवारा कुत्तों से प्यार करता हूं लेकिन मुझे मनुष्यों से भी प्यार है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर से मंडला, जबलपुर, मुंगली रेलवे लाइन की मांग की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र और अनुसूचित जाति तथा जनजातीय बाहुल्य राज्य है। उस क्षेत्र में रेल की सुविधा नगण्य है। जबलपुर से मंडला लाइन जोड़ने का सर्वे हो चुका है और 25 वर्षों से करोड़ों रुपया उस सरकार का खर्च हो चुका है। वहां के लोग रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली, भोपाल, लखनऊ आदि जगहों पर जाते हैं। वहां के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए वहां पर लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। इन लोगों को रोजी-रोटी के लिए यह रेल लाइन बिछाना आवश्यक है। इसकी स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को योजना आयोग में प्रस्ताव भेजना चाहिए, जिससे वहां के लोगों रोजी-रोटी की समस्या दूर हो सके और आवागमन की सुविधा हो सके। इसलिए बिलासपुर से मंडला रेल लाइन जोड़ देंगे तो बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से लखनऊ तथा बिलासपुर से मुम्बई आवागमन की सुविधा भी आम जनता को प्राप्त होगी। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिलासपुर से मुंगली, मंडला, जबलपुर रेल लाइन, जिसकी दूरी 120 किलोमीटर है, बिछाई जाए, जिससे मैनपुर और जबलपुर के लोग भी जुड़ जाएं। हमारे प्रदेश में खनिज सम्पदा बहुत है। वहां कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट आदि की खानें हैं और हीरे की भी खदान हैं। इससे सरकार को क्षति न होकर, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि सरकार की आय बढ़ जाएगी। इसलिए इस रेल लाइन को बिछाने का काम शीघ्र किया जाए।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन और नागरिक उड्डयन मंत्री जी का ध्यान हिमाचल प्रदेश और वहां के जनजातीय क्षेत्र लाओल-स्पीति, किन्नौर और चम्बा के पांगी तथा भरमौर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूं। आप सभी जानते हैं कि इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने के कारण सर्दियों के मौसम में छः महीने तक रास्ते बंद हो जाते हैं और इन क्षेत्रों का शेष देश से सम्पर्क टूट जाता है। वहां के लोग इतने गरीब हैं कि वे वायुसेना के माध्यम से अपना आवागमन नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मांग करना चाहती हूं कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में पूर्वोत्तर राज्यों की तरह सब्सिडाइज हवाई सेवा चलाए, जिससे वहां के गरीब जनजातीय क्षेत्र के लोगों का आवागमन हो सके और देश के अन्य भागों से सम्पर्क की सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश चन्देल-उपस्थित नहीं।

अब श्री हंसराज जी. अहीर।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं सारे देश में बिजली की समस्या के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारे देश में बिजली की बहुत ही कमी है और अनेक राज्य बिजली की कमी से त्रस्त हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी बिजली की कमी के कारण जनता में भारी आक्रोश है। राज्य सरकार बिजली की आपूर्ति करने में असमर्थ है और ग्रामीण क्षेत्रों में दस-दस घंटे तक बिजली गुल रहती है और शहरी क्षेत्रों का भी यही हाल है जिसके कारण हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को बिजली न मिलने के कारण खेती

के उत्पादन पर भारी असर पड़ रहा है और अनेक उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से विनती की थी कि प्रदेश में 3600 मेगावाट बिजली कम है। एनटीपीसी से बात चल रही थी और उन्होंने हां भी की थी लेकिन बीच में बातचीत में कुछ दिक्कत आई थी। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को बिजली नहीं दी है जिसके कारण हमारे यहां उद्योग बंद होने के कगार पर हैं और वहां बेरोजगारी बढ़ सकती है। अनेक उद्योगों के बंद होने की वजह से और बेरोजगारी बढ़ने के कारण अनेक तरह की तमाम समस्याएं वहां आ सकती हैं। किसानों को बिजली न मिलने के कारण उनको अपनी फसल की सिंचाई में दिक्कतें आ रही हैं। फसलें नष्ट हो रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए जितनी बिजली मांगी है उसकी उपलब्धता कराई जाए। एनटीपीसी द्वारा भी वहां पर थर्मल पावर का निर्माण करने के लिए भी पहल करें, यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह—उपस्थित नहीं।

श्री सुनील खां—उपस्थित नहीं।

अब श्री अविनाश राय खन्ना।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, कृपया करके वे मेरी बात को ध्यान से सुन लें। देश को आजाद हुए करीब 58 वर्ष हो चुके हैं। जब देश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान से बहुत से हिन्दू अपना घर—बार छोड़कर जम्मू—कश्मीर के अनेक स्थानों पर बसे। आज जम्मू—कश्मीर में एक लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी चौथी पीढ़ी शुरू हो गई है लेकिन उनका राइट टू वोट आज तक नहीं मिला है। उनके बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कालिज, इंजीनियरिंग कालिज और यहां तक कि सरकार में चपरासी की नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। आज वे लोग 112 दिन से जंतर—मंतर पर धरने पर बैठे हैं। न तो जम्मू—कश्मीर की सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने उनकी कोई सुध ली है। उन बच्चों और लोगों ने वहां की सरकार के खिलाफ हथियार नहीं उठाए और वे भारत माता की जय के नारे लगाते हैं।

इन 58 वर्षों में वहां चौथी पीढ़ी आ चुकी है और नई पीढ़ी अपना भविष्य अंधकारमय समझती है। इसलिए मेरी विनती है कि जम्मू—कश्मीर सरकार से बात करके वहां के एक लाख लोगों को राइट टू वोट का अधिकार दिलवाया जाए। जब से पीडीपी की सरकार आई है उनको सड़क पर रेहड़ियां भी लगाने नहीं दी जाती हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या वे स्टेट सब्जैक्ट हैं यानी उनको वहां की नागरिकता है या नहीं। यह तो मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन है। वे दलित ओर माइनोरिटीज से संबंधित लोग हैं जिनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। भारत में आकर जो लोग 58 सालों से रह रहे हैं उनको राइट टू वोट नहीं है। इसीलिए कोई भी पार्टी उनका हाल—चाल नहीं पूछती है। उनको राइट टू वोट दिया जाए जिससे वे भारत के अच्छे नागरिकों की भांति जी सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाई. जी. महाजन—उपस्थित नहीं।

योगी आदित्यनाथ—उपस्थित नहीं।

डा. सुजान चक्रवर्ती—उपस्थित नहीं।

श्री चंद्रशेखर साहु (बरहामपुर, उड़ीसा) : धन्यवाद महोदय।

हाल ही में भारत सरकार के शहरी विकास विभाग ने देशभर में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने इस मिशन के अन्तर्गत सभी राज्यों की राजधानी, महानगरों और कुछ ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों को शामिल करने का निर्णय लिया है। उड़ीसा में उन्होंने ऐतिहासिक महत्व वाले तीन शहर—बरहामपुर, कटक और संबलपुर को इस मिशन के अन्तर्गत शामिल नहीं किया है। इन शहरों को राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत शामिल नहीं किए जाने से यहां के लोग रैली, धरना और प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इन तीनों शहरों के लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह बहरामपुर, कटक और संबलपुर—तीनों शहरों को राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत शामिल करने के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करें।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में इंदिरा आवासों के आवंटन में भारी कटौती की गई है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से यह अत्यन्त ही पिछड़ा जिला है, जिसमें 15 विकास खंड हैं और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 80 से अधिक है। लगभग हर साल बाढ़ की विनाशलीला झेलने वाले इस जनपद को विशेष परिस्थितियों में इंदिरा आवास का अधिक कोटा निर्धारित किया जाता रहा है। पिछले वर्ष देवरिया जनपद के लिए 20 हजार इंदिरा आवास आवंटित किए गए थे, जिसे काटकर इस वर्ष केवल 5 हजार कर दिया गया है, जो बिल्कुल अपर्याप्त है। इतनी कम

संख्या के कारण एक ग्राम पंचायत में 5 आवास भी नहीं बनवाए जा सकते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह देवरिया जनपद के लिए इंदिरा आवास का कोटा बढ़ाकर पिछले वर्ष की संख्या के बराबर करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. करुणाकरन—उपस्थित नहीं।

श्री सांताश्री चटर्जी—उपस्थित नहीं।

डा. रामचन्द्र डोम—उपस्थित नहीं।

श्री हितेन बर्मन।

श्री हितेन बर्मन (कूच बिहार) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

पश्चिम बंगाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। रेलवे द्वारा मैनागिरि से जोगीखोबा तक नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है। इससे प्रभावित होने वाले कई कृषकों, विशेषकर पट्टा पर खेती करने वाले कृषकों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार पट्टाधारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा मुआवजा दूसरी जगह जमीन आवंटित करके या नकद राशि का भुगतान करके दिया जाएगा। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह रेलवे बोर्ड द्वारा कृषकों के बकाए का भुगतान कराने की व्यवस्था करे ताकि रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो सके।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं माननीय सभा का ध्यान सुनामी आपदा के बाद पारंपरिक मछुआरों के समक्ष उपस्थित एक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 26 दिसम्बर, 2004 के प्रलयंकारी सुनामी से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विस्मयकारी बदलाव आए हैं जिसके कारण मछलियों की कई प्रजातियां विलुप्त होने के साथ-साथ कुछ हानिकारक जीव भी आए हैं। पारंपरिक मछुआरों को जिस अनोखी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है मेढ़क जैसी दिखने वाली पफर फिश नामक जीव के आगमन का। यह विषैली है और इसे खाया नहीं जा सकता है। यह समुद्री मछलियों को खाकर जीवित रहती है। इसके अलावा जब पफर फिश जाल में फंसती है तो जाल में आई अन्य मछलियों को खा जाती है और अपने मजबूत जबड़ों से जाल को नुकसान पहुंचा देती है। इसके कारण मछली पकड़ने में परिमाणात्मक कमी होने के साथ-साथ जाल को भी भारी क्षति हुई है। केवल केरल में लगभग 10 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। केरल सरकार के मत्स्य विभाग को भारी संख्या में ऐसे आवेदन पत्र मिल रहे हैं जिसमें पफर फिश से होने वाली क्षति पर काबू पाने के लिए मदद मांगी गई है।

सरकार से मेरा आग्रह है कि वह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में आए बदलाव पर आवश्यक अध्ययन कराने के साथ पफर फिश की गतिविधियों पर भी निगरानी रखें और तत्संबंधी जानकारी मछुआरों को मुहैया कराएं ताकि वे पफर फिश की बहुलता वाले क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए न जा सकें। इसके अलावा पफर फिश से जिन-जिन मछुआरों को क्षति हुई है उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लघु उद्योग मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ नया प्रदेश है, वन क्षेत्रों से आच्छादित है, 44 परसेंट वन क्षेत्र हैं, वहां खनिज सम्पदा है और वन उपज है। इसके आधार पर खादी ग्रामोद्योग की बहुत सी यूनिट्स लगाई जा सकती हैं और जिनके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। वर्ष 2002-03 में 1200 हितग्राहियों को मनी मार्जिन योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराने का निर्णय पिछली बार लिया गया था लेकिन इस बार केन्द्र सरकार ने अपने बजट से छत्तीसगढ़ को केवल 300 हितग्राहियों का लक्ष्य दिया है। चूंकि छत्तीसगढ़ नया प्रदेश है, उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं, लघु उद्योगों के माध्यम से वर्तमान सरकार रोजगार के अवसर सृजित करना चाहती है लेकिन इस लक्ष्य की कमी के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को या उन नौजवानों को जो छोटी पूंजी के माध्यम से अपने रोजगार के अवसर सृजित करना चाहते हैं और स्थानीय संसाधनों का वैल्यू एडिशन करके दो पैसा कमाना चाहते हैं, सपोर्ट नहीं मिल रही है। उनको वह सपोर्ट मिलनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 1200 का लक्ष्य था, वह लक्ष्य पुनः छत्तीसगढ़ को दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलने के अवसर उपलब्ध हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.37 बजे

(तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2005/18 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नो की संख्या
1	2	3
1.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' डा. चिन्ता मोहन	222
2.	श्री दरोगा प्रसाद सरोज	223
3.	श्री तथागत सत्पथी श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	224
4.	श्री राम सिंह कस्वां श्री हरिभाऊ राठौड़	225
5.	श्री जोवाकिम बखला श्री चन्द्रकान्त खैरे	226
6.	श्री पी.एस. गढ़वी श्री बीर सिंह महतो	227
7.	श्री हितेन बर्मन	228
8.	श्री प्रबोध पाण्डा	229
9.	श्री मित्रसेन यादव	230
10.	मो. मुकीम श्री जी. करूणाकर रेड्डी	231
1.1	श्री चन्द्रभान सिंह	232
12.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री एस. अजय कुमार	233, 234
13.	श्री वीरचन्द्र पासवान	235
14.	श्री सुबोध मोहिते	236
15.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री सुनील खां	237
16.	श्री पी. राजेन्द्रन श्री शिशुपाल पटले	238
17.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	239
18.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	240
19.	श्रीमती जयाप्रदा श्री मुनव्वर हसन	241

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2319
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2307
3.	आदित्यनाथ, योगी	2320, 2405
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2367, 2431, 2486, 2487
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2318
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2474
7.	अजय कुमार, श्री एस.	2398, 2443
8.	अनंत कुमार, श्री	2355
9.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	2331, 2414, 2454, 2472
10.	आठवले, श्री रामदास	2338, 2421, 2459
11.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	2363
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2290, 2368, 2417
13.	बर्मन, श्री हितेन	2394, 2428
14.	बखला, श्री जोवाकिम	2386, 2439
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2371
16.	भक्त, श्री मनोरंजन	2326, 2409, 2451
17.	बोस, श्री सुब्रत	2428
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2311, 2400
19.	चारेनामै, श्री मणि	2373

1	2	3
20.	चटर्जी, श्री सांताश्री	2361
21.	चौरे, श्री बापू हरी	2293, 2323
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2311
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2306, 2404
24.	चिन्ता मोहन, डा.	2390, 2418
25.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2326, 2353
26.	चौधरी, श्री पंकज	2349, 2427
27.	चौधरी, श्री अधीर	2310
28.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2291
29.	धनराजू, डा. के.	2337, 2419, 2456
30.	धोत्रे, श्री संजय	2323, 2336
31.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2378, 2484
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2393, 2440, 2465
33.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2399, 2444
34.	गांधी, श्रीमती मेनका	2344, 2425
35.	गंगवार, श्री संतोष	2305, 2416, 2455
36.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2327
37.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2333
38.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	2348
39.	हसन, श्री मुनव्वर	2372
40.	जगन्नाथ, डा. एम.	2328, 2410, 2452
41.	झा, श्री रघुनाथ	2365, 2430
42.	जोगी, श्री अजीत	2418
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2309, 2329
44.	खां, श्री सुनील	2384
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2323

1	2	3
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2284, 2382, 2457, 2474, 2481
47.	कोया, डा. पी.पी.	2358, 2429
48.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2402, 2446, 2467, 2477
49.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2339, 2343, 2350, 2404, 2488
50.	लाहिरी, श्री समिक	2489
51.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2390
52.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2368, 2432
53.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2346, 2426
54.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2292
55.	महतो, श्री बीर सिंह	2397
56.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2316
57.	महताब, श्री भर्तृहरि	2317, 2403, 2447
58.	माझी, श्री परसुराम	2366, 2452
59.	मंडल, श्री सनत कुमार	2295, 2411
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	2399, 2444
61.	मसूद, श्री रशीद	2351, 2461
62.	मेघवाल, श्री कैलाश	2294, 2331
63.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2298, 2396
64.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2299, 2324, 2338
65.	मोहन, श्री पी.	2313
66.	मुकीम, मो.	2375, 2441, 2466
67.	मो. ताहिर, श्री	2488
68.	मोहिते, श्री सुबोध	2381, 2445
69.	मुंशी राम, श्री	2286, 2339, 2343, 2379, 2404

1	2	3
70.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2334, 2415
71.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2308
72.	नायक, श्री अनन्त	2370, 2452
73.	निखिल कुमार, श्री	2341, 2423
74.	ओराम, श्री जुएल	2302, 2323, 2370, 2388, 2437
75.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2286, 2376, 2433, 2473, 2480
76.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2350, 2452
77.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2395
78.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2318, 2368, 2404
79.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2322, 2372, 2407, 2449, 2469
80.	पाठक, श्री ब्रजेश	2342, 2424, 2461, 2476, 2483
81.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2312, 2401
82.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2316, 2479
83.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2331
84.	पटले, श्री शिशुपाल	2339, 2343, 2379, 2404
85.	पिंगले, श्री देविदास	2359, 2479
86.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2397
87.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2420, 2458
88.	रामदास, प्रो. एम.	2399
89.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2329, 2412
90.	राव, श्री के.एस.	2340
91.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2289, 2321, 2406, 2448, 2468
92.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2323
93.	रावत, श्री अशोक कुमार	2339, 2343, 2379, 2404, 2488
94.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2300, 2337
95.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2380, 2434, 2463, 2484
96.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2356
97.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2347
98.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2315
99.	साई प्रताप, श्री ए.	2303, 2324
100.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2297, 2385, 2436, 2464, 2485
101.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	2304, 2389
102.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2319
103.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2357
104.	शाहिद, मोहम्मद	2350, 2488
105.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	2330, 2413, 2453, 2471
106.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2339, 2343, 2379, 2404, 2488
107.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2306
108.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2362
109.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2377, 2422, 2442
110.	सिंह, श्री दुष्यंत	2391, 2438
111.	सिंह, श्री गणेश	2301, 2387, 2462
112.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2399, 2444
113.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2345, 2459
114.	सिंह, श्री मोहन	2360

1	2	3
115.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2314
116.	सिंह, श्री राकेश	2332, 2364
117.	सिंह, श्री रेवती रमन	2348
118.	सिंह, श्री सुग्रीव	2322, 2352, 2407, 2428, 2449
119.	सिंह, श्री उदय	2310
120.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2324, 2416
121.	सुब्बा, श्री एम.के.	2285, 2374
122.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2296, 2326, 2383, 2435
123.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2491
124.	सुमन, श्री रामजीलाल	2418
125.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2418
126.	थामस, श्री पी.सी.	2335
127.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2315, 2368
128.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2287, 2460, 2475, 2482
129.	वल्लमनेनी, श्री बालासोवरी	2303, 2392
130.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2311
131.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2369, 2488
132.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2325
133.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2288, 2408, 2450, 2470, 2478
134.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	2323
135.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	2474
136.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2345, 2354, 2459, 2490
137.	यादव, श्री मित्रसेन	2396

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	225, 231, 240
रक्षा	
सूचना और प्रसारण	224, 227, 230, 233
पचायती राज	236, 237, 238
संसदीय कार्य	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	: 222, 223, 226, 229, 232, 241
रेल	: 228, 234, 239
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	: 235

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	: 2291, 2301, 2309, 2310, 2311, 2312, 2317, 2330, 2340, 2347, 2383, 2387, 2388, 2391, 2396, 2399, 2413, 2415, 2417, 2419, 2429, 2435, 2442, 2443, 2451, 2454, 2456, 2459, 2460, 2462, 2463, 2472, 2473, 2475, 2482, 2491
रक्षा	: 2284, 2286, 2323, 2332, 2337, 2357, 2361, 2364, 2365, 2366, 2367, 2372, 2430, 2438, 2444, 2457, 2461, 2471, 2486
सूचना और प्रसारण	: 2293, 2299, 2315, 2319, 2329, 2338, 2358, 2362, 2373, 2402, 2412, 2421, 2426, 2428, 2434, 2436, 2440, 2441, 2458, 2465, 2468, 2474, 2479, 2481, 2485
पंचायती राज	: 2295, 2303, 2331, 2377, 2414, 2488
संसदीय कार्य	: 2422
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	: 2288, 2289, 2290, 2298, 2305, 2308, 2316, 2318, 2324, 2331, 2346, 2348, 2352, 2353, 2356, 2369, 2374, 2379, 2386, 2390, 2392, 2393, 2395, 2404, 2408, 2416, 2418, 2423, 2431, 2439, 2448, 2452, 2466, 2467, 2483, 2484, 2489, 2490
रेल	2285, 2287, 2294, 2296, 2297, 2302, 2304, 2306, 2307, 2313, 2320, 2321, 2322, 2325, 2326, 2327, 2333, 2334, 2335, 2336, 2339, 2342, 2343, 2344, 2345, 2349, 2350, 2351, 2354, 2355, 2359, 2360, 2363, 2368, 2370, 2371, 2375, 2376, 2378, 2380, 2381, 2384, 2385, 2389, 2394, 2397, 2398, 2400, 2401, 2403, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411, 2420, 2424, 2427, 2432, 2433, 2437, 2445, 2446, 2447, 2449, 2450, 2453, 2455, 2464, 2469, 2470, 2476, 2478, 2479, 2480, 2487
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2292, 2300, 2314, 2328, 2382, 2425, 2477

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/15/12/ 2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।